# क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान
# उत्तर रेलवे
# चन्दौसी

# माल सिद्धान्त

संस्थान के परीक्षाओं के परिणाम संस्थान के वेबसाइट
www.zrti.in पर देखें

(वाणिज्य से संबंधित नियमों की जानकारी हेतु भारतीय रेलवे की
वेबसाइट www.indianrailways.gov.in देखें )

**(अप्रैल–2015 संस्करण)**

# संस्थान गीत

वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जायें।
पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जायें।।
रेलो के संचालन में हम निज क्षमता का उपयोग करें ।
जो लक्ष्य हमारे हैं प्रभु जी उनके हित में कुछ योग करें।।
संरक्षा हित में असुरक्षित विधियों से निश दिन दूर रहें।
ग्राहक संतुष्टि के हित में मृदु वाणी का रस बरसायें।।
विश्वास प्रबंधन में करके इस पहिये को गतिमान रखो।
संरक्षित कार्य प्रणाली से हम मिलकर इसकी शान रखें।।
नियमों आदेशों का हमको नित ध्यान रहे अभिमान रहे।
जिस संस्थान में आये हैं उसकी गरिमा का मान रहें।।
हम राष्ट्र प्रेम का भाव लिये सेवा में रेल की जुट जाये।
जिस अनुशासन में ढले यहां उससे किंचित न हट पायें।।
वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जायें।
पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जायें।।

# प्रस्तावना

मुझे वाणिज्य नियम से संबंधित इस पाठ्य सामग्री को प्रकाशित होते देख अपार खुशी हो रही है। 87 वर्ष पुराने इस संस्थान में प्रशिक्षुओं को एक संगठित मानक एवं अद्यतन पाठ्य सामग्री नहीं मिलती थी। जिसके कारण उन्हें पुराने पाठ्य सामग्री की फोटो कॉपी से काम चलाना पड़ता था।

यह पाठ्य सामग्री यहाँ चलाये जा रहे प्रारम्भिक, पदोन्नति एवं पुनश्चर्या कोर्स के सभी प्रशिक्षुओं के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। वे क्लास एवं मॉडल रूम में अर्जित ज्ञान के सम्बर्द्धन एवं समपोषण करने के लिए इस पाठ्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।

यह पाठ्य सामग्री सिर्फ प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। यह रेलवे की कोई प्रमाणिक नियमावली नहीं है। रेल कर्मचारी अपने कार्य निष्पादन के लिए वाणिज्य नियमावली जिल्द–1, वाणिज्य नियमावली जिल्द–2 आदि को ही अपनी संदर्भ पुस्तिका मानें। इस पाठ्य सामग्री में लिखे गए तथ्य किसी भी परिस्थिति में वाणिज्य नियमावली, आदि के प्रावधानों का उल्लघंन नहीं कर सकते हैं।

इस पाठ्य सामग्री के निर्माण एवं प्रकाशन के लिए, मैं यहॉ के सभी अनुदेशकगण को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन्होंने अपनी निर्धारित कक्षा को पढ़ाने के बाद इस पाठ्य सामग्री के संकलन एवं प्रकाशन के लिए अथक कार्य किया है। मैं विशेषकर श्री नन्दलाल प्रसाद, वाणिज्य अनुदेशक एवं श्री आर0 एस0 यादव (अतिथि व्याख्याता) को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पाठ्य सामग्री का मौलिक रूप में संकलन किया। इस पाठ्य सामग्री के संशोधन एवं प्रकाशन में वाणिज्य संकाय के श्री अजादार हुसेन, श्री पी0के0 शर्मा, श्री अजय वर्मा, श्री ए0के0 वर्मा, श्री विकास गोयल, श्री रनबीर सिंह एवं श्री रमेश चन्द जाट ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है जिसके कारण आज यह पाठ्य पुस्तक इस रूप में हम लोगों के सामने है। मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ , जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पाठ्य सामग्री के संकलन, संशोधन एवं प्रकाशन में अपना योगदान दिया है।

मैं इस पाठ्य सामग्री की सफलता की कामना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

आमोद कुमार गुप्ता
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान
उ0रे0, चन्दौसी

## प्रधानाचार्य
## श्री आमोद कुमार गुप्ता
भा.रे.या.से.

## उपप्रधानाचार्य
## श्री एस. के. सागर

**श्री आर0 एस0 यादव**
(अतिथि व्याख्याता)

## वाणिज्य संकाय सदस्य

| | |
|---|---|
| श्री अजादार हुसैन | मुख्य अनुदेशक |
| श्री नन्दलाल प्रसाद | वरिष्ठ अनुदेशक |
| श्री पी0 के0 शर्मा | वरिष्ठ अनुदेशक |
| श्री अजय वर्मा | वरिष्ठ अनुदेशक |
| श्री ए0के0 वर्मा | वरिष्ठ अनुदेशक |
| श्री विकास गोयल | वरिष्ठ अनुदेशक |
| श्री रमेशचन्द जाट | वरिष्ठ अनुदेशक |

# विषय सूची


| क्रम सं | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | रेल संगठन | I |
| 2 | उत्पादन ईकाईयॉं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रेलवे, प्रशिक्षण संस्थान | II |
| 3 | पब्लिक सेक्टर अण्डरटेंकिंग, भर्ती बोर्ड, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान | III |
| 4 | वाणिज्य विभाग का संगठन | IV |
| 5 | संदर्भ पुस्तकें, माल आय के श्रोत | 1 |
| 6 | परिभाषायें | 2 |
| 7 | वर्तमान माल वर्गीकरण की विशेषतायें | 3 |
| 8 | अग्रेषण नोट | 4–5 |
| 9 | इनवायस | 6–7 |
| 10 | वैगन की मांग का पंजीकरण, पंजीकरण शुल्क | 8–9 |
| 11 | Forfeiture of wagon Regstration Fees, वैगन पंजीकरण फीस की वापसी | 9–10 |
| 12 | प्राथमिकता सूची | 10 |
| 13 | माल यातायात को बुंकिंग के लिये स्वीकार करने के नियम | 11 |
| 14 | माल यातायात को तौलने के नियम | 11 |
| 15 | आगत माल की पुनः तौल के नियम, रिवेमेंट चार्ज, रिवेमेंट हॉलेज चार्ज, | 12 |
| 16 | मानसून नोटिस–2012 | 13–14 |
| 17 | लोडिंग के समय सावधानियां, अनलोडिंग के समय सावधानियां | 14–15 |
| 18 | रेटिंग और रूटिंग के नियम, माल डिब्बे को मुहरबंद करना, रिविटिंग, लाकिंग | 16–17 |
| 19 | वैगन टांसफार रजिस्टर, लुप्त वस्तुयें | 18 |
| 20 | माल की पैकिंग, लेबेलिंग एवं मार्किंग | 19–20 |
| 21 | गेट पास, अप्राप्त सेल | 20 |
| 22 | एम.पी.ए. | 21 |
| 23 | ट्रेन लोड यातायात स्वीकार करते समय अपनायी जाने वाली सावधानियां | 21 |
| 24 | माल की दुबारा बुकिंग | 22 |
| 25 | माल का डाइवर्जन | 22–23 |
| 26 | माल की सुपुर्दगी, ओपेन डिलीवरी, मूल्यांकन डिलीवरी | 24–25 |
| 27 | डिसप्यूटेड डिलीवरी | 25 |
| 28 | रेलवे रसीद उपलब्ध न होने पर माल की डिलीवरी | 25–26 |
| 29 | डैमेज एण्ड डिफिसिएन्सी मैसेज | 27 |
| 30 | मिसिंग एण्ड डैमेज्ड गुड्स रिपोर्ट, अनकनेक्टेड एवं अदावित माल का निपटारा | 28 |
| 31 | अधिकतम चल आयाम एवं लम्बी वस्तुओं की बुकिंग | 29 |
| 32 | प्रतिबंधित वस्तुओं की बुकिंग, नशीली वस्तुओं की बुकिंग | 30 |
| 33 | खतरनाक व विस्फोटक वस्तुओं की बुकिंग | 31–32 |
| 34 | मिलिट्री के माल की बुकिंग | 32 |
| 35 | जानवरों की बुकिंग के नियम | 33 |
| 36 | रेलवे कनसाइनमेंट की बुकिंग | 33–35 |
| 37 | दावा | 36–37 |
| 38 | गुड्स रिटर्न | 37 |
| 39 | विलम्ब शुल्क, स्थान शुल्क | 38–39 |

# विषय सूची


| क्रम सं | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 40 | माल वाहक के रूप में रेलवे का दायित्व | 40–42 |
| 41 | आउटस्टैंडिंग | 43–45 |
| 42 | गुड्स बैलेंन्स शीट | 46–47 |
| 43 | ओवर चार्ज शीट, रेमिशन स्टेटमेंट, त्रुटि पत्र, सी0 आर0 नोट, टी0 ए0–2 | 48–49 |
| 44 | ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट | 50–52 |
| 45 | रेलवे में भुगतान के तरीके | 53–56 |
| 46 | गंतब्य/मध्य के स्टेशन पर तौल के बाद अधिक वजन पाये जाने पर कार्यवाही | 57–58 |
| 47 | माल यातायात का यानान्तरण | 59 |
| 48 | कंटेनर सेवा, मिथ्याघोषणा | 60–61 |
| 49 | भाड़ा प्रोत्साहन योजनाएं | 62–63 |
| 50 | माल भाड़ा परिवहन सूचना प्रणाली | 64–65 |
| 51 | प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल | 66 |
| 52 | इंजिन आन लोड स्कीम, रोल–आन–रोल–आफ | 67 |
| 53 | डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर | 68–69 |
| 54 | आटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन आपरेटर | 69–70 |
| 55 | सार्वजनिक–निजी भागीदारी | 71 |
| 56 | टर्मिनल डेवलपमेंट स्कीम | 71–72 |
| 57 | उदारीकृत वैगन निवेश योजना | 73 |
| 58 | मेरी–गो–राउण्ड सिस्टम | 74–75 |
| 59 | डैमरेज तथा व्हारफेज चार्ज को माफ करना | 76 |
| 60 | रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल | 77 |
| 61 | रेल दावा अधिकरण | 78–79 |
| 62 | वर्णनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न | 80–93 |
| 63 | संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों के लिये उपलब्ध सुविधायें. | 94 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# रेल संगठन

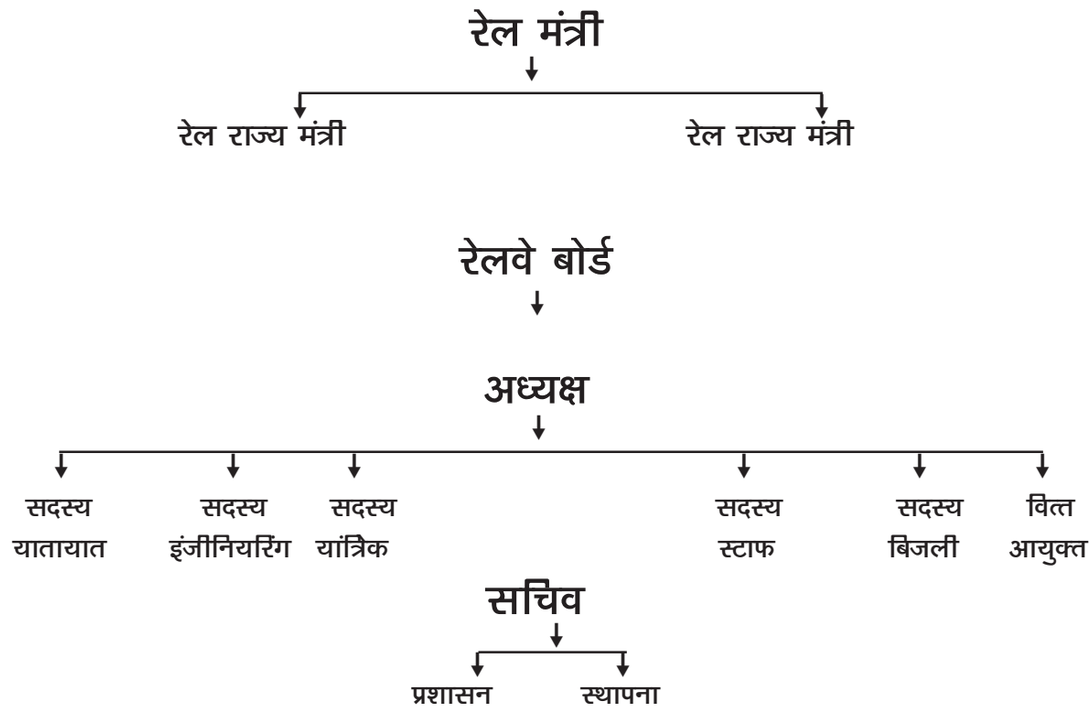


## महाप्रबन्धक

| क्षेत्रीय रेलवे | मुख्यालय | स्थापना |
|---|---|---|
| 1. मध्य रेलवे | छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुम्बई | 05–11–1951 |
| 2. पूर्व रेलवे | कोलकाता | 01–08–1952 |
| 3. उत्तर रेलवे | नईदिल्ली | 14–04–1952 |
| 4. उत्तर पूर्व रेलवे | गोरखपुर | 14–04–1952 |
| 5. उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे | मालेगॉव | 15–11–1958 |
| 6. दक्षिण रेलवे | चेन्नई | 14–04–1951 |
| 7. दक्षिण मध्य रेलवे | सिकन्दराबाद | 02–10–1966 |
| 8. दक्षिण पूर्व रेलवे | कोलकाता | 01–08–1955 |
| 9. पश्चिम रेलवे | चर्चगेट,मुम्बई | 05–11–1951 |
| 10. पूर्व मध्य रेलवे | हाजीपुर | 01–10–2002 |
| 11. पूर्वी तटीय रेलवे | भुवनेश्वर | 01–04–2003 |
| 12. उत्तर मध्य रेलवे | इलाहाबाद | 01–04–2003 |
| 13. उत्तर पश्चिम रेलवे | जयपुर | 01–10–2002 |
| 14. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे | बिलासपुर | 01–04–2003 |
| 15. दक्षिण पश्चिम रेलवे | हुबली | 01–04–2003 |
| 16. पश्चिम मध्य रेलवे | जबलपुर | 01–04–2003 |
| 17. मेट्रो रेलवे कोलकाता | कोलकाता | 29–12–2010 |

# उत्पादन ईकाइयॉ

## महाप्रबन्धक

| | | |
|---|---|---|
| 1. | चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स | चितरंजन |
| 2. | डीजल लोकोमोटिव वर्क्स | वाराणसी |
| 3. | इंटीग्रल कोच फैक्टरी | पैराम्बूर |
| 4. | रेल कोच फैक्टरी | कपूरथला |
| 5. | रेल पहिया कारखाना | बंगलौर |

## मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | डीजल कलपुर्जा कारखाना | पटियाला |
| 2. | सेन्ट्रल आर्गनाइजेशन फार मॉडर्नाइजेशन आफ वर्कशाप | नई दिल्ली |

# अन्य इकाइयाँ

## महाप्रबन्धक

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (निर्माण) | मालीगॉव |
| 2. | मेट्रो रेलवे | कोलकाता |
| 3. | सेन्ट्रल आर्गनाइजेशन फार रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन | इलाहाबाद |

## महानिदेशक

| | | |
|---|---|---|
| 1. | रिसर्च,डिजाइन एण्ड स्टेण्डर्डस आर्गनाइजेशन | लखनऊ |
| 2. | रेलवे स्टाफ कालेज | बड़ोदरा |

## प्रशिक्षण संस्थान

| | | |
|---|---|---|
| 1. | रेलवे स्टाफ कालेज | बड़ोदरा |
| 2. | इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट आफ सिविल इंजीनियरिंग | पुणे |
| 3 | इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट आफ सिगनल इंजीनियरिंग एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन | सिकन्दराबाद |
| 4. | इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट आफ मैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | जमालपुर |
| 5. | इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | नासिक |
| 6. | इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट आफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेण्ट | लखनऊ |
| 7. | जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अकादमी | लखनऊ |

## पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग

| | |
|---|---|
| 1.इरकान | इंडियन रेलवे कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली |
| 2.राइटस | रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विस लिमिटेड नई दिल्ली |
| 3.क्रिस | सेन्टर फार रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स नई दिल्ली |
| 4.कॉनकोर | कंटेनर कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड |
| 5.I.R.F.C. | इंडियन रेलवे फाइनेन्सियल कारपोरेशन लिमिटेड |
| 6.K.R.C. | कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड |
| 7.I.R.C.T.C. | इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड.टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड |
| 8.M.R.V.C. | मुम्बई रेलवे विकास कारपोरेशन मुम्बई |
| 9.R.C.I.L. | रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड |
| 10.D.F.C.C.I.L. | डेडीकेटिड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड |
| 11.आर.वी एन.एल | रेल विकास निगम लिमिटेड |
| 12.पी.आर.सी.एल. | पिपावाव रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड |

## भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्थापित रेलवे भर्ती बोर्डो की सूची

1.गोरखपुर
2.इलाहाबाद
3.मुजफ्फरपुर
4.पटना
5.रॉची
6.कोलकाता
7.माल्दा टाउन
8.बंगलौर
9.मुम्बई
10.सिकन्दाराबाद
11.चेन्नई
12.त्रिवेन्द्रम
13.भोपाल
14.अजमेर
15.अहमदाबाद
16.भुवनेश्वर
17.गुवाहाटी
18.जम्मूतवी
19.चण्डीगढ़
20.विलासपुर

## क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान

| | |
|---|---|
| भुसावल | मध्य रेलवे |
| भूली | पूर्व रेलवे |
| चन्दौसी | उत्तर रेलवे |
| मुजफ्फरपुर | पूर्वोत्तर रेलवे |
| अलीपुरद्वार | पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे |
| त्रिचुरापल्ली | दक्षिण रेलवे |
| मौलाअली | दक्षिण मध्य रेलवे |
| सिन्नी | दक्षिण पूर्व रेलवे |
| उदयपुर | पश्चिम रेलवे |

# वाणिज्य विभाग का संगठन

(ORGANISATION OF COMMERCIAL DEPARTMENT)

## –: रेलवे बोर्ड स्तर :–

अध्यक्ष

सदस्य यातायात

अपर सदस्य (वाणिज्य)

कार्यकारी निदेशक

निदेशक/संयुक्त निदेशक

उप.निदेशक

## –: क्षेत्रीय स्तर पर :–

महाप्रबन्धक

अपर महाप्रबन्धक

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मु0वा0प्र0 | मु0वा0प्र0 | मु0वा0प्र0 | मु0वा0प्र0 | मु0वा0प्र0 | मुख्य दावा अधिकारी |
| फ्रेट मार्केटिंग | सामान्य | कैटरिंग | आई.टी. | रेट्स | |

(उपरोक्त सभी के नीचे क्रमशः डिप्टी सी सी एम,सीनियर कामर्शियल मैनेजर व सहायक कामर्शियल मैनेजर है )

## –: मण्डल स्तर पर :–

मण्डल रेल प्रबन्धक

अपर मण्डल रेल प्रबन्धक

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक

मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक

सहायक मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक

निरीक्षक एवं सुपरवाइजर्स

## –: स्टेशन स्तर पर :–

स्टेशन प्रबंधक / स्टेशन अधीक्षक

| मु0बु0 पर्यवेक्षक | मु0पा0पर्यवेक्षक | मु0माल पर्यवेक्षक | मु0टि0पर्यवेक्षक | मु0आरक्षण पर्यवेक्षक |
|---|---|---|---|---|
| (CBS ) | (CPS) | (CGS) | (CIT) | (CRS) |
| BS | PS | GS | DCIT | RS |
| SBC | SPC | SGC | STE | HERC |
| BC | PC | GC | TE | ERC |

## माल यातायात के लिये संदर्भ पुस्तकें (REFERENCE BOOKS FOR GOODS)

1. Indian Railway Commercial Manual Vol.-II
   इसमें माल यातायात से सम्बन्धित सामान्य नियम, लोडिंग, अनलोडिंग के नियम एवं अन्य नियम दिये गये हैं।
2. IRCA Goods Tariff No. 41 Part-I Vol.-I
   इसमें माल यातायात की बुकिंग, परिवहन आदि के नियम दिये गये हैं।
3. IRCA Goods Tariff No – 48 Part-I Vol.-II
   इसमें माल का सामान्य वर्गीकरण दिया गया है।
4. IRCA Goods Tariff No – 48 Part-II
   इसमें माल भाड़े की दरें प्रति टन, दूरी के अनुसार दी गयी हैं।
5. IRCA Millitary Tariff No – 6 (Vol.-I & II)
   इसमें सैनिक यातायात की बुकिंग से सम्बन्धित नियम दिये गये हैं।
6. IRCA Red Tariff No. 20
   इसमें खतरनाक एवं विस्फोटक वस्तुओं की बुकिंग सें संबंधित नियम दिये गये हैं।
7. भारतीय रेलवे स्टेशनों की वर्णक्रमानुसार सूची (Alphabetical List of Railway Stations in India)
   इसमें स्टेशनों की सूची, गेज, रेलवे, कोड, न्यूमेरिकल कोड, राज्य, जनपद, मंडल, किस–किस यातायात के लिए स्टेशन खुला है, इत्यादि सूचनायें दी गयी हैं।
8. Local Distance Table
9. Railway Map of India :- पूरी भारतीय रेलों का मानचित्र दिया गया है।
10. Railway Map of Individual Railway :- प्रत्येक रेलवे का मानचित्र है।
11. The Railways Act 1989
    इसमें वाणिज्य कार्य प्रणाली से संबंधित मुख्य–मुख्य धारायें दी गयी हैं।
12. Junction Distance table of each Railway
    इसमें वाया, इंटरचेंज प्वाइंट, तथा एक रेलवे के किसी स्टेशन से दूसरी रेलवे के किसी स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है।

## माल आय के स्रोत (SOURCES OF GOODS EARNING)

1. माल की बुकिंग से प्राप्त आय।
2. मिलिट्री ट्रैफिक से होने वाली आय।
3. जानवरों की बुकिंग से होने वाली आय।
4. डैमरेज एवं व्हारफेज चार्ज से होने वाली आय।
5. क्रेन चार्ज
6. (Loading/Unloading Charge)
7. प्रतिशत प्रभार
8. क्रेन हॉलेज चार्ज
9. Reweighment Charge and Reweighment haulage Charge.
10. Siding Charge
11. Shunting Charge
12. ODC Charge
13. Dummy Wagon Charge
14. Under Charge
15. Yard Sweeping की नीलामी
16. Wagon Registration fee जब्त करने से होने वाली आय।
17. Repositioning Charge
18. विज्ञापनों से प्राप्त आय।

**परिभाषा :–**

प्रभारित वजन – डिब्बे की PCC, प्रभारित वजन है। इसमें लोडिंग टालरेन्स का प्रावधान भी है।

वास्तविक वजन – यह वजन पार्टी द्वारा घोषित किया जाता है या तौलकर वजन का पता लगाया जाता है । वैगनों का प्रभारित वजन, PCC के रूप में दिया गया है।

ट्रेन लोड एण्ड वैगन लोड – Train load की बुकिंग के लिए डिब्बों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। यदि निर्धारित वैगनों की मांग की जाय तथा निर्धारित न्यूनतम संख्या में वैगनो की लोडिंग की जाय तो ट्रेन लोड माना जायेगा। यदि यह संख्या पूरी नहीं होती तो उसे Wagon load माना जायेगा।

**कार्य प्रणाली के आधार पर मालगोदाम के दो भाग होते हैं –**

1- **Outward Goods Shed** –जहाँ पर माल की बुकिंग होती है, वह Outward Goods Shed कहलाता है।

2- **Inward Goods Shed** – जहाँ पर माल उतारा जाता है और डिलीवरी दी जाती है, वह **Inward Goods Shed कहलाता है।**

**Consigner** – माल को भेजने वाला व्यक्ति Consignor कहलाता है।

**Consignee** – माल को छुड़ाने या Delivery लेने वाले व्यक्ति को Consignee कहते हैं।

व्यस्त काल :– 1 अक्टूबर से 30 जून तक व्यस्त काल (Peak Season) तथा 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक की अवधि को अव्यस्त (Non-Peak Season) काल माना गया है।

**मानसून सीजन** :– उत्तर रेलवे में 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक का समय मानसून सीजन माना गया है।

सर्विस टैक्स :– 01.10.2012 से सम्पूर्ण प्रभार पर 3.708 प्रतिशत की दर से सर्विस टैक्स प्रभारित होगा। परन्तु कुछ वस्तुओं पर यह प्रभार नहीं लगेगा।

**माल भाड़ा के भुगतान के आधार पर ग्राहकों की कैटेगरी**

एक वित्तीय वर्ष में माल भाड़ा के भुगतान के आधार पर, माल यातायात के ग्राहकों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है –

| | | |
|---|---|---|
| अ. | 100 करोड़ से अधिक | (प्लेटिनम कार्ड धारक) |
| ब. | 50 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक | (गोल्ड कार्ड धारक) |
| स. | 25 करोड़ से अधिक किन्तु 50 करोड़ तक | (सिल्वर कार्ड धारक) |

वैगन लीजिंग कम्पनी :– इसका अर्थ उस कम्पनी से है जो रेलवे के लिए डिब्बे उपलब्ध कराती है।

हाई कैपेसिटी वैगन :– 25 टन या 29 टन, एक्स एल रूट के डिब्बे है इनकी क्षमता से भी 2 टन क्षमता वाले डिब्बे।

स्पेशल परपज वैगन :– वे डिब्बे जो विशेष वस्तुओं के परिवहन के लिए बनाये गये है और जो विशेष रूट पर चलेंगे।

बैन्च मार्क NTKMs :– इसका तात्पर्य उसी टर्मिनल से पिछले 2 वर्ष की उसी अवधि (माह एवं वर्ष) में औसत एन टी के एम से है। लेकिन 125 किमी.से कम दूरी के लिए NTKMs बैन्च मार्क में शामिल नहीं किये जायेंगे।

ग्रीन फील्ड :– का अर्थ प्राइवेट भूमि पर विकसित किये गये नए प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल से है।

ब्राउनफील्ड:– टर्मिनल का अर्थ है वह टर्मिनल जो वर्तमान साइडिंग के स्थान पर विकसित किया जाएगा।

The symbols used in the General Classification of goods traffic :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | B.G. | = | Broad Gauge |
| (ii) | M.G. | = | Metre Gauge |
| (iii) | N.G. | = | Narrow Gauge |
| (iv) | O.R. | = | Owner's Risk |
| (v) | R.R. | = | Railway Risk |
| (vi) | C.C. | = | Carrying Capacity of the wagon |
| (vii) | 'p' | = | Prepayment of Freight Compulsory |
| (viii) | 'd' | = | Dangerous/Hazardous Commodities |
| (ix) | P.C.C. | = | indicates permissible carrying capacity of the wagon (chargeable weight) notified from time to time. |

# वर्तमान माल वर्गीकरण की विशेषतायें

1. वर्तमान माल का सामान्य वर्गीकरण संदर्भ पुस्तिका IRCA Goods Tariff No. 48 Part I Vol. II में दिया गया है।
2. माल वर्गीकरण में रेल द्वारा ढोई जाने वाली सभी वस्तुओं को 25 समूहों में बाँटा गया है। जिनमें से 22 उच्च दर वाले एवं 3 कम दर वाले समूह हैं।
3. माल वर्गीकरण में मुख्य वस्तु शीर्ष (Main heading) के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं के केवल सांकेतिक नाम दिये गये हैं।
4. मुख्य वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत दी गयी वस्तुओं का वर्गीकरण वही होगा जो मुख्य वस्तु शीर्ष का है। भले ही वे विभिन्न रूपों, आकारों और विभिन्न स्थितियों में हो।
5. माल वर्गीकरण में यदि किसी वस्तु का नाम किसी भी मुख्य वस्तु शीर्षक में नहीं दर्शाया गया हो और उन्हें बुक कराया जाता है तो उन्हें वैगनों के आधार पर निम्नलिखित क्लासों पर प्रभारित किया जायेगा। यदि कोई वस्तु –

| | | |
|---|---|---|
| 1. | टैंक वैगन में लोड की जाय | तो क्लास 200 (ओ.आर) पर प्रभारित होगी। |
| 2. | फ्लैट वैगन में लोड की जाय | तो क्लास 180 (ओ.आर) पर प्रभारित होगी। |
| 3. | ओपेन वैगन में लोड की जाय | तो क्लास 160 (ओ.आर) पर प्रभारित होगी। |
| 4. | कवर्ड वैगन में लोड की जाय | तो क्लास 150 (ओ.आर) पर प्रभारित होगी। |

6. वर्गीकरण में वस्तु के सामने लिखा हुआ 'd' अक्षर खतरनाक वस्तुओं को सूचित करता है।
7. वर्गीकरण में वस्तु के सामने लिखा 'p' यह प्रदर्शित करता है कि भाड़े का पूर्व भुगतान आवश्यक है।
8- CC का तात्पर्य डिब्बे की Permissible CC, Standard CC अथवा Calibrated CC से है।
9. वर्गीकरण में सभी वस्तुओं की Class, Train load के लिए दी गई है।
10. माल का वर्गीकरण IRCA Goods Tariff No.48 Part I Vol II में दिया गया है। माल वर्गीकरण के अध्याय में सभी वस्तुओं का भाड़ा प्रभारित करने के उद्देश्य से ट्रेन लोड क्लास दी गयी हैं। मीटर गेज तथा नैरो गेज पर, वैगन लोड क्लास, ट्रेन लोड क्लास से एक स्टेप ऊंची होगी। परन्तु ब्रॉड गेज पर वैगन लोड क्लास निम्न प्रकार होगी।

| | TRAIN LOAD CLASS | WAGON LOAD CLASS |
|---|---|---|
| अ) | एल.आर. 3 से एल.आर.1 तक के लिए | वैगन लोड क्लास 120 होगी। |
| (ब) | क्लास 100 से 145 तक के लिए | वैगन लोड क्लास 150 होगी। |
| (स) | क्लास 150 से 190 तक के लिए | वैगन लोड क्लास एक स्टेप ऊंची |
| (द) | ट्रेन लोड क्लास 200 के लिये | वैगन लोड क्लास 200 + 5% होगे। |

11. सामान्य वस्तुओं के वर्गीकरण की न्यूनतम Class $LR_3$ तथा उच्चतम Class 200 है।
12. वर्गीकरण में कुल 16 Class हैं। इसके अलावा मोटर वाहन के लिए दो क्लासें आटोमोबाइल NMG / BCCNR एवं आटोमोबाइल BCACM अलग नोटीफाई की गयी है जो वैगन किमी0 रेट पर आधारित हैं।
13. जिन वस्तुओं के आगे 'OR' दर्शाया गया है, यदि ये वस्तुयें RR पर Book करायी जाये तो भाड़ा 20% अधिक होगा।
14. मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि Packing दोषपूर्ण न हो और वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार उसे Pack किया गया हो। ताकि परिवहन के दौरान उसकी क्षति, रिसाव अथवा बर्बादी न हो। वर्गीकरण में वस्तु के सामने दी गयी Packing Condition को पूरा किया गया हो।
15. माल भाड़े की दरें IRCA GT No. 48 Part II में दी गयी हैं।
16. माल भाड़े की दरें प्रतिटन, 3500 Km. तक की दूरी के लिए दी गई हैं।

## अग्रेषण नोट ( FORWARDING NOTE )

माल की बुकिंग के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसे अग्रेषण नोट (Forwarding Notes) कहते हैं। यह रेल अधिनियम की धारा 64 के अनुसार भरा जाता है। जब तक अग्रेषण नोट नहीं भरा जाएगा, माल बुकिंग के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी। फारवर्डिंग नोट एक कानूनी दस्तावेज है। Forwarding Notes को ठीक से भरना और उस पर माल का सही–सही विवरण देना पार्टी का दायित्व है। पार्टी द्वारा भर कर प्रस्तुत किया गया फारवर्डिंग नोट टी0 एम0 एस0 में फीड किया जाता है। यदि गलत विवरण देने या अधूरे विवरण देने से रेलवे को नुकसान पहुँचता है तो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार होगी। Forwarding Notes निम्न प्रकार के होते है :-

1- सामान्य व्यापारिक वस्तुओं तथा जानवरों के लिये अग्रेषण नोट
2. खतरनाक वस्तुओं के लिये अग्रेषण नोट
3. सामान्य अग्रेषण नोट
4. रक्षा विभाग के विस्फोटक माल के लिये अग्रेषण नोट
5. फ्रेंट फारवर्डर स्कीम के लिये अग्रेषण नोट

फारवर्डिंग नोट का मुख्य पृष्ठ पार्टी या उसके एजेंट द्वारा भरा जाता है और पिछला भाग रेल कर्मचारी द्वारा भरा जाएगा। फारवर्डिंग नोट उचित Form पर भरा जाना चाहिए। फारवर्डिंग नोट पर कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कटिंग होती है तो वहाँ पर साफ–साफ हस्ताक्षर करना चाहिए। फारवर्डिंग नोट पेन्सिल से नहीं भरना चाहिए। जो भाग पार्टी को भरना है वह कर्मचारी द्वारा अपने हाथों से नहीं भरना चाहिए। पार्टी स्वयं या उसके एजेन्ट द्वारा फारवर्डिंग नोट भरा जा सकता है। पार्टी या उसके एजेंट द्वारा भरा हुआ फारवर्डिंग नोट प्राप्त होने पर TMS में उसे फीड किया जाता हैं।

### पार्टी द्वारा निम्नलिखित विवरण साफ–साफ भरा जाना चाहिये :–

1. बुकिंग स्टेशन तथा उसकी रेलवे
2. गन्तव्य स्टेशन तथा उसकी रेलवे
3. माल भेजने वाले का नाम और पता
4. माल पाने वाले का नाम और पता
5. पैकेजों की संख्या, विवरण तथा Private मार्क
6. माल का वजन
7. भाड़े का भुगतान (Paid) या (To pay)।
8- फारवर्डिंग नोट पर आवश्यक Remarks
9. फारवर्डिंग नोट भरने वाले का नाम, पता, तारीख और हस्ताक्षर

अग्रेषण नोट का पिछला भाग रेलकर्मी द्वारा भरा जाएगा। कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित विवरण सावधानी पूर्वक भरे जायेगें।

1. नगों की संख्या, विवरण तथा वजन
2. तारीख
3. माल को चेक करने वाले, तौलने वाले, रसीद बनाने वाले तथा लदान को सुपरवाइज करने वाले कर्मचारी का नाम।
4. जोखिम दर (Risk Rate)
5- Charged Via.
6- Carried Via.
7. प्राइवेट मार्क
8. वास्तविक वजन तथा प्रभारित वजन
9. माल का वर्गीकरण
10. दर

11. भाड़ा
12. रेलवे रसीद का नम्बर (इनवायस न0 तथा तारीख)
13. डिब्बे का विवरण

**निम्नलिखित मामलों में यदि उचित Remarks ले लिये गये हैं तो वे रेलवे के दायित्व को सीमित करेगें**

1. यदि धारा 63/97 के अनुसार RR या OR का रिमार्क ले लिया गया हो।
2. यदि धारा 98 के अनुसार माल की खराब पैकिंग या खराब दशा का रिमार्क ले लिया गया हो।
3. यदि धारा 103 के अनुसार प्रतिशत प्रभार के भुगतान का रिमार्क ले लिया गया हो और कीमत घोषित की गयी हो।
4. यदि धारा 104 के अनुसार खुले डिब्बे का रिमार्क ले लिया गया हो।
5. यदि डनेज की शर्त (S-2) को पूरा न करने का रिमार्क ले लिया गया हो।
6. यदि माल गीला, टूटा या पुराना हो तो सम्बन्धित रिमार्क ले लिया गया हो।

**जनरल फारवर्डिंग नोट** (General Forwarding Note)

इस फारवर्डिंग नोट का उपयोग केवल पार्सल यातायात को बुक करने के लिए किया जाता है। यह छोटा सा फार्म होता है। इसका रंग सफेद होता है। यह धारा 64 के अनुसार भरा जाता है । यह सीजनल/Regular ट्रैफिक के लिए भरा जाता है। इसकी मान्यता 6 माह तक रहती है। इसे पार्टी द्वारा भरा जाता है। इसका प्रयोग केवल कोचिंग यातयात की बुकिंग के लिए होता है।

स्टेशन मास्टर द्वारा Counter Signature किया जाता है और DRM द्वारा Approve किया जाता है। यह तीन कॉपियों में भरा जाता है। 1 कॉपी DRM Office में रहती है। एक कॉपी पार्टी को और एक कॉपी संबंधित स्टेशन को दे दी जाती है। उनकी सूची Parcel घर में टंगी रहनी चाहिए। बुकिंग के समय Parcel का विवरण एक छोटे से Form पर घोषित किया जाएगा जिसे पार्सल Declaration Note कहते हैं।

## इनवायस (INVOICE)

जब माल बुक किया जाता है तो इनवायस जारी किया जाता है। इनवायस की ही एक प्रति रेलवे रसीद होती है। इनवायस में बुकिंग के लिए स्वीकार किये गये माल को भेजने के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर दी जाने वाली एक प्रकार की सूचना होती है। इनवायस 4 प्रतियों में तैयार की जाती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

1- Record Copy 2- Railway Receipt 3- Accounts Copy 4- Invoice

दिनॉक 01.03.2011 से इनवायस टी0एम0एस0 द्वारा जारी की जाती है। Invoice की चार प्रतियाँ प्रिन्टर की सहायता से तैयार की जाती हैं। इनमें सभी आवश्यक विवरण निर्धारित कॉलम के अनुसार छापें जाते हैं। जिनमें मुख्यतः जारी करने की तारीख, Station From & Station to, Serial No. of Forwarding note, Invoice No., Owning Railway of wagon, Wagon Type, CC of Wagon, भेजने तथा पाने वाले पार्टियों के नाम व पता, बुकिंग एवं गंतब्य स्टेशन का Numerical Code, वस्तु का विवरण, पैकेजों की संख्या, वास्तविक वजन, प्रभारित वजन, वस्तु की क्लास, दर, भाड़ा तथा अन्य प्रभार आदि शामिल होते हैं। इनके अलावा फारवर्डिंग नोट पर पार्टी द्वारा लिखे गये रिमार्क भी लिखने चाहिए। इसका प्रोफार्मा TMS में मौजूद होता हैं। इसकी प्रतियों का प्रिंट लेने के लियें पेपर होता हैं। जिसे प्रिंटर में सेट किया जाता हैं और प्रिंट कमाण्ड देने पर इनवायस का प्रिंट आ जाता हैं। इनवायस, रेल अधिनियम 1989 की धारा 65 के अन्तर्गत जारी किया जाता है।

## इनवायस की प्रतियों का निपटारा (DISPOSAL OF COPIES OF INVOICE)

1. **Record Copy** - यह स्टेशन का रिकार्ड होता है और इसे कम से कम पाँच वर्ष तक स्टेशन पर फारवर्डिंग नोट के साथ सुरक्षित रखा जाता है।
2. **Railway Receipt** - यह प्रति पार्टी को दी जाती है जिसके आधार पर गंतव्य स्टेशन पर माल की डिलीवरी ली जाती है।
3. **Accounts Copy** - यह कापी यातायात लेखा कार्यालय भेज दी जाती हैं। इसके आधार पर ही लेखा कार्यालय द्वारा MPA तैयार किया जाता है।
4. **Invoice** – यह प्रति डाक द्वारा गंतव्य स्टेशन को भेजी जाती है। इसके आधार पर डिलीवरी बुक में प्रविष्टि की जाती है। माल छोड़ते समय रेलवे रसीद का मिलान इससे किया जाता है।

## इनवायस तैयार करते समय सावधानियाँ

1. इनवायस की उचित पेपर का प्रयोग किया जाना चाहिए।
2. इनवायस के विवरण सही–सही भरें जाने चाहिए।
3. स्टेशन from, Station to तथा Numerical Code सही-सही भरें जाने चाहिए।
4. Consignor और Consignee का नाम व पता सही-सही निर्धारित कालम में भरा जाना चाहिए।
5. फारवर्डिंग नोट का नम्बर व तारीख भी निर्धारित कालम में लिखा जाना चाहिए।
6. वजन, डिब्बों की किस्म व संख्या, गन्तव्य स्टेशन, वस्तु, वाया फीड करने पर प्रभारित वजन, क्लास, क्लास रेट तथा भाड़े की गणना TMS स्वयं कर देता हैं। अतः डिब्बें का विवरण, गन्तव्य स्टेशन का नाम, कमोडिटी, वाया सही तरीके से उचित कॉलम में फीड करना चाहिए।
7. यदि मालिक ने प्रतिशत प्रभार अदा किया है तो प्रतिशत प्रभार अदा करने का रिमार्क भी लिखा जाना चाहिए।
8. यदि मालिक ने फारवर्डिंग नोट पर कोई रिमार्क दिया है तो उसे भी Invoice पर अंकित करना चाहिए।
9. Invoice जारी करने की तारीख निर्धारित Column में भरनी चाहिए।
10. Outward Invoice का नम्बर Index रजिस्टर से देखकर निर्धारित कालम में फीड करना चाहिए।

## इनवायस इंडेक्स रजिस्टर (Invoice Index Register)

**(1) Outward Invoice Index Register -**

यह रजिस्टर, Outward Goods Shed का महत्वपूर्ण रिकार्ड होता है। इसमें एक बुकिंग स्टेशन से सभी गंतव्य स्टेशन के लिए जारी की गई Invoice के विवरण क्रमानुसार दर्ज किये जाते हैं। इसमें प्रत्येक गंतव्य स्टेशन के लिए Alphabetical Order में अलग–अलग पन्ने आवंटित किये जाते हैं। प्रत्येक गंतव्य स्टेशन के लिए जारी किये गये Invoice के विवरण 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से Invoice No. '1' से प्रारम्भ करके दर्ज किये जाते हैं। Invoice बनाते समय Invoice No का निर्धारण इसी रजिस्टर के आधार पर किया जाता है। इसमें Invoice No. के अलावा रेलवे रसीद की संख्या, जारी करने की तारीख तथा अन्य आवश्यक विवरण लिखे जाते हैं।

(2) Inward Invoice Index Register -

इस रजिस्टर में गंतव्य स्टेशन पर प्राप्त होने वाले सभी Invoice दर्ज किये जाते हैं। इससे गुम इनवायस के संबंध में तथा इनवायस के जाली होने के संबंध में जानकारी मिलती है।

# वैगन की मांग का पंजीकरण

Wagon Load और Train Load यातायात के रूप में माल की बुकिंग के लिये प्रेषक द्वारा रेलवे से डिब्बों की Demand की जाती है और वैगनों की उपलब्धता के आाधार पर रेलवे द्वारा वैगनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 70 के अनुसार रेल प्रशासन द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर वैगन उपलब्ध कराया जाता है। अतः वैगन का आवंटन करते समय यह भी आवश्यक हो जाता है कि वैगन की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर ही की जाये। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वैगनों की सभी माँगे प्राथमिकता के आधार पर दर्ज की जायें। वैगनों की ऐसी माँगें जिस रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं, उसे 'प्राथमिकता रजिस्टर' कहते हैं। वर्तमान समय में डिब्बों का पंजीकरण TMS में किया जाता है।

## प्राथमिकता रजिस्टर

यह रजिस्टर Outward Goods Shed का महत्वपूर्ण Record है। इसमें प्रेषक द्वारा की गई वैगनों की सभी माँगों को प्राथमिकता के अनुसार दर्ज किया जाता है। इस रजिस्टर में 27 कालम होते हैं। जिसमें से 17 कॉलम वैगन की माँग दर्ज करते समय और शेष 10 कॉलम वैगन उपलब्ध कराते समय व इनवायस जारी करते समय भरे जाते हैं।

वैगन की मांग करते समय भरे जाने वाले कॉलम में क्र0सं0, मांग करने का समय, तारीख, भेजने वाले का नाम व पता, पाने वाले का नाम व पता, गंतव्य स्टेशन का नाम, वस्तु का नाम, आवश्यक डिब्बों की संख्या व प्रकार, वस्तु की प्राथमिकता श्रेणी, रजिस्ट्रेशन फीस की MR का नम्बर तथा प्रेषक के हस्ताक्षर इत्यादि प्रमुख हैं।

वैगन उपलब्ध कराते समय भरे जाने वाले कॉलमों में वैगनों का प्रकार, वैगनों की संख्या, खुले या बन्द, वहन क्षमता, मालिक रेलवे तथा प्रेषक के हस्ताक्षर, तारीख इत्यादि प्रमुख होते हैं।

यह रजिस्टर माल पर्यवेक्षक द्वारा सुरक्षित रखा जाता है लेकिन व्यापारियों द्वारा माँग किये जाने पर यह रजिस्टर उन्हें दिखाया जा सकता है। इस रजिस्टर में एक बार प्रविष्टि हो जाने के बाद सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। परन्तु Sr. DCM की अनुमति से परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन सामान्यतः उन्हीं दशाओं में किया जाता है जब मूल गंतव्य स्टेशन के लिए कोई अनिश्चित काल के लिये प्रतिबंध लगा हो। इसी तरह Sr. DCM की अनुमति से वस्तु के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते परिवर्तन की जाने वाली वस्तु उसी प्राथमिकता श्रेणी की हो और डिब्बे की आपूर्ति न की गयी हो। गंतब्य स्टेशन बंद होने तथा मांग किया गया डिब्बा यदि प्रयोग से बाहर कर दिया गया हो तो इस संबंध में भी नियमानुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं। साइडिंग के मामले में डिब्बे की लदान को बेहतर करने के उद्देश्य से, गंतब्य स्टेशन का परिवर्तन भी किया जा सकता है।

## पंजीकरण शुल्क –

प्रत्येक वैगन की मांग के लिए BG में 1500 रूपये, MG में 1500 रूपये तथा NG में 1500 रूपये प्रति वैगन की दर से वैगन रजिस्ट्रेशन फीस जमा की जाती है। पूरे रेक के लिए रजिस्ट्रेशन फीस की राशि BG में 50,000 रूपये, MG में 50,000 रूपये तथा NG में 1500 रूपये x रेक में डिब्बों की संख्या होगी। सरकारी मामले में एक मुश्त रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 रूपये है। यह रजिस्ट्रेशन फीस सभी प्रकार के यातायात के लिए ली जायेगी। रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते समय एक मनी रसीद (MR) जारी की जाती है। यह MR एक किताब के रूप में बंधी होती है। प्रत्येक रसीद कार्बन की सहायता से दो प्रतियों में तैयार की जाती है। एक प्रति पार्टी को दे दी जाती है और एक स्टेशन रिकार्ड के लिए होती है।

जब पार्टी द्वारा माल की लोडिंग कर ली जाती है तो रजिस्ट्रेशन फीस पार्टी को वापस कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन फीस वापस करते समय MR की प्रति पार्टी से वापस ले ली जाती है और इस पर पैसा प्राप्त करने वाली पार्टी के हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं।

| Type of Gauge | Registration Fee per wagon(Rs.) | Registration Fee per rake (Rs.) |
|---|---|---|
| B.G. | 1500 | 50,000 |
| M.G. | 1500 | 50,000 |
| N.G. | 1500 | 1500 x रेक में डिब्बों की संख्या |

## निम्नलिखित मामलों में रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करायी जायेगी

1. मिलीट्री यातायात के मामले में।
2. प्लेटिनम कार्ड धारक, गोल्ड कार्ड धारक एवं सिल्वर कार्ड धारक व्यक्तियों से।
3. आर.एम.सी के मामले में।
4. जब रेलवे कर्मचारी स्थानान्तरित/रिटायरमेंट होने पर अपने सामान को घर पहुंचाने हेतु डिब्बें की मांग करे।
5. रेलवे प्रशासन द्वारा जारी विशेष आदेशों के अन्तर्गत, रीलीफ मैटेरियल जब एन.जी.ओ/सरकारी विभागों द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्रों को भेजे जा रहे हों।
6. कॉनकोर द्वारा सभी प्रकार के कंटेनर यातायात।

### वैगन पंजीकरण फीस का जब्तीकरण (FORE FEITURE OF WAGON REGISTRATION FEES)

1. जब वैगन की आपूर्ति हो जाये परन्तु पार्टी उसे लोड करने से मना कर दे।
2. जब Free Time के अन्दर पार्टी द्वारा लोडिंग प्रारम्भ न की जाये।
3. जब Free Time के बाद लोडिंग की अनुमति पार्टी ने ले ली हो परन्तु उसके बाद भी लोडिंग प्रारम्भ न की जाये।
4. जब पार्टी पूरे वैगनों का भाड़ा अदा करने से मना कर दे।
5. जब पार्टी रजिस्ट्रेशन की तारीख से सामान्य माल के लिए 10 दिन, उच्च लाभदायी माल के लिए 5 दिन तथा POL के लिए 3 दिन के अन्दर अपनी माँग रद्द करा दे।

## वैगन पंजीकरण फीस की वापसी

निम्नलिखित परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन फीस की वापसी होगी। जैसे :–

1. जब पार्टी वैगन को Free Time के अन्दर लोड कर दे।
2. जब पार्टी पूरे डिब्बे का भाड़ा अदा करे।
3. जब पार्टी रजिस्ट्रेशन की तारीख से सामान्य माल के लिए 10 दिन, उच्च लाभदायी माल के लिए 5 दिन तथा POL के लिए 3 दिन के बाद अपनी माँग रद्द करा दे।
4. जब गन्तव्य स्टेशन पर अनिश्चित काल के लिये प्रतिबंध लगा दिया गया हो।
5. यदि किसी खण्ड विशेष पर नवीनीकरण के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया हो।

इन स्थितियों में रजिस्ट्रेशन फीस वापस कर दी जाती है।

रजिस्ट्रेशन फीस वापस करते समय, पार्टी को जारी की गयी MR की Copy, पार्टी से वापस ले ली जाती है। MR के ऊपरी भाग में Refunded का रिमार्क करके, पार्टी को लौटा देते है तथा निचले भाग में पार्टी का हस्ताक्षर कराकर इसे कैश वाउचर माना जाता हैं। यदि पार्टी से MR खो जाये तो रजिस्ट्रेशन फीस की वापसी के लिए पार्टी को क्षतिपूर्ति नोट भरना होगा।

NOTE -

(1) यदि पार्टी बन्द डिब्बे की मांग करती है और रेलवे उसे खुले डिब्बे देते हैं या इसके विपरीत स्थिति हो और पार्टी उसे लोड नहीं करती है तो पंजीकरण फीस जब्त नहीं होगी।

(2) यदि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद स्टेशन पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा है तो पार्टी अपनी माँग जारी रख सकती है या वापस ले सकती है। यदि पार्टी माँग जारी नहीं रखना चाहती तो भी रजिस्ट्रेशन फीस जब्त नहीं होगी।

(3) एक डिब्बे की रजिस्ट्रेशन फीस दूसरे डिब्बे में समायोजित नहीं की जायेगी।

(4) पंजीकरण शुल्क जब्त होने पर इंडेण्ट रद्द माना जाता है।

(5) यदि डैमरेज चार्ज बनता है तो लिया जायेगा।

(6) यदि मार्ग अवरूद्ध हो जाय या गंतब्य स्टेशन माल यातायात की बुकिंग के लिये बंद कर दिया जाये या मांग किया गया डिब्बा प्रयोग से बाहर कर दिया गया हो तो पार्टी रजिस्ट्रेशन रद्द करा सकती है। इस मामले में रजिस्ट्रेशन फीस जब्त नहीं होगी। यदि नोटिफिकेशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर भी रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कराया जाता है तो 31वें दिन, रजिस्ट्रेशन स्वतः रद्द माना जायेगा परन्तु रजिस्ट्रेशन फीस जब्त नहीं होगी।

## प्राथमिकता सूची (PREFERENTIAL SCHEDULE OF TRAFFIC)

इसे वरीयता सूची भी कहा जाता है। रेल अधिनियम की धारा 70 के अनुसार माल के सम्बन्ध में किसी वस्तु या व्यक्ति को Undue Preference नहीं दिया जायेगा। परन्तु कभी–कभी आम जनता के हित में या सम्पूर्ण देश के हित में प्राथमिकता के विरूद्ध भी डिब्बे का आवंटन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अतः रेल अधिनियम की धारा 71/(1) (a) में एक ऐसा प्रावधान है जिसके अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा वस्तुओं की सूची घोषित की जाती है। इसी सूची को प्राथमिकता सूची या वरीयता सूची कहते हैं। इस सूची की मान्यता एक वर्ष के लिए होती है। प्राथमिकता सूची की चार श्रेणियाँ निम्नलिखित है –

1. A-Class
2. B-Class
3. C-Class
4. D-Class

1- A-Class - Millitary का माल यातायात जो Mil-Rail द्वारा प्रायोजित हो इसे सबसे पहले Preference दिया जाता है।

2- B-Class -

(अ) आकस्मिक आपदा सहायतार्थ सामग्री (दैवीय आपदा सहायतार्थ) जिसे कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी द्वारा स्पान्सर किया गया हो जैसे–बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि। जो उपसचिव (केन्द्र/राज्य सरकार) रैंक से नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा प्रयोजित हो या नान–गवर्नमेन्ट आर्गेनाइजेशन जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नामित हो, द्वारा प्रायोजित हो।

(ब) वे सभी यातायात जो केन्द्र सरकार के एजेन्सी द्वारा प्रायोजित हो एवं रेलवे बोर्ड/जोनल रेलवे द्वारा अनुमोदित हो जैसे–पी0डी0एस के अंतर्गत एफ0सी0आई द्वारा स्पान्सर किये गये खाद्यान्न व लेवी शुगर।

3. C-Class - कोयला, खाने वाला नमक, कामन साल्ट, स्टील प्लांट के लिये कच्चा माल, फर्टीलाइजर तथा पी0ओ0एल0 जिसे नियमानुसार स्पान्सर तथा अनुमोदित किया गया हो।

4- D-Class - अन्य माल यातायात जो A, B, C में शामिल नहीं हैं।

### सामान्य निर्देशः–

1. ब्लाक रेक यातायात को वैगन लोड यातायात पर प्राथमिकता दी जायेगी। प्राथमिकता क्लास तथा रजिस्ट्रेशन की तिथि कोई भी हो।
2. ब्लाक रेक यातायात को उसी प्राथमिकता सूची के अंतर्गत अन्य यातायात पर निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी :–

i) Wagon Investment Scheme तथा Freight Forwarder Scheme

ii) रेक लोड यातायात जो राउण्ड दि क्लॉक वर्किंग साइडिंग से बुक हो।

iii) रेक लोड यातायात जो मेकेनाइज्ड लोडिंग पद्धति वाले स्टेशन की उस साइडिंग से बुक हो जिसमें फुल रेक हैंडलिंग की सुविधा हो।

iv) जो यातायात 700 किमी0 से अधिक दूरी के लिये प्रस्तुत किया गया हो।

v) सिंगल प्वाइंट के ब्लाक रेक को टू प्वाइंट रेक/मल्टी प्वाइंट रेक तथा मिनी रेक पर प्राथमिकता दी जायेगी।

**नोट :–** सी0 ओ0 एम को अधिकार है कि वह एक सप्ताह में दो दिन निर्धारित कर सकते हैं जिसमें रेक का एलाटमेंट, रजिस्ट्रेशन की तिथि के अनुसार किया जायेगा, प्राथमिकता की श्रेणी कोई भी हो।

## माल यातायात को बुकिंग के लिए स्वीकार करने के नियम

1. इस प्रकार के यातायात के लिए दोनो स्टेशन खुले होने चाहिए।
2. निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके वैगनों की मांग का पंजीकरण कराया जाना चाहिएं।
3. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस वस्तु की बुकिंग पर प्रतिबन्ध न लगाया गया हो।
4. पार्टी द्वारा उचित फारवर्डिंग नोट भरा जाना चाहिए।
5. पार्टी द्वारा माल पर उचित मार्किंग की जानी चाहिए।
6. PLM की शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।
7. यदि पैकिंग में किसी प्रकार की खराबी है तो इसका रिमार्क पार्टी से फारवर्डिंग नोट पर लिया जाना चाहिए।
8. माल को स्वीकार करते समय माल टूटा–फूटा न हो और पानी से भींगा न हो।
9. यदि भाड़े का पूर्व भुगतान अनिवार्य हो तो यह देखना चाहिए कि पार्टी भाड़ा देने के लिए तैयार है।
10. नशीली वस्तुओं के साथ पास या लाइसेंस अवश्य होना चाहिए।
11. प्रतिबन्धित वस्तुओं के साथ परमिट का होना अनिवार्य है।
12. खतरनाक या विस्फोटक वस्तुओं से सम्बन्धित सभी नियम IRCA Red Tariff No-20 के अनुसार पूरे किये जाने चाहिए। इसके साथ Form-16 का होना आवश्यक है।
13. बदबूदार वस्तुओं और जानवरों आदि से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

## माल यातायात को तौलने के नियम

1. सामान्यतः माल को तुला चौकी Weigh Bridge पर तौला जाता है। माल चाहें ट्रेन लोड हो या वैगन लोड, पैक्ड हो या लूज, उसे वे.ब्रिज पर तौला जायेगा। सभी माल बुकिंग स्टेशनों पर इन–मोशन वे–ब्रिज का प्रावधान किया जाना चाहिये।यदि सभी पैकेज एक समान आकार और वजन के हैं तो रेक का 5% तौला जायेगा। इसी के आधार पर वजन ज्ञात किया जायेगा। इसकी मासिक रिपोर्ट, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा, रेलवे बोर्ड को भेजी जानी चाहिये।
2. कुछ वस्तुयें जैसे फायरवुड, चारकोल तथा घास आदि के मामलों में फर्शी क्षेत्रफल के आधार पर वजन निर्धारित किया गया है, उन्हें तौलने की आवश्यकता नहीं है।
3. यदि बैग्स नान स्टैंडर्ड साइज के है या माल लूज स्थिति में है तो 100% रेक को तौला जायेगा।
4. प्रारंभिक स्टेशन या फ्रेट टर्मिनल पर रेक/वैगन की तौल की व्यवस्था की जायेगी। तौल के बाद अधिक वजन पाये जाने पर लोड का एडजस्टमेंट कराया जायेगा। लोड एडजस्ट कराने के लिये रेलवे के लोको का उपयोग किये जाने पर पार्टी से नियमानुसार शंटिंग चार्ज वसूला जायेगा एवं रू0 5000/– प्रति ओवरलोडेड वैगन के अनुसार, पार्टी से वैगन डिटेंशन चार्ज के रूप में वसूला जायेगा। यदि पार्टी ने अपना लोको प्रयोग किया है तो शंटिंग चार्ज नहीं लिया जायेगा। परन्तु–प्रति ओवरलोडेड वैगन के अनुसार, पार्टी से वैगन डिटेंशन चार्ज के रूप में वसूला जायेगा।
5. यदि बुकिंग स्टेशन पर वजन को निर्धारित करने की शर्ते पूरी नहीं होती हैं तो मालिक द्वारा घोषित वजन या अन्य घोषित न्यूनतम वजन (PCC) में से जो अधिक हो उस पर भाड़ा निकाल लेना चाहिए और रास्ते में पड़ने वाले तुला चौकी वाले स्टेशन पर तौलने की व्यवस्था करायी जानी चाहिए। इनवायस को तुला चौकी वाले स्टेशन पर भेजा जायेगा। तौलने के बाद वैगन लेबेल तथा इनवायस के उपर रिमार्क कर दिया जायेगा। बुकिंग स्टेशन, गंतव्य स्टेशन तथा यातायात लेखा कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा। गंतव्य स्टेशन, माल की डिलीवरी देने से पूर्व यदि आवश्यक हो, तो भाड़े का समायोजन करेगा।

6- Weigh Bridge स्टेशन पर उचित रजिस्टर में तौल व तौल के परिणाम की दो प्रतियों में प्रविष्टि की जायेगी। जिसकी एक प्रति रिकार्ड में रहेगी और दूसरी प्रति यातायात लेखा कार्यालय को भेजी जायेगी।

7. वर्तमान समय में रेलवे के महत्वपूर्ण मालगोदामों तथा प्राइवेट साइडिंगों में आधुनिक किस्म के Electronic Weight Bridge लगाये गये हैं। जिनमें निर्धारित गति से गुजरने वाले सभी वैगनों का सही वजन प्राप्त हो जाता है।
8. ओवर लोडिंग को चेक करने के उदेश्य वैग्ड कनसाईनमेन्ट से लदे वैगनों की तौल रेलवे प्रशासन दुबारा करा सकती है।
9. ओवरलोडिड वैगन/रेक का लोड एडजस्टमेन्ट के बाद मार्ग में सी.सी.एम. द्वारा सी.ओ.एम. की सहमति से पुनः तोल कराने पर यदि ओवरलोडिंग पायी जाती है तो प्रति वैगन एक लाख रूपये दण्डात्मक प्रभार पार्टी से वसूला जायेगा।

## आगत माल की पुनः तौल (Reweighment of Inward Goods)

रेल अधिनियम 1989 की धारा 78 के अनुसार रेल प्रशासन को यह अधिकार है कि वह किसी भी परेषण को दुबारा तौल सकता है, दोबारा भाड़े की गणना कर सकता है और Under Charge वसूल सकता है। यदि माल को दुबारा तौलने पर वजन अधिक पाया जाये तो नियमानुसार दण्डात्मक प्रभार की वसूली की जाती है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 79 के अन्तर्गत पार्टी को यह अधिकार है कि वैगन की हालत सही न होने की दशा में रेल प्रशासन से वैगन की दोबारा तौलने की माँग कर सकती है। इसके लिए मालिक द्वारा लिखित रूप में माल का विवरण देते हुये जिन वैगनों की पुनः तौल करानी हो, उनका नं0 और विवरण सहित प्रार्थना पत्र दिया जाना चाहिए। इस प्रार्थना पत्र को स्टेशन मास्टर या Goods Supervisor द्वारा उचित रिमार्क देते हुये Sr. DCM/DCM के पास भेज दिया जाता है। वैगन को दोबारा तौलने की अनुमति देने के लिए Sr. DCM/DCM ही सक्षम अधिकारी हैं। इनके द्वारा वैगन को दोबारा तौलने की संभावना पर विचार किया जाता है और इसकी सूचना सम्बन्धित स्टेशन को दे दी जाती है। सामान्यतः Loose वस्तु जैसे कोयला आदि तथा OR पर बुक माल की पुनः तौल की अनुमति नहीं दी जाती।

जब किसी Wagon load या Train load Consignment का Reweighment Party की प्रार्थना पर किया जाता है तो नियमानुसार Reweighment Charge वसूल किये जाते हैं। यदि गंतव्य स्टेशन पर Weigh Bridge उपलब्ध न हो और इस कारण से वैगन की Reweighment के लिए किसी अन्य स्टेशन भेजा जाये तो निर्धारित दर पर Reweighment Haulage Charge लिया जाता है। यदि गंतव्य स्टेशन पर उपलब्ध Weigh Bridge खराब हो और इस कारण वैगन को तौलने के लिए दूसरे स्टेशन भेजना पड़े तो Reweighment Haulage Charge नहीं लिये जायेंगे।

सामान्यतया निम्नलिखित मामलों में Sr. DCM/DCM द्वारा माल की पुनः तौल की अनुमति नहीं दी जायेगी :–

1. यदि माल लूज़ स्थिति में हो।
2. यदि माल OR पर बुक हो।
3. यदि माल को बार–बार तौलने से वजन कम होने की संभावना हो जैसे साग, सब्जियां व ताजे फल।
4. जब यार्ड में कजेशन के कारण पुनः तौल संभव न हो।
5. यदि माल बंद डिब्बे में है और सील तथा रिवीट ठीक हो।
6. यदि माल खुले डिब्बे में है परन्तु पैकिंग ठीक हो।

## रिवेमेंट चार्ज की दरें

| | 4–व्हीलर | 8–वहीलर |
|---|---|---|
| BG में | 1450 | 3620 |
| MG में | 500 | 1000 |
| NG में | 280 | ..... |

## रिवेमेंट हाँलेज चार्ज की दरें

| | 4–व्हीलर | 8–वहीलर |
|---|---|---|
| BG में | 1450 | 3620 |
| MG में | 550 | 1100 |
| NG में | 310 | ..... |

## रिपोजिशनिंग चार्ज

पार्टी की प्रार्थना पर साइडिंग या मालगोदाम में प्लेस किये गये वैगनों को, साइडिंग या मालगोदाम में ही विस्थापित किया जाता है या उसी लाइन में आगे–पीछे किया जाता है तो उसके लिये प्रभारित किया जाने वाला प्रभार, रिपोजिशनिंग चार्ज कहलाता है। यह प्रभार रिवेमेंट चार्ज की दर का दो तिहाई (2/3) दर से वसूला जाता है।

# मानसून नोटिस–2013

रेलवे प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष मानसून नोटिस जारी किया जाता है। उत्तर रेलवे में मानसून सीजन 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक माना गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा परिवहन के दौरान माल में होने वाले क्षति के कारण अधिक मात्रा में मुआवजे का भुगतान करना पड़ता है। अतः मानसून सीजन में वाणिज्य एवं परिचालन के कार्य से जुड़े कर्मचारियों द्वारा माल की बुकिंग एवं परिवहन के लिये निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है एवं रेलवे द्वारा वाहक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन भी किया जा सके।

## 1. माल की बुकिंग के संबंध में दस्तावेजों का परीक्षण

(अ) जब कभी भी भींगा एवं क्षतिग्रस्त माल बुकिंग के लिये प्रस्तुत किया जाये, तो रेल नियमों के अधीन पार्टी द्वारा फारवर्डिंग नोट पर उचित रिमार्क अवश्य लिया जाना चाहिये।

(ब) फारवर्डिंग नोट पर लिया गया रिमार्क रेलवे रसीद/इनवायस पर भी दी जानी चाहिये।

(स) वे सभी माल जिनमें नमी को ग्रहण करने का अंतर्निहित दोष है, उसका रिमार्क भी फारवर्डिंग नोट पर लिया जाना चाहिये।

(द) वैगन लोड/ट्रेन लोड यातायात के मामले में, यदि माल की लदान/उतराई वर्षा के दौरान हो रही हो, तो इसकी टिप्पणी कार्यरत कर्मचारी द्वारा टैली बुक में की जायेगी।

(क) यदि वर्षा के पानी के कारण माल में नुकसान का पता पहले लग जाये, तो इसका रिमार्क फारवर्डिंग नोट /इनवायस / रेलवे रसीद पर दोहराया जायेगा।

(ख) यदि माल असामान्य घटनाओं जैसे –बारिश, यार्ड कंजेशन, रेल पथ में दरार आदि के कारण, माल किसी अन्य रास्तें के लिये मोड़ दिया गया हो तो इससे संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जायेगा।

(ग). वैगन परीक्षण एवं वाटर टाइट डिब्बे से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखा जायेगा।

## 2. माल का रेल परिसर में अग्रिम जमाव (ADVANCE STACKING OF GOODS)

अ. वैगन से सीधे ट्रक में माल उतारने की अनुमति है ताकि जमीन पर रखने से बरसात के मौसम में नुकसान हो।

ब. ओपेन शेड में माल की अनलोडिंग के मामले में पार्टी के जिम्मेदारी पर ही होगा।

स. माल की अनलोडिंग जमीन पर करने के दौरान लकड़ी/कंकरीट के स्लीपर/ब्लॉक जमीन पर गैपिंग के साथ रखा जायेगा।

द. नियमित पार्टियों को लकड़ी/कंकरीट के स्लीपर/ब्लॉक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, यदि रेल प्रशासन इसका प्रबंध नहीं कराता।

क. माल की अनलोडिंग करते समय अग्रिम रूप से तिरपालों का इंतजाम करना होगा।

ख. नियमित पार्टियों को तिरपालों का प्रबंध स्वयं करना होगा।

## 3. वैगनों में लदान

अ. लदान से पहले डिब्बों की ठीक तरह से सफाई सुनिश्चित की जायेगी एवं डिब्बे को सुखाया जायेगा ताकि माल भींग कर खराब होने से बचाया जा सके।

ब. कपड़े की गांठे, सिगरेट, मसाले, चीनी, गुड़, दवाइयां, दालें, अनाज, खल, एवं खादें हमेशा बंद एवं जलरोधी वैगनों में लादा जायेगा।

स. भींग कर खराब होने वाला माल बिना जलरोधी वैगनों में लादे जाने पर तिरपाल से चारों तरफ ढका जाना चाहिये।

द. मालगोदाम में पर्याप्त मात्रा में विटूमन होना चाहिये ताकि दरारों से पानी आने से रोका जा सके।

क. जिन मामलों में आवश्यक पैकिंग की शर्त लागू हो वहां डनेज बैग का प्रयोग किया जाना चाहिये।

ख. भींग कर खराब होने वाले माल की लोडिंग करते समय दरवाजों पर 18 इंच स्थान छोड़ देना चाहिये।

ग. आटा, मैदा, सूजी जैसे माल की लोडिंग वाटर टाइट डिब्बे में फर्श पर तिरपाल बिछा कर की जायेगी और किनारों से उपर की ओर मोड़ा जायेगा। माल के उपर भी तिरपालों से ढका जायेगा।

घ. तिरपालों की व्यवस्था पार्टी स्वयं करेगी।

च. जलरोधी वैगन उपलब्ध न होने पर पार्टी द्वारा सामान्य वैगनों में लोडिंग किये जाने पर, पार्टी की सहमति अवश्य ली जायेगी और उसका रिमार्क रेलवे रसीद पर भी दी जायेगी।

### 4. Goods in Wagon on run

अ. परिवहन के दौरान मार्ग में कोई वैगन डिफेक्टिव पाये जाने पर उसका तुरन्त रिपेयर करके वाटर टाइट बनाया जाना चाहिये।

ब. यदि ट्रांशिपमेंट प्वाइंट पर भींगने से खराब हुये/क्षतिग्रस्त पैकेज पाये जाये तो, ऐसे पैकेजों को दरवाजों के पास रखा जायेंगा।

### 5. भींगने के कारण माल की उतराई

(अ) यदि माल की उतराई स्थल पर या यानान्तरण प्वाइंट पर, पैकेज एवं/या बोरियॉ भींगे हुए पाये जाते हैं तो वैगन का नंबर, स्थिति, मध्य में पाया गया या किनारों पर या दरवाजे पर, एवं पानी अंदर घुसने का संभावित स्थान आदि का विवरण साफ–साफ डी0 डी0 मैसेज में दिया जायेगा।

(ब) ऐसे माल की डिलीवरी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जायेगी।

## माल डिब्बे में लोडिंग के समय सावधानियां

1. माल डिब्बे साफ–सुथरे तथा सूखे हो।
2. माल डिब्बे पर क्षतिग्रस्त होने का मार्का न लगा हो।
3. माल डिब्बे लादे जाने वाले यातायात के लिये उपयुक्त हो।
4. माल डिब्बे पर आर0ओ0एच / पी0ओ0एच मार्का न लगे हों।
5. वैगन के दरवाजों की जाँच करके सुनिश्चित करना चाहिए कि वैगन के सभी दरवाजे सही हालत में हैं और लोडिंग के बाद आसानी से बन्द किये जा सकते हैं।
6. वैगन की छत तथा दीवारों में कोई टूट–फूट न हो इसकी जाँच करनी चाहिये।
7. लोडिंग शुरू करने से पहले खुले हुये अनावश्यक दरवाजों को ठीक तरह से बन्द कर देना चाहिए।
8. कवर्ड वैगनों में बैग्ड माल की लोडिंग करते समय डिब्बों के दरवाजे से 18 इंच तथा दीवार से 6 इंच स्थान खाली छोड़ देना चाहिए।
9. जहाँ आवश्यकता हो Dunnage Bags का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।
10. एक Dunnage बैग की माप 100×60×30 Cms. होनी चाहिये।
11. प्रत्येक दरवाजे पर न्यूनतम 3 डनेज बैग प्रयोग किये जाते हैं।
12. ऐसी वस्तुयें जो मार्ग में शिफ्ट अथवा अस्त व्यस्त हो सकती है उन्हे अच्छी तरह से बांध देना चाहिए।
13. बैग्ड माल को उठाने के लिए हुक का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
14. पैकेजों पर लगे Caution तथा Pictorial Label में दी गयी हिदायतों का पालन करना चाहिए।
15. लोडिंग सन्तुलित ढंग से की जानी चाहिए ताकि वैगन के सभी धुरों पर एक समान भार रहे।
16. वैगन की PCC से अधिक लोडिंग नहीं किया जाना चाहिए।
17. मानसून सीजन में भींग कर खराब होने वाले माल की लोडिंग Watertight डिब्बे में करनी चाहिये।
18. वैगन में आधा माल लोड होने के बाद एम्प्टी/लोडेड डिवाइस को लोडेड की तरफ घुमा देना चाहिये।
19. असमान लोडिंग न होने पाये इसका ध्यान रखना चाहिये।
20. ROH/POH ड्यू वैगनों में लोडिंग नहीं की जानी चाहिये।

### माल की अनलोडिंग के समय सावधानियाँ

1. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माल उसी स्टेशन के लिए बुक है जहाँ उतारा जा रहा है।
2. सभी सील इन्टेक्ट होने चाहिये।

3. टूट–फूट और क्षति की रोकथाम के लिए पैकेजों को उतारते समय, पैकेजों पर लगे सावधानता तथा Pictorial Label पर लिखे गये निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
4. यदि वैगन से माल उतारते समय कोई कमी या क्षति दिखाई दे तो RPF तथा GRP की उपस्थिति में माल की जाँच की जानी चाहिए।
5. वैगन की सील हटाते समय फीते को इस प्रकार काटना चाहिए कि सील Intact बनी रहे और इसे कम से कम 6 माह तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
6. वर्षा से खराब होने वाले माल की Unloading, Covered Shed में करनी चाहिए।
7. खुले शेड में अनलोड किये गये माल को तिरपाल से ढक देना चाहिए।
8. वैगन से आधा माल अनलोड होने के बाद एम्प्टी/लोडेड डिवाइस को एम्प्टी की तरफ घुमा देना चाहिये।
9. बैग्ड माल को उठाने के लिए हुक का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
10. गाड़ी चलने के दौरान खुले दरवाजे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए Unloading के बाद निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित की जानी चाहिए –

(अ) वैगन को रिलीज तभी माना जायेगा जब Unloading के बाद Consignee द्वारा वैगन के दोनों तरफ के सभी दरवाजे ठीक से बन्द करा दिये गये हों। ऐसा न किये जाने की स्थिति में वैगन को Under release मानते हुये नियमानुसार Demmurage Charge वसूला जाना चाहिए।

(ब) यदि Unloading रेलवे द्वारा की जा रही है तो Unloading के बाद वैगन के दरवाजे बंद करने का काम रेल कर्मचारियों या Labour Contractor द्वारा कराया जाना चाहिए।

(स) Goods Shed तथा Siding से कोई भी वैगन तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक कि वैगन के सभी दरवाजे बंद न कर दिये गये हों।

(द) माल की अनलोडिंग ट्रैक के किसी भी तरफ के रेल से कम से कम 4½ फीट या 1.29 मीटर दूर की जानी चाहिए।

## रेटिंग व रूटिंग के नियम (RATING AND ROUTING OF GOODS TRAFFIC)

1. माल यातायात सामान्यतः सबसे छोटे रास्ते से बुक किया जाता है और परिवहन के लिए उपयुक्त रास्ते से भेजा जाता है। यह नियम उस समय लागू होता है जब मालिक द्वारा माल को किसी विशेष मार्ग से ले जाने की प्रार्थना नहीं की गई है।
2. यदि मालिक द्वारा माल को किसी विशेष रास्ते से बुक करने की प्रार्थना की गई हो तो प्रशासन द्वारा मालिक की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उस रास्ते से माल बुक किया जा सकता है।
3. खतरनाक तथा विस्फोटक वस्तुओं को Transhipment (TPT) से बचाने के उद्देश्य से लम्बे मार्ग से बुक किया जाता है।
4. दो स्टेशनों के बीच Shortest Route उन दोनों स्टेशनों के बीच सबसे कम दूरी वाला मार्ग माना जाता है। लेकिन जहाँ कहीं भी रास्ते में TPT होना हो तो प्रत्येक Transhipment point को 200 Km. मानकर Shortest Route की तुलना उस रास्ते से की जाती है जिस रास्ते में Transhipment नहीं होता।
5. रेल अधिनियम 1989 की धारा 71/1( b) के अनुसार केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह जनहित में माल यातायात को किसी भी रास्ते से ले जाने का आदेश रेल प्रशासन को दे सकती है। इस धारा के अन्तर्गत दिया गया आदेश (Rationalization Order) युक्तिसंगत आदेश कहलाता है। इनकी मान्यता की अवधि एक वर्ष होती है।
6. जब माल को युक्तिसंगत रास्ते से ले जाया जाता है तो भाड़ा भी उसी Route का लिया जाता है।
7. यदि दुर्घटना, बाढ़, रेल पथ में दरार या किसी अन्य कारण से रेलवे प्रशासन द्वारा वर्तमान रेल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार, निर्धारित मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से माल का परिवहन किया जाता है तो इसे नियम विरूद्ध नहीं माना जायेगा।

## माल डिब्बों का मुहरबन्द करना (Sealing of Wagon)

चोरी की रोकथाम के लिये माल डिब्बों में रिविट लगाये जाते है जबकि मुहरबंद करने से चोरी का पता लगाने में सहायता मिलती है। वैगन की लोडिंग पूरी हो जाने के बाद वैगन के दरवाजों को बन्द करके, दरवाजों पर सील लगाई जाती है। वैगन सील दो प्रकार की होती है–

**1. मोम की सील** **Wax Seal** – Wax Seal लगाने के लिए Wax, निर्धारित लम्बाई का फीता, Seal Label तथा Station Seal का प्रयोग किया जाता है। वैगन के दरबाजे बन्द करने के बाद दरवाजे के हुक से फीते को निकालकर एक गांठ इस प्रकार लगाई जाती है कि दोनों ओर के फीते की लम्बाई एक समान रहे। फीते के इन दोनों किनारों को Seal Label के ऊपरी छेद से पीछे की ओर से सामने की ओर लाया जाता है और सामने की ओर से ही निचले छेद से पीछे की ओर ले जाया जाता है। फिर दोनों किनारों को अलग करके अलग–अलग बीच के दोनों छेदों से निकालकर ऊपर की ओर Label पर गांठ लगायी जाती है। इस गांठ पर गरम Wax डालकर Station की Seal लगा दी जाती है।

**2. शीशे की सील** **Lead Wire Seal** - खतरनाक तथा विस्फोटक वस्तुओं तथा अन्य ऐसी वस्तु से लदे वैगनों में Wax Seal नहीं लगाई जाती है। ऐसे मामले में Lead Wire Seal का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सील लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का तार (Wire) Lead Tablet, Seal Label तथा Plier का प्रयोग किया जाता है। इसे लगाते समय वैगन के हुक से तार को निकालने के बाद एक Loop तैयार किया जाता है। इस लूप में सील लेवल डाल दिया जाता है। तार के दोनों किनारे लेड टेबलेट में बने छेद से नीचे से ऊपर निकालते हैं और Plier से लेड टैबलेट को Press कर देते हैं। जिससे स्टेशन की छाप टेबलेट पर आ जाती है।

निम्नलिखित मामलों में सील दोषपूर्ण मानी जायेगी –

1. यदि फीता / तार में कोई जोड़ हो।
2. सील का चिन्ह साफ दिखाई न दे।
3. यदि सील टूटी हुई हो।
4. यदि सील Crack हो।
5. यदि सील डुप्लीकेट हो।
6. जब डबल सील लगी हो।

## रिविटिंग (Riveting)

गंतव्य स्टेशन पर माल सुरक्षित पहुँचाने के लिए वैगन के दरवाजों को Rivet किया जाता है। Rivet एक लोहे की मोटी कील होती है। जिसे हथौड़े का प्रयोग करके वैगन के दरवाजों के छेदों में डालकर समकोण पर मोड दिया जाता है। वैगन की सील को तोड़कर चोरी करने का प्रयास न किया जाये इसलिए वैगन को बंद करके Rivet लगाया जाना चाहिए। यदि वैगन एक दिन में लोड न किया जा सके तो उसे रात के समय दरवाजों को बंद करके Rivet लगा देना चाहिए। सुबह के समय Rivet निकालकर लोडिंग प्रारम्भ की जानी चाहिए। खनिज पदार्थ, लकड़ी का कोयला, आग जलाने वाली लकड़ी, पशुधन, ज्वलनशील ठोस पदार्थ, खतरनाक तथा विस्फोटक पदार्थ के मामले में Rivet का प्रयोग नहीं किया जाता।

## लाकिंग (Locking)

रेलवे द्वारा माल डिब्बों को सील तथा रिविट लगाने के बाद पार्टी को माल डिब्बों में अपने निजी ताले लगाने की अनुमति दी जायेगी। यदि पार्टी ने पूरे वैगन का भाड़ा चुकाया है अर्थात यदि माल की बुकिंग ट्रेन लोड, वैगन लोड या वैगन किलोमीटर रेट पर की गयी है तो पार्टी डिब्बों पर अपना निजी ताला लगा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर रेलवे द्वारा ताला खोला जा सकता है तथा तोड़ा भी जा सकता है। यदि ताला तोड़ा जाता है तो ताले के हर्जाने के भुगतान रेलवे द्वारा नहीं किया जायेगा। कुछ परिस्थितियों में ताले की चाबी लिफाफे में भरकर गार्ड के द्वारा गंतब्य स्टेशन को भेजी जायेगी जैसे–खतरनाक, विस्फोटक, नशीली, वी0पी0 आदि के मामले में।

### सीलिंग, रिवीटिंग एवं लाकिंग में कमी पाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाहीः–

1. वैगन नं0, रेलवे, स्टेशन फ्राम एवं स्टेशन टू नोट किया जाएगा।
2. सील, रिविट, ताला आफ होने के संभावित क्षेत्र पर विचार किया जाय।
3- RPF को सूचित किया जायेगा।
4. गार्ड द्वारा इसकी रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार की जानी चाहिये।
5. एक प्रति रिकार्ड, एक प्रति स्टेशन मास्टर को दी जायेगी।
6. स्टेशन मास्टर द्वारा पुनः सील करायी जानी चाहिये।
7. सील लेबेल पर गार्ड, स्टेशन मास्टर तथा RPF के हस्ताक्षर होने चाहिये।
7. यदि चोरी की आशंका हो तो गंतब्य स्टेशन पर RPF की उपस्थिति में सील काटी जाये एवं RPF की उपस्थिति में ही अनलोडिंग की जाये।
8. यदि चोरी या कमी का पता चले तो चार प्रतियों में मेमो तैयार किया जाये जिसकी एक प्रति रिकार्ड, एक प्रति RPF, एक प्रति दावा कार्यालय तथा एक प्रति GRP/Civil Police को दी जाये।
9. प्रारंभिक एवं मध्य के जंक्शन व बड़े स्टेशनों को DD Message जारी की जाये।

## डिब्बों में तिरपाल का प्रयोग–

माल को भीगकर खराव होने से बचाने के लिए डिब्बों में तिरपाल का प्रयोग किया जाता है मानसून सीजन में भीगकर खराव होने वाले माल की खुले डिब्बे में लोडिंग करने पर तिरपाल का प्रयोग अवश्य किया जायेगा। पार्टी द्वारा फारवर्डिंग नोट पर पर्याप्त संख्या में तिरपाल उपलब्ध कराने का रिमार्क दिया जायेगा। आटा, सूजी, मैदी जैसी वस्तुओं की बन्द डिब्बे में लोडिंग करने से पहले फर्श पर तिरपाल विछाई जानी चाहिए। तिरपाल नये और मजबूत होने चाहिए। खुले डिब्बों में लोडिंग के बाद डिब्बे के ऊपर तिरपाल अवश्य लगाई जायेगी लोडिंग इस तरह की जानी चाहिए कि डिब्बों में बीचोंबीच उभार अवश्य बना रहे तिरपाल के सिरों को मजबूत रस्सियों से डिब्बों के हुकों में फंसाकर कसकर बांधा जाना चाहिए ताकि तिरपाल उड़ न सके । वहकिल समरी में तिरपालों का रिमार्क अवश्य होना चाहिए। गाड़ी चलाने से पहले गार्ड व ड्राइवर द्वारा डिब्बों पर प्रयोग किये गये तिरपाल की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए।

**लाभ**–1. माल में चोरी की संभावना कम होगी। 2.माल भीगकर खराव नहीं होगा। 3. डिब्बे से माल गिरने की संभावना नहीं रहेगी। 4. दावे की स्थिति पैदा नहीं होगी।

## वैगन ट्रांसफर रजिस्टर WAGON TRANSFAR REGISTER (W.T.R)

यह रजिस्टर माल गोदाम में माल की Loading एवं Unloading के उद्देश्य से रखा जाता है। जब कोई वैगन, Loading एवं Unloading के लिए Place किया जाता है तो उसका विवरण उस रजिस्टर में नोट किया जाता है जब Wagon, Party द्वारा Load या Unload कर दिया जाता है तो उसके बाद इस का भी विवरण इस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। Demmurage Charge की गणना इसी रजिस्टर के आधार पर की जाती है। इस रजिस्टर पर मशीन द्वारा सिरियल नंबर पड़ा होना चाहिये। लोडिंग / अनलोडिंग समाप्त होने पर इस रजिस्टर में पार्टी या उसके एजेंट का हस्ताक्षर भी ले लेना चाहिये। इसी रजिस्टर में दर्शाये गये समय और दिनांक के आधार पर Demmurage का Return तैयार किया जाता है। इस रजिस्टर में निम्नलिखित कॉलम होते हैं –

**जैसे –** वैगन की प्राप्ति की तारीख व समय, गाड़ी नं0, वैगन का विवरण, वहन क्षमता, वैगन Place करने का समय व तारीख, वैगन Release होने का समय व तारीख, Demmurage के घण्टे, Demmurage Charge, Invoice No., Party के हस्ताक्षर Station Master के हस्ताक्षर आदि।

यदि पार्टी को वैगन सौंप दिये जाने के बाद, किसी ऐसे कारण से जैसे परिचालन या किसी अन्य कारण से, जिसके लिए रेलवे उत्तरदायी है, Loading/Unloading का कार्य प्रभावित होता है तो उस अवधि का Demmurage चार्ज देय नहीं होगा। अतः कारण स्पष्ट करते हुए रजिस्टर में रिमार्क कर दिया जाता है।

पार्टी द्वारा मांगे जाने पर यह रजिस्टर दिखाया जाना चाहिए और निरीक्षण के लिए आने वाले वाणिज्य अधिकारियों द्वारा इसकी जाँच की जानी चाहिए। SM द्वारा भी इसकी प्रविष्टियों पर निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि Demmurage संबन्धी धोखाधड़ी की संभावना उत्पन्न न हो।

## लुप्त वस्तुयें (Lost Property)

रेल परिसर में, रेल गाड़ियों या प्लेटफार्म पर पड़े लावारिस माल जिसका कोई मालिक नहीं होता है लुप्त वस्तुयें कहलाती हैं। ऐसी वस्तुयें स्टेशन मास्टर कार्यालय में जमा करा दी जाती हैं। लुप्त वस्तुओं के लिए एक Lost Property रजिस्टर रखा जाता है। जिसमें जमा करने की क्रम संख्या और तारीख के अनुसार वस्तुओं को दर्ज किया जाता है।

यदि Lost Property के रूप में कोई वाक्स या बैग जैसी कोई वस्तु प्राप्त होती है तो RPF Staff की उपस्थिति में उसे खोला जाता है और अन्दर की वस्तुओं की सूची 3 प्रतियों में तैयार की जाती है तथा तीनों प्रतियों पर RPF Staff के हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं। यदि RPF/GRP स्टाफ नहीं है तो यह सूची या Inventry किन्ही दो रेलवे कर्मचारियों के सामने तैयार की जाती है।

यदि Lost Property के मालिक का पता चल जाता है तो ऐसी वस्तुऐं उसे बिना कोई चार्ज लिए वापिस कर दी जाती हैं। यदि असली मालिक का पता नहीं चलता है तो ऐसी वस्तुएं 07 दिन बाद नियमानुसार नीलाम कर दी जाती हैं। 5000 रूपये तक की कीमत का माल उसी स्टेशन पर नीलाम हो सकता है। यदि कीमत इससे अधिक है तो वस्तुओं को मण्ड़ल Head Quarter Station को भेज दिया जाता है जहाँ इसकी नीलामी की जाती है।

यदि Lost Property के रूप में तुच्छ कीमत की वस्तुऐं मिलें तो उन्हे वहीं फेंक देना चाहिए और Lost Property रजिस्टर में उचित रिमार्क देकर इसे दर्ज कर लेना चाहिए। यदि Lost Property के रूप में नगद धनराशि मिले तो उसे स्टेशन आय में जमा करा देना चाहिए। यदि नाशवान वस्तुएं मिलें तो 24 घण्टे के अन्दर बिक्री कर देना चाहिए और यदि लावारिस जानवर पाये जायें तो 24 घण्टे के अन्दर बिक्री कर देना चाहिए।

# माल की पैकिंग (PACKING OF GOODS)

## माल की सामान्य पैकिंग

माल की पैकिंग के नियम रेल अधिनियम की धारा 98 के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। सामान्य नियमों के अनुसार बोरे, पेटियाँ, टोकरियाँ आदि इतनी मजबूत होना चाहिए कि माल में टूट–फूट न हो सके और उठाने में भी आसानी हो। खतरनाक एवं विस्फोटक वस्तुओं के लिए IRCA Red Tariff No. - 20 में दिये गये नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

## माल की विशिष्ट पैकिंग

कुछ मामलों में Specific पैकिंग की शर्तें भी लागू की गई हैं जो $P_1$ से $P_6$ तक दर्शायी गई हैं।

1- $P_1$ :– यह शर्त Packed माल के लिए होती है। इसके अनुसार बोरे मजबूत होने चाहिए।
2- $P_2$(a):– यह शर्त Loose वस्तुओं के लिए है और इसमें Packing की कोई शर्त नहीं है।
$P_2$(b):– यह शर्त बांस आदि सामान के लिए है इसके अनुसार इन्हे बन्ड़लों आदि में बांध देना चाहिए।
3- $P_3$ :– इसके अनुसार सूती कपड़े मजबूत गांठों में पैक होने चाहिए।
4- $P_4$ :– इसके अनुसार चाय, कॉफी आदि वस्तुयें लकड़ी या Ply की मजबूत पेटियों में पैक होनी चाहिए।
5- $P_5$ :– यह शर्त तैलीय वस्तुओं पर लागू होती है। इसके अनुसार इन्हे लीक प्रूफ़ कनस्तरों में पैक किया जाना चाहिए।
6- $P_6$(a) :– यह शर्त मोटर गाड़ियों के लिए है और इन पर मोटर गाड़ियों के सामान्य नियम लागू होते हैं।
(b) अलग किये जा सकने वाले पुर्जो को अलग से पैक करके बुक कराया जाना चाहिये।

## माल की विशेष पैकिंग

कुछ मामलों में Special पैकिंग की शर्तें भी दी गयी है जो $S_1$ से $S_3$ तक हैं।

1- S-1 :– यह Metal Scrap के लिए है जिसकी बुकिंग तभी की जायेगी जब पार्टी Free from Explosive का प्रमाण पत्र दे दे।
2- S-2 :– यह Dunnage की शर्त है जिसमें Dunnage का प्रावधान नियमानुसार किया जाना चाहिए।
3- S-3 :– यह खाने वाले नमक के लिए है। इसकी बुकिंग के समय पार्टी को लिखकर देना होगा कि यह नमक औद्योगिक उपयोग के लिए नहीं ले जाया जा रहा है। ऐसी ही घोषणा पार्टी द्वारा माल की डिलीवरी लेते समय भी की जायेगी।

**लेबेलिंग :–**

माल को बुक कराने से पहले पार्टी द्वारा उस पर लेबल लगायें जातें हैं तथा माल को बुक करने के बाद रेलवे द्वारा भी डिब्बों पर आवश्यकता अनुसार लेबल का प्रयोग किया जाता हैं। लेबल लगे होने से माल की पहचान बनी रहती है।

### लेबल निम्न प्रकार के होते हैं।

1.वैगन लेबल :– दो प्रकार के होते हैं। अ. सील लेबल ब.पाकेट लेबल
2.Paste on Label
3.Tie on Label
4.Caution Label
5.Pictorial Label

**मार्किंग के नियम :–**

माल को बुक कराने से पहले पार्टी द्वारा उस पर मार्किंग की जाती हैं तथा माल को बुक करने के बाद रेलवे द्वारा भी उस पर आवश्यकतानुसार मार्किंग की जाती हैं यदि माल पूरे डिब्बें में बुक किया गया हैं और रास्तें में Transhipment नहीं होता हैं तो 10% मार्किंग होती हैं और यदि Transhipment हैं तो 100% मार्किंग होगी।

**मार्किंग दो प्रकार से की जाती है –**

**1. प्राइवेट मार्किंग 2. रेलवे द्वारा मार्किंग**

**1. प्राइवेट मार्किंग :–** प्राइवेट मार्किंग पार्टी द्वारा की जाती है। इसे Marking by Party या Marking by Owner भी कहा जाता है। पार्टी द्वारा स्टेशन From, स्टेशन To ,भेजने वाले का नाम और पता तथा पाने वाले का नाम और पता पैकेज पर लिखकर लाना चाहिए, साथ ही भेजने वाले तथा पाने वाले का नाम और पता सहित एक परिचय पर्ची भी पैकेज के अन्दर रखी जानी चाहिए।

**2. . रेलवे द्वारा मार्किंग :–** रेलवे द्वारा पैकेजों पर स्टेशन फ्राम व स्टेशन टू का कोड तथा रेलवे रसीद के अंतिम 3 अंक एवं पैकेजों की संख्या पक्की स्याही से लिखे जाते हैं।

## गेट पास (Gate Pass)

माल यातायात की Delivery देते समय मालिक से रेलवे रसीद एवं सभी देय प्रभार वसूल करने के साथ Delivery Clerk द्वारा Gate Pass तैयार किया जाता है। माल गोदाम से माल उठाने के लिए यह आवश्यक है कि मालिक द्वारा Gate Pass प्रस्तुत किया जाये। गेट पास तीन कॉपियों में कार्बन की सहायता से तैयार किया जाता है। इसमें एक कॉपी रिकार्ड में रखकर शेष दो कॉपी मालिक को दे दी जाती हैं। इन दोनों प्रतियों में से एक प्रति Gate Clerk को दी जाती है। और एक प्रति पार्टी की होती है। Party की यह प्रति Money Reciept का काम भी करती है। इसके जारी हो जाने के बाद अलग से MR जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

Gate Pass पर निर्धारित कॉलम में Gate Pass जारी करने की तारीख, माल पाने वाले का विवरण, RR No., वसूल किया गया Demmurage wharfage तथा Under Charge (यदि कोई है) आदि लिख दिये जाते हैं। Gate Pass की प्रतियाँ Shed Clerk को दिखाकर Shed से माल उठाया जाता है और गेट पर गेट Clerk की प्रति गेट Clerk को सौंप दी जाती है। Gate Clerk द्वारा गेट से बाहर ले जाने वाले माल का निरीक्षण करके रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है जिसमें माल की निकासी का समय व तारीख और वाहन नं0 दर्ज कर लिया जाता है। यदि गेट पास जारी होने की तारीख को पूरा माल न हटाया जा सके तो अगले दिन बचे माल को हटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक गेट पास का नवीनीकरण न करा लिया जाये। यदि गेट पास खो जाये तो माल की Delivery Indemnity Note के आधार पर की जायेगी। गेट पास की सहायता से ब्हारफेज की गणना की जाती है।

## अप्राप्त सेल (N. R. Cell)

इसका उद्देश्य विभिन्न पार्टियों के Unconnected Package या Unconnected Wagon का पता लगाना है। यह Cell तीन स्तरों, रेलवे बोर्ड स्तर, प्रधान कार्यालय स्तर तथा मण्ड़ल स्तर पर कार्य करता है। इसके प्रत्येक Cell में एक वाणिज्य पर्यवेक्षक (वाणिज्य विभाग के आवश्यकतानुसार), अन्य कर्मचारी तथा Train Clerk भी होते हैं। जब स्टेशन पर Unconnected Package या Wagon प्राप्त होता है तो इसकी सूचना N. R. Cell को दी जाती है। N.R. Cell द्वारा इसके विषय में जानकारी एकत्र करके स्टेशन को सूचित किया जाता है ताकि सम्बन्धित स्टेशन Packege अथवा वैगन को गंतव्य स्टेशन पर भेज सकें। इसी प्रकार ऐसे पैकेज या बैगन जो किसी कारणवश गंतव्य स्टेशन पर नहीं पहुँच सके हैं उनके बारे में भी N.R. Cell को सूचना दी जाती है। यदि परेषण एक ही मण्ड़ल का होता है तो उसी मण्ड़ल के N.R. Cell द्वारा कार्यवाही पूरी कर ली जाती है। लेकिन यदि एक से अधिक मण्ड़ल शामिल हैं तो सम्बन्धित मण्ड़लों के N.R. Cell से जानकारी प्राप्त की जाती है। तथा प्रधान कार्यालय के N.R. Cell को भी सूचित किया जाता है। एक से अधिक रेलवे शामिल होने के मामले में प्रधान कार्यालय स्तर तथा रेलवे बोर्ड के N.R. Cell द्वारा परेशण का पता लगाया जाता है तथा माल को गंतव्य स्टेशन पर भेजा जाता है। N.R. Cell में रेलवे फोन के अलावा P&T फोन भी उपलब्ध रहते हैं। जिसके आधार पर रेल उपभोक्ता N.R. Cell की मदद लेकर माल को प्राप्त कर सकता है।

## मशीन द्वारा तैयार किया गया सारांश (M.P.A)

सभी स्टेशनों से जारी की गई Invoice की लेखा कॉपी यातायात लेखा कार्यालय भेजी जाती है। Account Copy के आधार पर यातायात लेखा कार्यालय द्वारा MPA तैयार किया जाता है। इसमें विभिन्न स्टेशनों में किसी एक स्टेशन के लिए बुक किये गये सभी यातायात का विवरण होता है।

MPA, Local तथा Foreign यातायात के लिए अलग–अलग तैयार किया जाता है। इसमें स्टेशन का नाम, स्टेशन का Numerical Code, Invoice जारी होने की तारीख, RR No., Invoice No., Wagon No., माल का वास्तविक वजन, प्रभारित वजन, भाड़ा, Paid या To Pay आदि विवरण लिखे जाते हैं।

प्रत्येक महीने की 12 तारीख तक MPA सम्बन्धित स्टेशनों पर भेजे जाने चाहिए। यदि 16 तारीख तक स्टेशन पर MPA प्राप्त नहीं होता है तो यातायात लेखा कार्यालय तथा Sr. DCM को सूचित किया जाना चाहिए। यदि 22 तारीख तक भी MPA प्राप्त नहीं होता है तो Balance Sheet नहीं रोकी जायेगी। तथा Balance Sheet तैयार करके यातायात लेखा कार्यालय भेज दी जायेगी।

MPA प्राप्त होने के बाद इसमें लिखे गये विवरणों का मिलान Delivery Book के विवरणों से किया जाता है। यदि किसी Invoice का लेखा Delivery Book में कर लिया गया है लेकिन MPA में नहीं किया जा सका है। तो MPA में स्याही से ऐसी Invoice का लेखा कर लिया जायेगा। MPA में की गई ऐसी Entry , Inked Entry कही जाती है। यदि इसके विपरीत किसी Invoice का लेखा MPA में है लेकिन Delivery Book में नहीं है तो MPA के आधार पर Delivery Book में इसका लेखा किया जाता है। यह Forced Entry कहलाती है।

MPA और Delivery Book का मिलान कर लेने के बाद कुल देय भाड़े की गणना कर ली जाती है। और इसके आधार पर To Pay भाड़े से सम्बन्धित Outstanding कर ली जाती है। यदि MPA महीने की 22 तारीख तक प्राप्त नहीं होता है तो Delivery Book Close कर दी जाती है और Balance Sheet तैयार कर ली जाती है।

## ट्रेन लोड यातायात स्वीकार करते समय सावधानियाँ–

1. ट्रेन लोड यातायात की बुकिंग उन्हीं स्टेशनों से उन्हीं स्टेशनों के लिए स्वीकार किये जाने चाहिए जो Half Rake/ Full Rake यातायात को स्वीकार करने के लिए खुले हों।
2. स्टेशन Half Rake या full Rake की बुकिंग के लिए खुला होना चाहिए।
3. एक Booking Station से दो नामित स्टेशनों के लिए अथवा दो नामित बुकिंग स्टेशनों से एक गंतव्य के लिए Train Load यातायात की बुकिंग Two Point Rake के रूप में स्वीकार की जा सकती है।
4- Train Load Class Rate का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि मालिक द्वारा Standard Size Rake की मांग की जाय तथा वैगनों की आपूर्ति हो जाने के बाद पार्टी द्वारा सभी डिब्बों को लोड किया जाये।
5. यदि पार्टी द्वारा सभी डिब्बों को लोड न करके डिब्बों की निर्धारित न्यूनतम संख्या को लोड कर दिया जाता है तो भी उसे Train Load Class Rate का लाभ दिया जाएगा वशर्ते कि पार्टी द्वारा न्यूनतम संख्या से अधिक डिब्बों को रेल प्रशासन की अक्षमता के कारण लोड न किया गया हो।
6. यदि रेलवे द्वारा पार्टी को पूरे बैगनों की आपूर्ति एक साथ नहीं की गई है और इस कारण Consignment के भाग को भेजा जाता है तो पार्टी को Train Load Class Rate का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता। यदि रेलवे द्वारा बाद में शेष वैगनों की आपूर्ति कर दी जाती है ऐसे मामलों में जितनी RR जारी की जाती है सभी पर पूरा Indents Supply न होने का रिमार्क कर दिया जाता है।
7. यदि रेलवे द्वारा निर्धारित संख्या से कम वैगनों की आपूर्ति की जाती है तो भी पार्टी को ट्रेन लोड रेट का लाभ दिया जाएगा। वशर्ते पूरा Indents Supply न करने का आदेश रेलवे के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गए हों।
8- Mixed Wagon के रेक के मामले में प्रत्येक प्रकार के वैगनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गयी हैं।
9. कुछ वस्तुओं की Clubring भी Train Load यातायात के रूप में अनुमत है और ऐसे मामले में भी ट्रेन लोड क्लास रेट का लाभ दिया जाएगा।

## माल की दुबारा बुकिंग (Rebooking of Goods)

Rebooking का अर्थ किसी Undeliverd Consignment को मूल गंतव्य स्टेशन से मूल प्रारम्भिक स्टेशन या किसी अन्य स्टेशन के लिए दोबारा बुक कर देना। इसके लिए यह आवश्यक है कि मालिक द्वारा मूल गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जांय या प्रस्तुत किये जांय –

1. नया पूर्णतः भरा हुआ Forwarding Note
2. मूल रेलवे रसीद
3. Rebooking के लिए प्रार्थना पत्र
4. पर्याप्त धनराशि के डाक टिकट लगा लिफाफा

स्टेशन मास्टर द्वारा फारवर्डिंग नोट पर दिये गये विवरणों का मिलान माल की वास्तविक स्थिति से किया जायेगा एवं किसी प्रकार की कमी या टूट–फूट इत्यादि की दशा में मालिक से फारवर्डिंग नोट पर उचित रिमार्क देने के लिए कहा जायेगा। मालिक द्वारा दिये गये उचित रिमार्क के आधार पर माल की Rebooking की जायेगी।

Rebooking के लिए नई RR तैयार की जायेगी जिस पर नई बुकिंग के विवरणों के साथ–साथ Original Booking के विवरण भी लिखे जाते हैं। मूल बुकिंग के देय प्रभार एवं अन्य देय प्रभार नयी RR पर लिखे जाते हैं। रेलवे मार्किंग बदल दी जाती है और माल को नये गंतव्य स्टेशन भेज दिया जाता है। माल की Rebooking बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं की जायेगी। रिबुकिंग स्टेशन के देय प्रभार RR पर "Paid or Change" कालम में दर्शाये जाते हैं। जिसके आधार पर गंतव्य स्टेशन अपने स्टेशन के बकाये को क्लियर करता है।

**निम्नलिखित मामलों में माल यातायात की Rebooking की अनुमति नहीं दी जाती –**

1. उन मामलों में जिनमें भाड़े का पूर्व भुगतान आवश्यक है।
2. जिन मामलों में प्रतिशत प्रभार अदा किया गया है।
3. नाशवान पदार्थों के मामलों में।
4. खतरनाक विस्फोटक, प्रतिबंधित एवं मादक पदार्थों के मामले में यदि उचित अधिकार पत्र प्रस्तुत न किया गया हो।
5. यदि सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त न हुई हो।

## माल का डाइवर्जन (Diversion of Goods)

Diversion का अर्थ है वैगन लोड़ या ट्रेन लोड़ Consignment को रास्ते के जंक्शन स्टेशन से किसी अन्य स्टेशन को भेज देना। रास्ते के किसी स्टेशन पर यदि Delivery दे दी जाये तो इसे भी Diversion माना जाता है।

किसी Consignment का Diversion कराने के लिए पार्टी द्वारा स्टेशन मास्टर को प्रार्थना पत्र दिया जाता है। इसके साथ–साथ निम्नलिखित दर पर Diversion fees भी जमा कराई जाती है –

1. सामान्य माल के लिए – 300 रूपये/वैगन/
2. मिलिट्री माल के लिए – 25 रूपये/वैगन/
3. विदेशी यातायात के लिए – 20 रूपये/वैगन/

यह Diversion fees किसी भी दशा में वापस नहीं की जाती है यदि गंतव्य स्टेशन से पहले किसी भी स्टेशन पर माल की Delivery ली जाती है तो Diversion fees नहीं ली जायेगी वशर्ते मालिक लिखित रूप में यह स्वीकार करे कि जिस स्टेशन पर Delivery ली गई है। वहाँ से आगे की दूरी के भाड़े की वापसी की माँग नहीं करेगा।

Diversion फीस जमा हो जाने के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा मण्ड़ल के सक्षम अधिकारी से अनुमति माँगी जायेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा Diversion करने की संभावनाओं पर विचार करके इसकी अनुमति उस

जंक्शन स्टेशन के स्टेशन मास्टर तथा अन्य सम्बन्धित स्टेशनों को दी जायेगी, जहाँ से माल का Diversion किया जाना है। सूचना प्राप्त होने के बाद जंक्शन स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा वैगन की सील, लेवल आदि की जाँच की जायेगी। और इनके सही पाये जाने की दशा में वैगन का Diversion किया जायेगा। वैगन लेबेलों पर गंतव्य स्टेशन का नाम बदल दिया जाता है।

निम्नलिखित मामलों में वैगन का Diversion नहीं किया जाता है –

1. यदि सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त न हुई हो।
2. यदि Consignment, Junction स्टेशन से आगे चला गया हो।
3. यदि Junction Station पर डिब्बे के अधिक समय तक रूकने की संभावना है।
4. खतरनाक, विस्फोटक तथा नाशवान पदार्थों से लदे वैगनों के मामले में।
5- Tank वैगनों के मामले में यदि COM की अनुमति प्राप्त न हुई हो।

जंक्शन स्टेशन द्वारा वैगन का Diversion कर देने के बाद इस की सूचना मण्ड़ल कार्यालय तथा सभी सम्बन्धित स्टेशनों को दी जाती है।यह सूचना प्राप्त होने के बाद Original Booking Station के स्टेशन मास्टर द्वारा मालिक से RR जमा करा ली जायेगी। तथा नये गंतव्य स्टेशन के लिए Super Sessional RR जारी की जायेगी। इस पर पहली RR के आवश्यक विवरण भी लिखे जाते हैं। नये गंतव्य स्टेशन पर Super Sessional RR के आधार पर सभी देय प्रभार वसूल करके Consignment की Delivery दे दी जाती है। सुपरसेशनल आर.आर. केवल फारेन माल के मामले में जारी होगी। लोकल माल के मामले में डिलीवरी ओरिजिनल आर आर के आधार पर दे दी जायेगी। डेबिट की सफाई प्रमाणित ओवर चार्जशीट के आधार पर की जायेगी।

## माल की सुपुर्दगी (Delivery of Goods)

Delivery का तात्पर्य रेलवे रसीद तथा देय प्रभारों की वसूली के बाद माल को पार्टी को सौंप देना है। माल की Delivery Consignee को दी जाती है। लेकिन Consignee के स्वयं उपस्थित न हो सकने की स्थिति में Endorsee को भी Delivery दी जा सकती है। वशर्ते Consignee द्वारा RR के पीछे Endosree (नामांकित व्यक्ति) को Delivery का रिमार्क देकर हस्ताक्षर किये गये हों।

Delivery देने से पहले RR की जाँच की जानी चाहिए और Wharfage Charge, Undercharge तथा परेषण पर देय अन्य कोई प्रभार वसूल करके Consignee या Endorsee के हस्ताक्षर Delivery Book में निर्धारित कॉलम में लेकर माल की Delivery दी जानी चाहिए। Delivery Clerk द्वारा Delivery Book में Delivery की क्र0सं0 लिखकर अपने हस्ताक्षर करके तारीख ड़ालनी चाहिए और RR पर Delivery Book का Page No., Delivery की क्र0सं0 तथा Delivery की तारीख ड़ालकर RR को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

यदि मालिक किसी पैकेज की दशा के विषय में Delivery Book में रिमार्क देना चाहे तो उसे ऐसा करने से मना नहीं करना चाहिए। इस रिमार्क को Delivery Clerk द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करना चाहिए। ऐसे रिमार्क को Qualified Remark कहते हैं।

## खुली सुपुर्दगी (Open Delivery)

जब परेषण में किसी प्रकार की क्षति होने से उसके वजन, मात्रा तथा वस्तुओं की संख्या में कमी आ जाती है तो पार्टी परेषण को खोलकर तथा तौलकर Delivery देने की माँग करती है। ऐसी Delivery को Open Delivery कहते हैं। इस प्रकार की Delivery देने का प्रावधान रेल अधिनियम की धारा '81' के अन्तर्गत है। जिसकी विधि निम्न प्रकार है –

1. पार्टी द्वारा Delivery Book में उपयुक्त रिमार्क दिया जाना चाहिए। जिसे क्वालीफायड रिमार्क (Quilified Remark) कहते हैं। इसके सम्बन्ध में रेल कर्मचारी पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हो कि Open Delivery देना औचित्य पूर्ण है।
2. ऐसी Delivery देने के लिए स्टेशन अधीक्षक, CGS सक्षम हैं। इनमें से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य है। आवश्यकता होने पर RPF को भी उपस्थित रहने को कहा जा सकता है।
3. Delivery देने का समय, स्थान तथा तारीख तय की जायेगी और इस सम्बन्ध में पार्टी को सूचित किया जायेगा।
4. पार्टी को मूल RR तथा मूल Invoice प्रस्तुत करने को कहा जायेगा।
5. पार्टी द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर यह सुनिश्चित करना होगा कि परेषण इन दस्तावेजों से मेल खाता है। यदि गलत घोषणा पायी जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. पैकेज के अन्दर गुम हुए माल के बराबर वस्तु रखकर देख लेना चाहिए कि इतनी वस्तु इसमें आ सकती है या नहीं।
7. परेषण को खोलकर तथा तोलकर वास्तविक कमी का पता लगाया जायेगा।
8. उपरोक्त विवरण के आधार पर कमी का प्रमाण–पत्र की एक प्रति पार्टी को दी जायेगी।
9. Delivery देने की प्रक्रिया व परिणाम एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
10. क्षतिपूर्ति का वास्तविक आंकलन करने के बाद 400 रूपये तक की क्षति का भुगतान Station पर ही पूरी कर दी जायेगी। यदि क्षति इससे अधिक राशि की है तो कागजात दावा कार्यालय को भेज दिये जायेंगे।

## मूल्यांकन सुपुर्दगी (Assesment Delivery)

मूल्यांकन Delivery का अर्थ ऐसी Delivery से है जब परेषण को हुई क्षति के कारण उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है जिससे उसकी कीमत में भी कमी आ जाती है। ऐसी क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नुकसान का आकलन करके जो Delivery दी जाती है उसे Assesment Delivery कहते हैं। इसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है–

1. पार्टी द्वारा Delivery Book में उपयुक्त रिमार्क दिया जाना चाहिए। जिसके सम्बन्ध में रेल कर्मचारी की पूरी सन्तुष्टि होनी चाहिए कि मूल्यांकन Delivery दिया जाना उचित है।
2. यदि नुकसान का अन्दाजा 2500 रूपये तक है तो SM, CMI, CPS, CGS के द्वारा Assesment Delivery दी जा सकती है अन्यथा किसी राजपत्रित अधिकारी का आना आवश्यक है।
3- Delivery दिये जाने की तारीख, समय तथा स्थान तय किया जायेगा तथा पार्टी को इस सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा।
4. पार्टी को RR तथा मूल Invoice प्रस्तुत करना होगा। यदि Invoice से माल मेल नहीं खाता तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. परेषण को खोलकर ठीक व क्षतिग्रस्त भाग को अलग–अलग रखा जायेगा और वास्तविक नुकसान का पता लगाया जायेगा।
6. इस नुकसान का पता लगाने के लिए इस प्रकार की वस्तु के व्यापारियों तथा विशेषज्ञों का परामर्श भी लिया जा सकता है। परामर्श की लिखित कॉपी मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ कर्मचारियों एवं पार्टी के हस्ताक्षर लेने के बाद दावा कार्यालय भेजी जायेगी।
7- Delivery दिये जाने का पूरा विवरण एवं परिणाम एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
8. 400 रूपये तक के नुकसान का भुगतान स्टेशन पर ही कर दिया जायेगा और इस राशि से अधिक के मामले में आवश्यक कागजात दावा कार्यालय को भेज दिये जायेंगे।

Delivery देते समय पार्टी से आग्रह करेंगे कि वह बगैर मूल्यांकन के सुपुर्दगी ले लें। माल को धूप, प्रकाश एवं खुली हवा या रोड़ में रखकर होने वाली क्षति को कम करने का प्रयास किया जायेगा।

## डिस्प्यूटेड डिलीवरी (Disputed delivery)

जब माल के मालिकाना के मामले में संदेह हो या एक ही माल के लिए कई व्यक्ति डिलीवरी की मांग कर रहे हों या आर.आर. प्रस्तुत करें, ऐसी स्थिति को डिस्प्यूटेड डिलीवरी कही जायेगी। ऐसे मामले में निम्नलिखित कार्यवाही की जानी चाहिए–

1. प्रत्येक पार्टी की आर.आर. जमा करायी जाये।
2. आर.आर.के पीछे उनके हस्ताक्षर,पता सहित प्राप्त किये जायें
3. अधिकारियों को सूचित करें।
4- RPF/GRP को सूचित करें एवं बुलायें।
5- RR की गहन छानबीन एवं जांच करें।
6- RR की जांच करते समय इनवायस नं0, हस्तलिपि, स्टेशन की मोहर व तारीख इत्यादि की मिलान करें।
7. यदि थ्रू इनवायस या इनवायस प्राप्त हो गयी हो तो उससे मिलान करें।
8. फारवर्डिंग स्टेशन को सूचित किया जाये। यदि आवश्यक हो तो माल, पार्टी व फारवर्डिंग नोट का वेरिफिकेशन कराये।
9. फारवर्डिंग नोट पर दिये गये व्यौरे, हस्ताक्षर तथा पता इत्यादि का मिलान की जाये।
10. गलत पाये जाने पर FIR करायी जाये।
11. अधिकारियों की राय एवं आदेशानुसार माल को रोका जा सकता है।
12. गजट नोटिफिकेशन में दिये गये खोये हुये आर.आर. नंम्बरों से मिलान करें।
13. प्रत्येक पार्टी से इंडेमिनिटी नोट भरवाया जाये।
14. यदि आवश्यक हो तो पार्टियों से माल की कीमत जमा करायी जाये।
15. सही पार्टी को ही माल की डिलीवरी दी जाये।

## रेलवे रसीद उपलब्ध न होने पर माल की डिलीवरी

1. जब किसी परेषण की डिलीवरी की मांग करते समय प्रेषक रेलवे रसीद/इनवायस प्रस्तुत न कर सके तो क्षतिपूर्ति नोट प्रस्तुत करने पर परेषण की डिलीवरी दी जा सकती है।
2. ऐसी डिलीवरी तभी दी जाएगी जब डिलीवरी देने वाला व्यक्ति इस बात से संतुष्ट हो कि डिलीवरी मांगने

वाला व्यक्ति माल का असली मालिक है। संदेह होने पर ऐसे मामले को मंडल वाणिज्य प्रबन्धक के आदेश हेतु भेजना चाहिए ।

3. क्षतिपूर्ति नोट मुख्यतः दो प्रकार के होते है –
   अ. स्टाम्प युक्त  ब. स्टाम्प रहित
4. बिना स्टाम्प लगे क्षतिपूर्ति नोट रेलवे स्टेशनों पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और निम्नलिखित मामलों में प्रस्तुत किए जाते है ।
   अ. नाशवान पदार्थों के मामलों में ।
   ब. सरकारी विभागों के परेषण के मामले में ।
   स. पंजीकृत सहकारी समितियों के मामले में ।
   द. रजिस्टर्ड समाचार पत्रों व मैगजीन के मामले में ।
   य. खजाने के खाली बक्सों के मामले में ।
5. माल/पार्सल यातायात के अन्य मामलों में डिलीवरी देते समय स्टाम्प युक्त क्षतिपूर्ति नोट भरा जाना चाहिए
6. स्टाम्प युक्त क्षतिपूर्ति नोट उचित कीमत के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर होते है। इनकी कीमत अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग होती है
7. क्षतिपूर्ति नोट पर भेजने वाले तथा पाने वाले का नाम व पता तथा परेषण के सभी आवश्यक विवरण लिखे जाते है । डिलीवरी मांगने वाले व्यक्ति के अलावा एक जमानती तथा दो गवाहों के नाम व पते सहित उनके हस्ताक्षर करवाए जाने चाहिए। यह जमानती व साक्षी अच्छी सामाजिक हैसियत के व्यक्ति होने चाहिए।
8. रेलवे रसीद के स्थान पर क्षतिपूर्ति नोट को स्वीकार करके माल की डिलीवरी दे दी जाती है ।
9. यदि परेषण स्वयं के लिए बुक है तो डिलीवरी तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि प्रेषिती द्वारा क्षतिपूर्ति नोट बुकिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर के समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो और स्टेशन मास्टर द्वारा उसे अग्रसारित किया गया हो। दूसरा क्षतिपूर्ति नोट मालिक द्वारा गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो ।
10. यदि प्रेषण की कीमत 100000/–रूपये से अधिक हो तो राजपत्रित अधिकारी की अनुमति आवश्यक है।
11. निम्नलिखित मामलों में Sr.DCM के आदेशानुसार डिलीवरी दी जायेगी :–
   अ. यदि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा डिलीवरी की माँग की जाये।
   ब. विदेशों से बुक माल के मामले में।
   स. एक ही व्यक्ति द्वारा डिलीवरी की माँग की जाये लेकिन माल के स्वामित्व पर संदेह हो।
   द. यदि माल 'सेल्फ' को बुक है परन्तु RR न होने पर कनसाइनर ने क्षतिपूर्ति नोट भरा है।

**अनलोडिंग के समय पायी जाने वाली संभावित कमियां**

| | | |
|---|---|---|
| 1.सील गायब हो। | 2.सील दोषपूर्ण हो। | 3.सील टूटी हों। |
| 4.सील लेवेल ही न हो। | 5.रिवीट न हो। | 6.रिवीट टूटी हो। |
| 7.चोरी की संभावना हो। | 8.ताला टूटा हो। | 9.ताला डिफेक्टिव हो। |
| 10.वैगन की छत टूटी हो। | 11.माल कम हो। | 12.माल क्षतिग्रस्त हो। |
| 13.वैगन की दीवार टूटी/कटी हो। | 14.वैगन की फर्श कटी हो। | 15.ताला न हो। |
| 16.माल में टूट–फूट हो। | 17.भीगकर माल में खराबी। | 18.डनेज बैग की स्थिति |

## कार्यविधि :–

उपरोक्त कमियां पता चलने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

1. RPF स्टाफ को सूचित करना।
2. पुनः सील करना।
3. RPF की उपस्थिति में अनलोडिंग करना।
4. क्षति व कमी की सूचना पिछले स्टेशनों को भेजना।

5. क्षति व कमी की रिपोर्ट 3 प्रतियां में तैयार करना।
6. एक प्रति रिकार्ड, एक प्रति RPF एक प्रति दावा कार्यालय को भेजना।
7. वैगन में पैकेजों की स्थिति का जायजा लेना।
8. वैगन की छत दीवार व फर्श की स्थिति।
9. माल की अनलोडिंग के छः घंटे के अन्दर D.D. Message जारी करना।
10. एसेसमेंट या ओपेन डिलीवरी की व्यवस्था यदि आवश्यक हो।
11. दावे का निर्धारण एवं निपटान यदि 400 रुपया तक का नुकसान हो।
12. भींगकर खराब हुए माल को सुखाना व कवर्ड शेड में रखना।
13. चोरी की रिपोर्ट भेजना।

## डैमेज एण्ड डिफिसिएन्सी मैसेज (D.D.Message)

पूरा का पूरा पैकेज अथवा परेषण खो जाने के मामले को छोड़कर, माल में किसी अन्य तरह की क्षति या कमी हो तो इसकी सूचना फारवर्डिंग स्टेशन, परेषण की जांच करने वाले स्टेशन, ट्रांशिपमेंट स्टेशन या उस स्टेशन को जिसने अंतिम बार सील किया हो,को उसी दिन क्षति एवं कमी की सूचना भेज दी जानी चाहिए। ऐसा मैसेज माल उतारने के समय से 6 घंटे के अंदर भेज देनी चाहिए। थ्रू ट्रैफिक के मामले में यह सूचना रजिस्टर्ड डाक से तथा लोकल ट्रैफिक के मामले में सील्ड लिफाफे में बन्द करके भेजनी चाहिए।
डी0 डी0 मैसेज में निम्नलिखित सूचनायें भेजी जानी चाहिए-

1. माल को उतारते समय वैगन की स्थिति ।
2. माल उतारते समय वैगन के अन्दर पैकेजों की स्थिति ।
3. इनवायस / पी0 डब्ल्यू बिल पर लिखा गया वजन ।
4. पुनः तौल के बाद प्राप्त वजन ।
5. पैकेजों के भींग कर खराब होने का कारण (स्पष्टीकरण के साथ कि वाटरटाइट वैगन प्रयोग किये गये थे या नहीं) तथा डिब्बे में पानी घुसने का स्थान
6. डिब्बे के फर्श , छत व दीवार की हालत ।
7. डनेज का प्रयोग किया गया था या नहीं ।
8. तैलीय माल (Oily Consignment) के मामले में डिब्बे के अन्दर रिसाव के चिन्ह देखे गये थे या नहीं।
9. डिब्बे के अन्दर पैकेजों के साथ कोई छेड़छाड़ की गयी थी या नहीं ।

### डी0 डी0 रजिस्टरः–

पार्सल घर/मालघरों में डी0डी0 मैसेज का रिकार्ड रखने के लिए दो रजिस्टर रखे जाते हैं।

1. इनवर्ड डी0 डी0 रजिस्टरः– अपने यहां प्राप्त माल में होने वाली क्षति एवं कमी के बारे में जो संदेश जारी किये जाते है उनके समय, तारीख व क्रम संख्या के अनुसार विवरण इस रजिस्टर में लिखा जाता है।

2. आउटवर्ड डी0 डी0 रजिस्टरः– अपने स्टेशन से बुक किये गये माल/पार्सल के बारे में अन्य स्टेशनों से प्राप्त होने वाले संदेशों का विवरण एवं उनके जबाब में जारी किये गये संदेशों का लेखा–जोखा इस रजिस्टर में क्रमसंख्यावार लिखा जाता है। प्रत्येक दिन कार्यकाल की समाप्ति पर अंतिम संदेश के नीचे लाल स्याही से एक रेखा खींचकर स्टेशन मास्टर द्वारा रजिस्टर क्लोज किया जाना चाहिए। यदि किसी दिन कोई डी0 डी0 मेसेज जारी या बाहर से प्राप्त न हो तो भी उस दिन निल का रिमार्क देकर रजिस्टर क्लोज करना चाहिए।

## मिसिंग एण्ड डैमेज्ड गुड्स रिपोर्ट (MISSING AND DAMAGED GOODS REPORT)

इसका पूरा रूप MISSING AND DAMAGED GOODS REPORT है। जब माल में कोई टूट फूट हो जाए, क्षति हो जाए, या किसी कारण से पार्टी डिलीवरी न ले और दावा (Claim) का मामला हो तो MGR तैयार की जाती है।

Open डिलीवरी तथा एसेसमेन्ट डिलीवरी देने के बाद MGR जारी की जानी चाहिए यह निर्धारित फार्म पर बनाई जाती है। यह Claims तय करने में सहायता करती है। इसीलिये इसे Claim का दर्पण कहा जाता है।MGR तीन कॉपियों में बनाई जाती है। एक कॉपी रिकार्ड में रहती है। एक R.P.F को भेजी जाती है तथा एक कॉपी दावा कार्यालय को भेजी जाती है। सामान्यतयाः MGR गन्तव्य स्टेशन द्वारा बनाई जाती है। बुकिंग स्टेशन तथा ट्रांशिपमेन्ट स्टेशन (Transhipment) इसको तभी बनायेंगे जब दावा कार्यालय माँग करेगा। इस पर लदान का विवरण, माल आने का विवरण, माल को उतारने का विवरण, डिलीवरी देने के विवरण तथा नुकसान होने का संभावित कारण आदि विवरण दिये जायेंगे। यदि अतिरिक्त विवरणों की आश्यकता हो तो उनको इसके पीछे भी दिया जा सकता है।

MGR के साथ आवश्यकतानुसार निम्नलिखित मुख्य–मुख्य प्रपत्र (Document) भेजे जा सकते है :–

1. Short Certificate (शार्ट सर्टिफिकेट) 2. एससमेन्ट रिपोर्ट (Assesment Report) 3.डिब्बे की सील कपास में लपेटकर। 4. बीजक 5. रेलवे रसीद 6.Doctor,s report 7. गाड़ी परीक्षक का प्रमाण पत्र यदि कोई हो। 8. अन्य प्रमाण पत्र।

## अनकनेक्टेड वैगन का निपटारा (Disposal of Unconnected Wagon)

किसी स्टेशन पर Unconnected Wagon का पता चले तो SM द्वारा वैगन पर उपलब्ध लेबल के आधार पर उसे Connect करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि वैगन पर लेबल न हो तो इसकी सूचना मण्ड़ल के NR-Cell को दी जानी चाहिए। इसके अलावा Section Controller के माध्यम से भी वैगन के विवरणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि Wagon Connect नहीं हो पाता है तथा 72 घण्टे तक कहीं से कोई भी कनेक्ट होने की सूचना नहीं मिलती है तो RPF Staff की उपस्थिति में Wagon को खोला जाना चाहिए। यदि Wagon के अन्दर उपलब्ध Paste on Label तथा Packages के ऊपर उपलब्ध मार्किंग के आधार पर भी Wagon Connect न हो सके तो माल की Unloading करा देनी चाहिए और यदि Wagon Connect हो जाता है तो उसे गंतव्य स्टेशन भेज देना चाहिए।

यदि Wagon को Unload करा दिया गया है तो इसकी सूचना Sr. DCM तथा Claim Office को दे देनी चाहिए। यदि उसी तरह का कोई परेषण आस–पास के स्टेशन पर Due हो तो Sr. DCM की अनुमति लेकर ऐसे परेषण की Matching delivery देनी चाहिए। अन्य मामलों में परेषण का निपटारा Sr. DCM या Claim Ofice के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

## अदावित माल का निपटारा (Disposal of Unclaimed Consignment)

यदि कोई परेषण गंतव्य स्टेशन पर प्राप्त होने के बाद सात (7) दिन तक Unclaimed रहे तो Consignee को रजिस्टर्ड ड़ाक द्वारा सूचना दी जानी चाहिए। नोटिस में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि नोटिस जारी होने की तारीख से 7 दिन के अन्दर परेषण की डिलीवरी ले ली जाये अन्यथा रेल प्रशासन को यह अधिकार है कि वह रेल अधिनियम की धारा 83/84 के अन्तर्गत माल की नीलामी करके उसका निपटारा कर दे।

यदि Consignee का नाम व पता ज्ञात न हो तो यह नोटिस जिसे Sale Notice कहते हैं। Consignee को भेजा जाना चाहिए। यदि यह नोटिस जारी करने के बाद माल की डिलीवरी नहीं ली जाती तो रेलवे द्वारा इसकी बिक्री करके माल का निपटारा कर देना चाहिए।

मालिक द्वारा परेषण की माँग करने पर रेलवे के खर्चे एवं देय प्रभाग काटकर शेष राशि उसे वापस कर दी जाती है। यदि Consignment नाशवान वस्तु है तो 24 घण्टे के अन्दर बिक्री करके निपटारा कर दिया जाता है। यदि Unclaimed वस्तु ऐसी है जिसका निपटारा उसी स्टेशन पर नहीं किया जा सकता तो उसे नामित डिपो स्टेशन पर भेज दिया जाता है।

## अधिकतम चल आयाम से अधिक वृहदाकार माल का लदान
(Loading of Bulky Goods ExceedingMaximum Moving Dimension)

1. वृहदाकार माल की लदान तभी किया जायेगा जब सक्षम अधिकारी की अनुमति मिल गयी हो।
2. जब इस तरह का माल बुकिंग के लिये पार्टी द्वारा डिब्बे की मांग की जाये तो सक्षम अधिकारी के पास निम्नलिखित विवरण लिख कर भेजा जाना चाहिये :–
   (अ) प्रत्येक पैकेज/माल की कुल लम्बाई, चौड़ाई, उंचाई और वजन।
   (ब) डिब्बे का प्रकार जिसमें लादा जाना है।
   (स) मार्ग जिससे मालिक वहन कराना चाहता है।
   (द) वृहदाकार माल की स्केच (रूपरेखा)।
3. वृहदाकार माल को बुकिंग के लिये स्वीकार किये जाने वाले अधिकारी द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण का प्रबंध किया जायेगा।
4. ऐसी वस्तुओं को मजबूती से बॉधा जाना चाहिये ताकि उनके हिलने–डूलने या शिफ्ट होने की संभावना न रहे।
5. रस्सियों तथा जंजीरों से बॉधने का काम टी0 एक्स0 आर0 कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिये।
6. सही और ठीक लदान का प्रमाण पत्र टी0 एक्स0 आर0 कर्मचारी द्वारा जारी की जायेगी।
7. लादे गये माल का कोई भाग बफर से बाहर निकल रहा हो तो डमी वैगन का इस्तेमाल किया जाना चाहिये।
8. ऐसे माल के संबंध में बीजक पर विशेष टिप्पणी की जायेगी ताकि गंतब्य स्टेशन व यातायात लेखा कार्यालय में ओ0 डी0 सी0 के प्रभारों की जॉच की जा सके।
9. ऐसे माल को उसी मार्ग से परिवहन किया जायेगा जिस मार्ग से परिवहन किये जाने की अनुमति अधिकारी द्वारा दी गयी है।

## लम्बी वस्तुओं को लादने के नियम
1. रेल की पटरियां, गर्डर आदि को फ्लैट डिब्बों में लादा जाना चाहिये।
2. जब इन्हें खुले ट्रकों में लादा जाये तो फर्शों पर लकड़ी के स्लीपर के अस्थायी तकिये लगा देना चाहिये।
3. तकिये एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर होने चाहिये ताकि पटरियां उन पर संतुलित ढंग से रखी जा सकें और फर्श को न छूये।
4. लदान इस तरह से की जानी चाहिये कि ट्रकों पर भार संतुलित रूप से बना रहे।
5. पटरियों को लादने के बाद उन्हें जंजीरों से सुरक्षित किया जाना चाहिये।
6. लम्बी वस्तुओं को लादने के लिये डमी वैगनों का उपयोग करना चाहिये।
7. लम्बी वस्तुओं की लोडिंग करते समय ध्यान रखना चाहिये कि ट्रक और डमी वैगन के किनारों की ओर कम से कम 153 मिमी0 स्थान (गैप) अवश्य रहे ताकि घुमावों पर गुजरते समय माल ट्रकों के किनारों को न छूये।

## प्रतिबन्धित/निषिद्ध (Contraband Goods) वस्तुओं को बुक करने के नियम

प्रतिबन्धित वस्तुओं के अन्तर्गत गोला–बारूद तथा Military Store शामिल है। इन वस्तुओं को DM द्वारा जारी किये गये लाइसेन्स के बिना रखना, ले जाना तथा कहीं भेजना मना है। अतः ऐसी वस्तुयें जब बुकिंग के लिए आयें तो निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना चाहिए –

1. पूरी तरह से भरा हुआ उचित फारवार्ड़िग नोट तथा DM (जिलाधिकारी) द्वारा जारी मूल लाइसेन्स और उसकी एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये लाइसेन्स पर भेजने वाले व पाने वाले का नाम व पता, वस्तु का नाम, वाया जिससे होकर माल भेजा जायेगा, प्रत्येक पैकेज का वजन तथा लाइसेन्स की वैधता आदि विवरण होना चाहिए।
3. लाइसेन्स पर दिये गये विवरण के अनुसार रेलवे रसीद जारी की जायेगी तथा गंतव्य स्टेशन को बुकिंग से सम्बन्धित सूचना भेजी जायेगी।
4. लाइसेन्स की फोटो कॉपी पूरी यात्रा के दौरान परेषण के साथ रहनी चाहिए।
5. पूरे परेषण को एक साथ, उसी मार्ग से भेजा जायेगा जो लाइसेन्स में दिया गया है।
6. ऐसे परेषणों की लोडिंग/अनलोडिंग RPF या GRP Staff की उपस्थिति में की जायेगी।
7. रास्ते में परिवहन के दौरान ऐसे परेषण की जाँच पुलिस एवं सिविल अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
8. गंतव्य स्टेशन पर परेषण पहुँच जाने के बाद Delivery के समय लाइसेन्स की फोटो कॉपी का, पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गयी मूल प्रति से मिलान किया जाना चाहिए।
9. निर्धारित अवधि में परेषण की Delivery न लिये जाने पर, उसे पुलिस विभाग को सौंप देना चाहिए।

## नशीली वस्तुओं की बुकिंग के नियम

1. पार्टी द्वारा उचित फारवर्डिंग नोट भरा जाना चाहिए तथा पार्टी को पास अथवा परमिट प्रस्तुत करना चाहिए।
2. यह पास अथवा परमिट सक्षम अधिकारी (एक्साइज विभाग) द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसमें फारवर्डिंग स्टेशन का नाम, माल भेजने व पाने वाले का नाम व पता, गन्तव्य स्टेशन का नाम प्रत्येक पैकेज का वजन और वस्तु का नाम, वाया जिससे होकर माल जायेगा और पास की वैधता अवधि आदि विवरण लिखे होने चाहिए।
3. प्रत्येक पैकेज पर पास अथवा परमिट जारी करने वाले अधिकारी के कार्यालय की मोहर लगी होनी चाहिए।
4. पास अथवा परमिट में दिये गये विवरण के आधार पर RR जारी की जानी चाहिए तथा पूरा परेषण एक साथ भेजा जाना चाहिए।
5. पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया पास अथवा परमिट मूल रूप से Invoice के साथ नत्थी किया जाना चाहिए और इसे पूरे रास्ते के दौरान परेषण के साथ रहना चाहिए।
6. रास्ते में सक्षम अधिकारी द्वारा परेषण को चेक किया जा सकता है और यदि पास या परमिट में दिये गये विवरण से परेषण मेल नहीं खाता तो परेषण को रोका भी जा सकता है।
7. गंतव्य स्टेशन पर पहुँच जाने के बाद परेषण तथा पास या परमिट की मूल प्रति पार्टी को वापस दे दी जाती है।
8. यदि गंतव्य स्टेशन पर इसकी Delivery 7 दिनों तक न ली जाये तो इसे Excise Deptt. को सौंप देना चाहिए।

# खतरनाक तथा विस्फोटक वस्तुओं को बुक करने के नियम

रेल अधिनियम 1989 की धारा 67 के अनुसार खतरनाक तथा विस्फोटक वस्तुओं को बिना अनुमति के स्टेशन पर लाना मना है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा का उलंघन करते हुए खतरनाक तथा विस्फोटक वस्तुओं को रेल परिसर में लाता है तो उसके विरूद्ध रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के अन्तर्गत 1000 रू0 तक जुर्माना या 3 वर्ष की सजा या दोनों हो सकती हैं।

खतरनाक वस्तुओं की बुकिंग तथा परिवहन से सम्बन्धित नियम IRCA Red Tariff No. 20 में दिये गये हैं। इन वस्तुओं को निम्नलिखित 8 समूहों में बाँटा गया है –

1. विस्फोटक पदार्थ
2. ज्वलनशील गैस
3. ज्वलनशील द्रव
4. ज्वलनशील ठोस
5. आक्सीकारक पदार्थ
6. जहरीले पदार्थ
7. रेडियोएक्टिव पदार्थ
8. अम्ल और क्षयकारक पदार्थ

**बुकिंग के नियम–**

1. इस प्रकार की माल की बुकिंग के लिए दोनों स्टेशन खुले होने चाहिए।
2. दोनों में किसी भी स्टेशन पर प्रतिबंधित नहीं होना चाहिये।
3. माल पर किसी तरह का प्रतिबंधित नहीं होना चाहिये।
4. मालिक द्वारा कम से कम 48 घण्टे पहले सूचना देना आवश्यक है।
5. उचित प्रकार का फारवार्डिंग नोट भर कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा इसके साथ फार्म 16 दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसकी एक प्रति Invoice के साथ गंतव्य स्टेशन भेज देनी चाहिए।
6. इसके पैकेजों की पैकिंग वस्तु की प्रकशति के अनुसार Red Tariff No. 20 में दिये गये नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। इसके पैकेज इस प्रकार बनाये जाने चाहिए कि कोई नुकीली कील बाहर निकली न रहे।
7. इसके एक पैकेज का वजन 50 Kg. से अधिक नहीं होना चाहिए और जिस पैकेज का वजन 35 Kg. से अधिक हो उसे उठाने के लिए पैकेज के दोनों किनारों पर Handle लगाये जाना चाहिए।
8. ऐसे Packeges पर Caution और Pictorial Label, Red Tariff में दिये गये नियमों के अनुसार लगाये जाने चाहिए।
9. प्रत्येक पैकेज की Private Marking तथा Railway Marking नियमानुसार की जानी चाहिए।
10. इनकी Loading, Unloading का कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जाना चाहिए।
11. पैकेजों को सीधी धूप, वर्षा, बर्फ इत्यादि से बचाकर रखना चाहिए।
12. इनकी Loading/Unloading का कार्य अनुभवी मजदूरों द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को नुकीली कीलों वाले जूते नहीं पहनने चाहिए और इनकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
13. ऐसे माल की Loading /Unloading और Storage , Building या आवसीय कालोनियों से कम से कम 45 मीटर दूर की जानी चाहिए।
14. जिस स्थान पर विस्फोटक रखे गये हों या जहाँ पर इसकी Loading /Unloading का कार्य चल रहा हो वहाँ से कम से कम 15 मीटर की परिधि में जलती हुई आग या माचिस की तीली आदि नहीं ले जानी चाहिए।
15. एक वैगन में 10 टन या डिब्बे की CC का आधा, दोनों में से जो कम हो, उससे अधिक Loading नहीं की जानी चाहिए।

16.इसकी Loading एक सतह में की जानी चाहिए लेकिन यदि पैकेज आयताकार और एक समान आकार के हों तो अधिकतम 5 सतह तक Loading की जा सकती है।

17.गंतव्य स्टेशन पर इसकी Delivery जल्द से जल्द कराने का प्रयत्न करना चाहिए।

18.खतरनाक तथा विस्फोटक पदार्थों से लगे वैगनों पर Led wire seal का प्रयोग किया जाना चाहिए, Wax Seal का नहीं। ऐसे पदार्थों के मामले में भाड़े का पूर्व भुगतान आवश्यक है।

19.एक तरह की खतरनाक या विस्फोटक वस्तु के साथ दूसरी प्रकार की खतरनाक या विस्फोटक वस्तु लोड नहीं की जानी चाहिए।

20.विस्फोटक पदार्थों को निम्नलिखित 7 भागों में बाँटा गया है –

A. Gun Powder
B. Nitrate Mixture
C. Nitro Compound
D. Chlorale Mixture
E. Fluminate
F. Amunition (गोला बारूद)
G. आतिशबाजी

**मिलिट्री के माल की बुकिंग के नियम :–**

मिलिट्री के माल की बुक करने, स्वीकार करने एवं वहन करने के नियम आम पब्लिक की तरह ही है, किन्तु मिलिट्री के माल की बुकिंग मिलिट्री क्रेडिट नोट (IAFT- 1711) पर की जाती है। जबकि मिलिट्री स्पेशल VP स्पेशल (IAFT-1707A) पर बुक की जाती है। मिलिट्री के माल को बुक करने के लिए मिलिट्री के कर्मचारियों द्वारा वैगन की मांग की जाती है। अर्थात पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण की फीस नगद नहीं ली जाती है ।

1. यदि माल रेलवे के वैगन में ट्रेन लोड के रूप में बुक कराया जाता है तो भाड़ा क्लास 110 पर प्रभारित होगा।
2. यदि माल मिलिट्री के वैगन में ट्रेन लोड के रूप में बुक कराया जाता है तो भाड़ा क्लास LR-1 पर प्रभारित होगा।
3. यदि माल वैगन लोड के रूप में बुक कराया जाता है तो भाड़ा आम पब्लिक की तरह लिया जायेगा।
4. पूरा का पूरा भाड़ा रक्षा विभाग को डेबिट किया जायेगा नगद कुछ भी नहीं लिया जायेगा।
5. मिलिट्री का विस्फोटक सामग्री भी पब्लिक की तरह ही PCC का भाड़ा या वास्तविक वजन का भाड़ा लिया जायेगा।
6. कम से कम 40 बोगी वैगन का भाड़ा प्रभारित किया जायेगा।
7. यदि मिलिट्री का माल फुटकर वैगनों में रेलवे के अन्य यातायात के साथ बुक कराया जाता है और इस तरह ब्लाक रेक बनता है तो भाड़ा वास्तविक वैगनों की संख्या के आधार पर वैगन लोड रेट पर पब्लिक दर पर लिया जायेगा।
8. रेलवे के वैगन में बुक्ड माल के संबंध में स्थान शुल्क, विलम्ब शुल्क, के अलावा साइडिंग चार्ज,शंटिंग चार्ज इत्यादि जैसा जहां लागू हो, नियमानुसार पब्लिक की तरह ही प्रभारित किया जायेगा।
9. यदि मिलिट्री के वैगन रेलवे के परिसर में विलम्बित या स्टेबल किये जाते है तो उन्हें निजी वैगन मानकर नियमानुसार स्टेबलिंग चार्ज लिया जायेगा।
10. स्टेबलिंग चार्ज की दर 500/– प्रति वैगन प्रति दिन है।

## जानवरों को बुक करने के नियम

1. दोनों स्टेशन जानवरों की बुकिंग के लिये खुले होने चाहिए।
2. जानवरों की बुकिंग के लिए पार्टी को कम से कम 24 घण्टे पहले सूचना देनी चाहिए।
3. पार्टी द्वारा उचित फारवार्डिंग नोट भर कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. जानवरों के डाक्टर का प्रमाण पत्र आवश्यक है कि जानवर रोगी नहीं है।
5. रेल अधिनियम 1989 की धारा 68 के अनुसार संक्रामक एवं छुआछूत रोग से ग्रस्त जानवरों को बुक नहीं किया जायेगा।
6. जानवरों की बुकिंग बैगन लोड या ट्रेन लोड के रूप में की जायेगी।
7. यदि पार्टी जानवर की कीमत घोषित करती है तो नियमानुसार प्रतिशत प्रभार लिया जायेगा।
8. सभी प्रभारों की पूर्व अदायगी आवश्यक है।
9- Loading/Unloading तथा Transhipment के समय जानवरों को डिब्बे से उतारने, चढ़ाने तथा चारे–पानी की व्यवस्था पार्टी को करनी होगी।
10-Loading/Unloading के लिए Free Time 4 घण्टे दिये जायेंगे।
11.जानवरों के सम्बन्ध में रेलवे की जिम्मेदारी धारा 101 के अन्तर्गत दी गयी है।
12.प्रभारित किया जाने वाला वजन वैगन की CC के अनुसार होगा।
13.लदान क्षमता से अधिक जानवरों की Loading नहीं की जानी चाहिए।
14.पार्टी की प्रार्थना पर 320 Km.यात्रा के बाद जानवरों को 24 घण्टे का यात्रा विराम करने की अनुमति है परन्तु वहाँ पर जानवरों को उतारने व चढ़ाने के लिए प्लेटफार्म की सुविधा होनी चाहिए।
15.राशन किट प्रति घोड़ा एवं प्रति टट्टू 40 किग्रा, अन्य जानवरों के लिए 20 किग्रा प्रति जानवर, अनाज प्रति घोड़ा/टट्टू 10 किग्रा, अन्य जानवरों के लिए 5 किग्रा प्रति जानवर प्रति 160 किमी0 तथा घास आदि फ्री ले जाने की अनुमति है।
16.जानवरों के साथ परिचारक निःशुल्क जा सकते हैं। 4/6 Wheeler वैगन में एक परिचारक और 8-Wheeler वैगन में दो परिचारक तथा TPT के मामले में यह संख्या दोगुनी है। यदि परिचारक की संख्या इससे अधिक होती है तो II Ordinary का किराया अदा करके यात्रा कर सकते हैं परन्तु दो से अधिक अतिरिक्त परिचारक ले जाने की सुविधा नहीं है।
17.परिचारकों को यात्रा करने से पूर्व क्षति पूर्ति नोट भरकर देना होगा।

## रेलवे मैटेरियल कनसाइनमेंट की बुकिंग के नियम (Railway Material Consignment)

RMC की बुकिंग और परिवहन निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा की जायेगी :–

1. विभागीय वैगनों के लिए मांग पत्र /मेमो सामान्यतः लिखित रूप में पहले दिया जायेगा। शीघ्रता के मामले में कंट्रोल आदेश के अन्तर्गत संबंधित सीनियर /जे.ए. ग्रेड विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। यह संबंधित जे.ई./एस.ई./एस.एस.ई. द्वारा माल बुक किये जाने की तारीख को भी प्रमाणित किया जा सकता है।
2. अन्य विभाग के मामले में, मांग के विरूद्ध वैगनों को विभिन्न स्टेशनों पर प्लेस करने की प्राथमिकता का निर्णय Sr-DEN (Construction ) / ब्रांच आफिसर द्वारा लिया जायेगा। विशेष आवश्यकता होने पर Sr-DEN (Construction ) / ब्रांच आफिसर के द्वारा प्रमाणित किया जायेगा और वैगनों को ऐसे स्टेशनों पर भी प्लेस किया जा सकता है जहां पर कोई मांग न हो।
3. जहां कन्साइनर और कन्साइनी दोनों रेलवे अधिकारी हो, वहां रेलवे की सामग्री के परिवहन के लिए मांगे गये डिपार्टमेंट / सामान्य वैगनों पर कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. लोडिंग / अनलोडिंग का काम एक स्टेशन पर या ब्लाक सेक्शन में किया जा सकता है।
5. रेलवे सामग्री के परिवहन के लिए आवश्यक वैगनों के मांग पत्र, लोडिंग स्टेशन पर दिया / स्वीकृत किया जायेगा यदि वह माल की बुकिंग के लिए खुला हो या उसके निकटतम स्टेशन पर दिया / स्वीकृत किया जायेगा, जो इस प्रकार के माल की बुकिंग के लिए खुला हो। फिर भी मांग पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि माल की लोडिंग व अनलोडिंग किस स्टेशन / ब्लाक सेक्शन से/को होगी।

6. माल की लोडिंग / अनलोडिंग एक से अधिक स्टेशन / ब्लाक सेक्शन में या रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों /ब्लाक सेक्शन में करायी जा सकती है।
7. जिन मामलों में लोडिंग / अनलोडिंग मल्टीपल प्वाइंट पर होनी हो वहां माल की बुकिंग सबसे दूर स्टेशन /प्वाइंट से /तक होगी।
8. सभी प्रकार के RMC बैलास्ट सहित, को नोटीफाइड क्लास के दर पर लोडिंग स्टेशन से अनलोडिंग स्टेशन के बीच की दूरी के लिए प्रभारित किया जायेगा। यदि किसी अत्यावश्यक कारणवश, विभागीय गाड़ी को सबसे दूर बुकिंग स्टेशन से भी दूर गन्तव्य के लिए भेजना पड़े तो ऐसा इंजिनियरिंग कंट्रोल के लिखित मेमो के आधार पर अन्य विभाग के मामले में Sr-DEN (Construction ) /ब्रांच आफिसर की स्वीकृति के साथ किया जायेगा।
9. यदि लोडिंग स्टेशन / प्वाइंट माल यातायात की बुकिंग के लिए खुले न हो तो ऐसा उस निकटतम स्टेशन से किया जाना चाहिए जो माल यातायात के लिए खुला हो। इसी प्रकार यदि अनलोडिंग स्टेशन / प्वाइंट माल यातायात की बुकिंग के लिए खुले न हो तो माल की बुकिंग वास्तविक अनलोडिंग स्टेशन/ब्लाक सेक्शन के बाद के ऐसे स्टेशन पर होगी जो इसके लिए खुला हो।
10. यदि माल का परिवहन विभागीय वैगनों में होना हो तो मूल भाड़े की दर पर 30 प्रतिशत छूट दी जायेगी और इस पर बीजी सीजन, विकास शुल्क एवं अन्य प्रभार नहीं लिए जायेगे।
11. यदि आर.एम.सी के एक रेक में एक से अधिक किस्म की वस्तुएं लदी हो तो उच्चतम क्लास वाली वस्तु के आधार पर उस माल का भाड़ा प्रभारित किया जायेगा।
12. विभागीय वैगनों में माल बुक कराये जाने पर भाड़ा वैगन की अंकित वहन क्षमता पर प्रभारित किया जायेगा। सामान्य वैगनो के मामले में भाड़ा नोटीफाइड पी.सी.सी के आधार पर प्रभारित किया जायेगा।
13. विशेष परिस्थितियों में जे.ई/एस.ई/एस.एस.ई द्वारा भी प्रस्थान के दिन डिब्बों की मांग की जा सकती है,यदि Sr. Scale / J.A.Grade विभागीय अधिकारी उसे प्रमाणित करे और कंट्रोल द्वारा आदेशित हो।
14. विभागीय डिब्बे का भाड़ा डिब्बे की अंकित वहन क्षमता पर लिया जायेगा और जनरल सर्विस वैगन का भाड़ा डिब्बे की PCC पर लिया जायेगा।
15. भाड़े का भुगतान क्रेडिट नोट के द्वारा किया जायेगा जो 3 कापियों में बनेगा। पूरा विवरण Comml.Control को दिया जायेगा जहां पर इस तरह की बुकिंग का रिकार्ड रखा जायेगा।
16. RR जारी होगी यदि लदान के बाद किसी कारण से RR जारी नहीं हो सकी हो तो माल के परिवहन पर रोक नहीं लगायी जायेगी। ऐसी स्थिति में 15 दिन के अन्दर RR जारी हो जानी चाहिए अन्यथा आगे बिना RR के माल नहीं भेजा जायेगा।
17. RR उन स्टेशनों के लिए जारी की जायेगी जो माल की बुकिंग व डिलीवरी के लिए खुले हो। ऐसा स्टेशन अनलोडिंग स्टेशन के आगे का स्टेशन भी हो सकता है।
18. RR में उस स्टेशन फ्राम, टू, या ब्लाक सेक्शन फ्राम, टू, को साफ–साफ उल्लेख किया जायेगा। जहां से या जहां को माल बुक किया गया है, डिलीवरी देते समय RR उस स्टेशन पर जमा की जायेगी जहां के लिए माल बुक हुआ है परन्तु मैटेरियल ट्रेन की लोडिंग/अनलोडिंग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
19. यदि अनलोडिंग से पहले RR जमा नहीं की गयी है तो 15 दिन के अन्दर RR जमा कर देनी चाहिए अन्यथा भविष्य में बिना RR के अनलोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। RR “Said To Contain” जारी होगी।
20. लोडिंग/अनलोडिंग का सुपरविजन दिये गये प्रोग्राम के अनुसार विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।
21. RMC चाहे किसी भी प्रकार के डिब्बे में बुक हो साइडिंग चार्ज नहीं लगेगा।
22. विभागीय डिब्बों पर डैमरेज चार्ज नहीं लगेगा। वे जनरल सर्विस वैगन या अन्य वैगन जो कण्डम करके विभागीय उपयोग में लिये जायेगे तथा जिन डिब्बों को विभागीय उपयोग के लिए घोषित किये गये है, उन पर डैमरेज चार्ज नहीं लगेगा।
23. जो स्थान RMC के लिए अलग से उपयोग हेतु घोषित किये गये है वहां का स्थान शुल्क नहीं लगेगा। किन्तु पब्लिक माल वाले स्थान का उपयोग करने पर नियमानुसार स्थानशुल्क लगेगा।
24. डाइवर्जन तथा रिबुकिंग के मामले में निम्नलिखित नियम लागू होंगे –

अ. इसकी स्वीकृति Sr.DEN (cons) या ब्रांच अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए और Sr.DOM को सूचित

किया जाना चाहिए।

ब.इंजिनियरिंग कंट्रोलर द्वारा Comml Controller एवं चीफ कंट्रोलर को इस संबंध में लिखित मेमो दिया जायेगा।

स.अगले 7 दिनों के अन्दर रिबुकिंग/डाइवर्जन/सुपरसेशनल RR तथा क्रेडिट नोट की शर्तो को पूरा किया जाना चाहिए।

द.कामर्शियल कंट्रोलर के पास इन सभी मामलों की विस्तृत रिपोर्ट रखी जायेगी।

क. इन नियमों के आधार पर बिना किसी देरी के माल की रिबुकिंग/डाइवर्जन कर दिया जायेगा, अन्य स्वीकृतियों का इन्तजार नहीं किया जायेगा।

ख. यदि अगले महिने के अन्त तक भी इस प्रकार की शर्तो को पूरा नहीं किया जाता है और भाड़े का भुगतान नहीं होता है तो ब्रांच अधिकारी को सूचित किया जायेगा। यदि दूसरे महीने के अन्त तक भी ये सभी कार्य पूरे नहीं किये जाते है तो अगले माह से बुकिंग बन्द कर दी जायेगी।

ग. मैटेरियल ट्रेन, Sr.DEN (cons) या ब्रांच अधिकारी द्वारा दिये प्रोग्राम के अनुसार चलाया जायेगा। इस गाड़ी का प्रोग्राम कम से कम 1 दिन पहले **CHC** को दिया जाना चाहिए। यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाय तो Sr.DEN (cons.) या ब्रांच अधिकारी द्वारा Engg. Control के माध्यम से CHC को प्रोग्राम में परिवर्तन लाने के लिए लिखित में दे सकता है

25.मैटेरियल ट्रेन्स, Sr.DEN (cons.) /ब्रांच अधिकारी द्वारा दिये गये प्रोग्राम के अनुसार चलाया जायेगा। इस गाड़ी का प्रोग्राम कम से कम 1 दिन पहले CHC को दे दिया जाना चाहिए। यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाय तो Sr.DEN (cons) या ब्रांच अधिकारी/इंजिनियरिंग कंट्रोल के द्वारा CHC को प्रोग्राम में परिवर्तन लाने के लिए लिखित में दे सकता है।

## दावा (CLAIM)

रेल प्रशासन को वहन के लिए सुपुर्द किए गये माल में हुई हानि, नाश, क्षति के कारण मालिक द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया प्रार्थना–पत्र दावा कहलाता है, अर्थात् क्षतिपूर्ति की मांग को दावा कहते हैं।दावे के मामले अधिक होने से रेल प्रशासन को केवल आर्थिक क्षति ही नहीं होती बल्कि जनता का रेल के प्रति विश्वास में कमी आती है जो ग्राहक की असंतुष्टि का महत्वपूर्ण कारण होता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी जो माल की बुकिंग परिवहन तथा लोडिंग इत्यादि से सम्बन्धित है उसे दावे के कारणों की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें दावे को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

**दावे के प्रमुख कारण**

माल को स्वीकार करते समय आवश्यक सावधानियों को न अपनाना। जैसे फारवर्डिंग नोट पर माल की वास्तविक स्थिति से सम्बन्धित रिमार्क न लेना मिथ्या घोषणा की जाँच न करना, Packing Condition की जाँच न करना इत्यादि।

1. माल की लोडिंग के समय वैगन का सही चुनाव न करना।
2. लोडिंग से पहले वैगन की सफाई न करना।
3. वर्षा से खराब होने वाले माल को Watertight Wagons में न लादना।
4. बोरियों में पैक्ड माल पर हुक का प्रयोग करना।
5. नाजुक वस्तुओं को लादते समय विशेष सावधानियाँ न बरतना।
6. PLM के नियमों का पालन न करना।
7. डिब्बे की Sealing और Riveting के नियमों का पालन न करना।
8. बन्द डिब्बों में बैग्ड माल की Loading करते समय दीवारों और दरवाजों से अनुमत स्थान न छोड़ना।
9. माल गोदामों में उचित रोशनी और चाहरदीवारी की व्यवस्था न होना जिसके कारण माल की चोरी होना।
10. RPF के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करना।
11. परिवहन में देरी के कारण माल खराब हो जाना।
12. Unloading के समय आवश्यक सावधानियाँ न अपनाना।
13. Unconnected वाहन के लिए नियमानुसार कार्यवाही न करना।
14. चलती गाड़ियों में चोरी होना।
15. Unclaimed माल के लिए निर्धारित समय अवधि में कार्यवाही न करना।
16. बरसात के मौसम में माल को पानी से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियाँ न बरतना।
17. खतरनाक व विस्फोटक माल के लिए Red Tariff में दिये गये नियमों का पालन न करना।
18. आग, विस्फोट आदि।
19. ट्रेन दुर्घटनायें।

रेल अधिनियम 1989 की धारा 106 के अन्तर्गत मालिक द्वारा माल की बुकिंग की तारीख से 6 महीने के अन्दर दावा का प्रार्थना–पत्र दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित कारणों से होने वाली क्षय, हानि, नाश, नुकसान तथा अपरिदान के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा–

1- Act of God.
2- Act of war.
3- Arrest, Restraint or Seizure under legal process.
4- Restriction imposed by Central or State Government.
5- Act of Public enemies.
6- Act of omission or negligence on the Part of Consigner, Consignee or Endorsee.
7- Natural deterioration in weight or in Bulk due to inherrent Quality of Goods.
8- Latent defect.
9- Fire, Explosion or any unforeseen risk.

यदि उपरोक्त करणों में से किसी एक के कारण भी हानि, नाश, नुकसान, क्षय या अपरिदान होती है तो रेल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से तब तक मुक्त नही हो सकता जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उसकी या उसके कर्मचारी की लापरवाही नहीं है। कुछ वस्तुओं के मामले में रेलवे की जिम्मेदारी केवल

Transit Period तक ही होती है। सामान्य वस्तुओं के मामले में Transit Period की समाप्ति के बाद रेल प्रशासन रेल अधिनियम 1989 की धारा 99 के अन्तर्गत 7 दिन तक जमानती के रूप में जिम्मेदार होती है।

**अधिकारियों की दावा तय करने की शक्ति –**

| | |
|---|---|
| SM | 400 रू0 तक |
| ACM | 8,000 रू0 तक |
| SCM | 15,000 रू0 तक |
| Dy CCO / Dy CCM | 60,000 रू0 तक |
| CCO | 2 लाख रू0 तक |
| CCM | 4 लाख रू0 तक |
| GM | असीमित |

## गुड्स रिटर्न (Goods Returns)

स्टेशनों द्वारा माल यातायात के सम्बन्ध में निम्नलिखित Returns तैयार करके यातायात लेखा कार्यालय को भेजे जाते हैं –

1- Non Goverment रेलों को भेजे गये माल का सारांश।
2. गैर सरकारी रेलों से प्राप्त माल का सारांश।
3- Outward माल का सारांश।
4- RMC Traffic Outward Paid & Inward To Pay
5- Outstanding List
6- Shunting Charges
7- Miscellaneous आय का रिटर्न
8- Statement of Undercharges Collected
9- Statement of Overcharges Refunded
10. डैमरेज तथा Wharfage Returns
11- Statement of Siding Charge.
12- Statemenet of Wagon Registration Fees Collected/Refunded/Forfeited.
13- Statement of Crane Charge.
14- Statement of Wagon weighed at weigh bridge
15- Goods balance sheet with connected documents.
16- MPA
17- Handling Bill Statement
18- CA – 216

सभी प्रकार के यातायात के लिए तैयार किये गये Returns का Set निर्धारित तारीख को Returns Courier द्वारा यातायात लेखा कार्यालय को भेजे जाते हैं।

## विलम्ब शुल्क (Demmurage Charge)

बिलम्व शुल्क का आशय उस प्रभार से है जो Rolling stock पर निःशुल्क छूट समय सीमा की समाप्ति के बाद भी वैगन को रोके जाने पर लिया जाता है, अर्थात् Demmurage Charge डिब्बों के अतिरिक्त डिटेंशन करने के कारण पार्टी से वसूला जाता है। जब डिब्बों को Free time के अन्दर लदान या खाली करने का कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो अतिरिक्त बिलम्व के जितने भी घण्टे बनते हैं उसके लिये निर्धारत दर, से Demmurage Charge लिया जाता है। Free time डिब्बों की प्रकृति के अनुसार होता है। साथ ही साथ Mechanical व Manual Handling का free time भी अलग–अलग होता है।

स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस व 2 अक्टूबर फ्री नहीं होंगे। Steel Plant, Siding तथा Station के मामले में विलम्ब शुल्क की दर 150 रूपये/वैगन प्रति घण्टा या उसके अंश पर, प्रति बोगी वैगन के लिए होगी। 4–व्हीलर वैगन के लिए उपरोक्त का आधा होगा।

पार्टियों द्वारा स्वयं प्रोक्योर किये गये वैगनों पर विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा।

## स्थान शुल्क (Wharfage Charges)

स्थान शुल्क/भूमि प्रभार का आशय उस प्रभार से है जो किसी माल को Station / मालगोदाम परिसर से Free time की समाप्ति के बाद भी नहीं हटाये जाने के कारण लिया जाता है।

जानवरों, मोटर गाड़ियों तथा अन्य माल के लिए Wharfage Charges की दरें व Free time अलग–अलग हैं। जानवरों, पेरिशेबल माल तथा नोटीफाइड स्टेशनों के मामले में कोई भी दिन फ्री नही होगा। अन्य मामलों में स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस तथा 2nd अक्टूबर फ्री रहेंगे।

**स्थान शुल्क प्रभारित करने के उद्देश्य से स्टेशनों को तीन ग्रूपों में वर्गीकृत किया गया है।**

1. क. ग्रुप.I 13 रेक या उससे अधिक प्रतिमाह
   ख. ग्रुप.II 07 रेक से 12 रेक प्रतिमाह
   ग. ग्रुप.III 6 रेक या इससे कम प्रतिमाह

2.परमिशिबल फ्री टाइम व्हारफेज चार्ज के लिए स्टेशनों के ग्रुप के अनुसार फ्री टाइम निम्न प्रकार होगा।

क. ग्रुप.I वैगन की लोडिंग अनलोडिंग की फ्री टाइम की समाप्ति से कार्य/व्यापार के 12 घंटे
ख. ग्रुप.II वैगन की लोडिंग अनलोडिंग की फ्री टाइम की समाप्ति से कार्य/व्यापार के 15 घंटे
ग. ग्रुप.III वैगन की लोडिंग अनलोडिंग की फ्री टाइम की समाप्ति से कार्य/व्यापार के 30 घंटे

3. कार्य के घंटे तथा व्यापार के घंटे सभी एक समान 6 बजे से 22 बजे तक होगे।

4. वैगनों पर डैमरेज चार्ज एवं व्हारफेज चार्ज दोनो साथ–साथ लगातार समानान्तर लागू हो सकते हैं।

5. व्हारफेज चार्ज की दर प्रति वैगन प्रति घंटा, सभी वैगनों के लिए चाहे वे 4–व्हीलर हो या 8–व्हीलर एक समान होगे जो निम्न प्रकार हैं –

क. ग्रुप.I 150/– रूपये प्रति वैगन प्रति घंटा या उसके अंश पर
ख. ग्रुप.II 120/– रूपये प्रति वैगन प्रति घंटा या उसके अंश पर
ग. ग्रुप.III 75/– रूपये प्रति वैगन प्रति घंटा या उसके अंश पर

**नोट :–**

1. 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर जानवरों एवं नाशवान वस्तुओं के लिए फ्री नही होगे। इनके अलावा रेल अधिनियम 1989 की धारा 89 के अनुसार जिन स्टेशनों को अधिसूचित स्टेशन (NOTIFIED STATION) घोषित किया गया है उन स्टेशनों पर ये दिन फ्री नहीं होगे।

2. CCM या DRM द्वारा 48 घंटे का नोटिस देकर उच्च व्हारफेज चार्ज लगाया जा सकता है जिसकी दर व्हारफेज चार्ज की दर का 6 गुना तक हो सकती है।

3. यदि उतारा गया माल या किसी डिब्बे के माल का कोई भाग शेष रह जाता है तो उस माल को व्हारफेज के लिए पूरा एक डिब्बा माना जायेगा।

4. यदि कोई माल लदान के लिए लाया जाता है और कुछ माल लदान के बाद बच जाता है तो फ्री टाइम की समाप्ति के बाद 60 टन या उसके अंश को व्हारफेज चार्ज प्रभारित करने के उद्देश्य से एक डिब्बा माना जायेगा।

5. जानवरों के लिये व्हारफेज चार्ज के लिए फ्री टाइम अनलोडिंग की फ्री टाइम की समाप्ति से 3 घंटे तथा जानवरों के मामले में कोई भी दिन फ्री नहीं होगा।

7. जानवरों की व्हारफेज चार्ज दर रू0 5/–प्रति जानवर प्रति घंटा या उसके अंश पर होगी।

8. दूधमूहें बछड़ों का व्हारफेज चार्ज वयस्क जानवरों के समान बराबर दर पर लिया जायेगा।

## माल वाहक के रूप में रेलवे का दायित्व

01 जनवरी 1962 से रेलवे की जिम्मेदारी में महत्पूर्ण परिवर्तन आया है। इसके पहले ये Bailee के रूप में थी, परन्तु अब वाहक के रूप में हो गयी है। पहले रेलवे माल की हिफाजत आम आदमी की तरह करती थी तथा माल में हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होती थी। अब वाहक के रूप में रेलवे माल को सुरक्षित रूप से गन्तव्य स्टेशन तक पहुँचाने के लिए उत्तरदायी है। यह दायित्व तब तक माना जाता है। जब तक माल की डिलीवरी न हो जाये। रेलवे की यह जिम्मेदारी रेलवे एक्ट 1989 की निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत सीमित की गयी है।

### धारा 93 : – (माल वाहक के रूप में रेलवे का सामान्य दायित्व)

परिवहन के दौरान माल में किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, नाश, क्षय या अपरिदान के लिए रेलवे उत्तरदायी होगी। यदि नुकसान निम्नलिखित 9 कारणों से हुआ है तो रेलवे अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है बशर्ते वह यह सिद्ध कर दे कि माल की रक्षा के लिए रेलवे ने उपयुक्त दूरदर्शिता व सावधानी से काम किया है। ये 9 कारण निम्नलिखित है –

1. दैवकृत (Act of God)
2. युद्ध का कार्य, (Act of War)
3. लोक शत्रु कृत, (Act of Public Enemies)
4. विधिक आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी, अवरोध या जब्तीकरण (Arrest, Restraint or Seizure under legal process)
5. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण।
6. पार्टी द्वारा लापरवाही के कारण।
7. प्राकृतिक कारणों से ।
8. माल के गुप्त दोष कारणों से।
9. आग, विस्फोट या किसी अन्य अदृश्य कारणों से।

**धारा 94 :–**

यदि माल किसी Siding को बुक हुआ है और डिब्बा विशेष विनिमय स्थल (Specific Interchange Point) पर रख दिया गया है तथा साइडिंग के मालिक को लिखित सूचना दे दी गयी है तो रेलवे हानि, नाश, नुकसान, क्षय तथा अपरिदान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इसी तरह यदि माल साइडिंग से बुक हुआ है तो रेलवे हानि, नाश, नुकसान या क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जब तक कि मालिक द्वारा वैगन को विशेष विनिमय स्थल तक पहुँचाकर इसकी लिखित सूचना रेलवे को न दे दें।

**धारा 95 :–**

यदि माल में हानि, नाश, नुकसान, क्षय का कारण **परिवहन में देरी** बताया जाता है तो रेलवे उसके लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगी, यदि रेलवे यह सिद्ध कर दे कि ऐसा नुकसान उसके कन्ट्रोल के बाहर था। मालिक द्वारा रेलवे की लापरवाही सिद्ध करने के बाद ही रेलवे जिम्मेदार होगी।

**धारा 96 :–**

यदि माल का परिवहन किसी विदेशी रेलवे और इण्ड़ियन रेलवे पर हुआ तो माल में हुए हानि, नाश, नुकसान तथा क्षय के लिए इण्ड़ियन रेलवे तब तक उत्तरदायी नहीं होगी जब तक कि पार्टी यह सिद्ध न कर दे कि क्षति भारतीय रेलवे की सीमा के अन्दर है।

**धारा 97 :–**

यदि माल OR पर बुक हुआ है, तो परिवहन के दौरान हुये हानि, नाश, क्षय, नुकसान तथा अपरिदान होने पर रेलवे तब तक जिम्मेदार नहीं होगी जब तक कि मालिक द्वारा ये न सिद्ध कर दिया जाये कि यह नुकसान रेलवे प्रशासन या रेलवे स्टाफ की गलती से हुआ है।

**धारा 98 :–**

रेलवे को कोई वस्तु सौंपते समय खराब हालत में हो या माल दोषपूर्ण तरीके से पैक हो और यदि इसका Remark F-Note पर ले लिया गया हो तो डिलीवरी के समय माल चाहें किसी भी हालत में हो रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी। वशर्ते यह खराबी रेल कर्मचारी की गलती से न हुई हो।

**धारा 99 :–**

Transit Time समाप्त हो जाने पर सात दिन तक रेलवे जमानती के रूप में उत्तरदायी होती है। परन्तु यदि माल OR पर बुक हो तो रेलवे Transit Time बीत जाने के बाद किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नही होगी बशर्ते यह नुकसान रेलवे प्रशासन या रेलवे स्टाफ की गलती से न हुआ हो। जानवर, नाशवान, खतरनाक व विस्फोटक व कीमती वस्तुओं के मामलें में Transit Time बीत जाने के बाद रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होगी।

**धारा 100 :–**

बिना बुक सामान में हुए हानि, नाश, नुकसान, क्षय तथा कमी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी। यदि यात्री के साथ लगेज बुक किया गया है और उसके लिए उचित रेलवे रसीद जारी कर दी गयी है तो हानि, नाश, नुकसान या क्षय के लिए रेलवे तभी जिम्मेदार होगी, जब मालिक द्वारा इस संबंध में रेल प्रशासन की लापरवाही सिद्ध कर दी जाय।

**धारा 101 :–**

रेल प्रशासन जानवरों के डर जाने या मालिक द्वारा अधिक संख्या में लोड कर दिये जाने से हुए नाश, चोट या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

**धारा 102 :–**

निम्नलिखित पाँच कारणों से नाश, नुकसान, छय तथा कमी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी।

1.पार्टी द्वारा किये गये फ्राड प्रैक्टिस
2.मिथ्या घोषणा
3.पार्टी द्वारा अनियमित लोडिग एवं अनलोडिग
4.संधातिक क्षति
5.उपद्रव, हडताल, तालाबन्दी के कारण नुकसान

**धारा 103 :–**

**रेलवे का धनीय दायित्व** (MONETARY LIABILITY OF RAILWAY)

रेलवे ने सामान्य वस्तुओं / जानवरों के मामले में जोखिम की कीमत निर्धारित की है। यदि मालिक इसकी तुलना में अधिक कीमत घोषित करता है तो उसे प्रतिशत प्रभार भी देना चाहिए। यदि मालिक माल की कीमत घोषित नहीं करता है तो उसकी (जोखिम की कीमत) जिम्मेदारी जोखिम की कीमत तक होगी। रेलवे प्रशासन ने कुछ वस्तुओं को इस प्रकार घोषित की है जिनको रेल द्वारा परिवहन के लिए तभी स्वीकार किया जायेगा जब मालिक उस वस्तु की कीमत घोषित करके प्रतिशत प्रभार दें। यदि प्रतिशत प्रभार अदा किया गया है तो घोषित कीमत तक हर्जाने का भुगतान किया जा सकता है। यदि प्रतिशत प्रभार का भुगतान नहीं किया गया है तो रेलवे द्वारा निर्धारित जोखिम कीमत से अधिक नहीं होगी।

**धारा 104 :–**

**खुले डिब्बे में माल का अभिवहन** (Goods Carried in Open Wagon)

ऐसी वस्तुएं जो सामान्यतः बन्द डिब्बों में बुक की जाती हैं यदि मालिक द्वारा फारवर्डिंग नोट पर लिखित रूप से खुले डिब्बों में बुक कराने के लिए प्रार्थना की जाये तो उस माल में हुए नाश, नुकसान तथा क्षय के लिए रेलवे 50 प्रतिशत से अधिक के लिये जिम्मेदार नहीं होगी।

**धारा 105 :–**

यदिं माल की बुकिंग रेलवे रिस्क पर बुक कराया जा रहा हो एवं माल की कीमत घोषित की गयी है तो रेलवे को ये अधिकार है कि वह माल को खुलवाकर देख लें। माल को खोलने व पुनः पैक करने की जिम्मेदारी मालिक की होगी।

**धारा 106 :–**

दावा के मामले में नोटिस की अवधि –

यह माल को बुक करने की तारीख से 6 माह तक होती है। इसके बाद दिये गये Claim पर ध्यान नहीं दिया जाता तथा यह नोटिस संबंधित रेलवे को ही दी जानी चाहिए।

**धारा 107 :–**

क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए प्रार्थना पत्र उसी रेलवे को दिया जायेगा जिसे धारा 106 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया है।

**धारा 108 :–**

यदि रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे रसीद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को परिवहन के दौरान होने वाली क्षतिपूर्ति के कारण हुये नुकसान की भरपायी की जाती हैं तो दावा अधिकरण के समक्ष उस व्यक्ति के वैधानिक उत्तरदायित्व के संबंध में प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

## आउटस्टैंडिंग (स्टेशन बकाया)

आउटस्टैंडिंग का अर्थ उस डेबिट से है जिसको स्टेशन मास्टर ने स्वीकार कर लिया है किन्तु उसका भुगतान कैश बाउचर या अन्य प्रचलित नियमों के अधीन नहीं किया गया है। या
जो डेबिट्स महीने के अन्त तक क्लीयर न किये जाये, आउटस्टैंडिंग कहलाते है। या
एक स्टेशन के एक महीनें के डेबिट्स तथा क्रेडिट्स का अन्तर ही आउटस्टैंडिंग है इसे क्लोजिंग बैलेंस भी कहते है।
अगले महीने के बैलेंस सीट में यही आपेनिंग बेलेन्स बन जाता है।
इस बकाये का संबंध सामान्यतः निम्नलिखित से होता है :–

1. अग्रदाय रोकड़
2. रोकड़िया द्वारा अस्वीकृतियां
3. स्वीकृत नाम खाते
4. नामखाते, जिनके संबंध में आपत्ति की गयी हो
5. सुपुर्दगी के लिये पड़े शुल्क–देय परेषणों का भाड़ा
6. उन शुल्क–देय परेषणों का भाड़ा जो प्राप्त न हुये हो परन्तु जिनके बीजक/विवरण लेखे में ले लिये गये हों
7. साइडिंग पर सौंपे गये शुल्क–देय परेषणों का भाड़ा जिसकी अदायगी साइडिंग उपयोगकर्ता ने नहीं की है।
8. दूसरे स्टेशनों को भेज दिये जाने के कारण अथवा गंतब्य से आगे फॉरेन रेलो पर चले जाने व उनके द्वारा वापस किये जाने के कारण जब सभी का निपटारा ओवरचार्ज शीट द्वारा होता हो, उन शुल्क–देय माल का भाड़ा ।
9. सुपुर्दगी पुस्तिका में न दिखाये गये व मशीन से तैयार किये गये सारांशों में से नकल किये गये शुल्क–देय माल का भाड़ा।
10. विलम्ब शुल्क या स्थान शुल्क, जिसकी छूट के लिये सक्षम अधिकारी की मंजूरी न मिली हो। और
11. अन्य विविध मदें, जिनमें बिना बिके क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, समय सारणियां, दर सूचियां आदि शामिल हैं।

## आउटस्टैंडिंग के प्रकार

आउटस्टैंडिंग तीन प्रकार की होती है–

अ. श्रेणी–A
ब. श्रेणी–B
स. विविध

### अ. श्रेणी–A :–

यह बकाया राशि एक प्रकार से रेलवे कर्मचारी के नाम मानी जाती है क्योंकि उसी की भूल–चूक, असावधानी अथवा लापरवाही के कारण होती है। यह निम्न प्रकार के होते है :–

### 1.कैश ऑफिश द्धारा निकाला गया डेबिट–

यह कम रोकण भेजने, खराब नोट अथवा जाली नोट भेजने के कारण होता है। ऐसे नोटो की पावती कैश आफिस द्वारा नही दी जाती है तथा यह स्टेशन को लौटा दिया जाता है। यदि संबंधित माह में ही उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो यह आउटस्टैंडिंग बन जाता है।

### 2.एकाउंटस ऑफिस द्वारा निकाला गया डेबिट–

इस प्रकार का डेबिट लेखा कार्यालय द्वारा सूचित किया जाता है। यह स्टेशन द्वारा भेजे गये रिटर्नो की विस्तार से जांच के बाद त्रुटि पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। यदि कर्मचारियों द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तो यह स्वीकृत डेबिट कहलाता है। यदि आपत्ति की जाती है तो ऑब्जेक्टेड डेबिट कहलाता है। लेखा कार्यालय द्वारा आपत्ति स्वीकार कर लेने पर क्रेडिट एडवायस जारी की जाती है। इसके आधार पर आउटस्टैंडिंग क्लीयर कर दिया जाता है।

**ब- श्रेणी–B :–**

**यह आउटस्टैंडिंग एक प्रकार से पार्टियो के नाम मानी जाती है क्योंकि प्रायः उन्हीं के कारण उत्पन्न होती है। इसके अर्न्तगत निम्नलिखित मामले/स्थितियां/कारण होते है–**

1. Demurrage & wharfage charges
2. Diversion related overcharges
3. Siding Charges (If any)
4. MPA (forced debits)
5. Debits of TA-2

**CLEARANCE OF 'B' CLASS OUTSTANDING**

1.Demurrage & Wharfage charges :–

**डैमरेज व व्हारफेज चार्ज को माफ करने संबंधी नये नियम 2004 से लागू किये गये है, जिसके अनुसार इन प्रभारों को माफ करने का प्रार्थना पत्र तभी स्वीकार किया जायेगा, जब पार्टी इस रकम को पहले जमा कराये और माल को हटाये । यदि सक्षम अधिकारी द्वारा कोई राशि माफ की जाती है तो पार्टी को माफ की गयी रकम वापस किया जायेगा। रिफण्ड के लिए रेमीशन–कम–पे आर्डर जारी किया जायेगा। यदि इस नियम के लागू होने के पहले से कोई बकाया हो तो पार्टी पहले उसे, या तो जमा कराये या माफ कराये। यदि माफ कराती है तो सी.एम–38 के आधार पर बैलेंस शीट में स्पेशल क्रेडिट लेकर आउटस्टैंडिंग क्लीयर की जायेगी। यदि कोई भी कार्यवाही नहीं होती है तो रेल प्रशासन द्वारा इस रकम को Write Off की जा सकती है। राइट आफ स्टेटमेंट के आधार पर बैलेंस शीट में स्पेशल क्रेडिट लेकर आउटस्टैंडिंग क्लीयर की जायेगी।**

2.Diversion related Overcharges :–

**यदि माल का डायवर्जन हो गया हो तो फारवर्डिंग स्टेशन या नये गंतव्य स्टेशन से ओवर चार्ज शीट प्रमाणित कराकर आउटस्टैंडिंग क्लीयर की जायेगी।**

3.Siding Charges (If any) :–

**साइडिंग चार्ज के संबंध मे पार्टी द्वारा नकद जमा कर आउटस्टैंडिंग क्लीयर की जाती है और अनावश्यक विलम्ब की स्थिति में मंडल कार्यालय (मंडल रेल प्रबंधक) को अवगत कराया जायेगा।**

4.MPA :–

**एम0 पी0ए0 से सम्बन्धित आउटस्टैंडिंग क्लीयर करने के लिए बुकिंग कार्यालय से सही इनवायस की कापी मंगवाकर आउटस्टैंडिग की सफाई की जा सकती है। इससे गंतव्य स्टेशन पर प्रमाणित हो जाता है।**

5.Debit of TA-2 :–

**इससे संबंधित आउटस्टैंडिंग के मामले में सभी एरर शीट को भली–भॉति चेक किया जाना चाहिए। यदि कोई एरर शीट मिसिंग पायी जाये तो उसे यातायात लेखा कार्यालय से मंगवाकर उसके आधार पर कार्यवाही करके डेबिट क्लियर की जा सकती है। यदि कोई प्रपत्र सही नहीं भेजा गया है तो सही प्रपत्र भेजा जाना चाहिए।**

6.**अन्यः–**

**अ.यदि परेषण खो गया हो, चोरी हो गया हो या नष्ट हो गया हो तो गंतब्य स्टेशन द्वारा ओवर चार्ज शीट बनाकर एंव सी0सी0एम0 कार्यालय द्वारा प्रमाणित कराकर आउटस्टैंडिंग क्लियर की जा सकती है।**

**ब. किसी परेषण के दावा के मामले में दावा कार्यालय द्वारा जारी क्रेडिट एडवाइस के आधार पर आउटस्टैंडिंग क्लियर की जा सकती है।**

**स.यदि आउटस्टैंडिंग एम0पी0ए0 की फोर्स्ड इन्ट्री के कारण है तो बुकिंग स्टेशन से सूचना मंगवाकर उसके आधार पर स्पेशल क्रेडिट लेकर आउटस्टैंडिग क्लियर की जा सकती है।**

विविध स्टेशन बकाया:–

यह आउटस्टैंडिंग रेल प्रशासन के नाम होती है।

अ.स्टैम्प्ड इण्डेमिनिटी नोट की बिक्री से संबंधित।

ब. बचे हुये इण्डेमिनिटी नोट वापस जमा करके स्पेशल क्रेडिट लेकर आउटस्टैंडिग की सफाई की जा सकती है।

## आउटस्टैंडिंग कम करने के उपाय :–

स्टेशन मास्टर को प्रयत्न करना चाहिए कि स्टेशन पर बकायों की संख्या कम से कम रहे। इस कार्य के लिए उसे व्यक्तिगत रूचि लेकर बकायों का शोधन हेतु उपाय करनी चाहिए एवं समय –समय पर उनकी समीक्षा करते रहना चाहिए। बकायों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए–

1. कैशियर की अस्वीकृतियॉ सहित, त्रुटि पत्र के मिलते ही तत्काल बैलेंस सीट एवं आउटस्टैंडिंग रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए।
2. यातायात लेखा कार्यालय से प्राप्त टी0 ए0–2 की प्रति से यह जॉच की जानी चाहिए कि उसमें दर्शाये गये सभी एरर सीट लेखे में ले लिए गए है।
3. एडमिटेड डेबिट को कर्मचारियों द्वारा तत्काल भुगतान करवाना चाहिए।
4. आब्जेक्टेड डेबिट के मामले में यातायात कार्यालय या बकाया शाखा के साथ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को पत्र व्यवहार करना चाहिए।
5. जहॉ आवश्यक हो टी0आई0ए0 द्वारा स्टेशन पर ही क्रेडिट एडवाइस जारी करानी चाहिए।
6. आब्जेक्टेड डेबिट बाद मे सही पाये जाने पर उन्हें एडमिटेड डेबिट खातों की सूची में स्थानान्तरित करना चाहिए।
7. साइडिंग उपयोगकर्ताओं से करार की शर्तों के अनुसार साइडिंग चार्जेज नियमित रुप से वसूल किया जाना चाहिए।
8. साइडिंग चार्जेज स्थानीय तौर पर यदि नियमित रुप से जमा नहीं कराये जा रहे हो तो इसकी सूचना मंडल वाणिज्य प्रबंधक को दी जानी चाहिए।
9. मुख्यालय या दूसरे स्टेशनों से सत्यापित प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करने चाहिए।
10. मशीन से तैयार किये गये सारांशो के आधार पर भाड़े के संबंध मे अग्रेषक स्टेशनों से जवाब प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिए।
11. दूसरे स्टेशनों को स्थानान्तरित कर्मचारियों से डेबिट खातों की मंजूरी मिलने में यदि देरी लगे तो इसकी विशेष रिपोर्ट मंडल कार्यालय को भेजनी चाहिए।
12. दर सूचियों और दर पुस्तिकाओं को अपडेट रखना चाहिए और दर और किराये में संशोधन से संबंधित सूचनाओं एंव अन्य प्रपत्रों का अध्ययन करके तद्नुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
13. सभी इनवाइसों की निरंतर जॉच करते रहना चाहिए यदि उनमें कोई अंडरचार्ज हो तो उसे तुरंत लेखे मे लेना चाहिए।
14. किसी बीजक को लेखे मे लेने से पूर्व आवक सूचक रजिस्टर या डिलीवरी रजिस्टर से यह सूचित करना चाहिए कि उसे लेखे में पहले से तो नहीं लिया गया है।
15. रेलवे द्वारा अन्य विभागों तथा सरकारी विभागों से प्राप्त भाड़े की वसूली से संबंधित जमा पत्र या चेक लेने के विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।
16. परेषण की शीघ्र डिलीवरी के प्रयास किये जाने चाहिए।
17. क्रेडिट एडवाइस प्राप्त होते ही उसे स्पेशल क्रेडिट में अवश्य लिया जाना चाहिए।
18. डेबिटों को अनावश्यक आपत्तिजनक नहीं करना चाहिए।
19. सुपरवाइजरों को लगातार बकाया राशियों पर निगरानी रखनी चाहिए।
20. बीस रूपये तक की बकाया राशि का भुगतान तुरन्त करना चाहिए।
21. बीस रूपये से अधिक बकाया राशि का नकद या कर्मचारी की तनख्वाह से यथाशीघ्र वसूली करनी चाहिए।
22. आउटस्टैंडिंग को क्लीयर करने के लिए समय–समय पर जारी किये गये नियमों/आदेशों का पालन करना चाहिए।

## गुड्स बैलेंस शीट (S.N.-56)

स्टेशन/मालगोदाम में विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली आय का ब्यौरा रखने के लिए महीने के अन्त में बैलेन्स शीट निर्धारित फार्म संख्या एस.एन.56 पर दो प्रतियों में तैयार की जाती है जिसकी एक प्रति यातायात लेखा कार्यालय को भेजी जाती है तथा दूसरी प्रति रिकार्ड में रहती है। बैलेंस शीट के दो भाग होते हैं।

1.डेबिट साइड 2.क्रेडिट साइड

डेबिट साइड एवं क्रेडिट साइड के सारांश को तुलनपत्र कहा जाता है–

### 1.डेबिट साइड–

डेबिट साइड के मुख्यतः तीन भाग होते हैः–

अ. ओपेनिंग बैलेन्स ब. करेन्ट डेबिट्स स.स्पेशल डेबिट

### अ.ओपेनिंग बैलेन्स–

यह पिछले महीने की बकाया राशि होती है जो अगले महीने के बैलेन्स सीट मे ओपेनिंग बैलेन्स के रुप मे दर्शायी जाती है जो आउटस्टैंडिंग के ही भाग होते है।

### ब.करेन्ट डेबिट्स–

जिस महीने का बैलेंस सीट तैयार की जा रही है उस महीने के सभी साधनों से प्राप्त होने वाले आमदनी को करेन्ट डेबिट में दर्शाया जाता है।

### स.स्पेशल डेबिट–

बैलेन्स सीट से दिखायी जाने वाली वे डेबिट्स जिनके रिटर्नस नियमित रुप से तैयार किये जाते है, करेन्ट डेबिट कहलाते है। कुछ डेबिट ऐसे होते है जो स्टेशनो पर अचानक पैदा हो जाते है, उनको जमा करने की जिम्मेदारी स्टेशन की होती है। इन्हें स्पेशल डेबिट्स कहते है। स्पेशल डेबिट के रिटर्नस नहीं बनाये जाते। मुख्य–मुख्य स्पेशल डेबिट इस प्रकार के होते है–

1.यातायात लेखा कार्यालय से प्राप्त एरर सीट
2.यातायात लेखा कार्यालय से प्राप्त टी0ए0–2
3.कैश ऑफिस की अस्वीकृतियॉ
4.स्टेम्ड इंडेमिनिटी नोट की धनराशियॉ
5.स्टेशन की ओर से जमा की गयी अन्य धनराशियॉ
6.अतिरिक्त वसूली
7.अंडरचार्ज की वसूली

**2.क्रेडिट साइड**–रेलवे की आय जो रेलवे के खजाने मे जमा करायी जाती है उसे तुलनपत्र के दायी तरफ क्रेडिट के रुप में दर्शायी जाती है। क्रेडिट साइड के मुख्यतः तीन भाग होते है–

### 1.करेण्ट माह में तारीखवार जमा कराये गये कैश एंव वाउचर्स का विवरण

### 2.स्पेशल क्रेडिट–

डेबिट की सफाई अधिकांशतः कैश या बाउचर के जरिये की जाती है। किन्तु कभी–कभी डेबिट की सफाई के लिए पेपर अथॉरिटी की भी आवश्यकता होती है। अर्थात वे डेबिट जिनकी सफाई पेपर अथॉरिटी के आधार पर की जाती है स्पेशल क्रेडिट कहलाते है। बैलेन्स शीट के पीछे की तरफ इनका रिमार्क भी दे दिया जाता है तथा इनकी एक प्रति बैलेन्स शीट के साथ नत्थी करके यातायात लेखा कार्यालय को भेजा जाता है। निम्नलिखित पेपर अथॉरिटी के आधार पर स्पेशल क्रेडिट लिए जाते है–

अ. रिकवरी स्टेटमेंट–

जब कर्मचारी के प्रार्थना पर उसके वेतन से डेबिट की कटौती की जाती है तब स्टेशन पर उसका विवरण पांच प्रतियों में तैयार किया जाता है। उसकी एक प्रति स्टेशन पर रिकार्ड में रखी जाती है। चार प्रतियां Sr. DPO को भेजी जाती है। Sr. DPO द्वारा 3 प्रतियां Sr. DFM को भेजी जाती है। Sr. DFM द्वारा **2** प्रतियां Sr. DCM को भेजी जाती है। Sr. DCM द्वारा 1 प्रति स्टेशन को भेजी जाती है। जिसके आधार पर स्पेशल क्रेडिट लिया जाता है।

ब. आब्जेक्टेड डेबिट–

एरर सीट पर भेजे गये धन राशि के विरुद्ध जब आपत्ति की जाती है उस धनराशि की सफाई के लिए लेखा कार्यालय द्वारा क्रेडिट एडवाइस जारी की जाती है, उसके आधार पर स्पेशल क्रेडिट लिया जाता है।

स. डायवर्जन के मामले में–

प्रमाणित ओवर चार्ज शीट के आधार पर स्पेशल क्रेडिट लिया जाता है।

द. रि–बुकिंग के मामले में–

पेड ऑन चार्जेज के आधार पर स्पेशल क्रेडिट लिया जाता है।

य. डैमरेज या व्हारफेज चार्ज के मामले में–

सी0एम0–38 के आधार पर स्पेशल क्रेडिट लिया जाता है।

र. ओवर चार्ज के मामले में–

एस0एन0–40 के आधार स्पेशल क्रेडिट लिया जाता है।

3. क्लोजिंग बैलेंस–

वे डेबिट जो महीने के अन्त तक क्लीयर नहीं हो पाते है और शेष रह जाते है। क्लोजिंग बैलेंस कहलाते है। क्लोजिंग बैलेंस ही अगले माह के लिए ओपेनिंग बैलेन्स कहलाता है एंव यही धनराशि आउटस्टैडिंग कहलाती है। यदि डेबिट साइड का योग अधिक हो और क्रेडिट साइड का योग कम हो तो दोंनो तरफ के अन्तर को क्लोजिंग बैलेंस में जोडकर बैलेन्स सीट पूरी कर ली जाती है।

**बैलेन्स शीट तैयार करते समय अपनायी जाने वाली सावधानियॉं–**

1. गुड्स बैलेन्स सीट निर्धारित फार्म संख्या एस0एन0–56 पर ही तैयार की जानी चाहिए।
2. करेन्ट डेबिट के अर्न्तगत दर्शायी गयी सभी मदों एंव धनराशियों के रिटर्न, तुलन पत्र के साथ भेजे जाने चाहिये।
3. स्पेशल क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण तुलनपत्र के पीछे अवश्य लिखा जाना चाहिए।
4. ओपेनिंग बैलेंस एंव क्लोजिंग बैलेंस सही–सही निर्धारित कालमों में दिखाये जाने चाहिए।
5. बैलेंस शीट स्पष्ट एंव साफ–साफ तैयार की जानी चाहिए। ताकि यातायात लेखा कार्यालय को विवरण पढ़ने में असुविधा ना हो।
6. स्टेशन बकाये का संक्षिप्त विवरण बैलेंस शीट के पीछे दिया जाना चाहिये।
7. बैलैंस शीट पर स्टेशन की मोहर एंव स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए।

## ओवरचार्ज शीट (OVERCHARGE SHEET)

यह एक दस्तावेज है जो डेविट को क्लीयर करने के लिए बनाया जाता है। इसको हमेशा वह स्टेशन बनाता है जहॉ पर डेबिट होता है। इसे दूसरे स्टेशन से या Sr. DCM या CCM (दावा कार्यालय) से प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित ओवर चार्ज शीट के आधार पर ही बैलेन्स शीट में स्पेशल क्रेडिट लिया जाता है। इसे बैलेन्स शीट के साथ लेखा कार्यालय भेजा जाता है एवं यह निम्नलिखित मामलों में बनायी जाती है

1. जब टू पे के स्थान पर पेड की आर0आर0 जारी हो जाए।
2. जब पेड की जगह टू पे की आर0आर0 जारी हो जाए।
3. जब इनवायस गलत स्टेशन के लिए जारी हो जाए।
4. जब इनवायस जारी हो जाने के बाद माल वापस हो जाए।
5. जब माल का डाइवर्जन हो जाए।

## रेमीशन स्टेटमेंट कम पे–आर्डर (Remission Statement-cum Pay Order)

यह एक फार्म है जो तीन प्रतियों में बनाया जाता है। जब कोई सक्षम अधिकारी किसी डैमरेज या व्हारफेज को माफ करता है तो उसका विवरण इस फार्म में लिख दिया जाता है। डैमरेज या व्हारफेज चार्ज पार्टी के विरुद्ध कितना था, कितना सक्षम अधिकारी ने माफ किया और कितना वसूल किया जाना बाकी है, यह विवरण लिखा जाता है। तीन प्रतियों में से एक प्रति सक्षम अधिकारी के कार्यालय में रिकार्ड के रुप में तथा दो प्रति संबंधित स्टेशन को भेज दी जाती है। इसी के आधार पर संबंधित स्टेशन डैमरेज या व्हारफेज वसूल करता है और माफ किए गये पैसों के सर्मथन में सी0एम0–38 की एक प्रति बैलेंस सीट के साथ लेखा कार्यालय भेज दी जाती है तथा दूसरी प्रति स्टेशन रिकार्ड में रहती है।

## त्रुटि पत्र (Error Sheet)

स्टेशनों द्वारा भेजे गए रिटर्नो को चेक करने के बाद, रिटर्नों में जो कमी पायी जाती है या स्टेशनों द्वारा रेलवे की आय कम वसूली जाती है। इस कमी को यातायात लेखा कार्यालय द्वारा त्रुटि पत्र के रुप में लिखकर स्टेशन को सूचित किया जाता है।

त्रुटि पत्र चार प्रतियों में तैयार की जाती है। एक प्रति रिकार्ड में रखी जाती है। शेष तीन प्रतियॉ Sr.D.C.M. के कार्यालय को भेज दी जाती है। Sr.D.C.M कार्यालय द्वारा एक प्रति रिकार्ड में रखकर शेष दो प्रतियॉ संबंधित स्टेशन को भेजी जाती है। स्टेशन को त्रुटि पत्र प्राप्त होते ही, उसे आउटस्टैंडिंग रजिस्टर एवं बैलेंस शीट में स्पेशल डेबिट के रूप में प्रविष्टि कर लेनी चाहिए। तद्नुसार अपने रिकार्ड को चेक करना चाहिए। त्रुटि पत्र प्राप्ति के रुप में एक प्रति Sr.D.C.M. कार्यालय को वापस भेज दी जाती है तथा एक प्रति स्टेशन पर रहती है। यदि एरर शीट में दर्शायी गयी रकम स्वीकृत हो तो उसे संबंधित कर्मचारी द्वारा जमा करनी चाहिए। यदि इस डेबिट के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति की जाती है, तो उसे आपत्तिजनक डेबिट "Objected Debit" माना जाता है तथा ऐसे डेबिट के संबंध में लिखित में आपत्तियों का ब्यौरा दर्शाते हुए, यातायात लेखा कार्यालय को भेजा जाता है। यदि यातायात लेखा कार्यालय स्टेशन द्वारा भेजे गए जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो वह क्रेडिट एडवाइस जारी करता है और उसे स्टेशन भिजवा देता है। क्रेडिट एडवाइस के आधार पर स्टेशन बैलेंस शीट मे यह रकम स्पेशल क्रेडिट के रुप मे लेकर डेबिट की सफाई कर ली जाती है। यदि डेबिट की रकम रूपये 20/–तक हो तो कर्मचारी द्वारा तुरन्त नकद जमा करायी जानी चाहिए/अथवा कर्मचारी के वेतन से किश्तों मे वसूली की जानी चाहिए।

## सी0आर0नोट (CR NOTE)

इसका पूरा नाम Cash Remitance Note है। किसी भी तारीख की स्टेशन आय को उसकी अगली तारीख में कैश आफिस भेजा जाता है। भेजी जाने वाली राशि के विवरण अलग–अलग कोचिंग और गुड्स के लिए निर्धारित कॉलम में लिखे जाते है एवं उनका योग भी लिखा जाता है। इसमें स्टेशन के नाम और Cash Bag No. को लिखा जाता है।

## आन्तरिक जॉच का निर्देश / टी0ए0–2 (Audit Schedule)

स्टेशन की बैलेंस सीट की प्राप्ति के बाद यातायात लेखा कार्यालय, कोचिंग तथा माल यातायात के लिए अलग–अलग टी0ए0–2 तैयार करेगा। संबंधित स्टेशन को एक प्रति भेजी जायेगी। टी0ए0–2 में, स्टेशन के बैलेंस शीट एंव लेखा कार्यालय द्वारा स्टेशन की रिटर्न की जॉच के बाद तैयार की गई बैलेंस शीट का अंतर दर्शाया जाता है। अन्तर न होने पर NIL एमाउंट का टी0ए0–2 स्टेशन को भेजा जाता है। NIL टी0ए0–2 का आशय है स्टेशन द्वारा तैयार की गयी बैलेंस शीट सही है। यदि टी0ए0–2 में कोई राशि दर्शायी गयी हो तो संबंधित राशि को चालू माह के करेन्ट बैलेंस शीट में स्पेशल डेबिट में लिया जायेगा एवं यातायात लेखा कार्यालय से संबंधित राशि के लिए त्रुटि पत्र मंगवा कर नियमानुसार कार्यवाही करके इस राशि को क्लीयर करना चाहिए।

## रिफण्ड लिस्ट (S.N. 40)

ओवर चार्ज की वापिसी की समय रिफण्ड लिस्ट दो कापियों में तैयार की जाती है। इसे ओवर चार्ज रिटर्न भी कहते हैं। इसकी एक कापी रिकार्ड में रखी जाती है तथा एक कापी यातायात लेखा कार्यालय को बैलेन्स शीट के साथ भेजी जाती है। इस पार्टी के हस्ताक्षर भी लिये जाते हें। रिफण्ड लिस्ट के आधार पर वापस की गयी रकम के लिये बैलेन्स शीट में स्पेशल क्रेंडिट ले ली जाती है। लोकल तथा फारेन रेलवे के लिए रिफण्ड लिस्ट अलग–अलग तैयार की जाती है।

इस पर पूर्व में भुगतान किये गये भाड़े का पूरा विवरण लिखा जाता है। इसके अलावा गन्तव्य स्टेशन पर दुवारा गणना किये गये भाड़े का पूरा विवरण भी लिखा जाता है। ओवर चार्ज की रकम स्पष्ट रूप से दर्शायी जाती है। स्टेशन पर रिफण्ड लिस्ट उन्ही मामलों में तैयार की जाती है, जिन मामलों में स्टेशन मास्टर ओवर चार्ज की वापिसी करने के लिए सक्षम हैं।

# ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट (Transportation Product)

## 1. ब्लाक रेक :–

रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित एक माल डिब्बे के गठन सहित एकल प्वाइंट ब्लाक रेक नीचे दी गयी शर्तो के अनुसार ट्रेन लोड क्लास रेट पर प्रभारित किये जायेंगे –

1. प्रारंभिक और गंतब्य दोनों टर्मिनलों को या तो पूर्ण रेक टर्मिनल अथवा आधा रेक टर्मिनल के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।
2. निर्धारित मानक साइज के रेक (ब्लाक रेक) की मांग की गयी हो।
3. इन रेको का भाड़ा ट्रेन लोड क्लास रेट पर प्रभारित होगा बशर्ते रेक का पे लोड कम से कम 1400 टन होना चाहिये।
4. रेलवे द्वारा आपूर्ति किये गये फिट माल डिब्बों की संख्या मांग की गयी डिब्बों की संख्या के बराबर या अधिक हो, ब्लाक रेक हेतु न्यूनतम मांग के डिब्बों का लदान होना चाहिये।
5. यदि परिचालन या अन्य कारणों से रेलवे पर्याप्त संख्या में डिब्बों की आपूर्ति नहीं करती तो भी ट्रेन लोड क्लास रेट का लाभ दिया जायेगा। स्टेशन अधीक्षक/यार्ड मास्टर द्वारा कम आपूर्ति के कारणों का विवरण दर्ज करेंगे।
6. कम आपूर्ति किये गये माल डिब्बों का सर्टिफिकेशन राजपत्रित अधिकारी द्वाराकिया जायेगा।
7. ऐसे मामले जहॉ ग्रेडिएंट या अन्य परिचालनिक कारणों से रेक विखण्डित किये जा सकते है परन्तु प्रारंभिक स्थल पर ट्रेन लोड की शर्तों को पूरा करते है, ट्रेन लोड क्लास रेट का लाभ दिया जायेगा।
8. एक ही स्टेशन से जुड़े कई साइडिंग हो और उनसे माल डिब्बों में लोडिंग के बाद एकल गंतब्य स्टेशन/ साइडिंग के लिये ब्लाक रेक बनते हों तो ट्रेन लोड क्लास रेट का लाभ दिया जायेगा।
9. ट्रेन लोड एक स्थान से प्रारम्भ होने वाली तथा दो स्थलों को जाने वाली ब्लाक रेक को ट्रेन लोड क्लास रेट का लाभ दिया जायेगा।
10. एक प्रारंभिक स्टेशन या साइडिंग से कई गंतब्य स्टेशनों के लिये विखण्डित होने वाले ब्लाक रेक पर ट्रेन लोड क्लास रेट का लाभ दिया जायेगा।
11. ब्लाक रेकों की आपूर्ति हेतु माल डिब्बों को BCX/BCN ग्रूप के लिये मांग पत्रों को अंतरपरिवर्तनीय रूप में माना जायेगा।
12. सप्लाई किये गये स्टाक के किस्म के अनुसार गाड़ी भार शर्तें लागू होगी।
13. यह उत्पाद सभी प्रकार के माल डिब्बों और सभी प्रणालियों (BG & MG) पर अनुपालित होगी।
14. ग्राहकों को अन्य सभी अनुमेय अधिभार जैसे व्यस्ततम अवधि प्रभार, टर्मिनल चार्ज, कंजेशन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज आदि का भुगतान करना होगा।

## 2. मिनी रेक :–

निम्नलिखित शर्तों के अधीन मिनी रेक ट्रेन लोड क्लास रेट पर बुक किया जा सकता है :–

1. मिनी रेक का कम्पोजीशन कम से कम 20 वैगनों का होगा।
2. मिनी रेक किसी भी अधिसूचित आधा या पूरा रेक टर्मिनल से किसी भी अधिसूचित आधा या पूरा रेक टर्मिनल के लिए लोड किया जा सकता है।
3. मिनी रेक के लोडिंग या अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम 5 घंटे दिया जायेगा।
4. मिनी रेक केवल 400 किमी0 दूरी तक के लिए बुक किया जा सकता है।
5. मिनी रेक की बुकिंग केवल कवर्ड वैगनों में ही परमिटेड है।
6. मिनी रेक के रूप में कोयला, अयस्क एवं Raw Material For Steel Plant (RMSP) नहीं लोड किया जा सकता।
7. अक्टूबर से जून तक मिनी रेक की बुकिंग पर 5 प्रतिशत मूल भाड़े की दर पर अनुपूरक प्रभार लिया जायेगा।

## टू प्वाइंट रेक (Two Point Rake)

निम्नलिखित शर्तों के अधीन टू प्वाइंट रेक ट्रेन लोड क्लास रेट पर बुक किया जा सकता है :–

### 3- एक बुकिंग प्वाइंट से दो नामित स्टेशनों के लिए (कवर्ड वैगनों में)

1. दोनों स्टेशन टू प्वाइंट रेक के रूप में नामित होने चाहिए।
2. बुकिंग प्वाइंट पर ट्रेन लोड की शर्तो का पालन किया गया हो।
3. टू प्वाइंट रेक की बुकिंग केवल कवर्ड वैगनों में ही परमिटेड है।
4. प्रारंभिक टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए।
5. दोनों गंतब्य टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होने चाहिए।
6. एक गन्तब्य स्टेशन के लिए कम से कम 10 वैगन अवश्य लोड किये जाय।
7. दोनों टर्मिनलों पर मांग किये गये एवं लोड किये गये वैगनों का कम्पोजीशन ब्लाक रेक की शर्तों को पूरा करते हो जैसा कि विभिन्न प्रकार के वैगनों के लिए ब्लाक रेक कम्पोजीशन रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है।
8. टू प्वाइंट रेक पर अनुपूरक प्रभार 5 प्रतिशत की दर से मूल भाड़े की दर पर अक्टूबर से जून तक लगेगा।
9. बन्द डिब्बों के अलावा अन्य डिब्बों में टू प्वाइंट रेक के रूप में ( स्टील ट्रैफिक उन्हीं स्टेशनों को बुक किया जायेगा जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है।
10. फ्री टाईम सामान्य नियमों के अनुसार देय होगा।

### 4- दो नामित स्टेशनों से एक बुकिंग स्टेशन के लिए (कवर्ड वैगनों में)

1. दोनों स्टेशन टू प्वाइंट रेक के रूप में क्षेत्रीय रेलवे द्वारा नामित होने चाहिए।
2. प्रत्येक प्रारंभिक टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए।
3. यदि दोनों टर्मिनल विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के अन्तर्गत आते हो तो संबंधित क्षेत्रीय रेलवे से लिखित स्वीकृति अवश्य ली जानी चाहिए।
4. मध्य के जंक्शन स्टेशन पर ट्रेन लोड की शर्तो का पालन होना चाहिए।
5. इस यातायात की बुकिंग केवल कवर्ड वैगनों में ही परमिटेड है।
6. गंतब्य टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए।
7. प्रत्येक गंतब्य स्टेशन के लिए कम से कम 10 वैगन अवश्य लोड किये जाने चाहिए।
8. उपरोक्त टर्मिनल पर मांग किये गये एवं लोड किये गये वैगनों का कम्पोजीशन ब्लाक रेक की शर्तों को पूरा करते हो जैसा कि विभिन्न प्रकार के वैगनों के लिए ब्लाक रेक कम्पोजीशन रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है।
9. पार्टी एक प्वाइंट पर वैगनों की मांग निरस्त नहीं करा सकती यदि उसने दूसरे प्वाइंट पर लोडिंग शुरू कर दी है। यदि पार्टी ऐसा करती है तो पूरा भाड़ा एक भाग के यातायात के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।
10. टू प्वाइंट रेक पर अनुपूरक प्रभार 5 प्रतिशत की दर से मूल भाड़े की दर पर अक्टूबर से जून तक लगेगा।
11. फ्री टाईम सामान्य नियमों के अनुसार देय होगा।

नोट :– टू प्वाइंट रेक (Two Point Rake) का भाड़ा ज्ञात करने के लिए मूल बुकिंग स्टेशन से दोनों गन्तव्य स्टेशनों की दूरी अलग–अलग निकालकर दोनों भागो के लिए ट्रेन लोड का लाभ देते हुए सामान्य रूप से वैगनों की संख्या के अनुसार भाड़ा की गणना की जायेगी।

### 5. मल्टी प्वाइंट रेक (कवर्ड वैगनों में)

निम्नलिखित शर्तों के अधीन मल्टी प्वाइंट रेक ट्रेन लोड क्लास रेट पर बुक किया जा सकता है :–

1. यह यातायात केवल कवर्ड वैगनों में ही बुक किया जा सकता है।

2. प्रारंभिक टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए।
3. प्रत्येक गंतब्य टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए।
4. प्रत्येक गंतब्य स्टेशन के लिए कम से कम 10 वैगन अवश्य लोड किये जाने चाहिए।
5. उपरोक्त टर्मिनल पर मांग किये गये एवं लोड किये गये वैगनों का कम्पोजीशन ब्लाक रेक की शर्तों को पूरा करते हो जैसा कि विभिन्न प्रकार के वैगनों के लिए ब्लाक रेक कम्पोजीशन रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है।
6. मल्टी प्वाइंट रेक पर अनुपूरक प्रभार 20 प्रतिशत की दर से मूल भाड़े की दर पर अक्टूबर से जून तक लगेगा।
7. फ्री टाईम सामान्य नियमों के अनुसार देय होगा।

## 6. टू एवं मल्टी प्वाइंट रेक (कवर्ड वैगनों के अलावा)

निम्नलिखित शर्तों के अधीन, टू एवं मल्टी प्वाइंट रेक, कवर्ड वैगनों के अलावा अन्य वैगनों में, ट्रेन लोड क्लास रेट पर बुक किया जा सकता है :–

1. प्रारंभिक टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए।
2. प्रत्येक गंतब्य टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए।
3. टू एवं मल्टी प्वाइंट रेक कवर्ड वैगनों के अलावा अन्य वैगनों में लोडिंग के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किये गये है।
4. प्रत्येक गंतब्य स्टेशन के लिए कम से कम 10 वैगन अवश्य लोड किये जाने चाहिए।
5. उपरोक्त टर्मिनल पर मांग किये गये एवं लोड किये गये वैगनों का कम्पोजीशन ब्लाक रेक की शर्तों को पूरा करते हो जैसा कि विभिन्न प्रकार के वैगनों के लिए ब्लाक रेक कम्पोजीशन रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है।
6. टू प्वाइंट रेक पर अनुपूरक प्रभार 5 प्रतिशत की दर से तथा मल्टी प्वाइंट रेक पर 20 प्रतिशत की दर से मूल भाड़े की दर पर अक्टूबर से जून तक लगेगा।
7. फ्री टाईम सामान्य नियमों के अनुसार देय होगा।

# रेलवे में भुगतान के तरीके

किराये व भाड़े के भुगतान के लिए रेलवे ने विभिन्न तरीके निर्धारित किये है जो निम्न प्रकार है–

1. कैश
2. कैश बाउचर्स
   - अ.मिलिट्री वारण्ट्स
   - ब.जेल मांग पत्र
   - स.पुलिस वारण्ट्स
   - द.उच्च अधिकारी मॉग पत्र
   - य.मिलिट्री क्रेडिट नोट्स
   - र.सिविल क्रेडिट नोट्स
   - ल.रेलवे क्रेडिट नोट्स
   - व.चैक–कम–क्रेडिट नोट्स
   - म.पोस्टल क्रेडिट नोट्स
   - च.बैंक ड्राफ्ट
   - छ.बैंक चेक्स
3. स्पेशल व्यवस्था
   - अ.फ्रेट डिपॉजिट एकाउण्ट सिस्टम
   - ब.सिक्योरिटी डिपॉजिट एकाउण्ट सिस्टम
   - स. समाचार पत्र एंव पत्रिकाओं के लिए मन्थली एकाउंट सिस्टम
   - द.वेट ओनली सिस्टम
4. ई–पेमेंट

## क्रेडिट नोट कम चैक (Credit Notes cum Cheque)

1. Credit Notes cum Cheque की सुविधा बडी–बडी फर्मों के सी०सी०एम० की अनुमति से दी जाती है।
2. जिन फर्मों द्वारा महीने में रेलवे द्वारा निर्धारित भाड़े का भुगतान किया जाता है उन्हें इसकी सुविधा प्रदान की जाती है।
3. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए (Securities) सिक्युरिटी राशि के रुप में पार्टी को निम्न व्यवस्थाओं के अर्न्तगत 7 दिनों का भाडा जमा करना होता है–

(a) NSC or
(b) Saving Bank Deposit or
(c) Bank Guarantee or
(d) Cash Deposited at station (No interest is being made) or
(e) Govt Securities at 5% below the market values.

4. Credit Notes cum Cheque के form पार्टी को बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध किये जाते है।
5. इस फार्म का उपर वाला भाग क्रेडिट नोट का काम करता है और निचला भाग चैक के रुप में प्रयोग किया जाता है।
6. पार्टी द्वारा वह चैक FA&CAO के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए जारी किए जाते है।
7. कैश आफिस द्वारा चैक वाला भाग बैंक में जमा कर दिया जाता है और क्रेडिट नोट वाला भाग यातायात लेखा कार्यालय भेज दिया जाता है।

## फ्रेट डिपॉजिट एकाउण्ट सिस्टम (Freight Deposit Account System)

1. जो पार्टियां प्रतिमाह औसतन दो हजार रुपये या इससे अधिक भाड़े का भुगतान करती है। उन्हें Freight Deposit Account System की सुविधा दी जाती हैं

2. यह सुविधा सी0सी0एम0 की अनुमति से दी जाती है।
3. इसकी सुविधा प्राप्त करने के लिए पार्टी को स्टेशन पर एक महीनें का भाड़ा अग्रिम जमा करना होता है।
4. इस व्यवस्था के अर्न्तगत स्टेशन पर पार्टी को एक लेजर खोल दिया जाता है। जमा की गई राशि को क्रेडिट साइड में और चार्ज किए गए भाड़े को डेबिट साइड में दिखाया जाता है।
5. यह बात ध्यान में रखी जाती है कि किसी भी दशा में पार्टी के एकाउन्ट पर भाड़ा जमा की गई राशि से अधिक न हो सके।
6. महीने के अन्त में तीन प्रतियों में एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। जिसकी एक प्रति पार्टी को दी जाती है, एक बैलेंस सीट के साथ TAO भेजी जाती है तथा एक स्टेशन के रिकार्ड में रखी जाती है।
7. स्टेशन के बैलेंस शीट में, जमा की गई राशि को स्पेशल डेबिट के रुप में और चार्ज किए गए भाड़े को स्पेशल क्रेडिट के रुप में दर्शाया जायेगा।
8. यदि पार्टी 6 महीने तक कोई लेन–देन न करे तो ऐसी दशा में उसका एकाउण्ट बंद कर दिया जायेगा।
9. यदि पार्टी की कोई राशि रेलवे के पास शेष रह जाती है तो उसकी वापसी सी0सी0एम0 द्वारा की जायेगी।

## सिक्योरिटी डिपॉजिट एकाउण्ट सिस्टम (Security Deposit Account System)

1. यह सुविधा उन पार्टियो को दी जाती है जो प्रतिमाह भाड़े के रुप में औसतन 25,000 रु0 या इससे अधिक का भुगतान रेलवे को करते है।
2. इसकी अनुमति सी0सी0एम0 द्वारा दी जाती है।
3. इस सुविधा के लिए पार्टी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक महीने का भाड़ा अग्रिम रुप में FA & CAO के नाम जमा कराना होता है।
4. भाड़ा साप्ताहिक बिल द्वारा चार्ज किया जाता है जो पार्टी को तुरंत जमा कराना होता है। यदि पार्टी भाड़ा जमा कराने में विलम्ब करती है तो भाड़े को जमा होने तक यह सुविधा रोक ली जाती है।
5. यदि आवश्यक हो तो भाड़े का भुगतान Security Deposit से भी लिया जा सकता है।
6. जिन पार्टियो को इसकी सुविधा मिली होती है उन्हें आउटवर्ड ट्रैफिक के मामले में उनके फारवर्डिग नोट पर और इनवर्ड टू पे ट्रैफिक के मामले मे रेलवे रसीद पर निम्नलिखित रिमार्क दिया जाता है– "इसका संबंध Security Deposit Accout System से है।"

## समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के लिये मंथली एकाउण्ट सिस्टम

## (Monthly A/C System for Newspapers & Magazine)

1. Newspapers & Magazine की ऐसी फर्मे जिनका पार्सल के रुप में नियमित बुकिंग व परिवहन होता है उन्हें इसकी सुविधा प्रदान की जाती है।
2. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए फर्म को 2 महीने के औसत भाड़े के बराबर रकम निम्न में से किसी एक के रुप में जमा कराना आवश्यक होता है–

| | |
|---|---|
| 1.Cash Deposited at station | or |
| 2.NSC | or |
| 3.Post Office/Saving Bank Account | or |
| 4.Bank Guarantee | or |
| 5.Govt. Securities at 5% below the market value. | |

3. यदि बाद में भाड़े की राशि अधिक हो जाये तो सिक्योरिटी राशि संशोधित की जायेगी।
4. इनकी बुकिंग के लिए प्रत्येक गाड़ी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जारी की जाती है।
5. पार्सल की गाडी के शिड्यूल्ड डिपार्चर से कम से कम आधे घंटे पहले प्रस्तुत कर देना चाहिए।
6. फर्म द्वारा चार प्रतियों में डिस्ट्रीव्यूशन लिस्ट तैयार किया जाता है जो गाडी के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 4 घंटे पहले स्टेशन स्टाफ को सौप देना चाहिए।
7. पार्सल की रवानगी के बाद दिन में एक बार डिस्ट्रीव्यूशन लिस्ट की मूल प्रति पर Shortage या Excess का रिमार्क लिखकर फर्म के प्रतिनिधि को वापस कर दिया जाता है।

8. एक प्रति गार्ड को दे दी जाती है।
9. गार्ड को दी जाने वाली प्रति के अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पर Too Late To Check रिमार्क लिखकर वापस कर दिया जाएगा।
10. यदि पार्सल की प्राप्ति आधे घंटे से कम पहले होती है तो ऐसी दशा में डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पर Too Late To Check रिमार्क लिखकर वापस कर दिया जायेगा।
11. Test Weighment चेक ,फर्म में प्रत्येक तिमाही के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर माह में एक–एक हफ्ते के लिए किया जायेगा।
12. प्रत्येक चेक के औसत वजन को 3 महीने तक के लिए बिल का आधार माना जायेगा।
13. यदि नया सिस्टम प्रारम्भ करना हो तो नया सिस्टम शुरू करने के पहले कम से कम 5 दिन तक टेस्ट वेमेंन्ट किया जायेगा।
14. टेस्ट वेमेंन्ट स्टेटमेंट 4 प्रतियों में तैयार किया जायेगा।
15. दो प्रति स्टेशन मास्टर को ,एक प्रति मंडल रेल प्रबंधक को व एक प्रति फर्म को दी जायेगी।
16. यदि किसी स्पेशल एडीशन का प्रोपोजल हो तो स्टेशन मास्टर और मंडल रेल प्रबंधक को सूचना दी जायेगी जिसके लिए भाड़ा अतिरिक्त पृष्ठों की संख्या के आधार पर चार्ज किया जायेगा।
17. प्रत्येक फर्म के लिए रोजाना लेजर एकाउण्ट बिल बुक में भाड़े की प्रविष्टि की जायेगी।
18. प्रत्येक अवधि और प्रत्येक माह के अन्त में भाड़े का कुल योग किया जायेगा।
19. Ledger Account cum Bill 3 प्रतियों में तैयार किया जायगा जिसमें से एक रिकार्ड में रखकर दो फर्म को दे दिया जायेगा। फर्म द्वारा भुगतान के बाद ,भुगतान की तारीख डालकर एक प्रति स्टेशन को वापिस कर दी जायेगी।
20. फर्म को बिल महीने की समाप्ति के बाद 3 दिन के अंदर भेजा जायेगा और फर्म द्वारा बिल प्राप्ति के बाद 3 दिन के अंदर भुगतान करना होगा।

## 4. ई–पेमेंट

प्रेषक के खाते से पैसा निकालकर On Line System से रेलवे के खाते में जमा कर देना e-payment कहलाता है। Corporate ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह सिस्टम लागू किया गया है। यह सिस्टम उन्हीं स्टेशनों पर लागू है जहॉ TMS की सुविधा है। इस सिस्टम को संचालित करने में CRIS की अहम भूमिका है। स्टेशन तथा बैंक के मध्य CRIS समन्वय स्थापित करता है। Internet की सुविधा वाले बैंक में पार्टी/एजेन्ट का Account होना चाहिये। CRIS, बैंक तथा स्टेशन के बीच Tri-Party Agreement तैयार किया जायेगा। पार्टी को बैंक के माध्यम से Letter of Credit या बैंक गारंटी की व्यवस्था करनी होगी। इसका मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के व्यस्ततम माह के दो दिन के औसत भाड़े के बराबर होगी। बुकिंग स्टेशन द्वारा पार्टी का कोड तथा भाड़े की रकम TMS में फीड की जायेगी। CRIS द्वारा इस डाटा को process किया जायेगा। बैंक को भी इसकी सूचना दी जायेगी। बैंक द्वारा रेलवे के खाते में भाड़ा जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। "प्रक्रिया पूरी हो गयी है" ऐसा संदेश स्टेशन को दिया जायेगा। प्रक्रिया पूरी होने का संदेश मिलने पर ही e-RR जारी होगी। यदि यह प्रक्रिया फेल होती है तो Letter Of Credit की राशि तक Paid RR जारी की जायेगी। इसके बाद शेष बाकी भाड़े की रकम के लिये To-pay RR जारी की जायेगी। भुगतान हो जाने के बाद निर्धारित फार्म पर Payment Advice तैयार की जायेगी। Payment Advice को C.R. Note के साथ यातायात लेखा कार्यालय भेजा जायेगा ताकि यातायात लेखा कार्यालय को इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाये।

## लाभ :–

1. स्टेशनों पर कैश के रख–रखाव एवं सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।
2. कैश के लेन देन व रकम की गणना करने में गलती की संभावना नहीं होती है।
3. आर0पी0एफ0 स्टाफ जो कैश की सिक्योरिटी के लिए लगाये जाते है उनका खर्चा बचता है।

4. पार्टियों को भाड़े के भुगतान में सुविधा रहती है।
5. जाली नोटों, कटे–फटे नोटों इत्यादि को स्वीकार करने की समस्या नहीं होती।
6. लेखा कार्य में आसानी रहती है।

## हानियां :–

1. नकदीकरण देर से होता है अतः रेलवे के एकाउण्ट में पैसा देरी से आता है।
2. यदि भुगतान की राशि जमा की गयी सिक्योरिटी राशि से अधिक हो जाती है तो ऐसी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत बुकिंग को बंद करने के लिये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।

## गन्तव्य/मध्य के स्टेशन पर तौल के बाद अधिक वजन पाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाहीः–

1. पार्टी को सूचित किया जाएगा।
2. गन्तब्य स्टेशन को सूचित किया जाएगा।
3. वैगनों में अधिक लदान के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा पार्टी से प्रारंभिक स्टेशन या फ्रेट टर्मिनल से गंतब्य स्टेशन या फ्रेट टर्मिनल तक, पूरी दूरी के लिये, अतिरिक्त वजन पर धारा 73 के अंतर्गत दंण्डात्मक प्रभार निम्नलिखित नियमों के अधीन वसूला जायेगा। परन्तु प्रारंभिक स्टेशन या फ्रेट टर्मिनल पर अधिक लदान का पता चलने पर पार्टी द्वारा लोड एडजस्टमेंट किये जाने पर दण्डात्मक प्रभार नहीं वसूला जायेगा।

### अनुसूची

(सी0सी0 + 6 के शिवाय, सी0सी0 + 6, सी0सी0 + 8 मार्ग एवं 25 टन एक्सल रूटों पर लदाई के लिये)

### स्थिति–क

यदि किसी रेक का कुल वजन, उस रेक की अनुमत वहन क्षमता से अधिक न हो, तो निम्नानुसार दण्डात्मक प्रभार वसूला जायेगा।

### भाग–I

BCNHL व BCCW वैगनों को छोड़कर, अन्य वैगनों के लिये

| अधिक लदान सीमा | अनुमत वहन क्षमता तथा 1 टन लोडिंग टालरेंस से अधिक भार होने पर |
|---|---|
| यदि वस्तु का भार वैगन की अनुमत वहन क्षमता से अधिक हो | |
| (अ) PCC + एक टन तक | नियमानुसार अण्डरचार्ज वसूला जायेगा |
| (ब) PCC + 1 टन से अधिक किन्तु 4 टन तक | उस वस्तु पर लागू माल भाड़ा दर का दोगुना |
| (स) PCC + 4 टन से अधिक | उच्चतम श्रेणी पर लागू माल भाड़ा दर का तिगुना |

### भाग–II

BCNHL व BCCW वैगनों के लिये

| अधिक लदान सीमा | अनुमत वहन क्षमता तथा 1 टन लोडिंग टालरेंस से अधिक भार होने पर |
|---|---|
| यदि वस्तु का भार वैगन की अनुमत वहन क्षमता से अधिक हो | |
| (अ) PCC + 3 टन तक | उस वस्तु पर लागू माल भाड़ा दर का दोगुना |
| (ब) PCC + 3 टन से अधिक | उच्चतम श्रेणी पर लागू माल भाड़ा दर का तिगुना |

### भाग–III

कंटेनर गाड़ियों के लिये

| अधिक लदान सीमा | अनुमत वहन क्षमता तथा 1 टन लोडिंग टालरेंस से अधिक भार होने पर |
|---|---|
| यदि वस्तु का भार वैगन की अनुमत वहन क्षमता से अधिक हो | |
| (अ) PCC + 1 टन तक | नियमानुसार अण्डरचार्ज वसूला जायेगा। |
| (ब) PCC + 1 टन से अधिक किन्तु 4 टन तक | उस वस्तु पर लागू माल भाड़ा दर का दोगुना |
| (स) PCC + 4 टन से अधिक | उच्चतम श्रेणी पर लागू माल भाड़ा दर का तिगुना |

## स्थिति –ख

यदि किसी रेक का कुल वजन, उस रेक की अनुमत वहन क्षमता से अधिक हो, तो निम्नानुसार दण्डात्मक प्रभार वसूला जायेगा।

### भाग–I

BCNHL व BCCW वैगनों को छोड़कर, अन्य वैगनों के लिये

| अधिक लदान सीमा | अनुमत वहन क्षमता तथा 1 टन लोडिंग टालरेंस से अधिक भार होने पर |
|---|---|
| यदि वस्तु का भार वैगन की अनुमत वहन क्षमता से अधिक हो | |
| (अ) PCC + एक टन तक | नियमानुसार अण्डरचार्ज वसूला जायेगा |
| (ब) PCC + 1 टन से अधिक किन्तु 4 टन तक | उच्चतम श्रेणी पर लागू माल भाड़ा दर का तिगुना |
| (स) PCC + 4 टन से अधिक | उच्चतम श्रेणी पर लागू माल भाड़ा दर का पॉच गुना |

### भाग–II

BCNHL व BCCW वैगनों के लिये

| अधिक लदान सीमा | अनुमत वहन क्षमता तथा 1 टन लोडिंग टालरेंस से अधिक भार होने पर |
|---|---|
| यदि वस्तु का भार वैगन की अनुमत वहन क्षमता से अधिक हो | |
| (अ) PCC + 3 टन तक | उच्चतम श्रेणी पर लागू माल भाड़ा दर का तिगुना |
| (ब) PCC + 3 टन से अधिक | उच्चतम श्रेणी पर लागू माल भाड़ा दर का पॉच गुना |

### भाग–III

कंटेनर गाड़ियों के लिये

| अधिक लदान सीमा | अनुमत वहन क्षमता तथा 1 टन लोडिंग टालरेंस से अधिक भार होने पर |
|---|---|
| यदि वस्तु का भार वैगन की अनुमत वहन क्षमता से अधिक हो | |
| (अ) PCC + 1 टन तक | नियमानुसार अण्डरचार्ज वसूला जायेगा। |
| (ब) PCC + 1 टन से अधिक किन्तु 4 टन तक | उच्चतम श्रेणी पर लागू माल भाड़ा दर का तिगुना |
| (स) PCC + 4 टन से अधिक | उच्चतम श्रेणी पर लागू माल भाड़ा दर का पॉच गुना |

नोट :–

1. यदि पार्टी बढ़े हुए वजन का भाड़ा अदा करने से मना करती है तो उसके पूरे माल या माल के किसी भाग को रोका जा सकता है जो भाड़े के प्रतिदाय के लिए उचित समझा जाये।

## माल यातायात का यानान्तरण (Transhipment of Goods)

Transhipment दो परिस्थितियों में किया जाता है।

1. जब Break of Guage हो, एवं
2. जब किसी वैगन में टूट–फूट हो जाय या हाट एक्सल हो जाय या वैगन सीक हो जाये।

Transhipment या तो Contractor (ठेकेदार) द्वारा कराया जाता है या स्वयं रेलवे द्वारा कराया जाता है।

**प्रक्रिया :–**

**सीक वैगन के मामले में**

1. जिस क्षमता का वैगन है उसी क्षमता का दूसरा फीट वैगन की मांग करना।
2. फीट वैगन की आपूर्ति।
3. वैगन की आपूर्ति से पूर्व स्टेशन को सूचित करना।
4. फीट वैगन को सीक वैगन के पास समानान्तर प्लेस करना या उसी लाइन पर प्लेस करना।
5. लेबर (लोडिंग/अनलोडिंग के लिये) की व्यवस्था करना।
6- ट्रांशिपमेन्ट के बाद वैगन को सील या रिविट या तालाबंदी करना।
7. वैगन को गंतव्य स्टेशन के लिए शीघ्रातिशीघ्र भेजना।
8. लेबर चार्ज की भरपाई स्टेशन आय से करना।
9- Outstanding की सफाई ओवर चार्जशीट को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर किया जाना।

**Break of Guage के मामले में**

1. लदे डिब्बों को एक लाइन पर तथा TPT के लिए उपलब्ध खाली वैगनों को दूसरी लाइन पर समानांतर प्लेस करना।
2. ठेकेदार को सूचित करना (ऐसे स्टेशनों पर सामान्यतः ठेकेदार द्वारा ही लोडिंग / अनलोडिंग का कार्य किया जाता है)।
3. लोडिंग के उपरान्त वैगनों की सिलिंग, रिविटिंग करना।
4. लोडेड वैगनों को उनके गन्तब्य स्टेशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजना।

**यातायात में देरी या अदृश्य कारणों से यातायात में देरी होने के कारण :–**

1. बाढ़, भूकम्प इत्यादि।
2. युद्ध ।
3. दुर्घटना।

उपरोक्त कारणों से यदि माल पहुंचने मे देरी होती है या माल गन्तब्य स्टेशन तक पहुंचाना संभव न हो या माल की रास्ते में ही निपटारा करने की स्थिति आ जाय तो :–

1. रेलवे माल को गन्तव्य स्टेशन तक पहुंचाने, बचाने का पूरा प्रयास करेगी।
2. संभव हो तो पार्टी को सूचित किया जायेगा ।
3. यदि पार्टी रास्ते में ही माल की डिलीवरी लेने को तैयार हो तो माल की डिलीवरी की व्यवस्था करके दावे की स्थिति से बचाने का उपाय किया जायेगा।
4. यदि पार्टी सहमत न हो और परिस्थितियां अपरिहार्य हो तो माल की नीलामी की जायेगी।
5. नीलामी की सूचना व परिस्थितियों का ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट दावा कार्यालय, गन्तव्य स्टेशन तथा पार्टी को तार के माध्यम से या किसी अन्य साधन से भेजी जायेगी।
6. नीलामी से प्राप्त आय को स्टेशन आय में जमा की जायेगी। यदि भाड़े का कोई प्रभार देय हो तो उसे एडजस्ट किया जायेगा और शेष बचे रकम को पार्टी को वापस किया जा सकेगा।

**कन्टेनर सेवा :–** (Container Corporation of India Limited)

मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का अनन्य उदाहरण है क्योंकि यह सेवा जल यातायात, थल यातायात और रेल यातायात, तीनों पर संचालित होती है। कंटेनर एक प्रकार के बड़े बाक्स होते हैं। जिन्हें क्रेन की सहायता से लोड एवं अनलोड किया जाता है। वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड ने कंटेनर सेवा आयात–निर्यात को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कोनकोर की स्थापना की है। कन्टेनर सेवा मुख्य रूप से door–to–door service प्रदान करने एवं उच्च दर के यातायात को रेलवे की तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। साथ ही सड़क यातायात को रेलवे की तरफ आकर्षित करना था। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए, माल को प्रेषिति के घर तक पहुंचाने की यह योजना 1966 में प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत विशेष डिजाइन के सपाट डिब्बों में ढोये जाने वाले 5 टन भार वाले घरेलू कन्टेनर भारतीय रेलवे के चुनिन्दा जोड़ी के स्टेशनों के बीच चलाये जाते हैं। एक फ्लैट बोगी वैगन पर ऐसे 6 कंटेनरों को लादा जा सकता है जो व्यापारियों को विशेष सेवा प्रदान करती है। इन कंटेनरों को प्रेषकों के परिसर में लादा जाता है तथा प्रेषक द्वारा वहीं ताला लगाया जाता है और मौके पर ही वाणिज्य क्लर्क द्वारा रेलवे रसीद जारी कर दी जाती है।

कंटेनरों को डिपो साइडिंग में कन्टेनर टर्मिनल तक ट्रकों पर लाया जाता है और क्रेन द्वारा उन्हें रेलवे के सपाट डिब्बों पर लादा जाता है। कन्टेनर माल डिब्बों का गारन्टेड परिवहन समय वाली स्पीड लिंक एक्सप्रेस गाड़ियों से गन्तव्य स्टेशनों को सीधे भेजा जाता है। गन्तव्य स्टेशन से पुनः ट्रकों पर लादकर प्रेषिति के गोदाम तक पहुंचाया जाता है तथा वहीं कन्टेनरों का ताला खोलकर माल की डिलीवरी दे दी जाती है। प्रत्येक कन्टेनर में अलग–अलग ताले होते हैं जो पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। अतः मार्ग में चोरी की संभावना भी कम होती है। इससे ग्राहकों का पैकिंग पर खर्चा बहुत कम आता है। इस सेवा का प्रबन्धन अब कोनकोर द्वारा किया जाता है।

कॉनकोर द्वारा संचालित कंटेनर सेवा दो प्रकार की हैं:-

1-ISO Container 2.Domestic कंटेनर सेवा

डोमेस्टिक कंटेनर सेवा देश के अंदर चलायी जाती हैं। इसके लिए कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS) स्थापित किये गये हैं। यह सेवा TEU के द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसके द्वारा रेलवे को निर्धारित दर पर हॉलेज चार्ज का भुगतान किया जाता हैं। कोनकोर अपना IWB अलग से जारी करता हैं ।

ISO कंटेनर सेवा प्रारम्भ में रेलवे द्वारा स्वयं संचालित की जाती थी,परन्तु अब यह सेवा कोनकोर द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसके लियें ICD स्थापित किये गये हैं । ये ICD से पोर्ट तथा पोर्ट से ICD तक सेवा प्रदान की जाती हैं ।कोनकोर द्वारा रेलवे को निर्धारित दर पर हॉलेज चार्ज मिलता हैं।

आई. एस. ओ. कन्टेनर दो प्रकार के होते हैं–

1- TEU –20 Feet Equivalent Unit

2- FEU – 40 Feet Equivalent Unit

नोटः इन सेवाओं के अलावा रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार प्राइवेट कंटेनर आपरेटर के द्वारा भी यह सेवा प्रारम्भ की गयी हैं। इसके लियें कंटेनर रेल टर्मिनल स्थापित किये गये हैं। कंटेनर सेवा को प्रभावी बनाने के लिये हब एवं स्पोक (Hub & Spoke) सिस्टम लागू किया गया है। इसके निम्नलिखित लाभ एवं हानि हैं।

लाभ :–

1. कंटेनरों में माल बुक किये जाने से पी0एल0एम जैसी औपचारिकता करने की आवश्यकता पार्टियों को नहीं पड़ती।
2. मालिकों को प्रतिशत प्रभार भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती।
3. गंतव्य स्टेशन पर माल सुरक्षित एवं शीघ्र पहुँचने की गारंटी होती है।
4. कंटेनर के प्रयोग से रास्ते में माल में चोरी की संभावना नहीं रहती।
5. माल में टूट–फूट की संभावना नहीं रहती।
6. कंटेनरों में माल की लोडिंग मालिकों के गोदामों में लोड किये जाते हैं और गंतव्य स्टेशनों पर पार्टी के गोदाम में डिलीवरी दी जाती है अतः व्यापारियों को स्टेशन से या स्टेशन को माल ले जाने का खर्च व प्रबंध नहीं करना पड़ता।

7. आयात–निर्यात की दृष्टि से यह सेवा सर्वथा उपयुक्त है जो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में योगदान दे रहा है।
8. विदेशी व्यापार नीति का प्रमुख हिस्सा है।
9. कंटेनरों को सीधे ट्रकों पर, ट्रकों से रेलवे के सपाट डिब्बों पर और रेलवे के डिब्बों से जहॉज पर क्रेन द्वारा लोड/अनलोड किये जाते हैं अतः पैकेजों को सुरक्षित पहुॅचाने में मदद मिलती है।
10. कंटेनरों में सुरक्षित माल पहुॅचाने से ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित होती है।
11. गंतव्य तक माल सुरक्षित पहुॅचने से दावे के मामले नहीं बनतें।

**हानि :–**

1. छोटे व्यापारियों के लिये यह व्यवस्था उपयुक्त नहीं है।
2. कंटेनरों को लादने व उतारने के लिये सड़क साधनों की आवश्यकता होती है।
3. कंटेनर में माल लोड किये जाने से प्रतिबंधित वस्तुओं को आसानी से भेजने की संभावना रहती है।
4. जिन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी अधिक होती है उन्हें कंटेनर में छिपाकर भेजने की अधिक संभावना रहती है।
5. कंटेनर सेवा जानवरों व नाश्यवान वस्तुओं के लिये उपयुक्त नहीं है।

## माल की मिथ्या घोषणा

पार्टी द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु माल की मिथ्या घोषणा की जाती हैः-

1. निम्न दर का लाभ लेने के लिये।
2. प्रतिबन्ध के विरूद्ध माल की बुकिंग कराने के लिये।
3. रेलवे से झूठें हरजाने का भुगतान लेने के लिये।

यदि रास्तें में या गन्तव्य स्टेशन पर माल की मिथ्या घोषणा "निम्न दर का लाभ" लेने के संबंध में पायी जाये तो ऐसी दशा में मिथ्या घोषित माल को सामान्य दर के चार गुने पर प्रभारित किया जायेगा जो भाड़े के अतिरिक्त होगा।

झूठा दावा लेने के मामलें में रेल अधिनियम 1989 की धारा 163 के अर्न्तगत मजिस्टेट द्वारा मिथ्याघोषित माल पर 500/- रूपयें प्रति कुंतल या उसके अंश के लियें जुर्माना हो सकता हैं। यदि किसी पार्टी विशेष द्वारा मिथ्या घोषणा बार-बार की जाती हैं तो इसकी शिकायत Sr.DCM को की जानी चाहियें। मिथ्या घोषणा बार-बार किये जाने वाली पार्टी को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।

## भाड़ा प्रोत्साहन योजनायें

अधिक से अधिक लदान कराकर रेलवे को अधिक से अधिक आमदनी कराने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की भाड़ प्रोत्साहन योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं।
Incentive Schemes :-

1- Incentive Scheme for Incremental Traffic
2- Incentive Scheme for Traditional Empty Flow Direction
3- Incentive Scheme for Forwarder Scheme
4- Incentive Scheme for Bagged Consignment Loaded in Open Wagon

### आवेदन की प्रक्रिया :–

इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रार्थना पत्र सामान्यतः DRM को दिया जाता है। DRM द्वारा इसे Divisional Empowered Committee (DEC ) को दिया जायेगा। इस कमेटी के सदस्य एक CMI तथा एक TIA होगें। इस कमेटी द्वारा जांच करके रिपोर्ट 15 दिनों के अन्दर दे दी जायेगी। इस रिपोर्ट को प्रस्ताव के साथ Sr. DCM द्वारा DRM को प्रस्तुत किया जायेगा। DRM द्वारा इसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो पार्टी तथा संबंधित माल गोदाम को सूचित कर दिया जायेगा। छूट या तो रियायत के रूप में दी जायेगी या रिबेट के रूप में दी जायेगी। जैसे ही कोई पार्टी रियायत की हकदार होगी DEC द्वारा जांच की जायेगी और इसके बाद ही रियायत दी जायेगी।

### 1.बढ़े हुए यातायात के लिए प्रोत्साहन योजना:–

इसका उद्देश्य अव्यस्त काल में यातायात को बढ़ावा देना है। रियायत बढ़े हुए यातायात पर दी जायेगी। पांच करोड़ से अधिक पर 15 प्रतिशत रियायत दी जायेगी। रियायती भाड़ा वर्गीकरण 100 के भाड़े से कम नहीं होना चाहिए।नये यातायात पर उपरोक्त दर की 50 प्रतिशत रियायत दी जायेगी। यह योजना कोयला, लौह अयस्क, पोर्ट में लादे जाने वाला माल, कंटेनर तथा वर्गीकरण 120 से कम की वस्तुओं पर लागू नहीं होगी।

### 2.परम्परागत खाली दिशा के लिए प्रोत्साहन योजना :–

यह योजना प्राइवेट साइडिंग से एवं मालगोदाम से मालगोदाम से माल बुक कराने पर अलग–अलग लागू होगी। प्राइवेट साइडिंग से माल बुक कराने पर रियायत 40 प्रतिशत होगीं। रियायती भाड़ा एल.आर. 2 वर्गीकरण से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम दूरी 700 किमी0 होगी। सभी प्रकार के डिब्बों में कोयला, बन्दरगाह से लदान किये गये यातायात, कंटेनर यातायात को बुक नहीं किया जायेगा।खुले डिब्बे में अयस्क तथा खनिज की बुकिंग नहीं होगी। बंद डिब्बे में धरेलू उपयोग के अलावा अन्य आयरन ओर बुक नहीं होगा। लदान केवल बंद डिब्बे, BOXN डिब्बे, फ्लैट डिब्बे तथा CONCORD रेक में होगा। इसके लिए आवेदन मंडल स्तर पर 15 दिन तथा क्षेत्रीय स्तर पर 30 दिन के अन्दर निपटा दिया जाना चाहिए। यह सुविधा केवल उन्हीं दिशाओं पर लागू होगी जो परम्परागत खाली दिशायें रेलवे बोर्ड द्वारा सूचित की जायेगी। ऐसे माल की रिबुकिंग तथा डाइवर्जन नहीं होगा। रियायत का प्रतिशत बढ़ाने या दूरी में छूट देने या प्रतिबंधित वस्तुओं को रियायत देने संबंधित शक्तियां केवल जी.एम को प्राप्त हैं।

### 3.भाड़ा अग्रेषक प्रोत्साहन योजनाः–

परम्परागत खाली दिशा में भाड़ा अग्रेषक प्रोत्साहन योजना के अलावा अन्य दिशाओं में भी भाड़ा अग्रेषक प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है। इसकी मुख्य शर्ते निम्नलिखित हैं–

1. व्यस्त तथ अव्यस्त काल में रियायत लादे गये डिब्बों की संख्या के अनुसार दी जायेगी। इसके लिए वर्गीकरण निर्धारित कर दिये गये है। Sr.DCM/Sr.DOM द्वारा नामित टर्मिनल होंगे।
2. कोयला, आयरन ओर तथा पोर्ट से लादे जाने वाले माल को यह सुविधा नहीं होगी।
3. न्यूनतम दूरी 700 किमी0 के लिए प्रतिबंधित होगी।
4. प्रार्थना पत्र Sr.DCM को दिया जायेगा।
5. डिब्बों में एक से अधिक वस्तु भी लादी जा सकती है।
6. एक से अधिक वस्तुओं से लादे गये डिब्बों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।
7. भाड़ा डिब्बों की PCC पर लिया जायेगा।बुकिंग ओ.आर पर होगी। सेड टू कंटेन आर.आर बनेगी। भाड़े का पूर्व भुगतान अनिवार्य है।
8. डैमरेज चार्ज एवं व्हारफेज चार्ज सामान्य नियमों के अनुसार होंगे।
9. बुकिंग स्टेशन पर भंडारण छूट 48 घंटे तथा गन्तव्य स्टेशन पर माल हटाने व छुड़ाने हेतु छूट 24 घंटे होगी।

## 4. खुले डिब्बों में बैग्ड कनसाइनमेंट के लदान हेतु प्रोत्साहन योजना :–

सामान्यतः बैग्ड माल को खुले डिब्बों में लादने में अधिक समय लगता है तथा कभी–कभी इनको तिरपालों से ढकने की भी आवश्यकता होती है। यह योजना इस तरह के लदान को सुगम बनाने के उद्देश्य से है। यदि बन्द डिब्बों में लादे जाने वाला माल पार्टी की प्रार्थना पर खुले डिब्बों में लादा जाता है तो रेल अधिनियम 1989 की धारा 104 के अन्तर्गत फारवर्डिंग नोट पर पार्टी द्वारा इस संबंध में रिमार्क दिया जाना चाहिए। खुले डिब्बों में बैग्ड कनसाइनमेंट के लदान के लिए टर्मिनलों पर रेलवे रसीद जारी करते समय डिस्काउण्ट दिया जायेगा।

## मालभाड़ा परिवहन सूचना प्रणाली
(FREIGHT OPERATION INFORMATION SYSTEM)

यह मालभाड़ा यातायात से संबंधित एक सूचना तंत्र है। मालभाड़ा यातायात की कार्य प्रणाली को सुगम एवं सरल बनाने के उद्देश्य से इसका कम्प्यूटराइजेशन किया गया, जिसमे माल यातायात से संबंधित सभी तथ्य जैसे डिब्बे की मांग का पंजीकरण, रेक/डिब्बे की सप्लाई, लोडिंग/अनलोडिंग, डैमरेज/व्हारफेज चार्ज, रेक फार्मेशन, लोकोमोटिव, प्रेशर का बनना, गाड़ी का मध्य के स्टेशनों पर ठहराव, गाड़ी का प्रस्थान व पहुंचना, प्लेसमेंट व रीलीज, इत्यादि व्यौरा सुरक्षित किया जाता है। जिससे माल यातायात से संबंधित समस्त जानकारी निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक नेट के माध्यम से भारतीय रेलवे के किसी लोकेशन पर क्षणिक समय में उपलब्ध हो जाती है एवं जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा यार्ड परफार्मेंस एवं मालगोदाम के वर्किंग पर भी नजर रखी जा सकती है।
एफ.आई ओ.एस के मुख्यतः दो तंत्र कार्य करते हैं।–

1.रेक मैनेजमेंट सिस्टम (RMS)
2.टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम (TMS)
रेक मैनेजमेंट सिस्टम :– इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डाटा, जैसे यार्ड एवं मालभाड़ा यातायात परिवहन से संबंधित कार्य आते है जबकि TMS में मालगोदाम के विभिन्न कार्यों का लेखा जोखा होता है। FOIS का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन को एक मजबूत औजार के रूप में जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि प्रबंधन दिन–प्रतिदिन होने वाले रेलवे परिवहन के कार्यों पर प्रभावी नियत्रंण रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले सके एवं कम्प्यूटर के माध्यम से आवश्यक सूचना एव डाटा ले सके।
यह सिस्टम लोड/ट्रेन, वैगन, लोको के मूवमेंट एवं माल का डिटेल, माल का विवरण, लोड फार्मेशन, फोरकास्ट, गाड़ी की व्यवस्था, क्रू प्रबंधन, गाड़ी की समरी, गाड़ी का प्रस्थान, गाड़ी का पहुंचना, मार्ग में गाड़ी का विलम्बन, लोको का परिवर्तन, गाड़ी की स्टैबलिंग, रेक फार्मेशन, रेक की कम्पोजीशन, रेक के कम्पोजीशन में करेक्शन करना, प्लेसमेंट/रीलीज, सिक लाइन एवं मालगोदाम में डिब्बों का रिमूवल, माल का रिमूवल, आर.आर का विवरण, लोको की अनियमितता व उनके मेंटिनेंस इत्यादि का रिकार्ड रखता है। इसके अलावा इस सिस्टम में विभिन्न प्रकार के परिवहन से संबंधित प्रत्येक क्षण की विश्वसनीय जानकारी एवं सूचनायें भी मिलती है।
यह सिस्टम दिल्ली में एक बड़ा केन्द्रीय कम्प्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यह केन्द्रीय सिस्टम क्षेत्रीय रेलों पर छोटे–छोटे कम्प्यूटर सिस्टमों से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक क्षेत्रीय रेलें अपने इस सिस्टम का विस्तार मंडल स्तर पर किये हुये है। इस तरह ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। मंडल द्वारा डाटा फीड करने व ट्रांसफर करने पर माल भाड़ा यातायात से संबंधित सूचनायें केन्द्रीय कम्प्यूटर सिस्टम पर स्वतः ही पहुंच जाती है।
एक कम्प्यूटर टर्मिनल में एक विजुवल डिस्प्ले यूनिट (VDU), एक की बोर्ड व एक प्रिंटर होता है। यह कम्प्यूटर टर्मिनल दो तरह से काम करता है–

1. डाटा इंन्ट्री टर्मिनल
2. इन्क्वायरी टर्मिनल

सभी क्षेत्रीय रिपोर्टिंग केन्द्रों पर एक डाटा इंन्ट्री टर्मिनल होता है जिसमें सभी सूचनायें फीड की जाती हैं जबकि इन्क्वायरी टर्मिनल में किसी प्रकार की फीडिंग नहीं की जा सकती, केवल इन्क्वायरी की जा सकती है। पूरा BG नेटवर्क 131 एरिया रिपोर्टिंग सेंटर (ARC) में बंटा हुआ है। प्रत्येक ARC अपना एक निश्चित निर्धारित रिसपांसिबिलिटी एरिया (RA) में बंटा हुआ है। एक ARC में कई डाटा इंन्ट्री टर्मिनल हो सकते हैं। एक ARC के किसी RA के एरिया के किसी एक्टिविटी सेंटर पर फीड किये गये सूचनाओं को किसी भी मेसेज के जरिये उपलब्ध कराया जाता है। मेसेज के साधन टेलीफोन, टलीप्रिंटर ,फैक्स या हाथ के द्वारा हो सकते हैं। यह सूचना निम्नलिखित हो सकती हैं। वैगन के स्टैटस में परिवर्तन, सिक, एराइवल व डिपार्चर, गाड़ी की अन्य संबंधित जानकारी, समरी, लोकोमोटिव या कोई अन्य जानकारी हो सकती है।

लाभ :–

1.इस सिस्टम से प्रत्येक व्यक्ति को सूचना शीघ्र, सही व एक समान मिलती है।
2.प्रबंधन को परिवहन प्रबंधन से संबंधित प्रभावी निर्णय लेने, कार्यान्वित करने संगठन के कार्य में दक्षता लाने व कर्मचारियों के विकास में मदद मिलती है।
3.लोकोमोटिव के उपयोग, उनका रखरखाव करने में मदद मिलती है।
4.लोकोमोटिव के खराबी का विवरण रखने में मदद मिलती है।
5.लोकोमोटिव को शेड एवं शिड्यूल के अनुसार सही दिशा में भेजने में मदद मिलती है।
6.यार्ड में परफार्म की गयी विविध कार्यो के रिकार्ड रखने में मदद मिलती है।
7.यार्ड में खड़े विभिन्न प्रकार के वैगन एवं उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है।
8.वर्कशाप (कैरेज व वैगन) में किये गये कार्य का विवरण एवं दिन–प्रतिदिन ठीक किये गये वैगनों के विवरण रखने में मदद मिलती है।
9.फुटकर डिब्बे, सिक डिब्बे, रोड साइड स्टेशनों पर खड़े डिब्बों पर नजर रखने मे मदद मिलती है।
10.वैगन की उपयोगिता पर ध्यान रखने में मदद मिलती है।
11.यार्ड कंजेशन को एवायड करने में मदद मिलती है।
12.वैगनों की सप्लाई साइंटिफिक तरीके से करने में मदद मिलती है।
13.वैगनों की लोडिंग/अनलोडिंग पर नजर रखनें में सुविधा रहती है।
14.रेक फार्मेशन में सुविधा रहती है।
15.डिब्बे अनकनेक्ट नहीं हो पाते एवं इनके खोने की संभावना खत्म हो जाती है।
16.सी.सी रेक के मूवमेंट पर नजर रखनें में सुविधा रहती है।
17.गाड़ी के परिचालन के दौरान होने वाले विलम्बन पर नजर रखने में सुविधा होती है।
18.डैमरेज/व्हारफेज चार्ज की गणना करने में सुविधा होती है।
19.विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी तैयार करने में मदद मिलती है जैसे वैगन टर्न राउण्ड, नेट टन किमी, इंजन किमी, वैगन किमी डे, ट्रेन किमी इत्यादि।
20.कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के रेकों के लोडिंग/अनलोडिंग, आगमन आदि के संबंध में जानकारी मिल जाती है।

## रेल उपयोगकर्ताओं को सुविधाः–

कस्टोमर इन्क्वायरी सिस्टम के माध्यम से रेल उपयोगकर्ताओं को उनके रेक के संबंध में निम्नलिखित जानकारियां नेट के माध्यम से मिल जाती हैं जैसे –

1. रेक लोडिंग
2. गाड़ी का डिपार्चर
3. गाड़ी की रनिंग पोजीशन
4. गाड़ी का गंतव्य पर पहुंचने की संभावित समय
5. रेल उपयागकर्ता को ट्रक,ट्राली, बैलगाड़ी, इत्यादि साधनों को व्यवस्था करने में मदद मिलती है।
6. लेबर की व्यवस्था करने में सुविधा रहती है।
7. भाड़े के भुगतान करने में सुविधा रहती है।

## प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल ( Private Freight Terminal)

पी0 एफ0 टी0 का अर्थ प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल से है जो प्राइवेट पार्टी द्वारा प्राइवेट भूमि पर विकसित किये जाएगें। इसका प्रबंधन टर्मिनल मैनेजमेंट कम्पनी करेगी जो पी0 एफ0 टी0 की मालिक होगी। प्राइवेट भूमि का प्रयोग किया जायेगा परन्तु रेलवे से जोड़ने के लिए रेलवे को भूमि की व्यवस्था करनी होगी। आउटवर्ड कोल, कोक तथा आयरन ओर को छोड़कर सभी प्रकार का यातायात बुक किया जायेगा। इसका उद्देश्य प्राइवेट पार्टी की सहायता से फ्रेट टर्मिनल को विकसित करना है। रोड की तरफ जा रहे यातायात को रेलवे की तरफ लाना भी इसका उद्देश्य है।

टर्मिनल मैनेजमेन्ट कम्पनी द्वारा तीसरी पार्टी के माल को डील किया जाएगा। टी0 एम0 सी0 के द्वारा पार्टी से विभिन्न प्रकार के प्रभार जैसे–स्थान शुल्क तथा अन्य आवश्यक प्रभार वसूले जाएगें। टी0 एम0 सी0 अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ग्राहक से पैसा वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी। पी0 एफ0 टी0 द्वारा वसूल किया गया स्थान शुल्क रेलवे को नही दिया जाएगा। डैमरेज चार्ज, इंजन डिटेंशन चार्ज तथा स्टेबलिंग चार्ज का भुगतान रेलवे को किया जाएगा। रेलवे रसीद जारी करते समय भाड़ा, कनसाइनर द्वारा रेलवे को अदा किया जाएगा। भाड़े का भुगतान ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जाएगा।

भारतीय रेलों पर जितने प्रकार के डिब्बे प्रयोग किए जा रहे हैं वे पी0 एफ0 टी0 पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। यदि कन्टेनर टर्मिनल को पी0 एफ0 टी0 में बदल दिया जाता है तो वह इसी सेवा के अंतर्गत माना जाएगा। प्राइवेट साइडिंग मालिक भी ब्राउनफील्ड बन सकते हैं। ब्राउनफील्ड टर्मिनल का अर्थ है वह टर्मिनल जो वर्तमान साइडिग के स्थान पर विकसित किया जाएगा। पी0 एफ0 टी0 पर 24 घंटे कार्य होगा। यातायात बढने पर इन टर्मिनलों का भी विकास किया जाएगा। टी एम सी द्वारा FOIS तथा TMC की सुविधायें भी उपलब्ध करायीं जाएगीं। यदि टी एम सी यह प्रावधान लेना चाहती है तो उसे क्षेत्रीय रेलवे को प्रार्थना पत्र देना होगा और उसे भूमि के मालिक होने का प्रमाण–पत्र भी सौपना होगा। एक करोड़ की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। यदि स्वीकृति नहीं मिलती है तो जमानत राशि का 99 प्रतिशत पार्टी को वापस कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति मिल जाती है तो फीस रेलवे द्वारा रख ली जायेगी। निर्धारित समय के अंदर कार्य पूरा कराने के लिए एक करोड़ की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो जमानत राशि का 90 प्रतिशत पार्टी को वापस होगा।

प्रार्थना पत्र की समीक्षा परिचालन की दृष्टिकोण से की जायेगी। CCM(FM), CTPM तथा FA&CAO की समिति 100 दिनों के अन्दर अपनी सिफारिश महाप्रबंधक को भेजेगी। ब्राउनफील्ड तथा ग्रीनफील्ड के लिए अलग–अलग समय निर्धारित किया गया है। रेलवे बोर्ड स्तर पर इसका नोडल अधिकारी ED(FM) तथा क्षेत्रीय स्तर पर निर्माण अवधि के दौरान CTPM तथा बाद में CCM(FM) होगा।

टी एम सी तथा रेलवे के बीच निर्धारित नियमों के अनुसार रेवेन्यू शेयरिंग होगी। कन्सेशन एग्रीमेन्ट का समय 20 वर्ष होगा जो अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद भी जॉच करने के बाद समय को बढाया जा सकता है। पूरे रेक की हैण्डलिंग की सुविधा देनी होगी। पी0 एफ0 टी0 का निर्माण, प्राइवेट साइडिग के निर्माण के आधार पर होगा। कार्य के सभी नियम EOL की तरह होगें वाणिज्य के कार्य के लिए रेलवे स्टाफ की नियुक्ति होगी। प्रति शिफ्ट एक कर्मचारी का खर्चा टी0 एम0 सी0 द्वारा वहन किया जाएगा। माल की बुकिंग प्रीपेड होगी। आउटवर्ड बुकिंग के लिए कनसाइनर और टी0 एम0 सी0 के बीच एक समझौता होगा जिसकी कॉपी रेलवे स्टॉफ के पास रहेगी। भाड़ा पब्लिक टैरिफ दर पर लिया जायेगा। टी0 एम0 सी0 को डिब्बे सौपने के बाद रेलवे का दायित्व नहीं होगा। 180 दिनों का नोटिस देकर समझौता रद्द किया जा सकता है। उपर दिए गए पत्र के अनुसार योग्यता रखने वाली पार्टी इसके लिए प्रार्थना–पत्र दे सकती है।

Development of Freight Terminal

| | |
|---|---|
| Less Than 15 Rakes / Month | ——one full-Rake Length |
| Rakes upto 15 to 29 Rakes / Month | ——two full – Rake Length |
| More Than 30 Rakes/Month | ——three full – Rake Length |

## इंजिन आनलोड स्कीम (ENGINE ON LOAD SCHEME)

डिब्बों के अच्छे उपयोग हेतु तथा साइडिंग से माल जल्दी भेजा जा सके इंजिन आन लोड स्कीम लागू की गई है। लोडिंग तथा अनलोडिंग के समय इंजिन, साइडिंग में ही रहेगा ताकि इन कार्यो के समाप्त होने के बाद गाड़ी को तुरन्त चलाया जा सके। साइडिंग के मालिक को इस स्कीम को चुनना होगा और साथ ही समझौता पर हस्ताक्षर भी करने होगें। यह सुविधा उन्हीं साइडिंगो को दी जायेगी जहॉ सीधी दूरी के आधार पर भाड़ा निकालने की सुविधा है। डैमरेज के लिए फ्री टाइम सामान्य नियमों से कम होगा ताकि डिब्बे का डिटेन्शन न हो। साइडिंग मालिक द्वारा रेल कर्मचारियों को आराम करने तथा कैंटिन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। स्टाफ द्वारा कैन्टीन प्रभार स्वयं चुकाये जायेंगे। डैमरेज के घंटों के मामले में डेबिट तथा क्रेडिट घंटों की पद्धति अपनायी जायेगी। ट्रेन इंजिन को फ्री टाइम के अंदर पार्टी बिना प्रभार के प्रयोग कर सकती है। कोई भी साइडिंग तथा शंटिग चार्ज नहीं लिया जायेगा। साइडिंग में रेलवे स्टाफ का खर्चा रेलवे उठायेगी। इंजिन आन लोड ग्राहक को डिब्बे की आपूर्ति करने में भी प्राथमिकता दी जायेगी। यह सुविधा कुछ चुने हुए माल गोदामों को भी दी जा सकती है। साइडिंग में प्रति दिन 5 से अधिक रेक की हैण्डलिंग न हो। साइडिंग को इस सुविधा के लिए टर्मिनल डिटेन्शन बचाना होगा। पार्टी को भाड़े में निर्धारित समय तक रिबेट दिया जायेगा। भाड़े पर इनसेन्टीव भी दिया जायेगा। यदि डिब्बों का डिटेन्शन, फ्री टाइम से अधिक हो जाये तो भाड़े मे रिबेट नहीं दिया जायेगा। अधिक डिटेन्शन के लिए जुर्माने की व्यवस्था भी है। ऐसी साइडिंग में कैरेज एण्ड वैगन की सुविधायें रेलवे नहीं देगी। पार्टी को अपने टर्मिनल में राउण्ड दी क्लॉक कार्य प्रणाली अपनानी होगी। भाड़ा पेड होगा।

इसके अर्न्तगत विभिन्न प्रकार के रेकों की लोडिंग/अनलोडिंग के लिए फ्री टाईम–

| वैगन | फ्री टाईम (घण्टों में) | |
|---|---|---|
| | लोडिंग | अनलोडिंग |
| खुला रेक | 3 | 5 |
| हॉपर रेक | 3 | 2 |
| कवर्ड रेक | 6 | 6 |
| टैंक रेक | 5 | 5 |

## रोल आन रोल ओफ योजना (RORO)

रोल आन रोल ओफ एक पश्चिमी संकल्पना है जो माल को शीघ्र परिवहन किये जाने में सहायता करती है। इस योजना के अंतर्गत ट्रक को रेल पटरी तथा सड़क दोनों पर चलाया जा सकता है। यह प्रणाली कोंकण रेलवे कार्पोरेशन द्वारा प्रयोग के आधार पर कोलार्ड–सुरथकाल (734 किमी0) खंड पर चलाया गया है। इस प्रणाली में एक लोड किये गये ट्रक को गाड़ी द्वारा कंसाइनर के स्टेशन से रोल आन करके कंसाइनी के स्टेशन पर रोल आफ किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसको मुम्बई–मंगलौर खंड पर चलाया जाता है।

सामान्यतः माल की बुकिंग इन ट्रकों से किये जाने के लिए 6 क्रियायें सम्मिलित होती है, 3 कंसाइनर की छोर पर तथा 3 कंसाइनी के छोर पर। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल 2 क्रियायें ही की जाती है।

### ग्राहकों को लाभ

1. चार क्रियाओं– लोडिंग, अनलोडिंग, की दोनों छोरों पर बचत।
2. ट्रक के ईंधन की बचत।
3. समय की बचत क्योंकि इनकी सीधी यात्रा होती है।
4. मॅहगे ट्रकों की टूट–फूट, टायर एवं अन्य रख–रखाव की बचत।
5. उचित दरों पर गारंटी के साथ परिवहन।
6. इस प्रणाली के द्वारा ट्रक के चालन पर प्रत्येक मिनट निगाह रखी जायेगी।
7. रेलवे को माल की क्षति, नुकसान, लिकेज आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा रेलवे पर दावे कम होगें।
8. प्रत्येक गाड़ी में 60 ट्रक 10 टन क्षमता वाले ढोने के लिए, 30 फ्लैट डिब्बे होगें।

यदि इस प्रणाली को भारतीय रेलवे पर शुरू किया जाये तो यह ग्राहकों एवं रेलवे दोनो के लाभदायक होगा। इससे रेलवे को बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा बचत, ईंधन की बचत, संबंधित प्रत्यक्ष लाभ होगें तथा इससे प्रदूषण में भी कमी आयेगी।

## डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (Dedicated Freight Corridor)

### उद्देश्य :–

1. अधिक माल भाड़ा यातायात प्राप्त करने के उद्देश्य से रेल अभिसंरचना तैयार करना।
2. परिचालन व्यय को कम करना ताकि ग्राहकों के लिए रेल दरें कम की जा सकें।
3. ट्रांजिट समय कम करना।
4. भाड़ा बाजार में रेलवे की भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. रेलवे परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग करना।
6. मालभाड़ा परिचालन में उच्च तकनीक लागू करना।
7. लदान क्षमता को बढ़ाना।
8. वर्तमान गलियारों पर भार कम करना।
9. कंजेशन कम करना।
10. सवारी गाड़ी के रास्ते से मालगाड़ी के मार्ग को अलग करना ताकि तीव्र गति से एवं शीघ्रातिशीघ्र माल यातायात को गंतव्य पर पहुंचाना।

Both corridors will be constructed simultaneously. It is envisaged that the corridors will be fully operational over their entire length by 2017. The following table indicates the tentative phasing of the project:-

| **Western Corridor** | | **Year** |
|---|---|---|
| Phase I | Rewari- Vadodara (920 Kms) | 2009-2016 |
| Phase II | Vadodara- JNPT(430Kms) | 2010-2017 |
| Phase III | Rewari – Dadri(140 Kms) | 2010-2017 |
| **Eastern Corridor** | | |
| Phase I-APL1 | Khurja - Kanpur (343 Kms) | 2009-2016 |
| Phase II-APL2 | Kanpur - Mughalsarai (390 Kms) | 2010-2016 |
| Phase III-APL3 | Khurja-Ludhiana (397 Kms) | 2011-2016 |
| Phase IV (Funding through PPP) | Dankuni - Sonnagar (550 Kms) | 2011-2016 |
| Phase Ia ( Funding by Ministry of Railways) | Sonnagar - Mugal Sarai (125 Kms) | 2010-2016 |

### मुख्य विशेषतायें :–

1. इसके दो गलियारे हैं–पूर्वी एवं पश्चिमी गलियारा।
2. ये गलियारे डबल लाइन के होंगे।
3. पूर्वी गलियारा विद्युतीकृत होगा और पश्चिमी गलियारा डीजल इंजन से संचालित होगा।
4. दोनों गलियारे 25 टन/32 टन एक्सल लोड के लिए तैयार होंगे।
5. पूर्वी गलियारा लुधियाना से प्रारम्भ होकर अम्बाला, सहारनपुर, खुर्जा तथा इलाहाबाद के रास्ते होकर डानकुनि तक जायेगा।
6. पश्चिमी गलियारा जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ( JNPT ) , नवी मुम्बई, बड़ोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, रेवाड़ी होकर तुगलकाबाद तथा दादरी तक जायेगा।
7. स्टेशन 40 किमी0 दूरी के अन्तराल पर स्थित होंगे तथा लूप लाइन की लम्बाई 1500 मीटर होगी।
8. लेबल क्रासिंग गेट के स्थान पर ग्रेड सेपरेटर्स होंगे।
9. दोनों कोरीडोर्स को दादरी तथा खुर्जा के बीच अलग से एक सिंगल लाइन डालकर जोड़ा जायेगा।

10. पूर्वी कोरीडोर एवं पश्चिमी कोरीडोर, जो 2016–17 तक पूरी होने की संभावना है, इसकी लम्बाई लगभग 3300 रूट किमी0 है। दोनों कोरीडोर के निर्माण पर लगभग 80000 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है। इस रकम की व्यवस्था DFCCIL तथा PPP के जरिये उपलब्ध कराया जायेगा।
11. इस कार्य को पूरा करने के लिए DFCCIL की स्थापना की गयी है।
12. निर्माण कार्य जापान इंटरनेशनल कंपनी एजेंसी के द्वारा शुरू हो चुकी है।
13. गोल्डेन क्वाड्रीलेटरल एवं इसका डाइगोनल, कुल 10122 रूट किमी0 (दिल्ली–हबड़ा, हबड़ा–मुम्बई, मुम्बई–चेन्नई, चेन्नई–हबड़ा, हबड़ा–दिल्ली, दिल्ली–मुम्बई )

## आटो मोबाइल फ्रेट ट्रेन आपरेशन योजना (Automobile Freight Train Operation Scheme)

वर्तमान समय में भारतीय रेलवे के पास आटोमोबाइल यातायात के परिवहन का अंश बहुत कम है अतः इस योजना का उद्देश्य न केवल इस दिशा में प्रगति करना है बल्कि प्राइवेट सेक्टर को वैगन संसाधनों के निवेश हेतु प्रेरित भी करना है ताकि रेल यातायात का अधिकाधिक उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा सके और उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र तक यह यातायात सुचारू रूप से संचालित रहें।

### इस योजना की प्रमुख बातें निम्न प्रकार है –

1. योजना के संदर्भ में कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है जैसे –ए.एफ.टी.ओ, लाजिस्टिक सर्विस, ए.एफ.टी, एण्ड यूजर, प्राइवेट टर्मिनल, आदि।
2. कुछ संक्षिप्ताक्षरों को विस्तार देकर उनका अर्थ दिया गया है जैसे –एस.पी.डब्ल्यू, एच.सी डब्ल्यू, डब्ल्यू.एल.सी, ए.एफ.टी.ओ, ए.एफ.टी, आदि।
3. ए.एफ.टी.ओ का अर्थ ऐसी पार्टी से है जो रेक को प्राप्त करने के लिए निवेश करती है और रेल मंत्रालय से अनुमति लेकर अपनी आटो फ्रेट ट्रेन में यातायात के लोडिंग/अनलोडिंग की व्यवस्था करती है।
4. आवेदक एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए जिसे ट्रांसपोर्ट, लाजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, कंटेनर ट्रेन आपरेशन के क्षेत्र नें न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो, इसके अतिरिक्त आवेदक के लिए अन्य पात्रतायें भी निर्धारित हैं।
5. ए.एफ.टी.ओ के चयनित हो जाने पर पंजीकरण शुल्क 5 करोड़ रूपये जमा करना होगा।
6. आवेदक को ई.डी (एफ.एम) को न्यूनतम 3 रेक के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संबंधित विवरण के अलावा पंजीकरण शुल्क का 1 प्रतिशत राशि भी जमा करनी होगी।
7. अनुमति की प्रक्रिया पूरी होने व ए.एफ.टी.ओ के रूप में चयनित हो जाने पर पार्टी एवं ई.डी (एफ.एम)/रेलवे बोर्ड के मध्य एक रियायती करार निष्पादित किया जायेगा जिसकी वैधता 20 वर्ष होगी।
8. इस योजना में शामिल किये जा सकने वाले वैगन निर्धारित मानक तथा आर.डी.एस.ओ द्वारा प्रमाणित होंगे।
9. ए.एफ.टी.ओ द्वारा अपनी गाड़ियों का संचालन अपने स्वयं अथवा प्राइवेट अथवा रेल टर्मिनलों के बीच किया जायेगा।
10. वैगनों के सामान्य रखरखाव का दायित्व समझौता की अवधि के दौरान रेलवे का होगा। विशेष रखरखाव समझौते की शर्तो के अनुरूप होगा।
11. आटोमोबाइल ट्रैफिक में पैसेंजर कारें, 2/3 पहिएं वाली आटामोबाइल यूनिट, मिनी ट्रक व ट्रैक्टर शामिल होंगे।
12. वैगनों का थ्रूपुट भारतीय रेल द्वारा संचालित ट्रेन (रेक साइज) के बराबर/अनुरूप होना चाहिए।
13. लोडिंग किये गये प्रत्येक रेक के मूल भाड़े में 15 प्रतिशत की छूट 20 वर्ष तक अथवा वैगनों की लागत वसूल होने तक, जो भी पहले हो, के लिए देय होगी।
14. यदि निवेशक द्वारा उच्च क्षमता के वैगनों का प्रयोग किया जाता है तो गाड़ी के बढ़े हुए प्रत्येक 10 प्रतिशत थ्रूपुट के लिए भाड़े में 2 प्रतिशत रियायत दी जायेगी।
15. अगले गंतव्य तक खाली रेक जाने पर कोई हौलेज चार्ज नहीं वसूला जायेगा बशर्ते खाली रेक की दूरी लोडेड रेक की दूरी से कम या उसके बराबर हो।
16. यदि खाली दिशा में कोई ऐसी वस्तु जो करार में शामिल नहीं है, की लोडिंग की जाती है, तो भाड़े में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
17. सभी भुगतान ई–पेमेंट द्वारा किये जायेंगे।
18. ए.एफ.टी.ओ सभी तरह के प्रभारों तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित करों व पूरक प्रभारों की अदायगी के लिए जिम्मेदार होगी।
19. ई.डी (एफ.एम) योजना के क्रियान्यवन हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
20. क्षेत्रीय स्तर पर सिंगल विंडो नोडल अधिकारी सी.एफ.टी.एम होंगे।
21. यदि ए.एफ.टी.ओ द्वारा भाड़े का भुगतान नहीं किया जाता, तो रेलवे का वैगनों एवं उनमें लदे परेषण पर देय रकम की वसूली हेतु

अधिकार होगा।

22. यदि ए.एफ.टी.ओ समझौता रद्द करना चाहे, तो तीन माह का पूर्व नोटिस देकर ऐसा कर सकता है।
23. यदि ए.एफ.टी.ओ द्वारा माल की सुरक्षा संबंधी नियमों अथवा अन्य नियमों की अवहेलना की जाती है तो रेलवे प्रशासन एक माह का पूर्व नोटिस देकर ए.एफ.टी.ओ को दी गयी अनुमति समाप्त कर सकती है।
24. किसी भी विवाद के मामले में रेल मंत्रालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी माना जायेगा।
25. क्षतिपूर्ति संबंधी दावों के मामले में ए.एफ.टी.ओ, समझौता प्रावधानों, आर.सी.टी अथवा आर.आर.टी, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार निपटायेगा।
26. भारतीय रेलवे इस योजना की समीक्षा एक वर्ष बाद करेंगी।
27. ए.एफ.टी.ओ अपने ग्राहकों से रेल हॉलेज, टर्मिनल हैंडलिंग, ग्राउंड रेंट प्रभार, निर्धारित निश्चित नियमों के आधार पर करेगा। रेलवे का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। रेलवे द्वारा कोई डैमरेज चार्ज नहीं वसूला जायेगा। रोलिंग स्टाक के स्टेबल किये जाने पर स्टेबलिंग चार्ज वसूला जायेगा।

## सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public-Private Partnership)

आधुनिक युग में रेलवे की अभिसंरचना की क्वालिटी एवं क्षमता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः मूलभूत संरचनाओं में सुधार, परिवर्तन या नये अभिसंरचनाओं के विकास पर काफी रकम व्यय होने की संभावना है। चूंकि सरकारी धन इन अभिसंरचनाओं के विकास पर व्यय करने में असमर्थ है। अतः इन अभिसंरचनाओं के विकास के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी नितान्त आवश्यक है। इस व्यवस्था से सरकारी खजाने पर खर्च का बोझ तो कम पड़ेगा ही साथ ही आम जनता का सहयोग भी प्राप्त होगा।

रेलवे को अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा सिस्टम को आधुनिक बनाने एवं योजनाओं की पूर्ति के लिए लगभग 251000 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। विभिन्न साधनों से रकम इकट्ठा किया जायेगा। जो कमी होगी उसकी आपूर्ति सार्वजनिक–निजी भागीदारी के द्वारा की जायेगी। सार्वजनिक–निजी भागीदारी के सहयोग के लिए बहुत से क्षेत्र चुने गये है जो निम्नलिखित हैं–

1. डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर का निर्माण :– पूर्वी कोरीडोर एवं पश्चिमी कोरीडोर, जो 2016–17 तक पूरी होने की संभावना है, इसकी लम्बाई लगभग 3300 रूट किमी0 है। इस डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निर्माण के लिए लगभग 80000 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। इस रकम की व्यवस्था DFCCIL, EPC तथा PPP के जरिये उपलब्ध कराया जायेगा।

2. खाली पड़े जमीनों का कामर्शियलाइजेशन :– भारतीय रेलवे के पास लगभग 43000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है यह जमीन रेलवे लाइन के किनारे, स्टेशन के पास तथा कालोनियों के आस–पास हैं। इसके कुछ भाग का विकास आयोग वाणिज्यिक स्थल के रूप में विकसित करके किया जा सकता है इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर.एल.डी.ए की स्थापना की गयी है।

3. इंजन, कोच/डिब्बों (SPW/SPV) के निर्माण के लिए यूनिटों की स्थापना :–

रेलवे को लगभग 22689 यात्री कोच,1800 इंजनों की आवश्यकता है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी की सहायता से उत्पादन इकाईयां खोली जानी है।

4. कन्टेनर ट्रेन आपरेशन, प्राइवेट साइडिंग का निर्माण, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा रेल साइड वेयर हाउसिंग :–

प्राइवेट आपरेटर्स को कंटेनर सेवा चलाने की अनुमति दी जा चुकी है। अन्य मामलों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की आवश्यकता महसूस की गयी है।

5. रेल विकास निगम लिमिटेड :– रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कुछ कार्यों को पूरा करने की व्यवस्था की जायेगी।

6. कैटरिंग सेवा, होटल तथा फूड प्लाजा :– इस क्षेत्र में जगह–जगह आई.आर.सी.टी.सी द्वारा विकसित की जा रही हैं। आई.आर.सी.टी.सी द्वारा नये–नये होटल एवं फूड प्लाजा बनाये जा रहे हैं। पैलेस आन व्हील जैसी टूरिस्ट ट्रेनों का संचालन आई.आर.सी.टी.सी द्वारा किया जा रहा है। भारतवर्ष की निवेश संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी एक अच्छा अवसर है। भारतीय रेल को अगले 5 वर्षों में अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। इसका लगभग 40 प्रतिशत सार्वजनिक–निजी भागीदारी के सहयोग से जुटाया जायेगा। DFCCIL, RLDA, SPV, CONCOR, IRCTC, RVNL आदि इस क्षेत्र में उठाये गये कदम हैं।

## टर्मिनल डेवलपमेंट स्कीम (Terminal Development Scheme) :–

इस योजना के अनुसार प्राइवेट पार्टियों द्वारा अपना धन लगाकर टर्मिनल का विकास किया जायेगा। जिस भूखण्ड पर टर्मिनल विकसित किया जायेगा वह पार्टी का निजी भूखण्ड होना चाहिए। रेलवे के पास भूमि उपलब्ध होने पर पार्टी को पट्टे पर उपलब्ध करा सकती है परन्तु ऐसे मामले में पार्टी, रेलवे द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करना होगा। उपरोक्त भूखण्ड 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जायेगी और सेवा संतोषजनक होने पर अगले 10 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है।

इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक माल यातायात को आकर्षित करना है। पार्टी द्वारा कुछ विशेष किस्म के (Special Purpose Wagon) वैगनों को उपलब्ध कराना होगा। जिन मालगोदामों में एक माह में 15 से अधिक रेकों की हैंडलिंग/डीलिंग की जाती हैं, उन मालगोदामों का आधुनिकीकरण किया जायेगा और पूर्ण रूप से विकसित किया जायेगा।

टर्मिनल निम्नलिखित दो प्रकार के होंगे–

1. बल्क बस्तुओं के लिए जैसे –( सीमेंट, खाद, फ्लाई ऐश जब लूज स्थिति में पार्टी द्वारा खरीदे गये SPW में ले जाई जायें)
2. तैयार वस्तुओं के लिए – (Bagged Consignment & Fertilizer, Iron & Steel Product)

बल्क वस्तुओं के लदान के लिए विशेष प्रकार के डिब्बे प्रयोग किये जायेंगे। इन डिब्बों को Special Purpose Wagon कहा जायेगा। पार्टी द्वारा ये डिब्बे स्वयं खरीदे जायेगे। इन्हें रेलवे के डिब्बों के पूल में शामिल नहीं किया जायेगा। इस मामले में भाड़े में 15 प्रतिशत की रियायत 20 वर्ष तक दी जायेगी। 20 वर्ष तक बिजी सीजन सरचार्ज नहीं लिया जायेगा। इसके अलावा डैमरेज चार्ज, व्हारफेज चार्ज तथा टर्मिनल चार्ज भी नहीं लगेगा।

तैयार वस्तुओं के मामले में रेलवे के अपने डिब्बे प्रयोग किये जायेगे। इस मामले में भी 20 वर्ष तक बीजी सीजन सरचार्ज, व्हारफेज चार्ज तथा टर्मिनल चार्ज नहीं लिया जायेगा परन्तु डैमरेज चार्ज सामान्य नियमों के अनुसार प्रभारित होगा।

यदि पार्टी द्वारा अपनी भूमि पर टर्मिनल विकसित किया जाता है तो प्रार्थना पत्र जी.एम को दिया जायेगा। सी.ओ.एम द्वारा एन. ओ.सी जारी की जायेगी। प्रार्थना पत्र जी.एम के माध्यम से रेल मंत्रालय के पास भेजा जायेगा। रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलने पर टर्मिनल विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। मंजूरी मिलने के एक वर्ष के अन्दर टर्मिनल तैयार हो जाना चाहिए। न्यूनतम ट्रैफिक की गारंटी देनी होगी।

यदि रेलवे के भूखण्ड पर टर्मिनल विकसित करना हो तो जी.एम द्वारा मंजूरी दी जायेगी। ऐसी परिस्थिति में पार्टी द्वारा निम्न प्रकार की ट्रैफिक की गारंटी देनी होगी :–

| | |
|---|---|
| 1. प्रथम वर्ष | 0.50 मिलीयन टन |
| 2. द्वितीय वर्ष | 0.75 मिलीयन टन |
| 3. तृतीय वर्ष व अन्य आगामी वर्षों के लिए | 1.00 मिलीयन टन |

यदि किसी वर्ष उपरोक्त न्यूनतम ट्रैफिक पार्टी द्वारा नहीं ढोया जाता है तो उस वर्ष के वास्तविक टर्न ओवर तथा गारंटेड ट्रैफिक के टर्न ओवर के अन्तर का भुगतान पार्टी द्वारा रेलवे को करना होगा।

टर्मिनल का विकास प्राइवेट साइडिंग के आधार पर किया जायेगा। सभी सुविधायें साइडिंग की तरह होगी। वर्किंग आवर राउण्ड दी क्लाक (24 घंटे) होगी। भाड़े का भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से होगा। टी.एम.एस की सुविधा पार्टी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। कामर्शियल कार्य के लिए रेल कर्मचारी नियुक्त होंगे तथा उनका खर्चा पार्टी को उठानी होगी।

**उदारीकृत वैगन निवेश योजना** (LIBERLISED WAGON INVESTMENT SYSTEM)

**कामर्शियल सर्कुलर नं0 7 आफ 2008** (Dated 15- 04- 2008 ) **के अनुसार यह सन् 2008 से लागू है। यह सिस्टम लागू होने से** own your own wagon **एवं वैगन इनवेस्टमेंट स्कीम निस्प्रभावी हो गये है। इसके अन्तर्गत केवल दो प्रकार वैगन प्रोक्योर (उपलब्ध) होंगे।–**

1. High Capacity Wagon (HCW)
2. Special Purpose Wagon (SPW for Special Commodity

**इन वैगनों को निम्नलिखित के द्वारा प्रोक्योर (उपलब्ध) किये जायेगें ।**

1. वैगन लीजिंग कंपनी,
2. End Users :– वे रेलवे कस्टोमर होगे जो अपने माल को बुक कराते है, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर।
3. ये लोग मैन्यूफैक्चरर्स से सीधे वैगन उपलब्ध करायेगें ।
4. पार्टी प्रार्थना पत्र COM को देगें ।
5. COM 10 दिन के अन्दर NOC जारी करेगें ।
6. इसके बाद मामला रेलवे बोर्ड के पास भेजा जायेगा ।
7. रेलवे बोर्ड में EDFM इस मामले पर विचार करते हुये ट्रैफिक डाइरेक्टरेट के पास भेजेगें, इसके बाद रेलवे बोर्ड से परमिशन मिलेगी ।
8. कंपनियों द्वारा वैगनों का निर्माण RDSO द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होंने चाहिए ।
9. प्रस्ताव के स्वीकृति की सूचना COM को दी जायेगी ।
10. पार्टी द्वारा वैगन मैन्यूफैक्चरर्स को वैगनों की मांग का प्रस्ताव प्लेस करने की सूचना COM को देगें ।
11. डिब्बों के उपलब्ध होने पर पार्टी तथा COM के मध्य समझौता किया जायेगा ।
12. डिब्बों को रेक यूनिट के रूप में प्रस्तुत किये जायेगें एवं साथ ही 4 प्रतिशत अतिरिक्त वैगन, रेक यूनिट के अलावा रखे जायेगें ।
13. इन वैगनों को निर्धारित रूट पर (स्टेशन फ्राम एवं स्टेशन टू )चलाये जायेगें ।
14. डिब्बों का मेंटिनेन्स रेलवे द्वारा की जायेगी किन्तु मेंटिनेन्स पर आने वाले खर्चे का भुगतान पार्टी द्वारा की जायेगी।
15. इस तरह के डिब्बों को रेलवे पूल में शामिल नहीं किया जायेगा ।
16. डिब्बे प्रयोग में न होने पर आइडल खड़े रहेंगे ।
17. इन डिब्बों को रेलवे के क्षेत्र में स्टैबल करने पर पार्टी द्वारा स्टेबलिंग चार्ज का भुगतान करना होगा ।
18. HCW के रेक पर 12 प्रतिशत एवं SPW के रेक में 15 प्रतिशत, भाड़े में कंसेशन दिया जायेगा।
19. उपरोक्त समझौता कम से कम 20 वर्ष के लिए होगा ।

## मेरी – गो – राउण्ड सिस्टम (Merry-Go-Round System)

**कामर्शियल सर्कुलर नं0 23 आफ 2008 (क्रंजमक 09. 05. 2008 ) के अनुसार**

### गाइड लाइन्स :–

1. इस सिस्टम से संबंधित सभी प्रस्ताव,संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए
2. यह प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तर पर, बनायी गयी कमेटी द्वारा अनुमोदित की जायेगी जिसके सदस्य COM, CCM, एवं FA&CAO होंगे ।
3. दोनों छोरों पर MGR टर्मिनल प्राइवेट व निजी होंगे ।
4. पार्टी जिसका टर्मिनल है, लोडिंग/अनलोडिंग के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधायें मुहैया करायेंगे ।

5- MGR टर्मिनल की कनेक्टिविटी FOIS से जुड़ा होना चाहिए । TMS द्वारा परिचालित होना चाहिए, भाड़ा एवं अन्य प्रभार ई–पेमेंट के लिए सक्षम होना चाहिए ।

6. माल भाड़े का भुगतान ई–पेमेंट की गाइड लाइन्स के अनुरूप होना चाहिए
7. दोनों टर्मिनलों के मध्य रेलवे ट्रैक, कस्टोमर द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । ट्रैक पर मालगाड़ी की रनिंग स्पीड (एक्सल लोड 22.9 टन) क्षमता 40 किमी/घंटा से कम नहीं होनी चाहिए ।
8. आवश्यक सिगनलिंग उपकरण रेलवे द्वारा, मालिक के खर्चे पर उपलब्ध करायेगी ।
9. रेलवे ट्रैक,अन्य परिसंत्तियां एवं संसाधनों का रेलवे द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मेंटेन करने की जिम्मेदारी पार्टी की होगी ।
10. उपरोक्त संसाधनों का मेंटिनेंस पार्टी द्वारा उचित प्रभार का भुगतान करने पर रेलवे द्वारा की जा सकेगी जिसके लिए अलग से समझौता होगा ।
11. इस सिस्टम के अंतर्गत, रेलवे आवश्यकतानुसार, रेक की रनिंग के लिए लोको, ब्रेकवान एवं अन्य रोलिंग स्टाक उपलब्ध करायेगी।
12. इस सिस्टम कें अन्तर्गत पार्टी प्रतिदिन कम से कम एक रेक अवश्य लोड करेगा और रेलवे BOBRN या BOXN का एक रेक उपलब्ध करायेगी ।
13. दोनों टर्मिनलों पर कार्य अवधि 24 घंटे (राउण्ड दी क्लाक) होनी चाहिए।
14. रेक की लोडिंग/अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम निम्नवत होगी–

| वैगन | लोडिंग | अनलोडिंग |
|---|---|---|
| BOBRN | 3घंटा | 2घंटा |
| BOXN | 3घंटा | 5घंटा |

15. दोनों टर्मिनलों पर रेकों पर डैमरेज चार्ज सामान्य नियम लागू होंगे ।
16. लोडिंग प्वाइंट पर पार्टी द्वारा एक इन–मोशन इलेक्ट्रानिक वेब्रिज लगाया जायेगा ताकि वैगनों में ओवरलोडिंग से बचा जा सके ।
17. वैगनों में ओवरलोडिंग पाये जाने पर दण्डात्मक प्रभार सामान्य नियमों के अनुसार वसूले जायेंगे ।

### MGR SYSTEM के अन्तर्गत भाड़ा प्रभारित करने का तरीका

1. इस सिस्टम के अन्तर्गत प्रतिदिन एक रेक/दो रेक/तीन रेक लोड करने के आधार पर, रेलवे द्वारा अधिसूचित की गयी हैं।

2. इस सिस्टम के अन्तर्गत भाड़ा की दर एक मुश्त निर्धारित होगी, जो प्रतिदिन लोड की गयी रेकों की संख्या पर आधारित होगी ।

**Illustation**

**If AB &Co. wants to utilize one rake of BOBRN wagons owned by railways and commits to load 700 rakes per year for a lead of 15 kms, the number of rakes per day to be loaded by the customer will be 700/365= 1.8 rounded off to one rake per day and chargeable rate will be rupees 32.00 per tonne for distance slab of 11 – 20 kms.**

3. रेक/दिन = पार्टी द्वारा सौंपे गये रेकों की संख्या/365
4. दूरी के विभिन्न स्लैबों के आधार पर भाड़ा निर्धारित किया गया है ।
5. उपरोक्त भाड़ा दर समझौते की तारीख से 31 मार्च 2009 तक लागू रहेगी ।
6. दिनांक 01.04.2009 से लागू होने वाली दरें, पूर्व वर्ष में प्राप्त रिसपान्स के फीडबैक के आधार पर, अलग से अधिसूचित की जायेगी जो प्रत्येक पूर्व वर्ष की दर से 4 प्रतिशत अधिक होगी ।
7. एक पूरे वर्ष के दौरान लोड की गयी रेकों की संख्या, वादा किये गये रेकों की संख्या से कम होने पर, 4 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक प्रभार लगेगा जो पूरे वर्ष में भुगतान किये गये रेकों के भाड़े पर लगेगा ।
8. यह दण्डात्मक प्रभार "non fulfiiment of commitment" के लिए पार्टी द्वारा वसूला जायेगा ।
9. उपरोक्त दण्डात्मक प्रभार एवं भुगतान किये गये भाड़े की रकम, वादा किये गये रेकों के भाड़े की रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
10. जैसा कि वास्तविक लोड किये गये रेकों की संख्या का आकलन वर्ष के अन्त में पता लगेगा, अतः रेलवे अण्डरचार्ज वसूलने के लिए, उचित क्रेडिट / बैंक गारण्टी, आदि की व्यवस्था समझौते में करेगी ।
11. इस योजना के अन्तर्गत भाड़े पर विकास शुल्क, डाइनेमिक प्राइसिंग पालिसी के अन्तर्गत जैसे बीजी सीजन सरचार्ज, टर्मिनल चार्ज नहीं लगेगें ।
12. सभी वाणिज्य नियम एवं प्रभार समय–समय पर संशोधित होंगे, इस सिस्टम पर लागू होंगे चाहे वे नियम विरूद्ध क्यों न हो ।
13. **Illustation**

**If in the case as illustrated under (ii) above, AB &Co. loads only 680 rakes in a year against the commitment of 700 rakes and pays freight of Rs. 200 cr. , penalty will be 4% of 200 cr subject to maximum of freight for 700 rakes.**

# Demurrage Charge तथा Wharfage charge को मॉफ करना

Demurrage charge डिब्बो का detension charge होता है। यह free time की समाप्ति के बाद लगाया जाता है।

Wharfage charge एक प्रकार का Ground Rent है, यदि माल free time की सम्पत्ति के बाद उठाया जायेगा तो Party को Wharfage charge का भुगतान करना होगा।

आजकल Demurrage charge तथा Wharfage charge दोनो ही Wagons के आधार पर लिये जाते है यद्यपि Demurrage Charge तथा Wharfage charge से रेलवे को आमदनी होती है परन्तु फिर भी ये रेलवे आमदनी के नियमित साधन नही है। इनको एक प्रकार का जुर्माना माना जा सकता है। इसीलिए विशेष परिस्थितयों में इन्हें माफ भी किया जा सकता है।

यदि परिस्थितियॉ ऐसी हैं जो Party के control में है तो उनमें इन प्रभारों को सामान्यता माफ नही किया जायेगा। यदि परिस्थितियों Party के Control से बाहर है जैसे क्षेत्रीय कार्य, Strike, बन्द, बलवा इत्यादि तो इन परिस्थितियों में Demurrage charge तथा Wharfage charge को माफ किया जा सकता है।

DC तथा WC को माफ करने का प्रार्थना पत्र इन प्रभारों के लगने तक की तारीक से 10 दिन के अन्दर दे देना चाहिये। स्टेशन मास्टर द्वारा पूरे Remark देकर तीन दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र को अग्रेषित कर देना चाहिये। प्रार्थना पत्र देने से पहले पार्टी को चाहिये कि वह इन प्रभारों का भुगतान कर दे और माल की Delivery लेकर स्टेशन से हटा ले। इन प्रभारों के भुगतान की रसीद प्राप्त कर ले और प्रार्थना पत्र के साथ इस बात का Proof लगाये कि इन प्रभारों का भुगतान कर दिया गया है और माल को उठा लिया गया है। विशेष परिस्थितियों को प्रार्थना पत्र देने की समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है।

अपनी Power के अनुसार रेलवे अधिकारी द्वारा इन प्रभारों को माफ किया जायेगा। यदि अपनी Power से 50 प्रतिशत से ऊपर मॉफी की जा रही है तो इसका सक्षिंप्त कारण भी देना होगा। यदि पार्टी इससे सहमत नही होती है। तो Higher Authority को अपील कर सकती हैं अपील करने की समय सीमा 30 दिन है। अपील को तीन दिन के अन्दर Forward कर दिया जाना चाहिये। अधिकतम दो अपील की जा सकती है।

यदि DC तथा WC माफ कर दिये गये है तो इन्हें Refund किया जायेगा। इनका Refund Pay-order के द्वारा होगा।

**DC तथा WC माफ करने की रेलवे अधिकारियो की Powers निम्नलिखित है।**

| Officiers | DC Per Wagon | WC per Consignment |
|---|---|---|
| ACM | 300 | 300 |
| DCM | 600 | 1200 |
| Sr DCM | 6000 | 6000 |
| ADRM | 20000 | 20000 |
| DRM | 25000 | 25000 |
| CCM | 100000 | 100000 |
| GM | Unlimited | Unlimited |
| SM / CGS | _ | 100 |

रेलवे अधिकारियों की जो शक्तियों ऊपर दी गई है वे Write Off करने के मामले में भी लागू होंगी।

# रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल Railway Rates Tribunal (RRT)

Railway Rates Tribunal का गठन रेल अधिनियम 1989 की धारा 33 के अन्तर्गत किया गया है। RRT में एक चेयरमैन तथा दो सदस्य होते है। चेयरमैन वह व्यक्ति हो सकता है जो High Court या Supreme Court का जज हो या रहा हो। दो सदस्यों में से एक सदस्य वह होगा जिसे देश की वाणिज्य, Industrial तथा Economic दशाओं का अच्छा ज्ञान हो। दूसरा सदस्य वह व्यक्ति होंगा जिसे रेलवे की Commercial working का अच्छा ज्ञान हो। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष है।

धारा 34 के अनुसार केन्द्रीय सरकार की सलाह से RRT द्वारा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी, ताकि कार्य संचालन ठीक से हो सकें।

धारा 35 के अनुसार RRT का Head Quarter उस जगह होगा जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करें। RRT का Head Quarter इस समय चैन्नई में है। अपने कार्य संचालन के लिए RRT अपनी बैठक कहीं भी कर सकती है।

रेल अधिनियम की धारा 36 के अनुसार RRT द्वारा निम्न प्रकार की शिकायतें सुनी जायेगी।

1. रेल अधिनियम की धारा 70 के उल्लघंन सम्बन्धित शिकायतें।
2. अनुचित दर सम्बन्धित शिकायतें।

रेल अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, यात्री किरायों, Luggage, पार्सल, माल की दरों, RMC की दरों, मिलेट्री टैफिक की दरें, Demmurage charges, Wharfage charges तथा वस्तुओं के वर्गीकरण के निर्धारण के सम्बन्ध में RRT का कोई दखल नहीं होगा।

धारा 39 के अनुसार इन मामलो में केन्द्रीय सरकार RRT की सलाह ले सकती है परन्तु RRT की सलाह मानने को बाध्य नहीं है।

धारा 38 के अनुसार कुछ मामलों में RRT को Civil Court की शक्तियॉ प्राप्त हैं– जैसे गवाहो को बुलाना, शपथ पर गवाही लेना, कोई प्रपत्र प्रस्तुत करने का आदेश तथा Commission बैठाना आदि।

रेल अधिनियम 1989 की धारा 40 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा RRT को पूरा सहयोग दिया जायेगा।

धारा 41 के अनुसार यह साबित करना कि अमुख दर या प्रभार Unreasonable नहीं है। यह दायित्व रेलवे का होगा।

धारा 42 के अनुसार सदस्यों की बहुमत द्वारा दिया गया फैसला सही माना जायेगा।

धारा 43 के अनुसार RRT के फैसले पर, इसके द्वारा दिये गये फैसले के विरूद्ध कोई केस नहीं चलाया जा सकता।

धारा 44 के अनुसार RRT द्वारा Unreasonable Rate तथा अन्य प्रभार के मामले मे यदि कोई फैसला पार्टी के हित में दिया गया है तो रेल प्रशासन को Over charge वापस करने का आदेश भी दिया जा सकता है। इस प्रकार RRT द्वारा पार्टी को Relief भी दिया जा सकता है। यदि एक वर्ष का समय बीत गया है और परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है तो धारा 45 के अनुसार रेल प्रशासन द्वारा RRT से प्रार्थना की जा सकती है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करें।

धारा 46 के अनुसार RRT को अधिकार है कि वह अपने आदेशों का पालन कराने के लिए उस क्षेत्र के Civil Court को आदेश दें।

धारा 47 के अनुसार RRT द्वारा किये गये कार्यो की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेंगी।

धारा 48 के अनुसार RRT को यह अधिकार है कि वह केन्द्रीय सरकार की सलाह से अपने कार्यो के संचालन के लिए नियम बनायें।

## रेल दावा अधिकरण (Railway Claims Tribunal)

Railway Claims Tribunal Act 1987 (1987 का 54 ) पूरे भारत में 8 नबम्बर से लागू है। इसकी स्थापना केन्द्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिये करेगी जिसमें आर0सी0टी0 का कार्य क्षेत्र, शक्तियां एवं अधिकार क्षेत्र का उल्लेख होगा।

इस अधिकरण में एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और न्यायिक एवं तकनीकी सदस्यों की संख्या केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार हेागी। अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र व शक्ति का प्रयोग बेंच के माध्यम से करेगी। प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक व एक तकनीकी सदस्य होगें। बेंच एक सदस्य की भी हो सकती है।

### आर0सीटी0 के सदस्यों की योग्यताएं निम्नवत होगी :–

**अध्यक्ष** :– उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रहा हो या 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष पद पर कार्य किया हो।

**उपाध्यक्ष** :– उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो या 5 वर्ष तक भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान पर सिविल न्यायिक पद पर काम कर चुका हो या 3 वर्ष तक न्यायिक सदस्य रहा हो।

**न्यायिक सदस्य** :– उच्च न्यायालय का न्यायधीश रहा हो या होने की योग्यता रखता हो या भारतीय कानून सेवा का सदस्य रहा हो या 3 वर्ष तक सिविल न्यायिक पद पर रहा हो।

**तकनीकी सदस्य** :– भारत सरकार के संयुक्त सचिव के बाराबर वेतनमान पर कार्य किया हो और रेलवे दावों एवं वाणिज्य नियमों का अच्छा ज्ञान रखता हो।

**नियुक्ति** :– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होगी।

**कार्यकाल** :– अध्यक्ष 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक या जो पहले हो। उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य 5 वर्ष तक या 62 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो।

**त्यागपत्र** :– ये सभी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं।

इन्हें निर्धारित दर पर वेतन तथा भत्तों का भुगतान होगा। पुनः नियुक्ति रेल दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार हो सकती है। बेंचों के बीच कार्य का बंटवारा केन्द्र सरकार करेगी।

### आर0सी0टी0 को आवेदन देने की अवधि :–

(क) माल की क्षति, कमी, नाश, नुकसान, अपरिदान, इत्यादि के मामलों में माल की बुकिंग की तारीख से 3 वर्ष तक।

(ख) धारा 124/124ए के मामले में दुर्घटना या घटना की तारीख से 1 वर्ष तक।

(ग) किराया तथा भाड़ा वापसी के मामले में भुगतान की तिथि से 3 वर्ष तक।

## दावा अधिकरण निम्नलिखित मामलों में सुनवाई कर सकता है :–

1. रेल अधिनियम की धारा 93 से 104 तक के अन्तर्गत हानि, नाश, नुकसान, क्षति या अपरिदान के मामलों में दावों के भुगतान से संबन्धित शिकायतें।

(ii) धारा 124/124 ए के अन्तर्गत गाड़ी दुर्घटना में चोट लगने, मृत्यु होने पर किये जाने वाले दावों की क्षतिपूर्ति के मामलों में।

(iii) किराया तथा भाड़ा वापसी के मामले में।

रेल दावा अधिकरण की शक्तियाँ एवं प्रक्रिया इस अधिनियम की धारा 18 में दी गई है।

### जो संक्षेप में इस प्रकार है :–

(i) नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाएगा और ''सिविल प्रक्रिया कोड'' की प्रक्रिया के पालन के लिए वाध्य नहीं होगा। निजी प्रक्रिया के लिए सक्षम होगा।

(ii) इसे अपने कार्यो के निस्पादन के लिए सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त होगी।

(iii) अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध सम्बन्धित क्षेत्र के उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

धारा 124/124'ए' के अन्तर्गत रेलवे के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के सभी दावों के भुगतान के मामले आर0सी0टी0 में दायर किये जायेगें।

अधिकरण की 21 बैंचे होगी जिसमें 2 नई दिल्ली में तथा 3 कोलकाता में हैं। इनके मुख्यालय अहमदावाद, मुम्बई, भोपाल, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, कोलकाता, गोहाटी, जयपुर, चण्ड़ीगढ़, नई दिल्ली, गाजियाबाद, नागपुर, भुवनेश्वर, सिकन्दराबाद, चैन्नई, अर्नाकुलम, बैंगलोर में है।

प्रत्येक बेंच में Junior Administrative Grade का एक पीठासीन अधिकारी तथा उसके सहायक के रूप में एक विधि अधीक्षक व एक विधि सहायक, क्षतिपूर्ति के पूरे प्रलेखों एवं गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किये जाएगें प्रलेखों का निरीक्षण करने तथा सुनने के बाद अधिकरण आदेश जारी करेगा। अधिकरण के द्वारा जारी आदेश सिविल कोर्ट के समान निस्पादित किये जा सकेंगें। आवेदक अपने आवेदन को न्यायालयों की अनुसूची द्वितीय में वर्णित निर्धारित शुल्क के साथ मामलों को प्रस्तुत करेगें।

————————
————————

**समाप्त**

## माल सिद्धान्त (वर्णनात्मक)

1. माल यातायात के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली संदर्भ पुस्तिकाओं के नाम लिखिए तथा इनमें दी गई जानकारियों का उल्लेख करें ?
2. अग्रेषण नोट से आप क्या समझते है ? यह कितने प्राकर का होता है? इसे भरते समय आपनाई जाने वाली सावधानियों का वर्णन करें ?
4. इनवाइस कितने प्रकार की होती है? इसे जारी करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखते हुए इनका निपटारा भी लिखें ?
5. माल डिब्बा पंजीकरण शुल्क किन–किन मामलों में जब्त हो जाता है तथा किन मामलों में वापस कर दिया जाता है ?
6. माल यातायात के लिए बनाई जाने वाली प्राथमिकता सूची का वर्णन करें ?
7. माल यातायात से आप क्या समझते है ? इसे स्वीकार करते समय क्या–क्या सावधानियॉ अपनाई जाती है ?
8. माल को तौलने के साधन कौन–कौन से है ? माल को तौलने के नियम लिखिए ?
9. आगत माल को दोबारा तौलने के नियमों का उल्लेख करें ? किन–किन मामलों में पुनः तौल की अनुमति नहीं दी जाती है ?
10. माल डिब्बों की लोडिंग व अनलोडिंग के समय अपनाई जाने वाली सावधानियॉ लिखें ?
11. सीलिंग,रिविटींग तथा लॉकिंग के नियमों का वर्णन करें ।
12. पैकिंग,लेबलिंग और मार्किंग से आप क्या समझते है? इनके महत्व का वर्णन करें ।
13. अनकनेक्टेड वैगन को कनेक्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करें ?
14. रिबुकिंग से आप क्या समझते है ? माल की रिबुकिंग करने की प्रक्रिया लिखे ? माल की रिबुकिंग किन–किन परिस्थितियों में नहीं होती।
15. मूल्यांकन डिलीवरी किसे कहते है ? मूल्यांकन डिलीवरी देने की प्रक्रिया का वर्णन करें ?
16. माल घरों में कौन–कौन से फ्राड्स सम्भावित है ? इन्हें रोकने के लिए सुझाव दीजिए ।
17. जाली रेलवे रसीद पर होने वाली डिलीवरी को रोकने के लिए क्या–क्या सावधानियॉ अपनाई जानी चाहिए ?
18. माल का डायवर्जन करने की विधि का वर्णन करिये तथा यह स्पष्ट कीजिए कि यह रिबुकिंग से किस प्रकार भिन्न है ?
19. निम्नलिखित में से किन्ही तीन पर टिप्पणी लिखिये :–
    (अ) गेट पास (ब) फ्रेट फारवडर स्कीम
    (स)माल की सामान्य जिम्मेदारी (द) गुड्स बैलेन्स शीट
    (य) कटेनर सर्विस (ल) ग्राहक सन्तुष्टि
20. माल दर संरचना की विशेषताओं का वर्णन करिये ।
21. माल डिब्बा पंजीकरण के नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि किन–किन मामलों में वैगन रजिस्ट्रेशन फीस वापस कर दी जाती है ?
22. MGR क्या है ? यह किन–किन परिस्थितियों में और किस प्रकार तैयार किया जाता है? इसके महत्व का वर्णन करिये ।
23. माल के सामान्य वर्गीकरण की विशेषताओं का वर्णन करिये
24. 'दावा' क्या है ? इसके क्या कारण है एक माल पर्यवेक्षक के रूप में इन्हें कम करने के लिए सुझाव दीजिए ?
25. किन्ही तीन में अन्तर लिखिये :–
    (क) एरर शीट और टी0ए.–2
    (ख) ओपन डिलीवरी तथा एसेसमेन्ट डिलीवरी
    (ग) अण्डर चार्ज तथा ओवर चार्ज
    (घ) व्हारफेज चार्ज तथा डेमरेज चार्ज
    (ड) रिबुकिंग तथा डायवर्जन

26. आउटस्टैडिंग से आप क्या समझते है 'बी' क्लास की आउटस्टैडिंग कैसे क्लीयर की जाती है ?
27. माल यातायात की रेटिंग और रूटिंग से सम्बन्धित नियम लिखिए ?
28. माल वाहक के रूप में रेलवे के सामान्य दायित्व का वर्णन करिए तथा बताए कि धारा–102 के अन्तर्गत किन मामलों में रेलवे वाहक सम्बन्धी दायित्व से पूर्णतः मुक्त है ?
29. जानवरों को रेल द्वारा बुक करने तथा वहन सम्बन्धी नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिये ।
30. माल की मिथ्या घोषणा से आप क्या समझते है? यह क्यों की जाती है। इसे रोकने के लिए सुझाव दीजिए।
31. ओपन डिलीवरी से आप क्या समझते है ? इसके लिये कौन सी सावधानियॉ अपनाई जाती है ?
32. खतरनाक/विस्फोटक परेषणों के बुकिंग,लादन, परिवहन आदि सम्बन्धी नियमों का संक्षेप में वर्णन करिये ।

## माल सिद्धान्त (वस्तुनिष्ठ)

1. अग्रेषण नोट किस धारा के अन्तर्गत भरा जाता है?
   अ. धारा –50 ब. धारा– 63 [स.] धारा –64 द. धारा–65
2. अग्रेषण नोट कितनी प्रतियों में भरा जाता है?
   [अ.] एक ब. दो स. तीन द. चार
3. अग्रेषण नोट का मुख्य पृष्ठ किस के द्वारा भरा जाता है?
   अ.मालिक ब.रेल कर्मचारी [स.] मालिक या उसके एजेन्ट द्वारा द.इनमें से कोई नहीं
4. अग्रेषण नोट का पिछला भाग किसके द्वारा भरा जाता है?
   अ.मालिक [ब.] रेल कर्मचारी स. मालिक या कार्यकर्ता द.इनमें से कोई नहीं
5. भरा हुआ अग्रेषण नोट कितने वर्ष तक रखा जाना चाहिए?
   अ. एक वर्ष ब. दो वर्ष [स.] पांच वर्ष द. इनमें से कोई नहीं
6. भरा हुआ अग्रेषण नोट कहॉ रखा जाता है?
   [अ.] स्टेशन पर ब. मण्डल कार्यालय स. लेखा कार्यालय द. इनमें से कोई नही
7. सामान्य माल के फारवर्डिंग नोट कितनी प्रतियों में भरा जाता है?
   [अ.] 1 ब. 2 स. 3 द. इनमें से कोई नहीं
8. माल की बुकिंग के लिए कौन सा प्रपत्र भर कर प्रस्तुत करना आवश्यक है?
   अ. इन्डेमिनीटी नोट [ब.] अग्रेषण नोट स. सी.आर.नोट द. इनमें से कोई नहीं
9. अग्रेषण नोट पर मालिक द्वारा गलत / अधूरा विवरण देने से माल में क्षति होने पर है तो रेलवे–
   अ. क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगी ब. 50 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगी
   [स.] क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी द. इनमें से कोई नहीं
10. सामान्य अग्रेषण नोट कितने प्रतियों में भरा जाता है।
    अ. एक ब. दो [स.] 3 द. इनमें से कोई नहीं
11. अग्रेषण नोट कितने प्रकार का होता है।
    अ. 2 ब. 3 [स.] 5 द. इनमें से कोई नहीं
12. अग्रेषण नोट पर खराब पैकिंग का रिमार्क लेना किस धारा के अन्तर्गत आवश्यक है
    अ. धारा –50 ब. धारा–63 [स.] धारा–98 द. इनमें से कोई नहीं
13. अग्रेषण नोट पर आर.आर/ओ.आर का रिमार्क लेना किस धारा के अन्तर्गत आवश्यक है।
    अ. धारा–50 [ब.] धारा–63 स. धारा–98 द. इनमें से कोई नहीं
14. अग्रेषण नोट पर मालिक द्वारा माल की सही–सही विवरण देने की जिम्मेदारी किस धारा के अन्तर्गत आवश्यक है।
    अ. धारा –63 [ब.] धारा– 66 स. धारा –163 द. इनमें से कोई नहीं
15. वे वस्तुएं जो सामान्यतः बन्द डिब्बों में बुक की जाती है, यदि पार्टी ऐसा माल खुले डिब्बे में बुक कराना चाहे तो, अग्रेषण नोट पर इस आशय का रिमार्क लेना, किस धारा के अन्तर्गत आवश्यक है।
    अ. धारा –102 ब. धारा– 103 [स.] धारा –104 द. इनमें से कोई नहीं
16. सामान्य अग्रेषण नोट की मान्यता अवधि कितनी होती है।
    अ. 2 माह [ब.] 6 माह स. 8 माह द. इनमें से कोई नहीं
17. रेलवे रसींद रेल अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत जारी की जाती है ?
    अ. धारा–63 ब. धारा–64 [स.] धारा–65 द. इनमें से कोई नहीं
18. इनवायस की रिकार्ड प्रति कितने वर्ष तक सुरक्षित रखी जाती है?
    अ. 3 वर्ष [ब.] 5 वर्ष स. 7 वर्ष द. इनमें से कोई नहीं
19. TMS द्वारा इनवायस कितनी प्रतियों में जारी की जाती है ?
    अ. 3 [ब.] 4 स. 1 द. इनमें से कोई नही

20. RRT का कार्यालय कहां स्थित है?
अ.दिल्ली [ब.] चेन्नई स. बंगलौर द. इनमें से कोई नहीं

21. विकास शुल्क की दर कितने प्रतिशत है?
[अ.] 5 प्रतिशत ब. 10 प्रतिशत स. 15 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

22. माल भाड़ा यातयात के मामले में भारतीय रेलवे में कितने कैटेगरी के ग्राहक हैं?
अ. 2 [ब.] 3 स. 5 द. इनमें से कोई नहीं

23. माल भाड़ा यातयात के मामले में ग्राहकों की कैटेगरी का आधार क्या माना गया हैं?
[अ.] ग्राहक द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया भाड़ा ब. ग्राहकों की आय
स. रेलवे की सकल आय द. इनमें से कोई नहीं

24. कैटेगरी A के अन्तर्गत कितने रूपये तक के भाड़ा भुगतान करने वाले ग्राहक आते हैं?
[अ.] रू0 100 करोड़ से अधिक ब. रू0 50 करोड़ या उससे अधिक
स. रू0 50 करोड से कम द. इनमें से कोई नहीं

25. कैटेगरी B के अन्तर्गत कितने रूपये तक के भाड़ा भुगतान करने वाले ग्राहक आते हैं?
अ. रू0 100 करोड़ या उससे अधिक [ब.] रू0 50 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक
स. रू0 50 करोड से कम द. इनमें से कोई नहीं

26. कैटेगरी C के अन्तर्गत कितने रूपये तक के भाड़ा भुगतान करने वाले ग्राहक आते हैं?
अ. रू0 100 करोड़ या उससे अधिक ब. रू0 50 करोड़ या उससे अधिक
[स.] रू0 25 करोड से अधिक किन्तु 50 करोड तक द. इनमें से कोई नहीं

27. माल यातायात के क्षेत्र में व्यस्त सीजन कब से कब तक माना गया है?
अ. 1 अक्तूबर से 30 मार्च तक ब. 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक
[स.] 1 अक्तूबर से 30 जून तक द. इनमें से कोई नहीं

28. माल यातायात के क्षेत्र में अव्यस्त सीजन कब से कब तक माना गया है?
अ. 1 अक्तूबर से 30 मार्च तक [ब.] 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक
स. 1 अक्तूबर से 30 जून तक द. इनमें से कोई नहीं

29. उत्तर रेलवे में माल यातायात के क्षेत्र में मानसून सीजन कब से कब तक माना जाता है?
अ. 1 जून से 31 अगस्त तक [ब.] 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक
स. 1 अक्तूबर से 30 मार्च तक द. इनमें से कोई नहीं

30. फ्रेट इन्सेन्टिव स्कीम कितने प्रकार की हैं?
अ. 2 [ब.] 4 स. 10 द. इनमें से कोई नहीं

31. कोल एवं कोक ग्रूप के वस्तुओं पर बीजी सीजन सरचार्ज की दर कितनी है?
अ. 10 प्रतिशत ब. 5 प्रतिशत [स.] 15 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

32. कन्टेनर ट्रैफिक पर बीजी सीजन सरचार्ज की दर कितनी है?
अ. 5 प्रतिशत ब. 10 प्रतिशत स. 20 प्रतिशत [द.] इनमें से कोई नहीं

33. निषिद्ध वस्तुओं की इनवाइस के साथ कौन सा दस्तावेज गन्तव्य स्टेशन भेजा जाता है?
अ. पास या परमिट [ब.] लाइसेंस स. फार्म – 16 द. इनमें से कोई नहीं

34. बीजी सीजन सरचार्ज किस माह से किस माह तक प्रभारित किया जायेगा?
अ. अक्टूबर से मार्च तक [ब.] अक्टूबर से जून तक
स. अप्रैल से जून तक द. इनमें से कोई नहीं

35. धारा 71/1/a का प्रावधान किस सम्बन्ध में है ?
अ.विवेकीकृत मार्ग [ब.] प्राथमिकता सूची स. पुनः तौल द. इनमे से कोई नही

36. धारा 71/1/b का प्रावधान किस सम्बन्ध में है ?
[अ.] विवेकीकृत मार्ग ब. प्राथमिकता सूची स. पुनः तौल द. इनमे से कोई नही

37. माल यातायात का भाड़ा न्यूनतम कितनी दूरी का प्रभारित होगा?
[अ.] 125 किमी0 ब. 200 किमी0 स. 400 किमी0 द. इनमें से कोई नहीं

38. यदि मालिक द्वारा घोषित वजन पर माल बुक किया जाता है तो रेलवे रसीद पर क्या लिखा जायेगा?
अ. सेड टू कन्टेन [ब.] एस.डब्ल्यू.ए. स. न्यूनतम वजन द. इनमें से कोई नहीं

39. RRT का गठन किस धारा के अन्तर्गत किया गया है?
[अ.] धारा–33 ब. धारा–34 स. धारा–35 द. इनमें से कोई नहीं

40. सामान्यतः पैकिंग से सम्बन्धित शर्ते कितने प्रकार की है ?
अ. 1 ब. 2 [स.] 3 द. इनमे से कोई नहीं

41. स्पेशल (विशेष) पैकिंग की शर्ते कितनी है ?
अ. 1 ब. 2 [स.] 3 द. इनमे से कोई नहीं

42. स्पेसिफिक (विशिष्ट) पैकिंग की शर्ते कितनी है ?
अ. 2 ब. 4 [स.] 6 द. इनमे से कोई नहीं

43. डनेज के लिये स्पेशल कन्डीशन कौन है ?
[अ.] S–2 ब. S–3 स. P–5 द. इनमें से कोई नहीं

44. माल की मार्किंग का कोई एक उदाहरण दीजिए?

45. RCT का पूरा रूप लिखिये

46. पैकिंग की शर्त एस–1 किस माल के सम्बन्ध में है ?
अ. मोटर वाहन के लिए [ब.] मैटल स्क्रैप के लिए
स. बोरी में पैक्ड माल के लिए द. इनमें से कोई नहीं

47. पैकिंग की किस शर्त के अधीन वस्तुएं, प्लाईबुड/लकड़ी के केसों में पैक होनी चाहिए?
अ. पी–1 ब. पी–2 [स.] पी–4 द. इनमें से कोई नहीं

48. पैकिंग की शर्त पी–5 किस सम्बन्ध में है ?
अ. बोरी वाले प्रेषण ब.खुले परेषण [स.] द्रव पदार्थ द. इनमें से कोई नहीं

49. विस्फोटक पदार्थो को कितनी क्लास में वॉटा गया है?
अ. 6 [ब.] 7 स. 8 द. इनमें से कोई नहीं

50. ब्राड गैज के एक आठ पहिया वाले कवर्ड वैगन में न्यूनतम कितने डनेज वैग्स प्रयोग किये जाने चाहिए ?
अ. 3 ब. 6 [स.] 12 द.इनमे से कोई नहीं

51. ब्राड गैज के एक चार पहिया वाले कवर्ड वैगन में न्यूनतम कितने डनेज वैग्स प्रयोग किये जाने चाहिए ?
अ. 3 [ब.] 6 स. 12 द.इनमे से कोई नहीं

52. एक दरवाजे पर न्यूनतम कितने डनेज वैग्स प्रयोग किये जाने चाहिए ?
[अ.] 3 ब. 6 स. 12 द.इनमे से कोई नहीं

53. पैकिंग की शर्त पी–6 किस माल के सम्बन्ध में है ?
[अ.] मोटर वाहन के लिए ब. मैटल स्क्रैप के लिए
स. बोरी वाले माल के लिए द. इनमें से कोई नहीं

54. पैकिंग की शर्त पी–2बी किस माल के सम्बन्ध में है ?
अ. मोटर वाहन के लिए ब. मैटल स्क्रैप के लिए
[स.] बास के लिए द. इनमें से कोई नहीं

55. माल यातायात की लोडिंग/अनलोडिंग से सम्बन्धित नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिये गये हैं ?
अ. IRCA गुड्स टैरिफ नम्बर 41 भाग–1 जिल्द –1
ब. IRCA गुड्स टैरिफ नम्बर 43 भाग–1 जिल्द –2
स. IRCA गुड्स टैरिफ नम्बर 43 भाग–2
[द.] वाणिज्य नियमावली जिल्द –2

56. माल के वहन के मामले में बैली के रूप में रेलवे की जिम्मेदारी किस धारा के अन्तर्गत निर्धारित है?
अ. 93 ब. 97 [स.] 99 द. 103

57. पैकिंग की शर्त एस–3 किस माल के सम्बन्ध में है ?
अ. मोटर वाहन के लिए ब. मैटल स्क्रैप के लिए
स. बोरी वाले माल के लिए [द.] इनमें से कोई नहीं

58. पैकिंग की पी–6 शर्त के अनुसार मोटर वाहन में कितने लीटर से अधिक ईधन (पैट्रोल) नहीं होना चाहिए ?
अ. 15 लीटर ब. 12 लीटर [स] 10 लीटर द. इनमें से कोई नहीं

59. मालगाड़ी के ब्रेकवान में गार्ड को छोड़कर अधिकतम कितने यात्री अनुमत हैं?
[अ] 5 ब. 6 स. 7 द. 10

60. खतरनाक माल की बुकिंग के लिए अग्रिम सूचना कितने घण्टे पहले देना अनिवार्य है।
अ. 24 घण्टे ब. 40 घण्टे
[स] 48 घण्टे द. इनमे से कोई नहीं

61. खतरनाक माल का स्टोरेज स्टेशन बिल्डिंग/रिहायशी इलाके से कम से कम कितनी दूरी पर करना चाहिए ?
अ. 15 मीटर ब. 30 मीटर [स] 45 मीटर द. इनमें से कोई नही

62. रनिंग ट्रेन थेफ्ट की रिपोर्ट कितनी प्रतियों में बनाई जाती है?
[अ] 4 ब. 3 स. 5 द. इनमें से कोई नही

63. वैगन सील लेबेल में कुल कितने छिद्र होते हैं?
[अ] 4 ब. 3 स. 2 द. 1

64. माल यातायात की तौल की व्यवस्था किस धारा के अन्तर्गत है।
अ. धारा –63 [ब] धारा– 78 स. धारा –79 द. इनमें से कोई नहीं

65. पार्टी की प्रार्थना पर माल यातायात की तौल / पुनः तौल किस धारा के अन्तर्गत किया जाता है।
अ. धारा –63 ब. धारा– 78 [स] धारा –79 द. इनमें से कोई नहीं

66. यदि माल की तौल फारवर्डिंग स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर होना हो तो सील लेबेल पर किस स्टेशन का नाम लिखा जायेगा?
[अ] गन्तव्य स्टेशन का ब. अग्रेषक स्टेशन का स. मध्यवर्ती स्टेशन का द. इनमें से कोई नहीं

67. B.G. में एक 8–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट चार्ज की दर कितनी है?
[अ] 3620/–रूपये ब. 1450/–रूपये स.500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं

68. B.G.में एक 4–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट चार्ज की दर कितनी है?
अ. 3620/–रूपये [ब] 1450/–रूपये स. 500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं

69. B.G. में एक 8–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट हॉलेज चार्ज की दर कितनी है?
[अ] 3620/–रूपये ब. 1450/–रूपये स. 500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं

70. रिपोजिशनिंग चार्ज की दर कितनी है।
[अ] रिवेमेंट चार्ज की दर का 2/3 ब. रिवेमेंट चार्ज की दर का 1/3
स. रिवेमेंट चार्ज की दर का 3/4 द. इनमें से कोई नहीं

71. MINI RAKE का कम्पोजीशन न्यूनतम कितने वैगनों का होगा।
अ. 10 कवर्ड वैगन [ब] 20 कवर्ड वैगन स. 40 कवर्ड वैगन द. इनमें से कोई नहीं

72. MINI RAKE अधिकतम कितनी दूरी के लिए बुक होगा।
अ. 100 किमी0 ब. 200 किमी0 [स] 400 किमी0 द. इनमें से कोई नहीं

73. MINI RAKE के लोडिंग / अनलोडिंग के लिए कितना फ्री टाइम निर्धारित किया गया है।
अ. 3 घंटे [ब] 5 घंटे स. 9 घंटे द. इनमें से कोई नहीं

74. MINI RAKE में माल बुक कराने पर सुप्लीमेंटरी चार्ज कितने प्रतिशत लिया जायेगा?
अ. 3 प्रतिशत [ब] 5 प्रतिशत स. 7 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

75. MINI RAKE में माल बुक कराने पर भाड़ा किस रेट पर प्रभारित होगा।
[अ] ट्रेन लोड क्लास रेट ब. वैगन लोड क्लास रेट स. लम्प सम रेट द. इनमें से कोई नहीं

76. TWO POINT RAKE के मामले में प्रत्येक गन्तव्य स्टेशन के लिए कम से कम कितने वैगन अवश्य लोड किये जाने चाहिए?
[अ] 10 वैगन ब. 20 वैगन स. 40 वैगन द. इनमें से कोई नहीं

77. TWO POINT RAKE में माल बुक कराने पर सुप्लीमेंटरी चार्ज कितने प्रतिशत लिया जायेगा?
[अ.] 5 प्रतिशत ब. 10 प्रतिशत स. 20 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

78. TWO POINT RAKE के मामले में कितने वैगनों की मांग का पंजीकरण कराया जायेगा ?
[अ.] स्टैंडर्ड साइज रेक का ब. 30 वैगन स. 45 वैगन द. इनमें से कोई नहीं

79. TWO POINT RAKE का भाड़ा किस रेट पर प्रभारित होगा?
[अ.] ट्रेन लोड क्लास रेट ब. वैगन किमी0 रेट स. लम्प सम रेट द. इनमें से कोई नहीं

80. MULTI POINT RAKE के मामले में प्रत्येक गन्तव्य स्टेशन के लिए कम से कम कितने वैगन अवश्य लोड किये जाने चाहिए?
[अ.] 10 वैगन ब. 20 वैगन स. 40 वैगन द. इनमें से कोई नहीं

81. मल्टी प्वाइन्ट रेक सरचार्ज की दर अक्टूबर से जून तक कितनी है ?
अ. 5 प्रतिशत ब. 10 प्रतिशत [स.] 20 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

82. MULTI POINT RAKE पर अनुपूरक प्रभार किस माह से किस माह तक प्रभारित किया जायेगा?
अ. अक्टूबर से मार्च तक [ब.] अक्टूबर से जून तक
स. अप्रैल से जून तक द. इनमें से कोई नहीं

83. वैगन की मांग का पंजीकरण किस पुस्तक में किया जाता है ?
[अ.]प्राथमिकता रजिस्टर ब. कैश बुक स. लोडिंग बुक द. इनमें से कोई नहीं

84. सामान्य वस्तुओं के लिये वैगन की मांग कितने दिन बाद रद्द कराने पर वैगन पंजीकरण शुल्क जब्त होता है ?
अ. तीस दिन ब. सात दिन [स.] दस दिन द. इनमें से कोई नहीं

85. प्राथमिकता सूची कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत है ?
[अ.] 4 ब. 5 स. 7 द. इनमें से कोई नहीं

86. प्राथमिकता रजिस्टर में कितने कालम होते है ?
अ. 7 ब. 17 [स.] 27 द. इनमें से कोई नहीं

87. प्राथमिकता सूची किस धारा के अन्तर्गत बनाई जाती है ?
अ. 51 ब. 61 [स.] 71 द. इनमें से कोई नहीं

88. BG में एक बी.सी.एन. वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. 250 रू0 ब. 450 रू0 [स.] 1500 रू0 द. इनमें से कोई नहीं

89. BG में एक बॉक्स एन वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 400 प्रति वैगन [ब.] रू0 1500 प्रति वैगन
स. रू. 700 प्रति वैगन द. इनमें से कोई नहीं

90. प्राथमिकता सूची (Priority Schedule) की मान्यता की अवधि कितनी है ?
[अ.] एक वर्ष ब. छः माह स. दो वर्ष द. इनमें से कोई नहीं

91. रजिस्ट्रेशन फीस की मनी रसीद कितनी कापियों में बनाई जाती है ?
अ. 3 [ब.] 2 स. 4 द. इनमें से कोई नहीं

92. वैगनों के आवंटन में सामान्य नियम पहले आओं पहले पाओं का प्रावधान किस धारा के अन्तर्गत है ?
[अ.] धारा 70 ब. धारा 71 स. धारा 72 द. इनमें से कोई नहीं

93. निम्न में से किस मामले में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती ?
अ. टैंक वैगन के मामले में [ब.] CONCOR स. जानवर द. इनमे से कोई नहीं

94. पंजीकरण हो जाने के बाद गन्तव्य स्टेशन के नाम में परिवर्तन के लिए किसकी अनुमति लेना अनिवार्य है ?
अ. SM ब. CGS [स.] Sr.DCM/DCM द. इनमे से कोई नहीं

95. मीटर गेज पर एक 8–व्हीलर वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 500/– [ब.] रू0 1500/– स. रू0 300/– द. इनमे से कोई नहीं

96. नैरो गेज पर एक वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 500/– ब. रू0 400/– [स.] रू0 1500/– द. इनमे से कोई नही

97. ब्राड गेज पर एक रेक की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
[अ.] रू0 50000/– ब. रू0 12000/– स. रू0 1500/– द. इनमे से कोई नहीं

98. मीटर गेज पर एक रेक की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
अ. रू0 15000/– [ब.] रू0 50000/– स. रू01500/– द. इनमे से कोई नहीं

99. नैरो गेज पर एक रेक की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
अ. रू0 15000/– ब. रू0 12000/– [स.] रू01500 X डिब्बों की संख्या द. इनमे से कोई नहीं

100. निम्न में से किससे रजिस्ट्रेशन फीस पंजीकरण के समय नहीं ली जाती ?
अ. ATM कार्ड धारक [ब.] प्लेटिनम कार्ड धारक स. पेन कार्ड धारक द. इनमे से कोई नही

101. सरकारी मामले में लम्प सम वैगन रजिस्ट्रेशन फीस की दर कितनी है ?
अ. रू0 1000/– [ब.] रू0 30000/– स. रू0 15000/– द. इनमे से कोई नहीं

102. वैगनों का पंजीकरण शुल्क निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है?
[अ.] बोगस वैगन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के उद्देश्य से ब. अधिक भाड़ा वसूलने के उद्देश्य से
स. पार्टी की रकम जब्त करने के उद्देश्य से द. इनमे से कोई नहीं

103. वैगन पंजीकरण शुल्क किन परिस्थितियों में जब्त हो जाती है ?
[अ.] जब पार्टी द्वारा 10 दिन से कम समय के अन्दर पंजीकरण निरस्त करा दिया जाये।
ब. जब पार्टी द्वारा पूरा रेक लोड कर दिया जाये।
स. जब पार्टी द्वारा पूरा भाड़ा भुगतान कर दिया जाये।
द. इनमें से कोई नहीं

104. माल वर्गीकरण किस संदर्भ पुस्तिका में दिया है ?
अ. IRCA गुड़स टैरिफ नम्बर 41 भाग–1 जिल्द –1 स. IRCA गुड़स टैरिफ नम्बर 44 भाग–2
[ब.] IRCA गुड़स टैरिफ नम्बर 48 भाग–1 जिल्द –2 द. इनमे से कोई नहीं

105. वर्गीकरण के अध्याय में चिन्ह d का क्या तात्पर्य है ?
[अ.] वस्तु खतरनाक है ब. परमानेन्ट स.पूर्व भुगतान जरूरी द. इनमे से कोई नहीं

106. वर्गीकरण के अध्याय में चिन्ह p का क्या तात्पर्य है ?
अ. पेरीशेबल ब. परमानेन्ट [स] पूर्व भुगतान जरूरी द. इनमें से कोई नहीं

107. सैनिक यातायात के लिए न्यूनतम प्रभारित दूरी कितनी है ?
अ. 80 किमी0 ब. 110 किमी0 [स.] 100 किमी0 द. इनमे से कोई नहीं

108. वैगन ट्रान्सफर रजिस्टर के द्वारा किस प्रभार की गणना की जाती है ?
अ. अतिरिक्त शुल्क [ब.] विलम्ब शुल्क स. स्थान शुल्क द. इनमें से कोई नहीं

109. ग्रुप–I स्टेशन पर अनलोडिंग की फ्री टाइम की समाप्ति के बाद व्हारफेज के लिए कितने घंटे फ्री टाइम दिया जाता है?
अ.10 वर्किंग आवर [ब.] 12 वर्किंग आवर स. 18 वर्किंग आवर द.इनमे से कोई नही

110. ग्रुप–II स्टेशन पर अनलोडिंग की फ्री टाइम की समाप्ति के बाद व्हारफेज के लिए कितने घंटे फ्री टाइम दिया जाता है?
अ. 10 वर्किंग आवर [ब.] 15 वर्किंग आवर स. 18 वर्किंग आवर द. इनमे से कोई नही

111. ग्रुप–III स्टेशन पर अनलोडिंग की फ्री टाइम की समाप्ति के बाद व्हारफेज के लिए कितने घंटे फ्री टाइम दिया जाता है?
अ. 10 वर्किंग आवर ब. 12 वर्किंग आवर [स.] 30 वर्किंग आवर द. इनमे से कोई नही

112. यदि वैगन को खोलने पर पूरा पैकेज मिसिंग पाया जाय,तो डी.डी.मैसेज डिब्बा खोलने के बाद कितने समय के अन्दर जारी कर दिया जाना चाहिए ?
अ. 4 घंटे ब. 5 घंटे [स.] 6 घंटे द. इनमें से कोई नहीं

113. SWA का पूरा रूप लिखिये ?
अ. Sendesr's Work Arrangement
[ब.] Sender 's Weight Accepted
स. Sender Weitht Authorysed
द. इनमें से कोई नहीं

114. माल वर्गीकरण में कुल कितनी क्लासें हैं ?
[अ.] 15 ब. 16 स. 20 द. इनमें से कोई नहीं

115. माल वर्गीकरण में उच्चतम क्लास कौन सी हैं ?
अ. 100 ब. 180 [स.] 200 द. इनमें से कोई नहीं

116. अवर्गीकृत माल किस क्लास पर प्रभारित किया जायेगा? यदि माल टैंक वैगन में लोड किया गया हो
अ. सबसे ऊँची क्लास पर ब. क्लास 180 [स.] क्लास 200 द. इनमें से कोई नहीं

117. एक भेड़ की जोखिम कीमत कितनी है ?
अ. रू0 110/– [ब.] रू0 120/– स. रू0 800/– द. इनमें से कोई नहीं

118. O.D.C. कितने प्रकार की होती हैं ?
[अ.] 3 ब. 1 स. 2 द. इनमें से कोई नहीं

119. छोटे रास्ते की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ट्रान्शिपमेंट प्वाइन्ट को कितने किलोमीटर माना जाता है ?
अ. 100 किमी. [ब.] 200 किमी0 स. 400 किमी0 द. इनमें से कोई नही

120. गेट पास कितनी प्रतियों में बनाया जाता है ?
अ. एक प्रति ब. दो प्रति [स.] तीन प्रति द. इनमें से कोई नहीं

121. बन्द डिब्बें में लोडिंग करते समय वैगन की दीवार से कितना स्थान छोड़ देना चाहिए
अ. 10 इंच [ब.] 6 इंच स. 12 इंच द. इनमें से कोई नहीं

122. किसी एक ऐसी वस्तु का नाम लिखिये जिससे लदे डिब्बे में रिवीट नहीं लगाया जाना चाहिए ।
अ. बहुमूल्य वस्तुएं [ब.] खतरनाक माल स. नाशवान वस्तुएं द. इनमें से कोई नहीं

123. 'दावा' का प्रार्थना–पत्र अधिकतम कितने समय के अन्दर दे दिया जाना चाहिए?
[अ.] 6 माह ब. 7 माह स. 8 माह द. इनमें से कोई नही

124. सैनिक माल की बुकिंग के नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिये हैं ?
[अ.] IRCA मिलिटरी टैरिफ नम्बर 6 ब. IRCA कोचिंग टैरिफ नम्बर 25 पार्ट–I वोल्यूम–III
स. IRCA मिलिटरी टैरिफ नम्बर–24 द. IRCA कोचिंग टैरिफ नम्बर–24 पार्ट–I वोल्यूम–IV

125. मिथ्या घोषित माल को सामान्य दर के कितने गुने पर चार्ज किया जाता है ?
[अ.] चौगुने पर ब. 6 गुने पर स. दोगुने पर द. इनमें से कोई नहीं

126. CONCOR का पूरा रूप लिखिये ?
अ. कन्टेनर कोरपेरेशन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड स. कोरपेरशन कन्टेनर इण्डिया लिमिटेड
ब. कन्टेनर कोरपेरेशन आवर इन्टरनेशनल ट्रेड [द.] इनमे से कोई नहीं

127. M.G.R. का पूरा रूप लिखिये ?
अ. मेक्जीमम ग्रॉस रिबेन्यू [ब.] मिसींग एण्ड डैमेज्ड गुड्स रिपोर्ट
स. मिनीमम गुड्स रिक्वायर्ड टू बी लोड द. इनमें से कोई नहीं

128. डिप्टी सी.सी.एम.'दावा' अधिकतम किस सीमा तक दावा के मामले का निपटारा कर सकते है ?
अ. 160000/– ब. 100000/– [स.] 60000/– द. इनमें से कोई नहीं

129. सामान्य इन्डेमिनिटी नोट की मान्यता की अवधि कितनी है ?
अ. दो वर्ष [ब.] तीन वर्ष स. पॉच वर्ष द. इनमें से कोई नहीं

130. अनक्लेम्ड माल की नीलामी रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अन्तर्गत की जाती है ?
[अ.] 83/84 ब. 86/87 स. 83/88 द. इनमें से कोई नहीं

131. यदि अनलोडिंग के अगले दिन माल डिलीवरी के लिए उपलब्ध हो, तो कितना फ्री टाइम दिया जाता है यदि स्टेशन ग्रुप–I है ?
[अ.] कार्य के 12 घंटे ब. कार्य के 10 घंटे स. कार्य के 8 घंटे द. इनमें से कोई नहीं

132. वैगन ट्रान्सफर रजिस्टर कहॉ रखा जाता है ?
अ.टी0सी0ऑफिस में ब.एस0एस0ऑफिस [स.]माल गोदाम द. इनमें से कोई नहीं

133. Rationalised Route रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अर्न्तगत निर्धारित किये जाते है ?
अ. 73 [ब.] 71 स. 68 द. इनमें से कोई नहीं

134. बन्द डिब्बें में लोडिंग करते समय वैगन के दरवाजे से कितना स्थान छोड़ देना चाहिए?
[अ.] 18 इंच ब. 12 इंच स. 19 इंच द. इनमें से कोई नहीं

135. विस्फोटक माल की बुकिंग के नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिये हैं ?
[अ.] IRCA रेड टैरिफ नम्बर –20 ब. IRCA रेड टैरिफ नम्बर –6
स. IRCA कोचिंग टैरिफ नम्बर–24 द. इनमें से कोई नहीं

136. मिथ्या घोषित माल पाये जाने पर रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अन्तर्गत दंडित किया जाता है ?
अ. धारा– 164 [ब.] धारा– 163 स. धारा–165 द. इनमें से कोई नहीं

137. पैट्रोलियम पदार्थो को ले जाने सम्बन्धी नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिये है?
[अ.] IR रेड़ टैरिफ नम्बर –20 ब. IR रेड़ टैरिफ नम्बर –24
स. IRCA रेड टैरिफ नम्बर–25 द. इनमें से कोई नहीं

138- ICD का पूरा रूप लिखिये ?
अ. इण्डिया कन्टेनर डिपो [ब.] इनलेण्ड कन्टेनर डिपो
स. इण्डिया क्लेम डिपो द. इनमें से कोई नहीं

139. विस्फोटक पदार्थ के एक पैकेज का वजन किस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए ?
अ. 70 किग्रा0 [ब.] 50 किग्रा0 स. 77 किग्रा0 द. इनमें से कोई नहीं

140. सूती कपड़ों के संबंध में पैकिंग की कौन सी शर्त है?
अ. पी–1 ब. पी–2 ए [स.] पी–3 द. इनमें से कोई नहीं

141. कवर्ड वैगन में लोडिंग के बाद वैगन को बन्द करने से पहले वैगन के अन्दर कौन सा लेबेल लगाया जाता है ?
[अ.] पैस्ट आन ब. टाई आन स. वैगन ब्रेकिट लेबेल द. इनमें से कोई नहीं

142. वैगन सील कितने प्रकार की होती है ?
अ. 3 [ब.] 2 स. 4 द. इनमे से कोई नहीं

143. वैगन लैबेल कितने प्रकार के होते है ?
अ. 3 [ब.] 2 स. 1 द. इनमे से कोई नहीं

144. किस प्रकार की वस्तुओं से लदे वैगनों में काशन लैबेल लगाया जाना आवश्यक है ?
[अ.] विस्फोटक माल ब. नश्य पदार्थ स. सामान्य माल द. इनमें से कोई नहीं

145. यदि अनकनेक्टेड वैगन कनेक्ट न हो सके तो कितने समय के बाद इसकी अनलोडिंग करा दी जानी चाहिए ?
अ. 24 घंटे ब. 48 घंटे [स.] 72 घंटे द. इनमे से कोई नहीं

146. एन.आर.सेल का पूरा नाम लिखियें ?
अ. Non Receipt cell ब. Not Receipt Cell [स.] Not Received Cell द. इनमे से कोई नहीं।

147. विस्फोटक पदार्थ के पैकेज को जलती आग से कम से कम कितनी दूर रखना चाहिए?
अ. 14 मीटर [ब.] 15 मीटर स. 16 मीटर द. इनमे से कोई नहीं

148. किस धारा के अन्तर्गत संक्रामक व छुआछूत रोग से पीड़ित जानवर बुक नहीं किये जाते है ?
अ. धारा–56 ब. धारा–68 [स.] धारा–67 द. इनमें से कोई नही

149. नशीली वस्तु के परेषण के साथ कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है
अ.इन्डमिनिटी नोट ब. प्लेट फार्म टिकट [स.] परमिट/पास द. इनमें से कोई नहीं

150. किस प्रकार की वस्तुओं से लदे वैगनों में हरे रंग के तिरछी लाइन वाले लैबेल लगाया जाना आवश्यक है ?
अ. खतरनाक ब. विस्फोटक [स.] पेरीशेबिल्स द. इनमें से कोई नहीं

151. वैगन लोड के मामले में जानवरों का वर्गीकरण क्या है ?
अ. LR-5 [ब.] 120 स. 220 द. इनमें से कोई नहीं

152. क्लेम मांगने का निर्धारित समय सीमा क्या है ?
अ. एक साल [ब.] छः माह स. दो साल द. इनमें से कोई नहीं

153. दावा का प्रार्थना पत्र दिए जाने का प्रावधान वर्तमान रेल अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत है ?
अ. धारा– 76/77 ब. धारा– 93 [स.] धारा –106 द. इनमें से कोई नहीं

154. N.R.Cell कितने स्तरों पर कार्य करती है ?
अ. दो [ब.] तीन स. चार द. इनमें से कोई नहीं

155. रैड टैरिफ नम्बर 20 के अनुसार खतरनाक वस्तुएं कितने प्रकार की होती है ?
अ. 6 ब. 7 [स.] 8 द. इनमें से कोई नहीं

156. यदि रेलवे का माल आर0एम0सी0 के रूप में रेलवे के वैगन में बुक कराया जाए तो भाड़ा किस क्लास प्रभारित किया जायेगा ?
अ. 120 ब. 130 स. 180 [द.] इनमे से कोई नहीं

157. आर.एम.सी. यातायात के लिए न्यूनतम प्रभारित दूरी कितनी है ?
[अ.] 125 किमी0 ब. 150 किमी0 स. 200 किमी0 द. इनमें से कोई नहीं

158. RMC का पूरा रूप है।
[अ.] रेलवे मैटेरियल कनसाइनमेंट ब. रेलवे मेडिकल सर्टिफिकेट
स. रेलवे मेटलर्जिकल कमेटी द.इनमे से कोई नहीं

159. यदि मिलिट्री का माल रेलवे के वैगन में ट्रेन लोड के रूप में बुक कराया जाए तो भाड़ा किस क्लास पर प्रभारित किया जायेगा?
अ. एल0आर0–1 [ब.] 110 स. 180 द. इनमे से कोई नहीं

160. Sr.DCM कितने रूपये तक डेमरेज चार्ज माफ कर सकते है ?
अ. रू0 300/– ब. रू0 600/– [स.] रू0 6000/– द. इनमे से कोई नहीं

161. CCM कितने रूपये तक डेमरेज चार्ज माफ कर सकते है ?
अ. रू0 15000/– ब.रू0 6000/– [स.]रू0 1,00,000/– द.इनमे से कोई नहीं

162. Sr.DCM कितने रूपये तक का स्थान शुल्क अधिकतम माफ कर सकते है ?
अ. रू0 8000/– [ब.] रू0 6000/– स. रू0 1200/– द.इनमे से कोई नहीं

163. CCM कितने रूपये तक का स्थान शुल्क अधिकतम माफ कर सकते है ?
अ.रू0 2,00,000/– ब.रू0 4,00,000/– [स.] एक लाख द.इनमे से कोई नहीं

164. GM कितने रूपये तक का स्थान शुल्क अधिकतम माफ कर सकते है ?
अ.रू0 1,00,000/– ब.रू0 50,000/– स.रू0 25,000/– [द.] असीमित

165. कितनी दूरी की यात्रा पूरी करने के बाद जानवरों को विश्राम के लिए मालिक के जोखिम पर उतारा जा सकता है?
अ. 500 ब. 501 [स.] 320 द. इनमें से कोई नहीं

166. प्रारम्भिक स्टेशन पर ओवरलोडिंग पाये जाने पर, लोड एडजस्टमेंट के लिए रेलवे के लोको का उपयोग किये जाने पर पार्टी से कौन सा प्रभार वसूला जायेगा ?
[अ.] शंटिंग चार्ज ब. डेवलपमेन्ट चार्ज स. टर्मिनल चार्ज द. इनमें से कोई नहीं

167. प्रारम्भिक स्टेशन पर ओवरलोडिंग पाये जाने पर प्रति ओवरलोडेड वैगन कितने रूपये वैगन डिटेंशन चार्ज के रूप में पार्टी से वसूला जायेगा ?
अ.रू0 10,000/– [ब.] रू0 5,000/– स.रू0 25,000/– द. इनमें से कोई नहीं

168. यूनिफार्म एवं स्टैण्डर्ड साइज के बैग में पैक्ड माल से लदे वैगनों/रेकों की कितने प्रतिशत तौल कराना आवश्यक है ?
[अ.] 5 प्रतिशत ब. 4 प्रतिशत स. 3 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

169. माल गाड़ी के ब्रेकवान में यात्रा करने से पूर्व यात्री से कौन सा डॉकूमेन्ट भरा जाना आवश्यक है।
[अ] इनडेमिनिटी नोट ब. फारवर्डिंग नोट
स. सहमति पत्र द. इनमे से कोई नहीं

170. नशीली वस्तुओं की इन्वायस के साथ कौन सा दस्तावेज गन्तव्य स्टेशन को भेजा जाता है?
[अ] पास या परमिट ब. लाइसेन्स स. फार्म–16 द. इनमे से कोई नहीं

171. सामान्य माल के मामले में ट्रान्जिट पीरियड समाप्त होने के बाद रेलवे बैली के रूप में अधिकतम कितने दिन तक जिम्मेदार होती है?
[अ] 7 दिन ब. 15 दिन स. एक महीना द. इनमे से कोई नहीं

172. P.L.M. का पूरा रूप लिखिये?

173. किसी ऐसी एक वस्तु का नाम लिखिये जिससे लदे वैगनों में रिवीट नहीं लगाना चाहिए?

उत्तर– विस्फोटक

174. लेड वायर सील लगाते समय किन–किन वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है? उनके नाम लिखिये।

उत्तर– लेड टेवलेट, वायर, प्लायर, केवान

175. माल यातायात के पैकेजों पर, रेलवे द्वारा मार्किंग का एक उदाहरण लिखिये।

176. किसी ऐसी एक वस्तु का नाम लिखिये जिससे लदे वैगनों में मोम की सील नहीं करनी चाहिए।

उत्तर– विस्फोटक

177. धारा 93 किस संदर्भ में है?

178. धारा 94 किस संदर्भ में है?

179. धारा 95 किस संदर्भ में है?

180. धारा 96 किस संदर्भ में है?

181. धारा 97 किस संदर्भ में है?

182. धारा 98 किस संदर्भ में है?

183. धारा 99 किस संदर्भ में है?

184. किस प्रकार की वस्तुओं से लदे वैगनों में काशन तथा पिक्टोरियल लेबेल लगायें जाते हैं। किसी एक वस्तु का नाम लिखिये?

उत्तर– विस्फोटक

185. रेलवे बोर्ड स्तर पर वाणिज्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
[अ] मेम्बर ट्रेफिक ब. सी0सी0एम0 स. सी0सी0ओ0 द. इनमे से कोई नहीं

186. क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है?
अ. ए0जी0एम0 [ब] सी0सी0एम0 स. सी0सी0ओ0 द. इनमे से कोई नहीं

187. मण्डल स्तर पर वाणिज्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है?
[अ] सीनियर डी0सी0एम0 ब. डी0सी0एम0
स. ए0सी0एम0 द. इनमे से कोई नहीं

188. माल गाड़ी के ब्रेकवान में यात्रा करने के मामले में जारी किया जाने वाला सर्टीफिकेट ऑफ इमरजेन्सी यात्रा समाप्ति के बाद किसे सौंपा जाता है?
अ. बुकिंग क्लर्क ब. गार्ड [स] स्टेशन मास्टर द. इनमे से कोई नहीं

189. वर्तमान रेल अधिनियम की धारा–93 के अन्तर्गत कितने मामलों में रेलवे आमतौर स उत्तरदायी नहीं है?
अ. 7 [ब] 9 स. 11 द. इनमे से कोई नहीं

190. डनेज वैग की माप क्या होती है?
100 x 60 x 30 Cms

191. वर्तमान रेल अधिनियम का पूरा नाम क्या है?

192. वर्तमान रेल अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं?
[अ] 200 ब. 215 स. 230 द. इनमें से कोई नहीं

193. कौन सी धारा के अर्न्तगत कुछ मामलों में रेलवे क्षतिपूर्ति के दायित्व से पूरी तरह मुक्त है?
अ. 100 ब. 101 [स.] 102 द. इनमें से कोई नहीं

194. माल यातायात के अर्न्तगत बुक वस्तुओं के लिए रेलवे द्वारा अधिकतम कितने रूपये जोखिम कीमत निर्धारित है?
[अ.] रू0 50/–प्रति किग्रा0 तक ब. रू0 100/–प्रति किग्रा0 तक
स. रू0 150/–प्रति किग्रा0 तक द. इनमें से कोई नहीं

195.. खतरनाक माल के मामले धारा–99 के अन्तर्गत वेली पीरियड क्या है?
अ. एक दिन ब. सात दिन स. पन्द्रह दिन [द.] इनमें से कोई नहीं

196. निषिद्ध वस्तुओं के मामले में लाइसेन्स की कितनी कापियॉ इन्वाइस के साथ भेजी जाती हैं?
अ. 1 ब. 2 स. 3 द. इनमें से कोई नहीं

197. D&AR के अर्न्तगत बड़ी शस्तियों की संख्या कितनी है?
अ. 4 [ब.] 5 स. 6 द. इनमें से कोई नहीं

198. D&AR के अर्न्तगत छोटी शस्तियों की संख्या कितनी है?
अ. 3 ब. 4 स. 5 [द.] इनमें से कोई नहीं

199. छोटी शस्ति आरोपित करने के लिए कौन सा फार्म जारी किया जाता है?
[अ.] एस.एफ–11 ब. एस.एफ–5 स. एस.एफ–1 द. इनमें से कोई नहीं

200. बड़ी शस्ति आरोपित करने के लिए कौन सा फार्म जारी किया जाता है?
अ. एस.एफ–1 [ब.] एस.एफ–5 स. एस.एफ–11 द. इनमें से कोई नहीं

201. कर्मचारी को निलम्बित करने के लिए कौन सा फार्म जारी किया जाता है?
[अ.] एस.एफ–1 ब. एस.एफ–2 स. एस.एफ–11 द. इनमें से कोई नहीं

202. कर्मचारी के निलम्बन की वापसी के लिए कौन सा फार्म जारी किया जाता है?
अ. एस.एफ–1 ब. एस.एफ–3 [स.] एस.एफ–4 द. इनमें से कोई नहीं

203. अधिकतम कितने दिन की अर्जित अवकाश (LAP) एक साथ दी जा सकती है?
अ. 45 दिन ब. 90 दिन [स.] 180 दिन द. इनमें से कोई नहीं

204. पितृत्व अवकाश अधिकतम कितने दिन का दिया जा सकता है?
अ. 10 दिन [ब.] 15 दिन स. 25 दिन द. इनमें से कोई नहीं

205. कर्मचारी के खाते में प्रत्येक छमाही में कितनी LAP क्रेडिट होती है?
[अ.] 15 दिन ब. 20 दिन स. 25 दिन द. इनमें से कोई नहीं

206. कर्मचारी के खाते में प्रत्येक छमाही में कितनी HLAP क्रेडिट होती है?
[अ.] 10 दिन ब. 15 दिन स. 20 दिन द. इनमें से कोई नहीं

207. रनिंग स्टाफ ड्यूटी पर अधिकतम कितना प्राइवेट कैश रख सकता है?
अ. 500 रू0 ब. 1000 रू0 स. 1500 रू0 [द.] इनमें से कोई नहीं

208. स्टेशन स्टाफ, ड्यूटी पर अधिकतम कितना प्राइवेट कैश रख सकता है?
अ. 250 रू0 ब. 500 रू0 स. 1500 रू0 [द.] इनमें से कोई नहीं

209. पैंसेन्जर गाड़ी के ब्रेकवान में गार्ड के अलावा अधिकतम कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते है?
अ. 2 [ब.] 3 स. 4 द. इनमें से कोई नहीं

210. हिन्दी भाषा के प्रयोग हेतु राज्यों को कितने क्षेत्रों में बॉटा गया है?
अ. 2 [ब.] 3 स. 4 द. इनमें से कोई नहीं

211. मेटल पास कितने प्रकार के होते हैं?
अ. 2 [ब.] 3 स. 4 द. इनमें से कोई नहीं

212. प्रत्येक वर्ष में रेल कर्मचारी के खाते में कितनी अर्जित अवकाश (LAP) क्रेडिट की जाती है?
अ. 20 दिन [ब.] 30 दिन स. 45 दिन द. इनमें से कोई नहीं

213. IRCA का पूरा रूप लिखिये?
214. ODC का पूरा रूप लिखिये?
215. IM Weigh Bridge का पूरा रूप लिखिये?
216. ICD का पूरा रूप लिखिये?
217. CFS का पूरा रूप लिखिये?
218. CONCOR का पूरा रूप लिखिये?
219. CCM का पूरा रूप लिखिये?
220. N.R.Cell का पूरा रूप लिखिये?
221. AFTO का पूरा रूप लिखिये?
222. SFTO का पूरा रूप लिखिये ?
223. RCT का पूरा रूप लिखिये ?
224. RRT का पूरा रूप लिखिये?
225. DDM का पूरा रूप लिखिये?
226. DDPC का पूरा रूप लिखिये?
227. MPA का पूरा रूप लिखिये?
228. FOIS का पूरा रूप लिखिये?
239. P.L.M. का पूरा रूप लिखिये ?
230. D.F.C. का पूरा रूप लिखिये ?
231. D.F.C.C.I.L. का पूरा रूप लिखिये ?

## संस्थान में प्रशिक्षणर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधायें

1. छात्रावास की सुविधा
2. मेडिकल सुविधा
   - अ. रेलवे अस्पताल (संस्थान के मुख्य गेट पर)
   - ब. एक एम्बूलेंस
3. खान पान व्यवस्था – मेसिंग चार्ज 120/– रूपये प्रतिदिन।
4. स्पोर्ट
5. जिम
6. सांस्कृतिक कार्यक्रम
7. मनोरंजन सदन
8. 2 ए.टी.एम.
   - –1. पी0एन0बी0 (मुख्य गेट नं0 1 पर)
   - –2. एक्सिस बैंक (गेट नं0 3 पर)
9. म्यूजियम
10. पी0टी0 (व्यायाम)
11. योगा
12. दो कैन्टीन
13. विभिन्न गाड़ियों में आरक्षण के लिए इमरजेन्सी कोटा

| क्र.सं0. | गाड़ी का नाम | गाड़ी नं0 | क्लास | बर्थो की संख्या | बर्थो की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सद्भावना | 14007 | 3 ए0सी0 | 2 बर्थ | ..... |
| 2 | सद्भावना | 14008 | 3 ए0सी0 | 2 बर्थ | ..... |
| 3 | सद्भावना | 14013 | 3 ए0सी0 | 2 बर्थ | स्लीपर में 2 बर्थ |
| 4 | सद्भावना | 14014 | 3 ए0सी0 | 2 बर्थ | स्लीपर में 2 बर्थ |
| 5 | सद्भावना | 14015 | 3 ए0सी0 | 2 बर्थ | ..... |
| 6 | सद्भावना | 14016 | 3 ए0सी0 | 2 बर्थ | ..... |
| 7 | सद्भावना | 14017 | 3 ए0सी0 | 2 बर्थ | ..... |
| 8 | सद्भावना | 14018 | 3 ए0सी0 | 2 बर्थ | ..... |
| 9 | लिंक एक्स0 | 14113 | 2 ए0सी0 | 2 बर्थ | स्लीपर में 2 बर्थ |
| 10 | लिंक एक्स0 | 14114 | 2 ए0सी0 | 2 बर्थ | स्लीपर में 2 बर्थ |
| 11 | दादर एक्स0 | 14314 | 2 ए0सी0 | 2 बर्थ | स्लीपर में 2 बर्थ |
| 12 | बरेली दिल्ली पै0 | 54077 | ..... | ..... | स्लीपर में 2 बर्थ |

(क) एरर शीट और टी0ए.–2
(ख) ओपन डिलीवरी तथा एसेसमेन्ट डिलीवरी
(ग) अण्डर चार्ज तथा ओवर चार्ज
(घ) व्हारफेज चार्ज तथा डेमरेज चार्ज
(ड) रिबुकिंग तथा डायवर्जन

26. आउट स्टेडिंग से आप क्या समझते है ? 'बी' क्लास की आउट टेडिंग किस प्रकार क्लीयर की जाती है ?
27. माल यातायात की रेटिंग और रूटिंग से सम्बन्धित नियम लिखिए ?
28. माल वाहक के रूप में रेलवे के सामान्य दायित्व का वर्णन करिए तथा बताए कि धारा–102 के अन्तर्गत किन मामलों में रेलवे वाहक सम्बन्धी दायित्व से पूर्णतः मुक्त है ?
29. जानवरों को रेल द्वारा बुक करने तथा वहन सम्बन्धी नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिये ।
30. माल की मिथ्या घोषणा से आप क्या समझते है ? यह क्यों की जाती है। इसे रोकने के लिए सुझाव दीजिए ।
31. ओपन डिलीवरी से आप क्या समझते है ? इसके लिये कौन सी सावधानियॉ अपनाई जाती है ?
32. खतरनाक/विस्फोटक परेषणों के बुकिंग,लादन, परिवहन आदि सम्बन्धी नियमों का संक्षेप में वर्णन करिये ।

**माल सिद्धान्त (वस्तुनिष्ठ)**

**फारवर्डिंग नोट**

1. अग्रेषण नोट किस धारा के अन्तर्गत भरा जाता है :–
   अ. धारा –50 ब. धारा– 63 स. धारा –64 द. धारा–65
2. अग्रेषण नोट कितनी प्रतियों में भरा जाता है :–
   अ. एक ब. दो स. तीन द. चार
3. अग्रेषण नोट का मुख्य पश्ष्ठ किस के द्वारा भरा जाता है :–
   अ.मालिक ब.रेल कर्मचारी स. मालिक या उसके एजेन्ट द्वारा द.इनमें से कोई नहीं
4. अग्रेषण नोट का पश्ष्ठ भाग किसके द्वारा भरा जाता है :–
   अ.मालिक ब. रेल कर्मचारी स. मालिक या कार्यकर्ता द.इनमें से कोई नहीं
5. भरा हुआ अग्रेषण नोट कितने वर्ष तक रखा जाना चाहिए :–
   अ. एक वर्ष ब. दो वर्ष स. चार वर्ष द. इनमें से कोई नहीं
6. भरा हुआ अग्रेषण नोट कहॉ रखा जाता है :–
   अ. स्टेशन पर ब. मण्डल कार्यालय स. लेखा कार्यालय द. इनमें से कोई नही
7. सामान्य माल के फारवर्डिंग नोट कितनी प्रतियों में भरा जाता है ?
   अ. 1 ब. 2 स. 3 द. इनमें से कोई नहीं
8. माल की बुकिंग के लिए जो प्रपत्र भर कर प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं।
   अ. इन्डेमिनीटी नोट ब. अग्रेषण नोट स. सी.आर.नोट द. इनमें से कोई नहीं
9. माल की बुकिंग के लिए धारा 64 के अन्तर्गत किस प्रपत्र को भर कर प्रस्तुत करना आवश्यकहै।
   अ. इन्डेमिनीटी नोट ब. अग्रेषण नोट स. सी.आर.नोट द. इनमें से कोई नहीं
10. अग्रेषण नोट कितने प्रकार का होता है ?
    अ. कानूनी प्रपत्र ब. व्यापारिक सांख्यिकी
    स.सी.आर.नोट द. इनमें से कोई नहीं
11. अग्रेषण नोट पर माल का गलत विवरण / अधूरा विवरण देने से माल में यदि क्षति होती है तो रेलवे–

अ. क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगी ब.क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी
स. 50 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगी द. इनमें से कोई नहीं

12. रक्षा विभाग के विस्फोटक माल का अग्रेषण नोट किस रंग का होता है।
अ. गुलाबी ब.सफेद स. हल्का हरा द. इनमें से कोई नहीं

13. सामान्य अग्रेषण नोट किस रंग का होता है।
अ. गुलाबी ब.सफेद स. हल्का हरा द. इनमें से कोई नहीं

14. सामान्य अग्रेषण नोट कितने प्रतियों में भरा जाता है।
अ. एक ब. दो स. 3 द. इनमें से कोई नहीं

15. अग्रेषण नोट कितने प्रकार का होता है।
अ. 2 ब. 3 स. 5 द. इनमें से कोई नहीं

16. अग्रेषण नोट पर खराब पैकिंग का रिमार्क लेना किस धारा के अन्तर्गत आवश्यक है
अ. धारा –50 ब. धारा–63 स. धारा–98 द. इनमें से कोई नहीं

17. अग्रेषण नोट पर आर.आर/ओ.आर का रिमार्क लेना किस धारा के अन्तर्गत आवश्यक है।
अ. धारा –50 ब. धारा– 63 स. धारा –98 द. इनमें से कोई नहीं

18. अग्रेषण नोट पर मालिक द्वारा माल की सही–सही विवरण देने की जिम्मेदारी किस धारा के अन्तर्गत आवश्यक है।
अ. धारा –63 ब. धारा– 66 स. धारा –163 द. इनमें से कोई नहीं

19. वे वस्तुएं जो सामान्यतः बन्द डिब्बों में बुक की जाती है, यदि पार्टी ऐसा माल खुले डिब्बे में बुक कराना चाहे तो, अग्रेषण नोट पर इस आशय का रिमार्क लेना, किस धारा के अन्तर्गत आवश्यक है।
अ. धारा –102 ब. धारा– 103 स. धारा –104 द. इनमें से कोई नहीं
20. सामान्य अग्रेषण नोट की मान्यता अवधि कितनी होती है।
अ. 2 माह ब. 6 माह स. 8 माह द. इनमें से कोई नहीं

Invoice

32. रेलवे रसींद रेल अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत जारी की जाती है ?
अ. धारा–63 ब. धारा–64 स. धारा–65 द. इनमें से कोई नहीं
33. इनवायस की रिकार्ड प्रति कितने वर्ष तक सुरक्षित रखी जाती है?
अ. 3 वर्ष अ. 5 वर्ष अ. 7 वर्ष द. इनमें से कोई नहीं
34.
35.

सामान्य

42. RRT का कार्यालय कहां स्थित है।
अ.दिल्ली ब.चेन्नई स. बंगलौर द. इनमें से कोई नहीं
43. विकास शुल्क की दर कितने प्रतिशत है ?
अ. 2 प्रतिशत ब. 5 प्रतिशत स. 7 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं
44 माल भाड़ा यातयात के मामले में भारतीय रेलवे में कितने कैटेगरी के ग्राहक हैं।
अ. 2 ब. 3 स. 5 द. इनमें से कोई नहीं
45 माल भाड़ा यातयात के मामले में ग्राहकों की कैटेगरी का आधार क्या माना गया हैं।
अ.ग्राहक द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया भाड़ाब. ग्राहकों की आय
स. रेलवे की सकल आय द. इनमें से कोई नहीं
46 कैटेगरी A के अन्तर्गत कितने रूपये तक के भाड़ा भुगतान करने वाले ग्राहक आते हैं।
अ.रू0 100 करोड़ या उससे अधिक ब. रू0 50 करोड़ या उससे अधिक किन्तु 100 करोड़ से कम
स. रू0 50 करोड से कम द. इनमें से कोई नहीं
47 कैटेगरी B के अन्तर्गत कितने रूपये तक के भाड़ा भुगतान करने वाले ग्राहक आते हैं।
अ.रू0 100 करोड़ या उससे अधिक ब. रू0 50 करोड़ या उससे अधिक किन्तु 100 करोड़ से कम
स. रू0 50 करोड से कम द. इनमें से कोई नहीं

48 कैटेगरी C के अन्तर्गत कितने रूपये तक के भाड़ा भुगतान करने वाले ग्राहक आते हैं।
अ.रू0 100 करोड़ या उससे अधिक
ब. रू0 50 करोड़ या उससे अधिक किन्तु 100 करोड़ से कम
स. रू0 50 करोड से कम
द. इनमें से कोई नहीं
49. माल यातायात के क्षेत्र में व्यस्त सीजन कब से कब तक माना गया है।
अ.1 अक्तूबर से 30 मार्च तक ब. 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक
स. 1 अक्तूबर से 30 जून तक द. इनमें से कोई नहीं
50. माल यातायात के क्षेत्र में अव्यस्त सीजन कब से कब तक माना गया है।
अ.1 अक्तूबर से 30 मार्च तक ब. 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक
स. 1 अक्तूबर से 30 जून तक द. इनमें से कोई नहीं

51. माल यातायात के क्षेत्र में मानसून सीजन कब से कब तक माना जाता है।
अ.1 जून से 31 अगस्त तक ब. 1 अक्तूबर से 30 सितम्बर तक
स. 1 अक्तूबर से 30 मार्च तक द. इनमें से कोई नहीं

52. फ्रेट इन्सेन्टिव स्कीम कितने प्रकार की हैं।
अ. 2 ब. 4 स. 10 द. इनमें से कोई नहीं

53. निम्नलिखित में से ओपन वैगन कौन हैं।
अ. BCN ब. BOXN स. BRN द. इनमें से कोई नहीं

54. निम्नलिखित में से कवर्ड वैगन कौन हैं।
अ. BCN ब. BOXN स. BRN द. इनमें से कोई नहीं

55. निम्नलिखित में से फ्लैट वैगन कौन हैं।
अ. BCN ब. BOXN स. BRN द. इनमें से कोई नहीं

56. निम्नलिखित में से टैंक वैगन कौन हैं।
अ. BCN ब. BTPN स. BRN द. इनमें से कोई नहीं

57. निम्नलिखित में से होपर वैगन कौन हैं।
अ. BCN ब. BOBRN स. BRN द. इनमें से कोई नहीं

58. निम्नलिखित में से 8.व्हीलर वैगन कौन हैं।
अ. DBKM ब. KM स. KF द. इनमें से कोई नहीं

59. निम्नलिखित में से 4.व्हीलर वैगन कौन हैं।
अ. DBKM ब. KM स. BOYN द. इनमें से कोई नहीं

60. ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट कितने प्रकार के हैं।
अ. 5 ब. 8 स. 10 द. इनमें से कोई नहीं

61. SLA का पूरा रूप है–
अ. Service Live Agreement ब. Service Line Agreement
स. Service Level Agreement द. इनमें से कोई नहीं

62. कोल एवं कोक ग्रूप के वस्तुओं पर बीजी सीजन सरचार्ज की दर कितनी है।
अ. 2 प्रतिशत ब. 5 प्रतिशत स. 7 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

63. कन्टेनर ट्रैफिक पर बीजी सीजन सरचार्ज की दर कितनी है।
अ. 12 प्रतिशत ब. 15 प्रतिशत स. 20 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

64. कोल एवं कोक ग्रूप एवं कन्टेनर ट्रैफिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर बीजी सीजन सरचार्ज की दर कितनी है।
अ. 2 प्रतिशत ब. 5 प्रतिशत स. 7 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

65. बीजी सीजन सरचार्ज किस माह से किस माह तक प्रभारित किया जायेगा।
अ. अक्टूबर से मार्च तक ब. अक्टूबर से जून तक
स. अप्रैल से जून तक द. इनमें से कोई नहीं

66. धारा 71/1/a प्रावधान किस सम्बन्ध में है ?
अ.विवेकीकश्त मार्ग ब. प्राथमिकता सूची स. पुनः तौल द.इनमे से कोई नही

67. धारा 71/1/b प्रावधान किस सम्बन्ध में है ?
अ.विवेकीकश्त मार्ग ब. प्राथमिकता सूची स. पुनः तौल द.इनमे से कोई नही

68. माल यातायात का भाड़ा न्यूनतम कितनी दूरी का प्रभारित होगा ।
अ. 100 किमी0 ब. 200 किमी0 स. 400 किमी0 द. इनमें से कोई नहीं

69. यदि मालिक द्वारा घोषित वजन पर माल बुक किया जाता है तो रेलवे रसीद पर क्या लिखा जाता है :–
अ. सेड टू कन्टेन ब. एस.डब्ल्यू.ए. स. न्यूनतम वजन द. इनमें से कोई नहीं

70. RRT का गठन किस धारा के अन्तर्गत किया गया है।
अ. धारा–33 ब. धारा–34 स. धारा–35 द. इनमें से कोई नहीं

PLM

71.सामान्यतः पेकिंग से सम्बन्धित शर्ते कितनी प्रकार की है ?

अ. 1 ब. 2 स. 3 द. इनमे से कोई नहीं

72.स्पेशल पैकिंग की शर्ते कितनी है ?

अ. 1 ब. 2 स. 3 द. इनमे से कोई नहीं

73.स्पेसिफिक पैकिंग की शर्ते कितनी है ?

अ. 2 ब. 4 स. 6 द. इनमे से कोई नहीं

74.डनेज के लिये स्पेशल कन्डीशन कौन है ?

अ. S–2 ब. S–3 स. P–5 द. इनमें से कोई नहीं

75. माल की मार्किंग का कोई एक उदाहरण दीजिए ––––

76.एक डनेज बैग की मानक माप लिखिये ।

अ. 150सेमी0 X 60 सेमी0 X 30सेमी0 ब. 100सेमी0 X 60सेमी0 X 30सेमी0

स. 100सेमी0 X 70सेमी0 X 40सेमी0 द. 100सेमी0X 100सेमी0 X 70 सेमी0

77. पैकिंग की शर्त एस–1 किस माल के सम्बन्ध में है ?

अ. मोटर वाहन के लिए ब. मैटल स्क्रैप के लिए

स. बोरी वाले माल के लिए द. इनमें से कोई नहीं

78.पैकिंग की किस शर्त के अधीन वस्तुएं, प्लाईबुड/लकड़ी के केसों में पैक होनी चाहिए?

अ. पी–1 ब. पी–2 स. पी–3 द. इनमें से कोई नहीं

79.पैकिंग की शर्त पी–5 किस सम्बन्ध में है ?

अ. बोरी वाले प्रेषण ब.खुले वाले प्रेषण स. द्रव पदार्थ द. इनमें से कोई नहीं

80.पैकिंग की पी–6 शर्त के अनुसार मोटर वाहन में कितने लीटर से अधीक ईधन (पैट्रोल) नहीं होना चाहिए ?

अ. 15 लीटर ब. 12 लीटर स.9.09 लीटर द. इनमें से कोई नहीं

81.एक आठ पहिया वैगन में न्यूनतम कितने डनेज वैग्स प्रयोग किये जाने चाहिए ?

अ. 3 ब. 6 स. 12 द.इनमे से कोई नहीं

82.एक चार पहिया वैगन में न्यूनतम कितने डनेज वैग्स प्रयोग किये जाने चाहिए ?

अ. 3 ब. 6 स. 12 द.इनमे से कोई नहीं

83. एक दरवाजे पर न्यूनतम कितने डनेज वैग्स प्रयोग किये जाने चाहिए ?

अ. 3 ब. 6 स. 12 द.इनमे से कोई नहीं

84. पैकिंग की शर्त पी–6 किस माल के सम्बन्ध में है ?

अ. मोटर वाहन के लिए ब. मैटल स्क्रैप के लिए

स. बोरी वाले माल के लिए द. इनमें से कोई नहीं

85. पैकिंग की शर्त पी–2बी किस माल के सम्बन्ध में है ?

अ. मोटर वाहन के लिए ब. मैटल स्क्रैप के लिए

स. बास के लिए द. इनमें से कोई नहीं

86. डनेज वैग्स के प्रयोग के लिये लोडिंग के समय प्रत्येक दरवाजे पर कितना स्थान खाली छोडा जाना चाहिए ?

अ. 6 इंच ब. 12 इंच स. 18 इंच द.इनमे से कोई नहीं

87. माल की लोडिंग के समय दीवारों से कितना स्थान खाली छोडा जाना चाहिए ?

अ. 6 इंच ब. 12 इंच स. 18 इंच द.इनमे से कोई नहीं

तौल

88. माल यातायात की तौल करना किस धारा के अन्तर्गत आवश्यक है।

अ. धारा –63 ब. धारा– 78 स. धारा –79 द. इनमें से कोई नहीं

89. माल यातायात की पुनः तौल करना किस धारा के अन्तर्गत आवश्यक है।
अ. धारा –63 ब. धारा– 78 स. धारा –79 द. इनमें से कोई नहीं
90. पार्टी की प्रार्थना पर माल यातायात की तौल / पुनः तौल किस धारा के अन्तर्गत किया जाता है।
अ. धारा –63 ब. धारा– 78 स. धारा –79 द. इनमें से कोई नहीं
91. यदि माल का वजन फारवर्डिंग स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर होना हो तो सील लेबेल पर किस स्टेशन का नाम लिखा जायेगा।
अ. गन्तव्य स्टेशन का ब. अग्रेषक स्टेशन का
स. मध्यवर्ती स्टेशन का द. इनमें से कोई नहीं
92. B.G. में एक 8–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट चार्ज की दर कितनी हे।
अ. 3620/–रूपये ब. 1450/–रूपये स. 500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं
93. B.G. में एक 4–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट चार्ज की दर कितनी हे।
अ. 3620/–रूपये ब. 1450/–रूपये स. 500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं
94. M.G. में एक 8–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट चार्ज की दर कितनी हे।
अ. 3620/–रूपये ब. 1000/–रूपये स. 500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं
95. M.G. में एक 4–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट चार्ज की दर कितनी हे।
अ. 3620/–रूपये ब. 1000/–रूपये स. 500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं
96. N.G. में एक वैगन की रिवेमेंट चार्ज की दर कितनी हे।
अ. 1000/–रूपये ब. 500/–रूपये स. 280/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं
97. B.G. में एक 8–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट हॉलेज चार्ज की दर कितनी हे।
अ. 3620/–रूपये ब. 1450/–रूपये स. 500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं
98. B.G. में एक 4–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट हॉलेज चार्ज की दर कितनी हे।
अ. 3620/–रूपये ब. 1450/–रूपये स. 500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं
99. M.G. में एक 8–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट हॉलेज चार्ज की दर कितनी हे।
अ. 1100/–रूपये ब. 550/–रूपये स. 500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं
100. M.G. में एक 4–व्हीलर वैगन की रिवेमेंट हॉलेज चार्ज की दर कितनी हे।
अ. 1100/–रूपये ब. 550/–रूपये स. 500/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं
111. N.G. में एक वैगन की रिवेमेंट हॉलेज चार्ज की दर कितनी हे।
अ. 1100/–रूपये ब. 550/–रूपये स. 310/–रूपये द. इनमें से कोई नहीं
112. रिपोजिशनिंग चार्ज की दर कितनी हे।
अ. रिवेमेंट चार्ज की दर का 2/3 ब. रिवेमेंट चार्ज की दर का 1/3
स. रिवेमेंट चार्ज की दर का 3/4 द. इनमें से कोई नहीं

MINI RAKE

113. MINI RAKE का कम्पोजीशन न्यूनतम कितने वैगनों का होगा।
अ. 10 कवर्ड वैगन ब. 20 कवर्ड वैगन स. 40 कवर्ड वैगन द. इनमें से कोई नहीं
114. MINI RAKE अधिकतम कितनी दूरी के लिए बुक होगा।
अ. 100 किमी0 ब. 200 किमी0 स. 400 किमी0 द. इनमें से कोई नहीं
115. MINI RAKE के लोडिंग / अनलोडिंग के लिए कितना फ्री टाइम निर्धारित किया गया है।
अ. 3 घंटे ब. 5 घंटे स. 9 घंटे द. इनमें से कोई नहीं
116. MINI RAKE में बुकिंग के लिए किस तरह के वैगन परमिटेड है।
अ. कवर्ड वैगन ब. ओपेन वैगन स. फ्लैट वैगन द. इनमें से कोई नहीं
117. MINI RAKE में कौन–कौन सी वस्तुएं बुक नहीं की जायेगी।
अ. Coal,Ores,and RMSP ब. खाद्यान्न स. खाद्य तेल द. इनमें से कोई नहीं
118. MINI RAKE में माल बुक कराने पर सुप्लेमेंटरी चार्ज कितने प्रतिशत लिया जायेगा।

अ. 3 प्रतिशत ब. 5 प्रतिशत स. 7 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

119. MINI RAKE में माल बुक कराने पर भाड़ा किस रेट पर प्रभारित होगा।
अ. ट्रेन लोड क्लास रेट ब. वैगन लोड क्लास रेट स. लम्प सम रेट द. इनमें से कोई नहीं

120. TWO POINT RAKE के मामले व्यस्त सीजन में दोनों गन्तव्य स्टेशनों के मध्य कितने किमी0 से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए।
अ. 100 किमी0 ब. 200 किमी0 स. 400 किमी0 द. इनमें से कोई नहीं

121. TWO POINT RAKE के मामले अव्यस्त सीजन में दोनों गन्तव्य स्टेशनों के मध्य कितने किमी0 से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए।
अ. 100 किमी0 ब. 200 किमी0 स. 400 किमी0 द. इनमें से कोई नहीं

122. TWO POINT RAKE के मामले में प्रत्येक गन्तव्य स्टेशन के लिए कम से कम कितने वैगन अवश्य लोड किये जाने चाहिए।
अ. 10 वैगन ब. 20 वैगन स. 40 वैगन द. इनमें से कोई नहीं

123. TWO POINT RAKE में माल बुक कराने पर सुप्लेमेंटरी चार्ज कितने प्रतिशत लिया जायेगा।
अ. 5 प्रतिशत ब. 10 प्रतिशत स. 20 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

124. TWO POINT RAKE के मामले में कितने वैगनों की मांग का पंजीकरण कराया जायेगा ।
अ. 10 वैगन ब. 20 वैगन स. स्टैंडर्ड साइज रेक का द. इनमें से कोई नहीं

125. TWO POINT RAKE का भाड़ा किस रेट पर प्रभारित होगा।
अ. ट्रेन लोड क्लास रेट ब. वैगन लोड क्लास रेट स. लम्प सम रेट द. इनमें से कोई नहीं

मल्टी प्वाइंट रेक

126. मल्टी प्वाइंट रेक के मामले में किन्हीं दो टर्मिनलों के मध्य दूरी कितने किमी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अ. 100 किमी0 ब. 200 किमी0 स. 400 किमी0 द. इनमें से कोई नहीं

127. MULTI POINT RAKE के मामले में प्रत्येक गन्तव्य स्टेशन के लिए कम से कम कितने वैगन अवश्य लोड किये जाने चाहिए।
अ. 10 वैगन ब. 20 वैगन स. 40 वैगन द. इनमें से कोई नहीं

128. मल्टी प्वाइन्ट रेक सरचार्ज की दर कितनी है ?
अ. 5 प्रतिशत ब. 10 प्रतिशत स. 20 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

129. MULTI POINT RAKE पर अनुपूरक प्रभार किस माह से किस माह तक प्रभारित किया जायेगा।
अ. अक्टूबर से मार्च तक ब. अक्टूबर से जून तक
स. अप्रैल से जून तक द. इनमें से कोई नहीं

वैगन की मांग का **पंजीकरण / प्राथमिकता** सूची

130. वैगन की मांग का पंजीकरण किस पुस्तक में किया जाता है :–
अ.लोडिंग बुक ब. कैश बुक स. प्राथमिकता रजिस्टर द. इनमें से कोई नहीं

131. सामान्य वस्तुओं के लिये वैगन की मांग कितने दिन बाद तक रद्द कराने पर वैगन पंजीकरण शुल्क जब्त नहीं होता है :–
अ. तीस दिन ब. सात दिन स. दस दिन द. इनमें से कोई नहीं

132. प्राथमिकता सूची कितनी श्रेणियों में वर्गीकश्त है :–
अ. 4 ब. 5 स. 7 द. इनमें से कोई नहीं

133. प्राथमिकता रजिस्टर में कितने कालम होते है :–
अ. 7 ब. 17 स. 27 द. इनमें से कोई नहीं

134. प्राथमिकता सूची किस धारा के अन्तर्गत बनाई जाती है :–
अ. 51 ब. 61 स. 71 द. इनमें से कोई नहीं

135. BG में एक बी.सी.एन. वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. 250 रू0 ब. 450 रू0 स. 500 रू0 द. इनमें से कोई नहीं

136. BG में एक बॉक्स एन वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 400 प्रति वैगन ब. रू0 500 प्रति वैगन
स. रू. 700 प्रति वैगन द. इनमें से कोई नहीं

137. प्राथमिकता सूची (Priority Schedule) की मान्यता की अवधि कितनी है ?
अ. एक वर्ष ब. छः माह स. दो वर्ष द. इनमें से कोई नहीं

138. रजिस्ट्रेशन फीस की मनी रसीद कितनी कापियों में बनाई जाती है ?
अ. 3 ब. 2 स. 4 द.इनमें से कोई नहीं

139. वैगनों के आवंटन में सामान्य नियम पहले आओं पहले पाओं का प्रावधान किस धारा के अन्तर्गत है ?
अ. चारा 70 ब. धारा 71 स. धारा 72 द. इनमें से कोई नहीं

140. निम्न में से किस मामले में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती ?
अ. CONCOR ब. टेंक वैगन के मामले में
स. जानवर के मामले में द.इनमे से कोई नहीं

141. पंजीकरण हो जाने के बाद गन्तव्य स्टेशन के नाम में परिवर्तन के लिए किसकी आज्ञा लेना अनिवार्य है ?
अ. SM ब. CGS स. Sr.DCM/DCM द.इनमे से कोई नहीं

142. मीटर गेज पर एक 8–व्हीलर वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 500/– ब. स0 400/– स. रू0 300/– द.इनमे से कोई नहीं

143. नैरो गेज पर एक वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 500/– ब. स0 400/– स. रू0 300/– द.इनमे से कोई नहीं

145. ब्राड गेज पर एक रेक की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 15000/– ब. रू0 12000/– स. रू0 1500/– द.इनमे से कोई नहीं

146. मीटर गेज पर एक रेक की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
अ. रू0 15000/– ब. रू0 12000/– स. रू01500/– द.इनमे से कोई नहीं

147. नैरो गेज पर एक रेक की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
अ. रू0 15000/– ब. रू0 12000/– स. रू01500/– द.इनमे से कोई नहीं

148. निम्न में से किससे रजिस्ट्रेशन फीस पंजीकरण के समय नहीं ली जाती ?
अ.ATM कार्ड धारक ब. प्लेटिम कार्ड धारक
स. पेन कार्ड धारक द.इनमे से कोई नही

149. मीटर गेज पर एक 4–व्हीलर वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 250/– ब. स0 200/– स. रू0 150/– द.इनमे से कोई नहीं

150. लम्प सम, वैगन रजिस्ट्रेशन फीस की दर कितनी है ?
अ. रू0 1000/– ब. स0 10000/– स. रू0 15000/– द.इनमे से कोई नहीं

151. वैगनों का पंजीकरण शुल्क निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है।
अ. बोगस वैगन रजिस्टेशन पर रोक लगाने के उद्देश्य से
ब. अधिक भाड़ा वसूलने के उद्देश्य से
स. पार्टी की रकम जब्त करने के उद्देश्य से
द. इनमे से कोई नहीं

152. वैगन पंजीकरण शुल्क किन परिस्थितियों में जब्त हो जाती है :–
अ. जब पार्टी द्वारा 10 दिन से कम समय के अन्दर पंजीकरण निरस्त करा दिया जाये।

ब. जब पार्टी द्वारा पूरा रेक लोड कर दिया जाय।
स. जब पार्टी द्वारा पूरा भाड़ा भुगतान कर दी जाये।
द. इनमें से कोई नहीं

153. BG में एक बी.सी.एन.एच.एस. वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. 250 रू0 ब. 450 रू0 स. 500 रू0 द. इनमें से कोई नहीं

154. BG में एक बॉक्स एन एच एस वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 400 प्रति वैगन ब. रू0 500 प्रति वैगन
स. रू. 700 प्रति वैगन द. इनमें से कोई नहीं

155. BG में एक बी.सी.एन.ए. वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. 250 रू0 ब. 450 रू0 स. 500 रू0 द. इनमें से कोई नहीं

156. BG में एक बॉक्स वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 400 प्रति वैगन ब. रू0 500 प्रति वैगन
स. रू. 700 प्रति वैगन द. इनमें से कोई नहीं

157. BG में एक बी.ओ.वाई.ई.एल. वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. 250 रू0 ब. 450 रू0 स. 500 रू0 द. इनमें से कोई नहीं

158. BG में एक बॉक्स एन ई एल वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 400 प्रति वैगन ब. रू0 500 प्रति वैगन
स. रू. 700 प्रति वैगन द. इनमें से कोई नहीं

159. BG में एक बी.आर.एन. वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. 250 रू0 ब. 450 रू0 स. 500 रू0 द. इनमें से कोई नहीं

160. BG में एक बी एफ एन वैगन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ?
अ. रू0 400 प्रति वैगन ब. रू0 500 प्रति वैगन
स. रू. 700 प्रति वैगन द. इनमें से कोई नहीं

परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी ( PCC )

161. एक BCNHL वैगन की PCC कितनी होगी, यदि इस वैगन में लौह अयस्क लोड करके 25 टन एक्सल लोड रूट पर बुक किया जाय।
अ. 70टन ब. 68 टन स. 66 टन द. इनमें से कोई नहीं

162. एक BCNHL वैगन की PCC कितनी होगी, यदि इस वैगन में लौह अयस्क लोड करके CC +8 रूट पर बुक किया जाय।
अ. 70टन ब. 68 टन स. 66 टन द. इनमें से कोई नहीं

163. एक BCNHL वैगन की PCC कितनी होगी, यदि इस वैगन में डोलोमाइट लोड करके CC +6 रूट पर बुक किया जाय।
अ. 70टन ब. 68 टन स. 66 टन द. इनमें से कोई नहीं

164. एक BCNHL वैगन की PCC कितनी होगी, यदि इस वैगन में पत्थर लोड करके EXCEPTED CC +6 रूट पर बुक किया जाय।
अ. 70टन ब. 68 टन स. 66 टन द. इनमें से कोई नहीं

165. एक BCNHL वैगन की CC +6 रूट पर PCC कितनी है,यदि उसमें क्लिंकर लोड हो–
अ. 70टन ब. 68 टन स. 66 टन द. इनमें से कोई नहीं

166. एक BCNHL वैगन की EXCEPTED CC +6 रूट पर PCC कितनी है,यदि उसमें क्लिंकर लोड हो–
अ. 70टन ब. 68 टन स. 66 टन द. इनमें से कोई नहीं

167. एक BCNHL वैगन की CC +8 रूट पर PCC कितनी है,यदि उसमें क्लिंकर लोड हो–

अ. 70टन ब. 68 टन स. 66 टन द. इनमें से कोई नहीं

168. एक BCNHL वैगन की 25 टन एक्सल लोड रूट पर PCC कितनी है,यदि उसमें क्लिंकर लोड हो–

अ. 70टन ब. 68 टन स. 66 टन द. इनमें से कोई नहीं

169. एक BOYEL वैगन की PCC कितनी होगी, यदि इस वैगन में लौह अयस्क लोड करके 25 टन एक्सल लोड रूट पर बुक किया जाय।

अ. 77टन ब. 68 टन स. 76 टन द. इनमें से कोई नहीं

170. एक BOBSNMI वैगन की PCC कितनी होगी, यदि इस वैगन में लौह अयस्क लोड करके 25 टन एक्सल लोड रूट पर बुक किया जाय।

अ. 77टन ब. 68 टन स. 76 टन द. इनमें से कोई नहीं

171. एक BOXNEL वैगन की PCC कितनी होगी, यदि इस वैगन में लौह अयस्क लोड करके 25 टन एक्सल लोड रूट पर बुक किया जाय।

अ. 77टन ब. 68 टन स. 76 टन द. इनमें से कोई नहीं

172. BCNHL वैगन की स्टैडर्ड रेक साइज कितने वैगनों का निर्धारित किया गया है।

अ. 55 ब. 58 टन स. 66 टन द. इनमें से कोई नहीं

माल वर्गीकरण

173. माल वर्गीकरण किस संदर्भ पुस्तिका में दिया है ?

अ. IRCA गुड़स टैरिफ नम्बर 41 भाग–1 जिल्द –1

ब. IRCA गुड़स टैरिफ नम्बर 45 भाग–1 जिल्द –2

स.IRCA गुड़स टैरिफ नम्बर 44 भाग–2

द. वाणिज्य नियमावली भाग–2

174. वर्गीकरण के अध्याय में चिन्ह d का क्या तात्पर्य है ?

अ. वस्तु खतरनाक है ब. परमानेन्ट स. पूर्व भुगतान जरूरी द. पूर्व भुगतान जरूरी नहीं

175. वर्गीकरण के अध्याय में चिन्ह P का क्या तात्पर्य है ?

अ. पेरीशेबल ब. परमानेन्ट स. पूर्व भुगतान जरूरी द. इनमें से कोई नहीं

176. सैनिक यातायात के लिए न्यूनतम प्रभार्य दूरी कितनी है ?

अ.80 किमी0 ब.110 किमी0 स. 100 किमी0 द. 120 किमी0

177. वैगन ट्रान्सफर रजिस्टर के द्वारा किस प्रभार की गणना की जाती है ?

अ. अतिरिक्त शुल्क ब.विलम्ब शुल्क स.अ एवं ब दोनों द. इनमें से कोई नहीं

178. यदि अनलोडिंग के दिन माल डिलीवरी के लिए उपलब्ध हो,तो कितना फ्री टाइम दिया जाता है यदि स्टेशन ग्रुप–। है ।

अ.10 वर्किंग आवर ब.12 वर्किंग आवर स.30 वर्किंग आवर द.इनमे से कोई नही

179. यदि वैगन को खोलने पर पूरा पैकेज मिसिंग पाया जाय,तो डी.डी.मैसेज डिब्बा खोलने के बाद कितने समय के अन्दर जारी कर दिया जाना चाहिए ?

अ. 4 घंटे ब. 5 घंटे स. 6 घंटे द. इनमें से कोई नहीं

180. SWA का पूरा रूप लिखिये ।

अ. Sendesr's Work Arrangement ब. Sender 's Weight Accepted

स. Sender Weitht Authorysed द. इनमें से कोई नहीं

181. माल वर्गीकरण में कुल कितनी क्लासें हैं ?

अ. 18 ब. 19 स. 27 द. इनमें से कोई नहीं

182. माल वर्गीकरण में उच्चतम क्लास कौन सी हैं ?

अ. 300 ब. 250 स. 220 द. इनमें से कोई नहीं

183. अवर्गीकश्त माल किस क्लास पर प्रभारित किया जायेगा ? जब माल टैक वैगन में लोड

किया गया हो।

अ. क्लास 200 (OR) ब. सबसे ऊँची दर के दुगने पर

स. क्लास 180 (OR) द. इनमें से कोई नहीं

184. एक भेड़ की जोखिम कीमत कितनी है ?

अ. 110/– ब. 200/– स. 120/– द. इनमें से कोई नहीं

185. O.D.C. कितने प्रकार की होती हैं ?

अ. 3 ब. 1 स. 2 द. इनमें से कोई नहीं

186. छोटे रास्ते की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ट्रान्शिप प्वाइन्ट को कितने किलो मीटर माना जाता है ?

अ. 100 किमी. ब. 200 किमी0 स. 400 किमी0 द. 150 किमी0

187. गेट पास कितनी प्रतियों में बनाया जाता है ?

अ. एक प्रति ब. दो प्रति स. तीन प्रति द. इनामें से कोई नहीं

188. डिब्बें में लोडिंग करते समय वैगन की दीवार से कितना स्थान छोड़ देना चाहिए

अ. 10 इंच ब. 6 इंच स. 12 इंच द. इनमें से कोई नहीं

189. किसी एक ऐसी वस्तु का नाम लिखिये जिससे लदे डिब्बे में रिवीट नहीं लगाया जाना चाहिए ।

अ. बहुमूल्य वस्तुएं ब. खतरनाक माल स. नाशवान वस्तुएं द. इनमें से कोई नहीं

190. 'दावा' का प्रार्थना–पत्र अधिकतम कितने समय के अन्दर दे दिया जाना चाहिए ?

अ. 6 माह ब. 7 माह स. 8 माह द. कोई सीमा नहीं

191. सैनिक माल की बुकिंग के नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिये हैं ?

अ. IRCA मिलिटरी टैरिफ नम्बर 6

ब. IRCA कोचिंग टैरिफ नम्बर 25 पार्ट–I बोल्यूम–III

स. IRCA मिलिटरी टैरिफ नम्बर–24

द. IRCA कोचिंग टैरिफ नम्बर–24 पार्ट–I बोल्यूम –IV

192. मिथ्या घोषित माल को उच्चतम क्लास के कितने गुने पर चार्ज किया जाता है ?

अ. चौगुने पर ब. छेगुने पर स. दुगने पर द. इनमें से कोई नहीं

193. CONCOR का पूरा रूप लिखिये ।

अ. कन्टेनर कोरपेरेशन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

ब. कन्टेनर कोरपेरेशन आवर इन्टरनेशनल ट्रेड

स. कोरपेरशन कन्टेनर इण्डिया लिमिटेड

द. इनमे से कोई नहीं

194. M.G.R. का पूरा रूप लिखिये ।

अ. मेक्जीमम ग्रॉस रिबेन्यू ब. मिर्सींग एण्ड डेमज गुड़स रिपोर्ट

स. मिमीमम गुड़स रिक्यूवायर्ड टू बी लोड द. इनमें से कोई नहीं

195. खतरनाक माल के फारवर्डिंग नोट का रंग कैसा है ?

अ. गुलाबी ब. हरा स. लाल द. नीला

196. सामान्य इन्डेमिनिटी नोट की मान्यता की अवधि कितनी है ?

अ. दो वर्ष ब. तीन वर्ष स. पॉच वर्ष द. एक वर्ष

197. अनक्लेम्ड माल की नीलामी रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अन्तर्गत की जाती है ?

अ. 83/84 ब. 86/87 स. 83/88 द. इनमें से कोई नहीं

198. यदि अनलोडिंग के अगले दिन माल डिलीवरी के लिए उपलब्ध हो,तो कितना फ्री टाइम दिया जाता है यदि स्टेशन ग्रुप–I है ।

अ. 12 घंटे वर्किंग आवर ब. 10 घंटे वर्किंग आवर

स. 8 घंटे वर्किंग आवर द. 11 घंटे वर्किंग आवर

199. वैगन ट्रान्सफर रजिस्टर कहॉ रखा जाता है ?

अ.टी0सी0ऑफिस में ब.एस0एस0ऑफिस

स.माल गोदाम द.उपरोक्त सभीस्थान में

200. Rationalised route रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अर्न्तगत निर्धारित किये जाते है ?

अ.73 ब. 71 स. 68 द. 70

201. गेट पास किसके द्वारा जारी किया जाता है ?

अ. केबिन मास्टर द्वारा ब. पोर्टर द्वारा

स. डिलीवरी देने वाले कर्मचारी द्वारा द. उपरोक्त सभी

202. बन्द डिब्बें में लोडिंग करते समय वैगन के दरवाजे से कितना स्थान छोड़ देना चाहिए

अ. 18 इंच ब. 12 इंच स. 19 इंच द. 20 इंच

203. डिप्टी सी.सी.एम.'दावा' अधिकतम किस सीमा तक दावा के मामले का निपटारा कर सकते है ?

अ. 160000/– ब. 100000/– स. 60000/– द. 80000/–

204. विस्फोटक माल की बुकिंग के नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिये हैं ?

अ. IRCA रेड टैरिफ नम्बर –20 ब. IRCA रेड टैरिफ नम्बर –6

स. IRCA कोचिंग टैरिफ नम्बर–24 द. IRCA कोचिंग टैरिफ नम्बर –25 पार्ट A

205. मिथ्या घोषित माल पाये जाने पर रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अन्तर्गत दंडित किया जाता है ?

अ. धारा– 164 ब. धारा– 163 स. धारा–165 द. धारा– 170

206- Foreign Invoice कितनी प्रतियों में बनाई जाती है ?

अ. 5 ब. 7 स. 8 द. इनमें से कोई नहीं

207.पैट्रोलियम पदार्थो को ले जाने सम्बन्धी नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिये है?

अ. IR रेड़ टैरिफ नम्बर –6 ब. IR रेड़ टैरिफ नम्बर –24

स. IRCA रेड टैरिफ नम्बर–25 द. IRCA रेड टैरिफ नम्बर–20

208- ICD का पूरा रूप लिखिये ?

अ. इण्डिया कन्टेनर डिपो ब. इनलेण्ड कन्टेनर डिपो

स. इण्डिया क्लेम डिपो द. कोई नहीं

209.विस्फोटक पदार्थ के एक पैकेज का वजन किस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए

अ. 70 किग्रा0 ब. 50 किग्रा0 स. 77 किग्रा0 द. इनमें से कोई नहीं

210.ट्रान्जिट इनवायस किस स्टेशन को भेजी जाती है ?

अ. फारवर्डिग स्टेशन ब. गन्तव्य स्टेशन

स.रास्ते के ट्राजिन्ट स्टेशन द. इनमे से कोई नहीं

211.कवर्ड वैगन में लोडिंग के बाद वैगन को बन्द करने से पहले वैगन के अन्दर कौन सा लेबेल लगाया जाता है ?

अ. पैस्ट आन ब. टाई आन स. वैगन ब्रेकिट लेबेल द. वैगन सील लेबेल

212. वैगन सील कितने प्रकार की होती है ?

अ. 3 ब. 2 स. 4 द. इनमे से कोई नहीं

213. वैगन लैबेल कितने प्रकार के होते है ?

अ. 3 ब. 2 स. 1 द. इनमे से कोई नहीं

214. किस प्रकार की वस्तुओं से लदे वैगनों में काशन लैबेल लगाया जाना आवश्यक है ?

अ. विस्फोटक माल ब. नश्य पदार्थ स. सामान्य माल द. इनमें से कोई नहीं

215. रास्ते में तोले जाने वाले वैगनों में किस स्टेशन के लैबेल लगाये जाने चाहिए

अ. फारवर्डिंग स्टेशन ब. गन्तव्य स्टेशन

स.रास्ते के ट्राजिन्ट स्टेशन द. इनमे से कोई नहीं

216. यदि अनकनेक्टेड वैगन कनेक्ट न हो सके तो कितने समय के बाद इसकी अनलोडिंग करा दी जानी चाहिए ?

अ. 24 घंटे ब. 48 घंटे स. 72 घंटे द. इनमे से कोई नहीं

217. एन.आर.सेल का पूरा नाम लिखियें ?

अ. Non Receipt cell ब. Not Receipt Cell

स. Not Received Cell द. इनमे से कोई नहीं।

218. माल यातायात की लोडिंग से सम्बन्धित नियम किस नियमावली में दिये है?

अ.IR Comml- Mannual Vol.I ब. IRComml- Mannual Vol.II

स. IRCA गुडस टैरिफ नम्बर –43 पार्ट &1 Vol.II द. इनमें से कोई नहीं

219. आई.आर.सी.ए. का पूरा रूप लिखिये

अ. Indian Railway Commercial Association. ब. Indian Railway Confrence Association.

स. Indian Railway Confrence Authority. द. Indian Railway Confrence Assembly.

220. विस्फोटक पदार्थ के पैकेज को जलती आग से कम से कम कितनी दूर रखना चाहिए?

अ. 14 मीटर ब. 15 मीटर स. 16 मीटर द. इनमे से कोई नहीं

221. बन्द डिब्बे के मामले में ट्रान्जिट इनवाइयस किस प्रकार भेजी जाती है ?

अ. गार्ड के साथ ब. डाक द्वारा

स. डिब्बें में रखकर द. इनमे से कोई नहीं

222. नशीली वस्तु के परेषण के साथ कौन सा महत्व पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है ?

अ.इन्डमिनिटी नोट ब. प्लेट फार्म टिकट स. परमिट द. इनमें से कोई नहीं

223.विस्फोटक पदार्थों को कितनी क्लास में बॉटा गया है ?

अ. 5 ब. 6 स. 7 द. 8

224. किस प्रकार की वस्तुओं से लदे वैगनों में हरे रंग के तिरछी लाइन वाले लैबेल लगाया जाना आवश्यक है ?

अ. खतरनाक ब. विस्फोटक स. पेरीशेबिल्स द.इनमें से कोई नहीं

225. क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है ?

अ.CCM ब. CCM/G स. Dy. CCM द. COM

226. वैगन लोड के मामले में जानवरों का वर्गीकरण क्या है ?

अ. LR-5 ब. 120 स. 220 द. इनमें से कोई नहीं

227. रेलवे रसीद जमा करने की धारा क्या है ?

अ.धारा–75 ब. धारा–74 स. धारा–68 द. धारा–76

228. क्लेम मांगने का निर्धारित समय सीमा क्या है ?

अ. एक साल ब. छः माह स. दो साल द. 9 माह

229. टु पे इनवायस का रंग क्या है ?

अ. हल्का गुलाबी ब. मटमैला स. सफेद द. इनमें से कोई नहीं

230. पार्टी की प्रार्थना पर बन्द के बजाए खुले डिब्बे में माल का परिवहन किये जाने की स्थिति में रेलवे वाहक के रूप में कितने प्रतिशत नुकसान के लिए उत्तदायी होते है ?

अ. 50 प्रतिशत ब. 60 प्रतिशत स. 80 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

231. ओ0डी0सी0 वर्गीकरण निम्न में से किस रूप में है ?
अ. ABD ब. BCD स. CDE द. इनमें से कोई नहीं

232. दावा का प्रार्थना पत्र दिए जाने का प्रावधान वर्तमान रेल अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत है ?
अ. धारा– 76/77 ब. धारा– 93 स. धारा –106 द. इनमें से कोई नहीं

233. इन्टर डोमिनियन यातायात हेतु किस रंग की इनवायस प्रयोग की जाती है ?
अ. सफेद ब. हरी स. नीली द. इनमें से कोई नहीं

234- N.R.Cell कितने स्तरों पर कार्य करती है ?
अ. दो ब. तीन स. चार द. इनमें से कोई नहीं

235. टू पे अधिभार भाड़े का कितना प्रतिशत लिया जाता है ?
अ. 5 प्रतिशत ब. 4 प्रतिशत स. 3 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

236- भाड़े पर RR अधिभार की दर कितनी है ?
अ. 10 प्रतिशत ब. 15 प्रतिशत स. 20 प्रतिशत द. इनमें से कोई नहीं

237. माल यातायात के लिए 'गैर व्यस्त काल' कौन सा माना जाता है ?
अ. 1 जुलाई से 31 अक्टूबर ब. 1 जुलाई से 30 सितम्बर
स. 1 जुलाई से 31 अगस्त द. इनमें से कोई नहीं

238. रेलवे अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत दण्डात्मक प्रभार बसूल करने का प्रावधान है ?
अ. 71 ब. 72 स. 73 द. इनमें से कोई नहीं

239- SN-40 कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है ?
अ. 2 ब. 3 स. 4 द. इनमें से कोई नहीं

240. अण्डर चार्ज बसूल करने का अधिकार रेलवे एक्ट की किस धारा के अन्तर्गत है ?
अ. 78 ब. 79 स. 80 द. इनमें से कोई नहीं

241. रैड टैरिफ नम्बर 20 के अनुसार खतरनाक वस्तुएं कितने प्रकार की होती है ?
अ. 6 ब. 7 स. 8 द. इनमें से कोई नहीं

242. धारा–99 के अनुसार खतरनाक माल के मामले में 'बैली पीरियड (जमानती पीरियड)' क्या है ?
अ. 7 दिन ब. 3 दिन स. 2 दिन द. इनमें से कोई नहीं

243. एक हाथी की रेलवे जोखिम कीमत कितनी है ?
अ. रू0 4000/– प्रति हाथी ब. रू0 5000/ प्रति हाथी
स. स0 6000/– प्रति हाथी द. इनमें से कोई नहीं

244. रू0 800 किस जानवर की रेलवे जोखिम कीमत है
अ. हाथी ब. घोड़ा स. ऊँट द. इनमें से कोई नहीं

245. एक गाय की जोखिम कीमत कितनी है ?
अ. रू0 1000/– ब. रू0 800/– स.रू0 600/– द. इनमें से कोई नही

RMC

246. यदि रेलवे का माल आर0एम0सी0 नोट पर विभागीय वैगन में बुक कराया जाए तो मूल भाड़े में कितने प्रतिशत रियायत दी जायेगी ?
अ. 20 ब. 30 स. 80 द.इनमे से कोई नहीं

247. RMC के लिए प्रयोग में लाई गई इनवायस पर क्या अक्षर लिखा जाता है ?
अ. R ब. S स. F द. इनमें से कोई नहीं

248. आर.एम.सी. यातायात के लिए न्यूनतम प्रभार्य दूरी कितनी है ?
अ. 100 किमी0 ब. 150 किमी0 स. 200 किमी0 द. इनमे से कोई नहीं

249. RMC का पूरा रूप है।

अ. रेलवे मैटेरियल कनसाइनमेंट ब. रेलवे मेडिकल सर्टिफिकेट
स. रेलवे मेटलर्जिकल कमेटी द. इनमे से कोई नहीं

250. रेलवे रिस्क पर माल बुक कराने पर आर0आर0 चार्ज भाड़े का कितने प्रतिशत लिया जाता है ?
अ. 15 प्रतिशत ब. 20 प्रतिशत स. 25 प्रतिशत द. इनमे से कोई नहीं

रिवेमेंट

251. पार्टी की प्रार्थना पर पुनः तौल का प्रावधान किस धारा में है ?
अ. धारा–68 ब. धारा–69 स. धारा–79 द. इनमे से कोई नहीं

मिलिट्री यातायात

252. यदि मिलिट्री का माल रेलवे के वैगन ट्रेन लोड के रूप में बुक कराया जाए तो भाड़ा किस क्लास पर प्रभारित किया जायेगा?
अ. एल0आर0–1 ब. 110 स. 180 द.इनमे से कोई नहीं

**दावा**

253. स्टेशन मास्टर कितने रूपये तक का डेमरेज चार्ज माफ कर सकते है ?
अ. रू0 300/– ब. रू0 400/– स. रू0 600/– द.इनमे से कोई नही

254. ACM कितने रूपये तक डेमरेज चार्ज माफ कर सकते है ?
अ. रू0 300/– ब. रू0 600/– स. रू0 6000/– द.इनमे से कोई नही

255. DCM कितने रूपये तक डेमरेज चार्ज माफ कर सकते है ?
अ. रू0 300/– ब. रू0 600/– स. रू0 1200/– द.इनमे से कोई नही

256. Sr.DCM कितने रूपये तक डेमरेज चार्ज माफ कर सकते है ?
अ. रू0 300/– ब. रू0 600/– स. रू0 1200/– द.इनमे से कोई नही

257. CCM कितने रूपये तक डेमरेज चार्ज माफ कर सकते है ?
अ. रू0 15000/– ब.रू0 6000/– स.रू0 1,00,000/– द.इनमे से कोई नही

258. स्टेशन मास्टर अधिकतम कितने रूपये तक का स्थान शुल्क माफ कर सकता है?
अ. रू0 300/– ब. रू0 600/– स. रू0 100/– द.इनमे से कोई नही

259. ACM अधिकतम कितने रूपये तक का स्थान शुल्क माफ कर सकते है ?
अ. रू0 300/– ब. रू0 600/– स. रू0 100/– द.इनमे से कोई नही

260. DCM अधिकतम कितने रूपये तक का स्थान शुल्क माफ कर सकते है ?
अ. रू0 300/– ब. रू0 600/– स. रू0 100/– द.इनमे से कोई नही

261. Sr.DCM अधिकतम कितने रूपये तक का स्थान शुल्क माफ कर सकते है ?
अ. रू0 8000/– ब. रू0 6000/– स. रू0 1200/– द.इनमे से कोई नही

262. CCM अधिकतम कितने रूपये तक का स्थान शुल्क माफ कर सकते है ?
अ.रू0 2,00,000/– ब.रू0 4,00,000/– स.रू0 25,000/– द.इनमे से कोई नही

263. DRM अधिकतम कितने रूपये तक का स्थान शुल्क माफ कर सकते है ?
अ.रू0 1,00,000/– ब.रू0 50,000/– स.रू0 25,000/– द.इनमे से कोई नही

264. GM अधिकतम कितने रूपये तक का स्थान शुल्क माफ कर सकते है ?
अ.रू0 1,00,000/– ब.रू0 50,000/– स.रू0 25,000/– द.असीमित

जानवरों की बुकिंग

265. जानवरों की बुकिंग के लिए अग्रिम सूचना कितने घंटे पहले कम से कम देना अनिवार्य है ?
अ. 24 घंटे ब. 48 घंटे स.72 घंटे द. इनमें से कोई नहीं

266. कितनी दूरी की यात्रा पूरी करने के बाद जानवरों को विश्राम के लिए मालिक के जोखिम पर उतारा जा सकता है?
अ. 500 ब. 501स. 320 द. इनमें से कोई नहीं

**टर्मीनल चार्ज**

267. कोयले की बुकिंग पर टर्मीनल चार्ज की दर कितनी है ?

अ. रू0 20 प्रति टन प्रति टर्मीनल ब. रू0 40 प्रति टन प्रति टर्मीनल
स. रू0 30 प्रति टन प्रति टर्मीनल द.इनमे से कोई नहीं

268. आयरन ओर की बुकिंग पर टर्मीनल चार्ज की दर कितनी है ?
अ. रू0 20 प्रति टन प्रति टर्मीनल ब. रू0 40 प्रति टन प्रति टर्मीनल
स. रू0 30 प्रति टन प्रति टर्मीनल द.इनमे से कोई नहीं

खतरनाक माल

269. खतरनाक माल की बुकिंग के लिए अग्रिम सूचना कितने घंटे पहले देना अनिवार्य है?
अ. 24 घंटे ब. 48 घंटे स.12 घंटे द. इनमें से कोई नही

270. खतरनाक माल का स्टोरेज स्टेशन बिन्डिंग/रिहायशी इलाके से कम से कम कितनी दूरी पर करना चाहिए ?
अ. 15 मीटर ब. 30 मीटर स. 45 मीटर द. इनमें से कोई नही

नशीले पदार्थ

271. नशीले पदार्थ के पैकेज पास/परमिट पर लिखे गये पैकेजों की संख्या से कितने अधिक बुक किये जा सकते है ?
अ. 5 ब. 10 स. 15 द. इनमें से कोई नही

ABBREVIATION

275. RCT का पूरा रूप लिखिये
276. RRT का पूरा रूप लिखिये
277. DDM का पूरा रूप लिखिये
278. DDPC का पूरा रूप लिखिये
279. MPA का पूरा रूप लिखिये
280. FOIS का पूरा रूप लिखिये
281. P.L.M. का पूरा रूप लिखिये
282. IRTS का पूरा रूप लिखिय

(निम्नलिखित प्रश्न उदाहरण स्वरूप एवं परिवर्तनीय है )

## WAGON LOAD

1. 2 BCN A वैगन (प्रत्येक की CC 57.4 टन) है । प्रत्येक में 600 कुन्टल सरसों का तेल लादकर सण्डीला से 665 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजियें ।
2. 1200 किमी0 दूरी के लिए तीन BCX वैगनों में चना बुक करने का भाड़ा ज्ञात करें । प्रत्येक वैगन की CC 56.5 टन है ।
3. एक बॉक्स वैगन में 1550 किमी0 के लिए 58 टन कोयला आर.आर. रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करें । वैगन की सी.सी. 57.0 टन है ।
4. 5 बॉक्स वैगन, प्रत्येक की सी.सी.52.5 टन, में 260 टन यूरिया खाद बिशारतगंज से 1750 किमी0 के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।
5. 110 टन चीनी 2 BCN A वैगनों में हरदोई से 952 किमी0 के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करो ।प्रत्येक BCN A की CC 57.4 टन है ।
6. 550 बोरे गेहूँ प्रत्येक बोरे का वजन 100 किग्रा0 रोजा जंक्शन 590 किमी0 दूरी के लिए एक बी0सी0एन0 वैगन में आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करें ।
7. दो बाक्स बैगनों में 116 टन कोयला अण्डाल से 1600 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
8. 280 टन सीमेन्ट 5 बी0सी0एक्स बैगनों में चुनार से 710 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।

9. 500 टन मेटल स्क्रेप गाजियाबाद से 1370 किमी0 दूरी के लिए 10 बाक्स 'एन' बैगनों मे आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
10. 3 बी0सी0एक्स0 बैगनों में 175 टन आटा (बोरों में ) चन्दौसी से 990 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
11. 2 बी0एफ0आर0 वैगनों में 88 टन आइरन शीट भिलाई से 1110 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
12. 120 टन गेहूँ (बोरों में ) नजीवाबाद से 711 किमी0 दूरी के लिए 2बी0सी0एन0 'ए' वैगनों में आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
13. 900 बोरे यूरिया प्रत्येक बोरे का वजन 50 किग्रा0 है । एक बी0सी0एक्स बैगन में बिशारतगंज से 850 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
14. 610 कुन्टल कोयला एक बाक्स वैगन में धनवाद से 1000 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
15. 1200 कुन्टल चाबल (बोरों में) दो बी0सी0एन0'ए' बैगनों में हरदोई से 680 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
16. 1220 कुन्टल चाबल (बोरों में) दो बी0सी0एन0'ए' बैगनों में हरदोई से 760 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
17. 1100 कुन्टल चाबल (बोरों में) दो बी0सी0एन0 बैगनों में हरदोई से 885 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
18. 2 बी0एफ0आर0 वैगनों में 88 टन आइरन शीट भिलाई से 685 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
19. 116 टन गेहूँ (बोरों में ) नजीवाबाद से 758 किमी0 दूरी के लिए 2बी0सी0एन0 'ए' वैगनों में आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।
20. 1200 बोरे यूरिया प्रत्येक बोरे का वजन 50 किग्रा0 है । एक बी0सी0एन बैगन में बिशारतगंज से 1350 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिएं ।

## TRAIN LOAD

21. 35 Box वैगनों (प्रत्येक की वहन क्षमता 52.5 टन) में 1800 टन यूरिया लाद कर बशारतगंज (BTG) से 750 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये।
22. मुजफ्फरनगर से 2125 किमी0 दूर 40 BCN वैगनों में 2300 टन जागरी (Jagree) बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये। प्रत्येक वैगन की CC 56.8 टन है ।
23. 2350 टन चाबल 40 BCN A के रेक में सुल्तानपुर से 2515 किमी0 दूर के स्टेशन के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये। प्रत्येक डिब्बे की क्षमता 56.4 टन है
24. 35 बाक्स वैगन (प्रत्येक की CC 53.4 टन) में स्टील पाइप (Steel Pipe) बोकारो स्टील सिटी से 2200 किमी0दूरी तक बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । कुल वजन 1960 टन है ।
25. 1650 टन यूरिया (Urea) 35 BCX में शाहजहॉपुर से 2500 किमी0 को बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक बी0सी0एक्स0 की वहन क्षमता 53.7 टन है ।
26. 37000 बोरे यूरिया प्रत्येक बोरे का वजन 50 किग्रा. है 35 Box वैगनों में बबराला से 1690 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक वैगन की CC 54.6 टन है ।
27. 58 BOXNHA बैगनों के एक रेक में 3400 टन स्टीम कोल(Steam Coal) कोरवा (Corba) से 880 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये प्रत्येक

डिब्बे की CC 57.6 टन है ।

28. 19000 बोरे गेंहू 35 BCX वैगनों के एक रेक में मण्डी गोविन्दगढ से 1725किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक बोरे का वजन एक कुन्टल है । प्रत्येक डिब्बे की CC 53.8 टन है ।
29. 35 BCXN वैगनों के एक रेक में 2020 टन यूरिया, बबराला से 1615 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक डिब्बे की CC 52.9 टन है ।
30. 2000 टन स्टीम कोल 35 BCX वैगनों के एक रेक में Andal से 1640 किमी. के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक डिब्बे की CC 53.6 टन है ।
31. 35 Box वैगनों के एक रेक में औद्योगिक नमक (Salt for Industrial use) वास्तविक वजन 1800 टन (बोरों में) सॉभरलेक से 1790 किमी.दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये। प्रत्येक डिब्बे की CC 54.4 टन है ।
32. 58 BOXNHS वैगनों के एक रेक में 3000 टन साफ्ट कोक रानीगंज से 1790 किमी.दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक वैगन की CC 58.0 टन है ।
33. 2050 टन चीनी बोरों में (Sugar in bags) 40 BCNA वैगनों के एक रेक में हरदोई से 952 किमी.दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक BCNA की CC 57.4 टन है ।
34. 46000 बोरे सीमेन्ट (Cement) प्रत्येक बोरे का वजन 50 किग्रा.है 40 BCNAHS वैगनों के एक रेक में गोटन से 2315 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये प्रत्येक डिब्बे की CC 57.0 टन है ।
35. 35 बॉक्स वैगनों के एक रेक में 2050 टन Manganese Ore मुजफ्फरपुर से 1100 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये।प्रत्येक Box की CC 53.8 टन है
36. 49 BOX 'N' वैगनों के एक रेक में 2800 टन Soft Coke धनवाद से 1144 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक डिब्बे की CC 57.4 टन है ।
37. 40 BCN वैगनों के एक रेक में 800 टन Cotton Seed अमष्तसर से 1260 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक डिब्बे की CC 57.4 टन है ।
38. 49 बाक्स 'एन' वैगनों के एक रेक में प्रत्येक की CC 57.9 टन है, 2500 टन गेहूँ मोगा से 1995 किमी. के लिये बुक करने का भाड़ा ज्ञात करें ।
39. 1700 टन सीमेंट का एक परेषण सतना से 770 किमी.के लिए 35 BCX वैगनों में बुक किया गया । प्रत्येक BCX की वहन क्षमता CC 54.2 टन है। भाड़ा ज्ञात करियें ।
40. 1600 टन साफ्ट कोक 32 बी0सी0एक्स0 वैगनों के एक रेक में जिसमें प्रत्येक की CC 52.0 टन है अन्डाल से 756 किमी. दूरी के लिए बुक किया गया ।भाड़ा ज्ञात करिये।
41. 49 BOX N वैगनों के एक रेक में IRON-ore 2556 किमी0 दूरी के लिए आर.आर.रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करें । प्रत्येक वैगन की CC 56.7 टन है ।
42. 35 BCX वैगन के एक रेक में अलीगढ़ से 2110 किमी0 दूरी के लिए आर.आर. रेट पर आलू बुक करने का भाड़ा ज्ञात करें । प्रत्येक वैगन की CC 53.2 टन है तथा प्रत्येक वैगन में 52.8 टन आलू लदा है ।
43. 40 BCN वैगनों के एक रेक में (प्रत्येक की CC 56.8 टन), में 2300 टन गेहूँ 1750 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।
44. 35 BOX वैगनों के एक रेक में (प्रत्येक की CC 53.4 टन), स्टेनलैस स्टील (Stainless Steel) बोकारो स्टील सिटी से 2200 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करो ।कुल वजन 1960 टन है ।
45. 59 BOX N वैगन के एक रेक में 3500 टन स्टीम कोल धनवाद से 1880 किमी0 दूरी के लिए आर.आर. रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करो ।
46. 55 बाक्स 'एन' बैगन के एक रेक में 3000 टन कोयला आसनसोल से 2100 किमी0 दूरी के लिए बुक करने के लिए आर0आर0रेट पर भाड़ा ज्ञात कीजिए

47. 40 BCNAHS वैगनों के एक रेक 2500 टन यूरिया बबराला से 1700 किमी0 दूरी के लिए बुक करने के लिए आर0आर0रेट पर भाड़ा ज्ञात कीजिए ।
48. 40 बी0सी0एन0 वैगन के एक रेक में 2200 टन गेहूँ (बोरों में)मुरादाबाद से 900 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।
49. 40 बी0सी0एन0 वैगनों के एक रेक में 2400 टन चावल (बोरों में) शाहजहॉपुर से 1610 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।
50. 40 बी0सी0एन0 वैगनों के एक रेक में 2050 टन चावल सिरसा से 1700 से किमी0 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । प्रत्येक वैगन की सी0सी0 56.3 टन है ।
51. 35 बाक्स वैगनों के एक रेक में 2000 टन कोयला धनवाद से 1240 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । प्रत्येक वैगन की सी0सी0 54.0 टन है ।
52. जैसलमेर से 2600 किमी0 दूरी के लिए 58 बाक्स 'एन' वैगनों के एक रेक में 3400 टन जिप्सम (Gypsum) बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । प्रत्येक वैगन की सी0सी0 57.8 टन है ।
53. 35 बाक्स वैगनों के एक रेक में 2100 टन स्टीम कोल धनवाद से 2720 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । प्रत्येक वैगन की सी0सी0 53.9 टन है ।
54. 40 बी0सी0एक्स0 वैगनों के एक रेक में 2400 टन सीमेन्ट मिर्जापुर से 2200 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । प्रत्येक वैगन की सी0सी0 56.4 टन है ।
55. 1800 टन साफ्ट कोक 40 बी0सी0एक्स0 वैगनों के एक रेक में रानीगंज से 2100 किमी0 दूरी के लिए आर0आर0 रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । प्रत्येक वैगन की सी0सी0 56.3 टन है ।

## PUNITIVE CHARGE

56. कोयले का एक परेषण एक बाक्स 'एन' वैगन में कुसण्डा से 1700 किमी0 दूरी के लिये बुक किया गया । गन्तव्य स्टेशन पर 70 टन कोयला प्राप्त हुआ । दण्डात्मक प्रभार की गणना कीजिए ।
57. 35 बॉक्स वैगनों के एक रेक में 1960 टन स्टीम कोल, समान रूप से लोड़ करके धनवाद से 1522 किमी.दूरी के लिए बुक किया गया । गन्तव्य स्टेशन पर सभी वैगनों को दुवारा तौलने पर प्रत्येक में 67 टन स्टीम कोल मिला । दण्डात्मक प्रभार की गणना कीजिए ।
58. 40 बी0सी0एन0 वैगन स्टीम कोल, प्रत्येक वैगन की क्षमता 55.0 टन है, धनवाद से 890 किमी. बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । गन्तव्य स्टेशन पर प्रत्येक बी0सी0एन0 में 65 टन भार पाया गया । पैनाल्टी अण्डर चार्ज की गणना करिये ।
59. 35 Box वैगन के रेक में स्टीम कोल झरिया से 1595 किमी. दूरी के लिए बुक किया गया । प्रत्येक वैगन में 560 कुन्टल वजन लोड़ किया गया किन्तु गन्तव्य स्टेशन में दुबारा तौलने पर प्रत्येक वैगन में 670 कुन्टल पाया गया । प्रत्येक वैगन की CC 54.2 टन है । पेनाल्टी अन्डर चार्ज की गणना करिये ।
60. 49 Box 'N' वैगनों के एक रेक में जिप्सम जैसलमेर से 1635 किमी.दूरी के लिए बुक किया गया । प्रत्येक डिब्बें में 580 कुन्टल माल लदा है । गन्तव्य स्टेशन पर प्रत्येक डिब्बे में 69 टन माल पाया गया । पेनाल्टी अन्डर चार्ज की गणना करिये ।
61. 5 बी0सी0एक्स0 वैगनों में 290 टन गेहूँ शाहजहॉपुर से 600 किमी0 दूरी के लिए बुक किया गया ।गन्तव्य स्टेशन पर पुनः तौलने पर प्रत्येक वैगन में 62 टन माल पाया गया । पेनाल्टी अन्डरचार्ज की गणना कीजिए ।
62. 2 बाक्स 'एन' वैगनों में 120 टन कोयला अण्डाल से 700 किमी0 दूरी के लिए बुक किया गया ।पुनः तौलने पर प्रत्येक वैगन में 71 टन माल पाया गया । पेनाल्टी अन्डरचार्ज की गणना कीजिए ।
63. 5बाक्स 'एन' वैगनों में 280 टन यूरिया बबराला से 790 किमी0 दूरी के लिए बुक किया गया

।गन्तव्य स्टेशन पर पुनःतौलने पर प्रत्येक वैगन में 68 टन माल पाया गया। दण्डात्मक प्रभार की गणना कीजिए ।

64. 8 बाक्स वैगनों में 460 टन कोयला अण्डाल से 1122 किमी0 दूरी के लिए बुक किया गया ।गन्तव्य स्टेशन पर पुनः तौलने पर प्रत्येक वैगन में 70 टन माल पाया गया । दण्डात्मक प्रभार की गणना कीजिए ।

65. 3 बी0सी0एक्स0 वैगनों में 170 टन चावल बरेली से 900 किमी0 दूरी के लिए बुक किया गया ।गन्तव्य स्टेशन पर पुनः तौलने पर प्रत्येक वैगन में 66 टन माल पाया गया । पेनाल्टी अन्डरचार्ज की गणना कीजिए ।

66. 2 बी0सी0एक्स0 'एन' वैगनों में 120 टन यूरिया रोजा से 910 किमी0 दूरी के लिए बुक किया गया ।गन्तव्य स्टेशन पर पुनः तौलने पर प्रत्येक वैगन में 69 टन माल पाया गया । दण्डात्मक प्रभार की गणना कीजिए ।

67. 9 बाक्स 'एन' वैगनों में 540 टन कोयला आसनसोल से 1700 किमी0 दूरी के लिए बुक किया गया ।गन्तव्य स्टेशन पर पुनः तौलने पर प्रत्येक वैगन में 70 टन माल पाया गया । पेनाल्टी अन्डरचार्ज की गणना कीजिए ।

68. 10 बी0सी0एन0ए0एच0एस0 वैगनों में 610 टन चीनी(बोरों में) धामपुर से 760 किमी0 दूरी के लिए बुक किया गया ।गन्तव्य स्टेशन पर पुनः तौलने पर प्रत्येक वैगन में 67 टन माल पाया गया । पेनाल्टी अन्डरचार्ज की गणना कीजिए ।

69. 4 बाक्स वैगनों में 240 टन कोयला अण्डाल से 610 किमी0 दूरी के लिए बुक किया गया ।गन्तव्य स्टेशन पर पुनः तौलने पर प्रत्येक वैगन में 70 टन माल पाया गया । दण्डात्मक प्रभार की गणना कीजिए ।

70. 8 बाक्स 'एन' वैगनों में 490 टन कोयला अण्डाल से 700 किमी0 दूरी के लिए बुक किया गया ।गन्तव्य स्टेशन पर पुनःतौलने पर प्रत्येक वैगन में 71 टन माल पाया गया । पेनाल्टी अन्डरचार्ज की गणना कीजिए ।

## WHARFAGE CHARGE

71. ग्रुप II nd स्टेशन पर 35 BOX वैगनों एक रेक से, 2100 टन चावल उतारने के लिए दिनांक 13/02/09 को 16.00 बजे प्लेस किया गया । पार्टी ने दिनांक 16/02/09 को 10.00 बजे वैगन खाली किये । दिनांक 28/02/09 को डिलीवरी लेकर 12 बजे माल उठाया । डेमरेज तथा व्हारफेज चार्ज की गणना करिये ।

72. 52 टन सी0सी0 के एक बॉक्स वैगन से 54 टन कोयले का एक परेषण दिनांक 18/03/09 को 11.00 बजे उतारा गया और माल दिनांक 30/03/09 को 13.00 बजे हटाया गया । स्थान शुल्क ज्ञात करें । स्टेशन ग्रुप Ist का है ।

73. 40 बी0सी0एन0 वैगनों के एक रेक से 2400 बोरे यूरिया दिनांक 25/04/09 को 15.00 बजे उतारे गये। पार्टी ने माल की दिनांक 04/09/09 को डिलीवरी लेकर 17.00 बजे उठा लिया । स्थान शुल्क की गणना कीजिए । स्टेशन ग्रुप IIIrd का है ।

74. ग्रुप IInd स्टेशन पर, 54.3 टन सी0सी0 के एक बॉक्स वैगन से 60 टन कोयले का एक परेषण दिनांक 05/04/09 को 11.00 बजे उतारा गया और दिनांक 08/04/09 को 13.00 बजे माल हटाया गया । स्थान शुल्क ज्ञात करें ।

75. ग्रुप Ist स्टेशन पर, 57.2 टन सी0सी0 के तीन बॉक्स 'एन' वैगन से 190 टन कोयले का एक परेषण दिनांक 13/04/09 को 11.00 बजे उतारा गया और दिनांक 17/04/09 को 13.00 बजे हटाया गया । स्थान शुल्क ज्ञात करें ।

76. ग्रुप Ist स्टेशन पर, 56 टन सी0सी0 के दो बॉक्स 'एन' वैगन से 120 टन कोयले का एक परेषण

दिनांक 01/02/09 को 11.00 बजे उतारा गया और दिनांक 08/02/09 को 13.00 बजे हटाया गया । स्थान शुल्क ज्ञात करें ।

77. गेहूँ से लदा 40 बी0सी0एन0 का एक रेक मुरादाबाद माल गोदाम में दिनांक 03.3.09 को सुबह 8.00 बजे अनलोडिंग के लिए प्लेस किया गया । पार्टी ने दिनांक 07.3.09 को सुबह 10.00 बजे रेक खाली किया और माल की डिलीवरी लेकर दिनांक 10.3.09 को 10.00 बजे माल हटाया । डेमरेज एवं व्हारफेज चार्ज की गणना करें । स्टेशन ग्रुप IInd का है ।

78. 58 बॉक्स 'एन' वैगन के एक रेक से 3600 टन कोयला दिनांक 10.3.09 को सुबह 8.00 बजे मुरादाबाद माल गोदाम में उतारा गया । किन्तु पार्टी ने दिनांक 18.3.09 को 15.00 बजे माल की डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें । स्टेशन ग्रुप IInd का है ।

79. 35 बी0सी0एक्स0 वैगनों के एक रेक से 2000 टन चीनी बरेली माल गोदाम में दिनांक 07.2.09 को 13.00 बजे उतारी गयी और दिनांक 11.2.09 को 18.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया गया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें । स्टेशन ग्रुप Ist का है ।

80. ग्रुप IIIrd स्टेशन पर 35 बी0आर0एन0 वैगन के एक रेक से 2200 टन लोहे की छड़े दिनांक 08.3.09 को सुबह 7.00 बजे उतारा गया और दिनांक 13.3.09 को डिलीवरी लेकर 11.00 बजे माल हटाया गया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

81. ग्रुप IInd स्टेशन पर 58 बॉक्स 'एन' वैगन के एक रेक से 3540 टन कोयला दिनांक 10.4.09 को 11.00 बजे उतारा गया।पार्टी ने दिनांक 16.4.09 को 15.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

82. ग्रुप Ist स्टेशन पर 56 बॉक्स 'एन' वैगन के एक रेक से 3100 टन कोयला दिनांक 10.3.09 को सुबह 9.00 बजे उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 14.3.09 को डिलीवरी लेकर 15.00 बजे माल हटाया। व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

83. ग्रुप IInd स्टेशन पर 52 BOYEL वैगन के एक रेक से 3600 टन पत्थर दिनांक 10.1.09 को सुबह 7.00 बजे मुरादाबाद माल गोदाम में उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 18.1.09 को डिलीवरी लेकर 15.00 बजे माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

84. ग्रुप IInd स्टेशन पर 58 BOXNEL वैगन के एक रेक से 4400 टन लौह अयस्क दिनांक 11.1.09 को सुबह 6.00 बजे मुरादाबाद माल गोदाम में उतारा गया । किन्तु पार्टी ने दिनांक 15.1.09 को डिलीवरी लेकर 15.00 बजे माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

85. ग्रुप Ist स्टेशन पर 58 BCNHL वैगन के एक रेक से 4050 टन क्लिंकर दिनांक 10.3.09 को सुबह 7.30 बजे उतारा गया । पार्टी ने दिनांक 14.3.09 को 15.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

86. ग्रुप IInd स्टेशन पर 52 BOBSNMI वैगन के एक रेक से 3540 टन कोयला दिनांक 10.1.09 को 11.00 बजे उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 15.1.09 को 17.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

87. ग्रुप Ist स्टेशन पर 40 बी0सी0एक्स0 वैगनों के एक रेक से 2320 टन चीनी दिनांक 07.2.09 को 8.00 बजे उतारी गयी और दिनांक 11.2.09 को डिलीवरी लेकर 18.00 बजे माल हटाया गया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

88. ग्रुप Ist स्टेशन पर 43 BCNAHS वैगनों के एक रेक से 2600 टन चावल दिनांक 13.2.09 को 14.00 बजे उतारी गयी और दिनांक 19.2.09 को डिलीवरी लेकर 18.00 बजे माल हटाया गया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

89. ग्रुप IInd स्टेशन पर 52 BOBSNMI वैगन के एक रेक से 3500 टन कोयला दिनांक 10.1.09 को 11.00 बजे उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 15.1.09 को 17.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

90. ग्रुप IInd स्टेशन पर 52 BOBSNMI वैगन के एक रेक से 3400 टन कोयला दिनांक 10.1.09

को 16.00 बजे उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 16.1.09 को 14.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

91. ग्रुप IInd स्टेशन पर 52 BOBSNMI वैगन के एक रेक से 3540 टन कोयला दिनांक 12.1.09 को 12.00 बजे उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 18.1.09 को 15.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

92. ग्रुप IInd स्टेशन पर 52 BOBSNMI वैगन के एक रेक से 3500 टन कोयला दिनांक 08.1.09 को 18.00 बजे उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 19.1.09 को 13.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

93. ग्रुप IInd स्टेशन पर 52 BOBSNMI वैगन के एक रेक से 3520 टन कोयला दिनांक 09.1.09 को 14.00 बजे उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 15.1.09 को 16.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

94. ग्रुप IInd स्टेशन पर 52 BOBSNMI वैगन के एक रेक से 3530 टन कोयला दिनांक 13.1.09 को 17.00 बजे उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 17.1.09 को 17.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

95. ग्रुप IInd स्टेशन पर 52 BOBSNMI वैगन के एक रेक से 3500 टन कोयला दिनांक 12.1.09 को 10.00 बजे उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 16.1.09 को 18.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

96. ग्रुप IInd स्टेशन पर 52 BOBSNMI वैगन के एक रेक से 3510 टन कोयला दिनांक 11.1.09 को 13.00 बजे उतारा गया ।पार्टी ने दिनांक 18.1.09 को 15.00 बजे डिलीवरी लेकर माल हटाया । व्हारफेज चार्ज की गणना करें ।

## BOOKING OF ANIMALS

97. 16 गायें हिसार से 1100 किमी0 दूरी के लिए एक BCX वैगन ( CC 54 tonne ) में बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात करिये ।प्रत्येक गाय की कीमत 10,000/– है मालिकि प्रतिशत प्रभार देना चाहता है ।

98. 15 भैंसे प्रत्येक की कीमत रू0 6500/– है एक BCX वैगन CC 54.2 टन में लादकर पानीपत से 745 किमी. दूर के स्टेशन के लिए आर.आर. रेट पर बुक की गई, मालिक प्रतिशत प्रभार अदा करना चाहता है । भाड़ा ज्ञात करें ।

99. 15 घोडे प्रत्येक की कीमत रू0 30000/– है एक BCX वैगन CC 54.2 टन में लादकर बाबूगढ़ से 1100 किमी. दूर के स्टेशन के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर.रेट पर ज्ञात कीजिए, मालिक प्रतिशत प्रभार अदा करना चाहता है ।

100. 16 गायें भटिण्ठा से 925 किमी0 दूरी के लिए एक BCN वैगन ( CC 57-1 tonne ) में आर. आर. रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । प्रत्येक गाय की कीमत 5000/–है और मालिक प्रतिशत प्रभार देना चाहता है ।

101. 25 बछड़ें पानीपत से 810 किमी0 दूरी के लिए एक BCN वैगन ( CC 57-2 tonne ) में आर. आर. रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।प्रत्येक बछड़े की कीमत 2000/– है । पार्टी प्रतिशत प्रभार अदा करेंगी ।

102. 30 गायें हिसार से 1990 किमी0 दूरी के लिए दो BCX वैगन ( CC 54 tonne ) में बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात करिये ।प्रत्येक गाय की कीमत 10,000/– है मालिकि प्रतिशत प्रभार देना चाहता है ।

103. 45 भैंसे प्रत्येक की कीमत रू0 7500/– है तीन BCX वैगनों में लादकर पानीपत से 1450 किमी. दूर के स्टेशन के लिए आर.आर. रेट पर बुक की गई, मालिक प्रतिशत प्रभार अदा करना चाहता है । भाड़ा ज्ञात करें ।

104. 32 घोडे प्रत्येक की कीमत रू0 20000/– है दो BCX वैगन CC 54.2 टन में लादकर बाबूगढ़ से 1090 किमी. दूर के स्टेशन के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर.रेट पर ज्ञात कीजिए। मालिक प्रतिशत प्रभार अदा करना चाहता है ।

105. 46 गायें भटिण्ठा से 1925 किमी0 दूरी के लिए तीन BCN वैगन ( CC 57-1 tonne ) में आर. आर. रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । प्रत्येक गाय की कीमत 15000/–है और मालिक प्रतिशत प्रभार देना चाहता है ।

106. 50 बछड़ें पानीपत से 1110 किमी0 दूरी के लिए दो BCN वैगन ( CC 57-2 tonne ) में आर. आर. रेट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।प्रत्येक बछड़े की कीमत 2000/– है । पार्टी प्रतिशत प्रभार अदा करेंगी ।

## MILITARY

107. 5 BCX वैगनों में रक्षा विभाग का गेहूँ जम्मूतवी से 1040 किमी.दूरी के लिये IAFT 1711 पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक वैगन की सी0सी0 52.4 टन है । प्रत्येक वैगन में 48 टन माल लदा है ।

108. 450 कुन्तल का एक मिलिट्री स्टोर चीनी (बोरों में) आई0ए0एफ0टी0 –1711 पर अम्बाला कैन्ट से 722 किमी. के लिए एक BCN में बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।

109. 4 BCX वैगनों में रक्षा विभाग का चावल देहरादून से 840 किमी.दूरी के लिये IAFT 1711 पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक वैगन की सी0सी0 52.4 टन है । प्रत्येक वैगन में 48 टन माल लदा है ।

110. 450 कुन्तल आटा का एक मिलिट्री स्टोर परेषण आई0ए0एफ0टी0 –1711 पर मेरठ कैन्ट से 1010 किमी. के लिए एक BCN में बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।

111. 1200 किमी. के लिए तीन BCX वैगनों में गेहूँ बोरों में IAFT 1711 पर मिलिट्री स्टोर के रूप में बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक BCX की CC 56.5 टन है ।

112. 10 BCX वैगनों में रक्षा विभाग का गेहूँ जम्मूतवी से 1360 किमी.दूरी के लिये IAFT 1711 पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिये । प्रत्येक वैगन में 58 टन माल लदा है ।

113. 600 कुन्तल का एक मिलिट्री स्टोर, चीनी (बोरों में) आई0ए0एफ0टी0 –1711 पर अम्बाला कैन्ट से 1210 किमी. के लिए एक BCN में बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।

114. 8 BCX वैगनों में रक्षा विभाग का चावल देहरादून से 840 किमी.दूरी के लिये IAFT 1711 पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करिय। प्रत्येक वैगन में 56 टन माल लदा है ।

115. 550 कुन्तल आटा का एक मिलिट्री स्टोर परेषण आई0ए0एफ0टी0 –1711 पर मेरठ कैन्ट से 1470 किमी. के लिए एक BCN में बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।

116. 1178 किमी. के लिए तीन BCX वैगनों में गेहूँ बोरों में IAFT 1711 पर मिलिट्री स्टोर के रूप में बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक BCX की CC 56.5 टन है ।

## RMC

117. दो BFR वैगनों में 850 कुन्तल लोहा सामग्री (आर0एम0सी0) मिर्जापुर से 190किमी0दूरी तक बुक करने का भाड़ा RMC नोट पर ज्ञात करिये। प्रत्येक वैगन की सी0सी0 42.6 टन है ।

118. 500 कुन्टल रेलवे सामग्री सीमेन्ट (बोरों में ) एक BCN वैगन में लादकर आर0एम0सी0 के रूप में शकूरबस्ती से 815 किमी.के लिए आर.आर.रेट पर RMC नोट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । डिब्बे की CC 56.4 टन है ।

119. 80 टन लोहा 2 BFR वैगनों में जिसमें प्रत्येक की सी0सी0 43.0 टन हैं सुल्तानपुर से 1907 किमी.दूरी के लिए RMC के रूप में बुक करने का भाड़ा ज्ञात करियें ।

120. 500 कुन्टल रेलवे सामग्री कोयला एक BCN वैगन में लादकर आर0एम0सी0 के रूप में हरथला से 715 किमी. के लिए आर.आर.रेट पर RMC नोट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । डिब्बे की CC 56.4 टन है ।

121. 300 टन सीमेन्ट 6 BCX वैगनों में सतना से 725 किमी. के लिए आर.एम.सी. नोट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । प्रत्येक वैगन की सी.सी. 56.5 टन है ।

122. दो BFR वैगनों में 730 कुन्तल लोहा सामग्री (आर0एम0सी0) मिर्जापुर से 450किमी0दूरी तक बुक करने का भाड़ा RMC नोट पर ज्ञात करिये। प्रत्येक वैगन की सी0सी0 42.6 टन है ।

123. 610 कुन्टल रेलवे सामग्री सीमेन्ट (बोरों में ) एक BCN वैगन में लादकर आर0एम0सी0 के रूप में शकूरबस्ती से 755 किमी.के लिए आर.आर.रेट पर RMC नोट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । डिब्बे की CC 56.4 टन है ।

124. 84 टन लोहा 2 BFR वैगनों में जिसमें प्रत्येक की सी0सी0 43.0 टन हैं सुल्तानपुर से 1620 किमी.दूरी के लिए RMC के रूप में बुक करने का भाड़ा ज्ञात करियें ।

125. 590 कुन्टल रेलवे सामग्री कोयला एक BCN वैगन में लादकर आर0एम0सी0 के रूप में हरथला से 680 किमी. के लिए आर.आर.रेट पर RMC नोट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । डिब्बे की CC 56.4 टन है ।

126. 340 टन सीमेन्ट 6 BCX वैगनों में सतना से 835 किमी. के लिए आर.एम.सी. नोट पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए । प्रत्येक वैगन की सी.सी. 56.5 टन है ।

## DEMURRAGE CHARGE

127. हैवी आयरन से लदे हुए, 15 बाक्स वैगन, मुरादाबाद मालगोदाम में अनलोडिंग के लिये दिनांक 15/04/09 को 17.00 बजे प्लेस किये गये पार्टी द्वारा इन वैगनों को दिनांक 20/04/09 को 14.00 बजे खाली किया गया।डेमरेज चार्ज की गणना करें । माल की अनलोडिंग मैकेनिकली की गयी । माल गोदाम का कार्य काल 6.00 बजे से 22.00 बजे तक है ।

128. 58 बाक्स 'एन' वैगन गजरौला रेलवे स्टेशन पर दिनांक 07/07/08 को 8.00 बजे अनलोडिंग के लिये प्लेस किये गये । पार्टी ने दिनांक 12/07/08 को 20.00 बजे वैगनों को खाली किया । प्रत्येक वैगन की वहन क्षमता 56.6 टन है । डेमरेज चार्ज की गणना करे । माल गोदाम का कार्य काल 6.00 बजे से 22.00 बजे तक है ।

129. 40 BCN वैगन जिनमें चीनी लदी है । मुरादाबाद माल गोदाम में खाली करने के लिए दिनांक 10.4.08 को 10.00 बजे प्लेस किये गए तथा दिनांक 12.4.08 को 15.00 बजे खाली किये गये । डेमरेज चार्ज की गणना कीजिए ।

130. 58 BOX N वैगन की एक रेक अनलोडिंग के लिए दिनांक 03.3.2009 को 16.00 बजे प्लेस किया गया और दिनांक 10.3.2009 को 12.00 बजे खाली किया गया । डेमरेज चार्ज की गणना कीजिए । माल गोदाम का कार्यकाल 6 से 22 बजे है ।

131. 10 BFR वैगन जिसमें प्रत्येक की CC 49.00 टन है लोहे की रेलें लादने के लिये दिनांक 04/04/09 को 6.00 बजे प्लेस किये गये । पार्टी के द्वारा इन्हें दिनांक 10/04/09 को 12.00 बजे लादने का कार्य समाप्त किया डेमरेज चार्ज की गणना करें

132. 25 बाक्स वैगन हैवी आयरन से लदे हुए, मुरादाबाद मालगोदाम में अनलोडिंग के लिये दिनांक 14/03/09 को 17.00 बजे प्लेस किये गये पार्टी द्वारा इन वैगनों को दिनांक 20/03/09 को 14.00 बजे खाली किया गया। प्रत्येक बाक्स वैगन की वहन क्षमता (सी0सी0) 55.3 टन है डेमरेज चार्ज की गणना करें ।

माल की अनलोडिंग मैकेनिकली की गयी ।

133. 58 बाक्स 'एन' वैगन गजरौला रेलवे स्टेशन पर दिनांक 05/02/09 को 8.00 बजे अनलोडिंग के लिये प्लेस किये गये । पार्टी ने दिनांक 10/02/09 को 20.00 बजे वैगनों को खाली किया । प्रत्येक वैगन की वहन क्षमता 56.6 टन है । डेमरेज की गणना करे । माल गोदाम का कार्य काल 6.00 बजे से 22.00 बजे तक है ।

134. चीनी से लदे 40 BCN वैगनों का एक रेक मुरादाबाद माल गोदाम में खाली करने के लिए दिनांक 10.4.2009 को 14.00 बजे प्लेस किये गए तथा दिनांक 14.4.2009 को 19.00 बजे खाली किये गये । डेमरेज चार्ज की गणना कीजिए । माल गोदाम का कार्य काल 6.00 बजे से 22.00 बजे तक है ।

135. 58 BOX N वैगन की एक रेक अनलोडिंग के लिए दिनांक 06.3.2009 को 16.00 बजे प्लेस किया गया और दिनांक 10.3.2009 को 12.00 बजे खाली किया गया । डेमरेज चार्ज की गणना कीजिए । माल गोदाम का कार्यकाल 6 से 22 बजे है ।

136. 30 BFR वैगन जिसमें प्रत्येक की CC 49.00 टन है लोहे की रेलें लादने के लिये दिनांक 06/04/09 को 8.00 बजे प्लेस किये गये । पार्टी के द्वारा इन्हें दिनांक 10/04/09 को 18.00 बजे लादने का कार्य समाप्त किया। डेमरेज चार्ज की गणना करें

## TWO POINT RAKE

137. 35 बॉक्स वैगनों का एक रेक, प्रत्येक वैगन में 525 कुन्टल यूरिया लदा है, टू प्वाइन्ट रेक के रूप में बबराला से क्रमशः 690 तथा 725 किमी. दूरी के लिए बुक किया गया । पहले स्टेशन के लिए 20 वैगन तथा शेष वैगनों की बुकिंग दूसरे स्टेशन के लिए की गयी है । भाड़े की गणना करिये ।

138. 38 BCNA वैगनों का एक रेक, प्रत्येक वैगन की CC 56.5 टन है । प्रत्येक वैगन में 580 बोरे गेहूँ के लदे है और प्रत्येक बोरे का वजन एक कुन्टल है । मण्डीगोविन्द गढ़ से टू–प्वाइन्ट रेक के रूप में क्रमशः 825 किमी. के लिए 20 वैगन तथा 910 किमी. दूरी के लिए 18 वैगन बुक किया गया । भाड़े की गणना कीजिए ।

139. 40 BCX वैगन के एक रेक मे चावल लादकर, देहरादून से टू–प्वाइन्ट रेक के रूप में क्रमशः 690 किमी. के लिए 20 वैगन तथा 725 किमी. दूरी के लिए 20 वैगन बुक किया गया । प्रत्येक वैगन में 550 बोरे चावल के लदे है । प्रत्येक बोरे का वजन एक कुन्टल है । भाड़ा ज्ञात कीजिए ।

140. 40 BCN वैगनों का एक रेक जिसमें प्रत्येक वैगन में 54 टन चीनी लदी है । टू– प्वाइन्ट रेक के रूप में कानपुर से क्रमशः 650 किमी. तथा 725 किमी.के लिए बुक किया गया । पहले स्टेशन के लिए 25 वैगन तथा दूसरे स्टेशन के लिए 1१5 वैगनों की बुकिंग की गयी है । प्रत्येक वैगन की क्षमता 55 टन है । भाड़े की गणना कीजिए ।

141. 35 BCN वैगनों का एक रेक जिसमें यूरिया लदा है,टू प्वाइन्ट रेक के रूप में आंवला से क्रमशः 990 तथा 1025 किमी. के लिए बुक किया गया । पहले स्टेशन के लिए 20 वैगन तथा दूसरे स्टेशन के लिए 15 वैगनों की बुकिंग की गयी है । प्रत्येक डिब्बे की क्षमता 53.8 टन है । भाड़े की गणना करिये ।

142. 35 बॉक्स वैगनों का एक रेक जिसमें प्रत्येक वैगन में 525 कुन्टल यूरिया लदा है, टू प्वाइन्ट रेक के रूप में बबराला से क्रमशः 690 तथा 725 किमी. के लिए बुक किया गया । पहले स्टेशन के लिए 20 वैगन तथा दूसरे स्टेशन के लिए शेष वैगनों की बुकिंग की गयी है । प्रत्येक डिब्बे की क्षमता 53.8 टन है । भाड़े की गणना करिये ।

143. 38 BCNA वैगनों का एक रेक प्रत्येक वैगन की CC 56.5 टन है । प्रत्येक वैगन में 580 बोरे गेहूँ के लदे है और प्रत्येक बोरे का वजन एक कुन्टल है । मण्डीगोविन्द गढ़ से टू–प्वाइन्ट रेक के

रूप में क्रमशः 825 किमी. तथा 910 किमी. के लिए बुक किया गया पहले स्टेशन के लिए 20 वैगन तथा दूसरे स्टेशन के लिए शेष 18 वैगन बुक किये गए भाड़े की गणना कीजिए ।

144. 40 BCX वैगन के एक रेक मे चावल लदा है । प्रत्येक वैगन में 550 बोरे चावल के लदे है । प्रत्येक बोरे का वजन एक कुन्टल है । प्रत्येक वैगन की CC 54.5 टन है । देहरादून से टू–प्वाइन्ट रेक के रूप में क्रमशः 690 किमी. तथा 725 किमी. के लिए बुक किया गया दोनों स्टेशन के लिए 20–20 वैगन बुक किये गए । भाड़ा ज्ञात कीजिए ।

145. 40 BCN वैगनों का एक रेक जिसमें प्रत्येक वैगन में 54 टन चीनी लदी है । टू– प्वाइन्ट रेक के रूप में कानपुर से क्रमशः 650 किमी. तथा 725 किमी.के लिए बुक किया गया । पहले स्टेशन के लिए 25 वैगन तथा दूसरे स्टेशन के लिए 1‍5 वैगनों की बुकिंग की गयी है । प्रत्येक वैगन की क्षमता 55 टन है । भाड़े की गणना कीजिए ।

146. 35 BCN वैगनों का एक रेक जिसमें यूरिया लदा है,टू प्वाइन्ट रेक के रूप में आंवला से क्रमशः 990 तथा 1025 किमी. के लिए बुक किया गया । पहले स्टेशन के लिए 20 वैगन तथा दूसरे स्टेशन के लिए 15 वैगनों की बुकिंग की गयी है । प्रत्येक डिब्बे की क्षमता 53.8 टन है । भाड़े की गणना करिये ।

## CRANE CHARGE & CRANE HAULAGE CHARGE

147. एक 80 टन क्षमता वाली 8 पहिये की डीजल क्रेन को एक पार्टी द्वारा अमरोहा स्टेशन पर एक वैगन लादने के लिये 6 घंटे 45 मिनट कार्य किया । क्रेन का डिपो स्टेशन मुरादाबाद है । इसके साथ एक 4 पहिये का मेच ट्रक भी लगा है । अमरोहा से मुरादाबाद 31 किमी0है। क्रेन चार्ज व हालेज चार्ज की गणना करो ।

148. 140 टन क्षमता वाली एक डीजल क्रेन लक्सर डिपो स्टेशन से हरिद्वार ( 28 किमी.दूर) भेजी गई । वहॉ दो पार्टियों ने क्रमशः 8 घंटा 30 मिनट तथा 2 घंटा 15 मिनट उसे प्रयोग किया। इसके साथ एक चौपहिया मैच ट्रक लगा है क्रेन 8 पहियों की है देय प्रभार ज्ञात करिये ।

149. एक 70 टन क्षमता वाली 8 पहिये की एक डीजल क्रेन को एक पार्टी द्वारा चन्दौसी स्टेशन पर एक वैगन को लादने के लिये 8 घंटे प्रयोग में लाया गया । क्रेन का डिपो स्टेशन मुरादाबाद है । इसके साथ एक 4 पहिये का मेच ट्रक भी लगा है । चन्दौसी से मुरादाबाद की दूरी 44 किमी0 है। क्रेन चार्ज व हालेज चार्ज की गणना करो ।

150. एक 8 पहिये की स्टीम क्रेन जिसकी क्षमता 80 टन है । अपने डिपो स्टेशन से 110 किमी. दूर स्टेशन पर प्रयोग के लिए भेजी गयी । वहॉ पर इसका प्रयोग दो पार्टियों द्वारा क्रमशः 3 घंटे 25 मिनट तथा 5 घंटे किया गया । क्रेन के साथ में एक चार पहिये का मैच ट्रक भी लगा है । क्रेन चार्ज तथा क्रेन हालेज चार्ज ज्ञात कीजिए ।

151. एक 8 पहिये की इलेक्ट्रिक क्रेन जिसकी क्षमता 100 टन है । अपने डिपो स्टेशन से 75किमी. दूर स्टेशन पर प्रयोग के लिए भेजी गयी । वहॉ पर इसका प्रयोग दो पार्टियों द्वारा क्रमशः 4 घंटे 15 मिनट तथा 2 घंटे 20 मिनट किया गया । क्रेन के साथ में एक चार पहिये का मैच ट्रक भी लगा है । क्रेन चार्ज तथा क्रेन हालेज चार्ज ज्ञात कीजिए ।

152. एक 120 टन क्षमता वाली 10 पहिये की डीजल क्रेन मुरादाबाद डिपो से अमरोहा स्टेशन पर एक वैगन लादने के लिये भेजी गयी। वहां क्रेन ने 6 घंटे 45 मिनट कार्य किया । क्रेन के साथ एक 4 पहिये का मेच ट्रक लगा है । अमरोहा से मुरादाबाद की दूरी 31 किमी0है। क्रेन चार्ज व हालेज चार्ज की गणना करो ।

153. 120 टन क्षमता वाली 8 पहिये की एक डीजल क्रेन मुरादाबाद डिपो से 175 किमी0दूर एक वैगन से आयरन शीट अनलोड करने के लिए भेजी गयी।वहां क्रेन ने 9 घंटे 35 मिनट कार्य किया । क्रेन के साथ एक 4 पहिये का मेच ट्रक लगा है । क्रेन चार्ज व हालेज चार्ज की गणना करो ।

154. 140 टन क्षमता वाली 6 पहिये की एक डीजल क्रेन लक्सर डिपो से 130 किमी0दूर एक वैगन से आयरन शीट अनलोड करने के लिए भेजी गयी।वहां क्रेन ने 16 घंटे 10 मिनट कार्य किया । क्रेन के साथ एक 4 पहिये का मेच ट्रक लगा है । क्रेन चार्ज व हालेज चार्ज की गणना करो ।

155. एक 120 टन क्षमता वाली 8 पहिये की एक डीजल क्रेन रौजा डिपो से 290 किमी0दूर एक वैगन से आयरन शीट अनलोड करने के लिए भेजी गयी।वहां क्रेन ने 5 घंटे 35 मिनट कार्य किया । क्रेन के साथ एक 4 पहिये का मेच ट्रक लगा है । क्रेन चार्ज व हालेज चार्ज की गणना करो ।

156. एक 120 टन क्षमता वाली 10 पहिये की एक डीजल क्रेन लखनऊ डिपो से 450 किमी0दूर एक वैगन से आयरन शीट अनलोड करने के लिए भेजी गयी।वहां क्रेन ने 11 घंटे 35 मिनट कार्य किया । क्रेन के साथ एक 4 पहिये का मेच ट्रक लगा है । क्रेन चार्ज व हालेज चार्ज की गणना करो ।

157. 120 टन क्षमता वाली 8 पहिये की एक डीजल क्रेन मुरादाबाद डिपो से 240 किमी0दूर एक वैगन से आयरन शीट अनलोड करने के लिए भेजी गयी।वहां क्रेन ने 12 घंटे 50 मिनट कार्य किया । क्रेन के साथ एक 4 पहिये का मेच ट्रक लगा है । क्रेन चार्ज व हालेज चार्ज की गणना करो ।

## GOODS SPECIAL TRAIN

158. एक हैवी इलैक्ट्रीकल वायलर जिसका वजन 60 टन है, बरेली से 725 किमी.दूरी के लिये बुक किया गया । यह 'ए' श्रेणी का ODC है इसे 135 टन वहन क्षमता वाले BFU वेल वैगन में ले जाया जायेगा । इसके साथ दो आठ पहिया डमी वैगन भी लगे है । इसे साधारण माल गाड़ी से नहीं ले जाया जा सकता है । देय प्रभार की गणना करिये

159. भारत हैवी इलैक्ट्रीक्लस का एक वायलर जिसका वजन 90 टन है भोपाल से 790 किमी. दूरी के लिए एक 132 टन वहन क्षमता वाले BFU वेल वैगन में बुक किया गया यह 'सी' श्रेणी का ODC भी है इसके साथ दो आठ पहिया डमी वैगन भी लगाये गये है । इसे साधारण माल गाड़ी से नहीं ले जाया जा सकता है । देय प्रभार की गणना करिये

160. हरिद्वार से 1790 किमी. दूर स्टेशन के लिए गुडस स्पेशल गाड़ी का भाड़ा ज्ञात करो जिसमें प्राइवेट पार्टी का एक बी.एफ.यू.बेल वैगन CC 135 टन में एक इलैक्ट्रीक वायलर वजन 60 टन लदा है । साथ में दो आठ पहिया डमी वैगन भी लगे है । ये 'बी' श्रेणी का ओ.डी.सी. है । इसे साधारण माल गाड़ी से नहीं ले जाया जा सकता है देय प्रभार की गणना कीजिए ।

161. एक हैवी वॉयलर जिसका वजन 65 टन है, मेरठ सिटी से 425 किमी.दूरी के लिये बुक किया गया । यह 'ए' श्रेणी का ODC है इसे 135 टन वहन क्षमता वाले वेल वैगन में ले जाया जायेगा । इसके साथ चार आठ पहिया डमी वैगन भी लगे है । इसे साधारण माल गाड़ी से नहीं ले जाया जा सकता है । देय प्रभार की गणना करिये ।

162. एक हैवी क्रेन जिसका वजन 60 टन है, गुड़गॉव से 630 किमी.दूरी के लिये बुक किया गया । यह 'सी' श्रेणी का ODC है । इसे 135 टन वहन क्षमता वाले वेल वैगन (BFU वैगन) में ले जाया जायेगा । इसके साथ दो आठ पहिया डमी वैगन भी लगे है । इसे साधारण माल गाड़ी से नहीं ले जाया जा सकता है । देय प्रभार की गणना कीजिए ।

163. एक हैवी इलैक्ट्रीकल वायलर जिसका वजन 60 टन है, बरेली से 725 किमी.दूरी के लिये बुक किया गया । यह 'ए' श्रेणी का ODC है इसे 135 टन वहन क्षमता वाले BFU वेल वैगन में ले जाया जायेगा । इसके साथ दो आठ पहिया डमी वैगन भी लगे है । इसे साधारण माल गाड़ी से

नहीं ले जाया जा सकता है । देय प्रभार की गणना करिये

164. भारत हैवी इलैक्ट्रीक्लस का एक वायलर जिसका वजन 90 टन है भोपाल से 790 किमी. दूरी के लिए एक 132 टन वहन क्षमता वाले BFU वेल वैगन में बुक किया गया यह 'सी' श्रेणी का ODC भी है इसके साथ दो आठ पहिया डमी वैगन भी लगाये गये है । इसे साधारण माल गाड़ी से नहीं ले जाया जा सकता है । देय प्रभार की गणना करिये

165. हरिद्वार से 1790 किमी. दूर स्टेशन के लिए गुडस स्पेशल गाड़ी का भाड़ा ज्ञात करो जिसमें प्राइवेट पार्टी का एक बी.एफ.यू.बेल वैगन CC 135 टन में एक इलैक्ट्रीक वायलर वजन 60 टन लदा है । साथ में दो आठ पहिया डमी वैगन भी लगे है । ये 'बी' श्रेणी का ओ.डी.सी. है । इसे साधारण माल गाड़ी से नहीं ले जाया जा सकता है देय प्रभार की गणना कीजिए ।

166. एक हैवी वॉयलर जिसका वजन 65 टन है, मेरठ सिटी से 425 किमी.दूरी के लिये बुक किया गया । यह 'ए' श्रेणी का ODC है इसे 135 टन वहन क्षमता वाले वेल वैगन में ले जाया जायेगा । इसके साथ चार आठ पहिया डमी वैगन भी लगे है । इसे साधारण माल गाड़ी से नहीं ले जाया जा सकता है । देय प्रभार की गणना करिये ।

167. एक हैवी क्रेन जिसका वजन 60 टन है, गुड़गॉव से 630 किमी.दूरी के लिये बुक किया गया । यह 'सी' श्रेणी का ODC है । इसे 135 टन वहन क्षमता वाले वेल वैगन (BFU वैगन) में ले जाया जायेगा । इसके साथ दो आठ पहिया डमी वैगन भी लगे है । इसे साधारण माल गाड़ी से नहीं ले जाया जा सकता है । देय प्रभार की गणना कीजिए ।

## 25 टन एक्सल रूट पर भाड़ा ज्ञात करना

168. 25 टन एक्सल रूट पर 52 BOYEL वैगनों में लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए) 2270 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर0आर0 रेट पर ज्ञात करो ।

169. 52 BOBSNMI वैगनों के एक रेक में 3200 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए) 25 टन एक्सल लोड रूट पर 1770 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करो ।

170. 25 टन एक्सल लोड रूट पर 50 BOYEL वैगनों के एक रेक में लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए ) 990 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।

171. 58 BOXNEL वैगनों के एक रेक में 4400 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर ) 1570 किमी. दूरी के लिए 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करो ।

172. 52 BOBSNMI वैगनों के एक रेक में 3500 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर) 1290 किमी. दूरी के लिए 25 टन एक्सल लोड मार्ग पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करो ।

173. 56 BOXNEL वैगनों के रेक में 4200 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर) 1495 किमी. दूरी के लिए 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करो ।

174. 50 BOYEL वैगनों के एक रेक में 3850 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर) 2125 किमी. दूरी के लिए 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर बुक करने का भाड़ा आर0आर0 रेट पर ज्ञात कीजिए ।

175. 50 BOBSNMI वैगनों के एक रेक में 3500 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर) 2295 किमी. दूरी के लिए 25 टन एक्सल लोड मार्ग पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करो ।

176. 58 BOXNEL वैगनों के रेक में 4200 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर) 1528 किमी. दूरी के लिए 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर बुक करने का भाड़ा ज्ञात करो ।

177. 52 BOYEL वैगनों के एक रेक में 3850 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर) 2545 किमी. दूरी के लिए 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर बुक करने का भाड़ा आर0आर0 रेट पर ज्ञात कीजिए ।
178. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में 4100 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर) लोड कारके 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर 1845 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
179. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में 4200 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर) लोड कारके 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर 2245 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
180. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में 4200 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क ) लोड कारके 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर 2065 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
181. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में 4110 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क ) लोड कारके 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर 3125 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
182. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में 4010 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर) लोड कारके 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर 1655 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
183. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में 4200 टन लौह अयस्क (घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क को छोड़कर) लोड कारके 25 टन एक्सल लोड रूट (मार्ग) पर 1560 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।

**सी0सी0+ 8 एवं सी0सी0+6 रूट पर भाड़ा ज्ञात करना**

184. 58 BOXN वैगनों के एक रेक में जिप्सम लोड करके सी0सी0+8 मार्ग पर 1970 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात करो ।
185. 40 BCNAHS वैगनों के एक रेक में डोलोमाइट लोड करके सी0सी0+8 मार्ग पर 1122 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर0आर0 रेट पर ज्ञात करो ।
186. 58 BOXNHA बैगनों के एक रेक में पत्थर लोड करके सी.सी.+8 मार्ग पर 670 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए।
187. 59 BOBRN वैगनों के एक रेक में 3650 टन डोलोमाइट लोड करके सी.सी.+6 मार्ग पर 1385 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।
188. 40 BCN वैगनों के एक रेक में 2500 टन सीमेन्ट, सी.सी.+8 मार्ग पर 990 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
189. 41 BCNAHS वैगनों के एक रेक में क्लिंकर लोड करके सी.सी.+8 मार्ग पर, 810 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर.रेट पर ज्ञात कीजिए।
190. 41 BCNA वैगनों के एक रेक में स्लैग लोड कारके सी.सी.+8 मार्ग पर 1670 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
191. 40 BOST वैगनों के एक रेक में जिप्सम लोड करके सी.सी.+6 मार्ग पर 990 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
192. 40 BCNAHS वैगनों के एक रेक में डोलोमाइट लोड करके सी0सी0+8 मार्ग पर 1542 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर0आर0 रेट पर ज्ञात करो ।
193. 58 BOXNHA बैगनों के एक रेक में पत्थर लोड करके सी.सी.+8 मार्ग पर 1170 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए।

194. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में 3650 टन डोलोमाइट लोड करके सी.सी.+8 मार्ग पर 1385 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।
195. 40 BCNA वैगनों के एक रेक में 2450 टन सीमेन्ट, सी.सी.+8 मार्ग पर 990 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
196. 41 BCNAHS वैगनों के एक रेक में क्लिंकर लोड करके सी.सी.+8 मार्ग पर, 810 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर.रेट पर ज्ञात कीजिए।
197. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में स्लैग लोड कारके सी.सी.+6 मार्ग पर 1845 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
198. 56 BCNHL वैगनों के एक रेक में स्लैग लोड कारके EXCEPTEDसी.सी.+6 मार्ग पर 1845 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
199. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में स्लैग लोड कारके EXCEPTEDसी.सी.+6 मार्ग पर 2210 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
200. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में स्लैग लोड कारके EXCEPTEDसी.सी.+6 मार्ग पर 1765 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
201. 56 BCNHL वैगनों के एक रेक में स्लैग लोड कारके EXCEPTEDसी.सी.+6 मार्ग पर 2345 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
202. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में स्लैग लोड कारके EXCEPTEDसी.सी.+6 मार्ग पर 1354 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
203. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में स्लैग लोड कारके EXCEPTEDसी.सी.+6 मार्ग पर 2155 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
204. 56 BCNHL वैगनों के एक रेक में स्लैग लोड कारके EXCEPTEDसी.सी.+6 मार्ग पर 2900 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।
205. 58 BCNHL वैगनों के एक रेक में स्लैग लोड कारके EXCEPTEDसी.सी.+6 मार्ग पर 1875 किमी. दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा आर.आर. रेट पर ज्ञात कीजिए ।

मोटर वाहन की बुकिंग

206. एक NMG वैगन में मोटरकार, 675 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
207. दो NMG वैगन में मोटरकार, 1345 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
208. चार NMG वैगन में मोटरकार, 2080 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
209. 24 NMG वैगनों के एक रेक में मोटरकार, 680 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
210. 20 NMG वैगनों के एक रेक में मोटरकार, 1610 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
211. 15 NMG वैगनों के एक रेक में मोटरकार, 1500 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
212. 10 NMG वैगन में मोटरकार, 775 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
213. 12 NMG वैगन में मोटरकार, 915 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
214. 24 NMG वैगनों के एक रेक में मोटरकार, 2065 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।

215. 20 NMG वैगनों के एक रेक में मोटरकार, 1125 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
216. एक BCACM वैगन में स्कूटर, 475 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
217. चार BCACM वैगन में ट्रैक्टर, 670 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
218. पांच BCACM वैगन में ट्रैक्टर, 775 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
219. 10 BCACM वैगन में ट्रैक्टर, 1075 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
220. 15 BCACM वैगन में ट्रैक्टर, 1275 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
221. 20 BCACM वैगन में ट्रैक्टर, 2125 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
222. 24 BCACM वैगन में ट्रैक्टर, 3200 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
223. 25 BCACM वैगन में ट्रैक्टर, 1600 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
224. 15 BCACM वैगन में ट्रैक्टर, 1125 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
225. 45 BCACM वैगनों के एक रेक में स्कूटर, 1330 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
226. 25 BCACM वैगनों के एक रेक में स्कूटर, 1425 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
227. 24 BCACM वैगनों के एक रेक में स्कूटर, 635 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
228. 40 BCACM वैगनों के एक रेक में स्कूटर, 450 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
229. 45 BCACM वैगनों के एक रेक में मोटरकार 875 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
230. 40 BCACM वैगनों के एक रेक में स्कूटर, 1720 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
231. 45 BCACM वैगनों के एक रेक में स्कूटर, 790 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
232. 25 NMG वैगनों के एक रेक में मोटरकार 920 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
233. 24 NMG वैगनों के एक रेक में मोटर कारें लाद कर मेरठ सिटी से 575 किमी. के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।
234. 40 BCACM वैगनों के एक रेक में स्कूटर 775 किमी0 दूरी के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए।
235. 25 NMG के एक रेक में मोटर कारें लदी है, गुड़गॉव से 560 किमी. के लिए बुक करने का भाड़ा ज्ञात कीजिए ।

Railway Material Consignments(RMC) shall be booked and transported as per following procedure.

1. Indent/memo for departmental wagons shall normally be placed in writing in
advance. In case of urgency, duly certified by Senior Scale/JA grade departmental
officer concerned through control order no., the same can also be given by
JE/SE/SSE concerned on the date of movement.
2. Priority for placement of departmental wagons against indents at different stations
shall be decided by Sr. DEN (Co)/Branch Officer in case of other departments. In
case of urgency to be certified by Sr. DEN (Co)/BO it may be decided to place
departmental wagons even at stations where no indents are available.
3. No registration fees shall be levied for placing of indents/memo for departmental/
general service wagons intended to transport Railway materials where both
consignor and consignee are railway officials.
4. Loading/unloading can be done either at a station or in the block section.
5. Indents for wagons required for movement of Railway materials shall be given/
accepted at the loading station if opened for goods booking or at the station
nearest to the loading station which is open for goods booking. However, the indent
will clearly specify the stations/block-sections from/to where the consignment will
be loaded and unloaded. The loading or unloading of material can be done at more
than one station/block section and also at stations/block sections enroute.


6. In case loading/unloading is done from multiple points, booking should be done
to/from the farthest station/point.
7. Charging of all types of Railway Material Consignments (including Ballast) shall be
done at notified Class rate of the commodity for a distance from the loading
station to the unloading station. If for some urgent reason the material train has to
be sent to destination farther than the farthest booking station, the same can be
done as per the written memo of the Engineering Control with the approval of Sr.
DEN(Co) / DEN Branch Officer of other Department.
8. In case the loading station/point is not opened for loading of goods traffic, the
booking should be done from the nearest station open for goods traffic. Similarly,
the booking should be done for station open for goods traffic beyond the actual
unloading station/block section if the actual unloading point is

not open for goods
traffic. In case there is no station open for goods booking beyond the actual
unloading station/block section then the booking shall be done for the nearest
station open for goods booking.
9. If consignment is to be moved in departmental wagons then train load charges with
a concession of 30% shall be levied. No charge/surcharge for wagon load, Busy
Season, Development charge etc. shall be levied on booking of RMC materials in
departmental wagons.
10. If RMC rake consists of more than one commodity chargeable at different rates, it
shall be charged on per wagon basis for the type of commodity loaded in a
particular wagon. If a wagon contains more than one commodity, the highest Class
of the commodity loaded in that wagon shall be charged.
11. These charges shall be levied as per the carrying capacity of departmental wagons
as painted on them. General Service wagons shall be charged at notified PCC.
12. Charges shall be paid through a credit note duly filled in triplicate at the station
from where the Railway materials are being booked. Necessary details shall be
repeated by the station to Commercial Control, where a record of all such bookings/
re-bookings shall be maintained.
13. RR shall be issued in all cases of booking/movement of railway materials. However,
this shall not prevent the movement of the material train/wagons soon after
loading. In such cases where RRs have not been issued prior to movement of


materials, RRs should invariably be got issued within 15 days of the movement
failing which movement of further material without issue of RRs shall not be done.
14. RRs shall be issued only for those stations which are open for goods booking located
beyond the actual unloading station/block section in the direction of movement.
15. RRs will clearly specify the stations/block sections from/to where the consignment
will be loaded and unloaded. In all such cases, RRs will be depos-

ited at the booked
station for the purpose of effecting book delivery of the consignment. This shall
not, however, prevent loading/unloading of materials from material trains / wagons.
In such cases where RRs have not been deposited prior to unloading of materials,
RRs should invariably be got deposited within 15 days of the unloading failing which
unloading of further material without deposition of RRs shall not be done.
16. Only said to contain RRs will be issued. The same should be deposited at the booked
station and physical delivery should be taken at the unloading station/ block section.
17. Commercial staff will not be responsible for supervising either the loading or the
unloading of the Railway materials. Railway materials will be loaded/unloaded by the
departmental officials concerned as per programme received from control.
18. No siding charges should be levied on Railway Material and Stores booked in
departmental wagons, as well as general service wagons to or from private and
railway sidings for train load and wagon load.
19. No demurrage charges should be levied for detention of departmentally owned
wagons. Moreover, no demurrage will be levied on (i) general service wagons
declared condemned and subsequently excluded from general service pool and handed over to Engineering Department e.g. MBOX, BFR, BRN wagons; (ii)
BOB/BOBY/BOBYN wagons which are not public wagons and have been introduced
for transporting ballast or other Engineering materials by Engineering Department,
and (iii) other wagons converted into departmental wagons of other departments
for movement of RMC.
20. In case fit general service wagons are used for moving of railway materials, then
detentions to all such wagons shall be subject to the same demurrage rates and
rules as applicable for wagons booked by the public.
21. No wharfage charges shall be levied on RMC lying at such railway premises which
are meant exclusively for handling RMC.

22. However, at goods shed/sidings where goods booked at public tariff rate are also

handled, all RMC shall be subject to the same wharfage rates and rules as
applicable to consignment booked at public tariff rate.
23. For diversion/rebooking of departmental material from one place to another or the
unloading of consignment done farther than the farthest booking station /Block
section, the following procedure shall be followed in case of paucity of time :
(i) Such diversion/rebooking shall have the approval of Sr. DEN(Co)/Branch
Officer of department concerned which will be conveyed to Sr. DOM.
(ii) Engineering Controller/concerned departmental functionary of other
departments in control office shall give a written memo to Commercial Controller and Chief controller to move the train to the revised destination.
(iii) On the basis of this memo, consignment shall be moved without further
delay and commercial formalities like approval for rebooking from Operating/Commercial Officers will be undertaken subsequently.
(iv) Within next seven days, revised indent, payment of freight by credit note,
issue of supercessional RRs etc. and all other formalities will be completed at
the booking/destination station by the consignor/consignee.
(v) Monthly position will be maintained of all such cases in commercial control to
ensure that all required formalities are completed timely before end of the
next month when such diversion/rebooking was carried out.
(vi) In case such formalities are not completed and all charges are not paid by
the end of next month, the same shall be brought to the notice of the Branch
officer concerned who shall ensure the same.
(vii) In case such formalities are still not completed and all charges are not paid
by the end of the second month, booking of next consignment may not be done.
24. Material trains shall be moved as per programme given by Sr. DEN(Co)/Branch Officer of the departments concerned.
25. The material train programme shall be given to the Chief Controller at least one day
in advance.
26. The material trains shall be moved as per programme. However, in special cases Sr.

DEN(Co)/Branch Officer of the departments concerned can request Chief
Controller through Engineering Controller/concerned departmental functionary of


other departments in control office to change the programme to suit the immediate
requirement. A written memo shall be given to this effect.
27. A quarterly feedback should be given by Railways on these changes.
These charges will be effective from 15.04.2009 and will remain in force till
further orders.
This issues with the approval of Civil Engineering Directorate and with the
concurrence of Finance Directorate in the Ministry of Railways.
Necessary instructions may be issued to the staff concerned and receipt

***GOODS THEORY**

| CONTENT NO | DESCRIPTION | PERIODS |
|---|---|---|
| C-5/A-1 | Commercial organisation and functions of each branch, important terms and definitions, books of reference and information contained therein. | 03 |
| C-5/A-2 | Rules for acceptance, booking and carriage, of General merchandise, live stock, dangerous goods, offensive goods, contraband goods and intoxicants, Rly. materials, Military stores and coal. | 05 |
| C-5/A-3 | Priority register, registration of wagon load, refund and forfeiture of the registration fee. | 03 |
| C-5/A-4 | General classification of goods traffic, significance of various symbols used, salient features of the present rate structure and the kinds of rates in use. | 02 |
| C-5/A-5 | Packing, Labelling and marking and its importance. | 03 |
| C-5/A-6 | Weighment of goods, dealing with discrepancies on re-weighment at destination, how to eliminate weighment, Disposal of overweight detected at intermediate point and rules for re-weighment at the consignee's request at destination. | 02 |
| C-5/A-7 | Sealing, rivetting and E.P. Locking of wagons and dealing with discrepancies found in this respect. | 02 |
| C-5/A-8 | Rebooking and diversion of goods. Dealing with consignments held up in transit due to dislocation of traffic. Transshipment of goods and tracing of overdue consignments. | 05 |
| C-5/A-9 | Rating and routing of goods traffic and rationalisation of routing. | 02 |
| C-5/A-10 | Unloading and storage of goods. Dealing with deficiencies at the time of unloading, DD Advice, demurrage and wharfage charges and CM-38 (Remission statement). | 05 |
| C-5/A-11 | Delivery Of goods, partial delivery, open delivery, assessment deli very, indemnity Notes, disputed deliveries, Gate Passes and Cash books. | 05 |
| C-5/A-12 | Disposal of booked unclaimed and unconnected consignments. | 03 |
| C-5/A-13 | Overcharges | |

# जाली रेलवे रसीद पर माल की डिलीवरी पर रोक लगाना

1. इनवायस इंन्डेक्स रजिस्टर सुरक्षित रखें।
2. डिलीवरी देते समय पार्टी के आइडेन्टिटी पर विशेष ध्यान दें।
3. डिस्प्यूटेड तथा डाउटफूल मामले में विशेष ध्यान दें और आवश्यकतानुसार Sr.DCM की अनुमति लें।
4. डिलीवरी देते समय आर आर को इनवायस से भली–भांति मिलान करें एवं TMS से जॉच लें।
5. जिस आर आर पर इनवायस नं0 1 पड़ी हो उसे विशेष रूप से चेक करें क्योंकि इनवायस नं0 1 वाली RR अधिकतर जाली पायी गयी हैं।
8. यदि माल के मालिक के संबंध में या RR के संबंध में कोई शक हो तो GRP, Sr.DCM को तुरन्त सूचित करें।
9. शक होने पर पार्टी से क्रास कोश्चन्स करें।
10. रिबुकिंग तथा डाइवर्जन के मामले में ,यदि पार्टी ने की हो तो RR तथा पार्टी की ओनरशीप पर विशेष ध्यान दें।
11. यदि किसी विशेष स्टेशन से माल बुक होकर आया हो जो सामान्यतः बुक होकर नहीं आता है,तो उसकी डिलीवरी देते समय विशेष ध्यान दें।
12. कीमती माल की डिलीवरी देते समय विशेष ध्यान दें ,यदि आवश्यक समझे तो इन्डेमिनिटी नोट भरवाया जा सकता है।
13. समय–समय पर गजट नोटिफिकेशन को पढते रहना चाहिए।

**ओवर ड्यू कनसाइनमेंट का पता लगानाः–**

जब पार्टी द्वारा रेलवे रसीद प्रस्तुत की जाय और इनवायस स्टेशन पर प्राप्त हो जाय किन्तु स्टेशन पर माल न आया हो, तो माल का पता लगाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

1. आवक रजिस्टर / डिलिवरी बुक में रेलवे रसीद /थू इनवायस के आधार पर प्रविष्टि अवश्य की जाये।
2. ओवर ड्यू / अप्राप्त माल का पता लगाया जाये।
3. ओवर ड्यू / अप्राप्त माल का सूचना पिछले जंक्शन स्टेशनों एवं मूल प्रारंभिक स्टेशन को किसी भी संचार के साधन से भेजी जाये।
4. एन0 आर0 सेल को नोट कराया जायेगा।
5. कंट्रोल को सूचित किया जायेगा।
5. मध्य के प्रत्येक जंक्शन से संभव हो तो सीधा सम्पर्क बनायें और माल की विवेचना करें।
6. माल को यथा शीघ्र मंगवाकर डिलीवरी देने का प्रबंध किया जायेगा।

## माल गोदाम में होने वाली अनियमिततायें

1. पार्टी को लाभ देने के उद्देश्य से माप/तौल संबंधी अनियमितताएं जान बूझकर इस प्रकार करना कि प्रभारित वजन वास्तविक वजन से कम हो।
2. रेल कर्मचारी द्वारा पार्टी की मिली भगत से परेषण की गलत घोषणा स्वीकार करना।
3. गंतव्य स्टेशन पर बुक डिलीवरी दिखा देना परन्तु परेषण को वास्तविक रुप से डिलीवरी न करना,
4. माल यातायात के मामले में ओवर चार्ज की वापसी के समय अनियमितताएं करना,
5. जानवरों की ओवर लोडिंग कर देना व माप में हेरा–फेरी कर देना,
6. बिना रेलवे रसीद तथा Indermmity note के पार्टी को डिलीवरी देना,
7. तुलनपत्र में डेविट न लेना या देर से लेना।
8. माल यातायात के मामले मे जानबूझकर गलत Placement व Release समय का दिखाया जाना,
9. ऐसे समय मे लोडिंग/अनलोडिंग कराना जिसके दौरान अनुमति नहीं है।

माल गोदाम में डेमरेज तथा व्हारफेज चार्ज में होने वाली अनियमिततायें

1. बुक डिलीवरी दिया जाना परन्तू परेषण को वास्तविक रुप से न हटाया जाना,
2. परेषण प्राप्त होने के बावजूद डिलीवरी बुक में देरी से प्रविष्ट करना,
3. गलत Free time देना,
4. वैगनों की प्लेसमेंट व रिलीज समय संबधी अनियमितताएं,
5. जाली सी0एम0–38 के आधार पर स्पेशल क्रेडिट का बैलेंस सीट में दिखाया जाना,

अनियमिततांयें रोकने के उपाय

1. कर्मचारियों को प्रेरित करना कि वे नियमों का पालन करें।
2. पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित और आकस्मिक जॉच सुनिशचित करना कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारी धोखाधडी की गतिविधियों में लिप्त होने का प्रयास तो नहीं कर रहें है।
3. यात्रियों के उपयोग की सभी सूचनाएं उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाना तथा संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए उन्हें जनता तक पहुचाना।
4. कार्यप्रणाली में अधिक से अधिक तकनीकी समावेश किया जाना चाहिए।
5. ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार दिये जाने चाहिए।
6. बईमान कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कडी कार्यवाही की जानी चाहिए।
7. कर्मचारियो में नैतिक मुल्यों का विकास किया जाना चाहिए।
8. अधिकारियों व निरीक्षकों द्वारा ईमानदार, कर्मठ व आदर्श कर्मचारियों को चिन्हित करना।
9. अनियमितताओं के गंभीर मामलो का यह पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किया जाना चाहिए कि यह हमारी प्रणाली में अन्तर्निहित दोष के कारण तो नहीं हुआ है और ऐसा पाये जाने पर सुधार के लिए आवश्यक कार्यबाही की जानी चाहिए।
10. नियम/दर पुस्तकों को Up dated स्थिति में रखनी चाहिए।
11. तौल साधनो को सही स्थिति में रखना तथा समय–समय पर जॉच करनी चाहिए।
12. बुक किए गये परेषणों की मार्ग के दौरान या गंतव्य पर आकस्मिक जॉच की जानी चाहिए।
13. समय–समय पर इनवेंट्री लेकर अन्य संबंधित दस्तावेजों से जॉच की जानी चाहिए।
14. गलत घोषणा के मामलों में कड़ी कारवाई की जानी चाहिए।
15. धन मूल्य पुस्तकों को उपयोग के लिए क्रम से जारी करना चाहिए तथा पूरा उपयोग होने के पश्चात ही नई जारी करनी चाहिए।